खण्ड-420, अंक-2
सोमवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1919
(2 अगस्त, 1997 ई0)

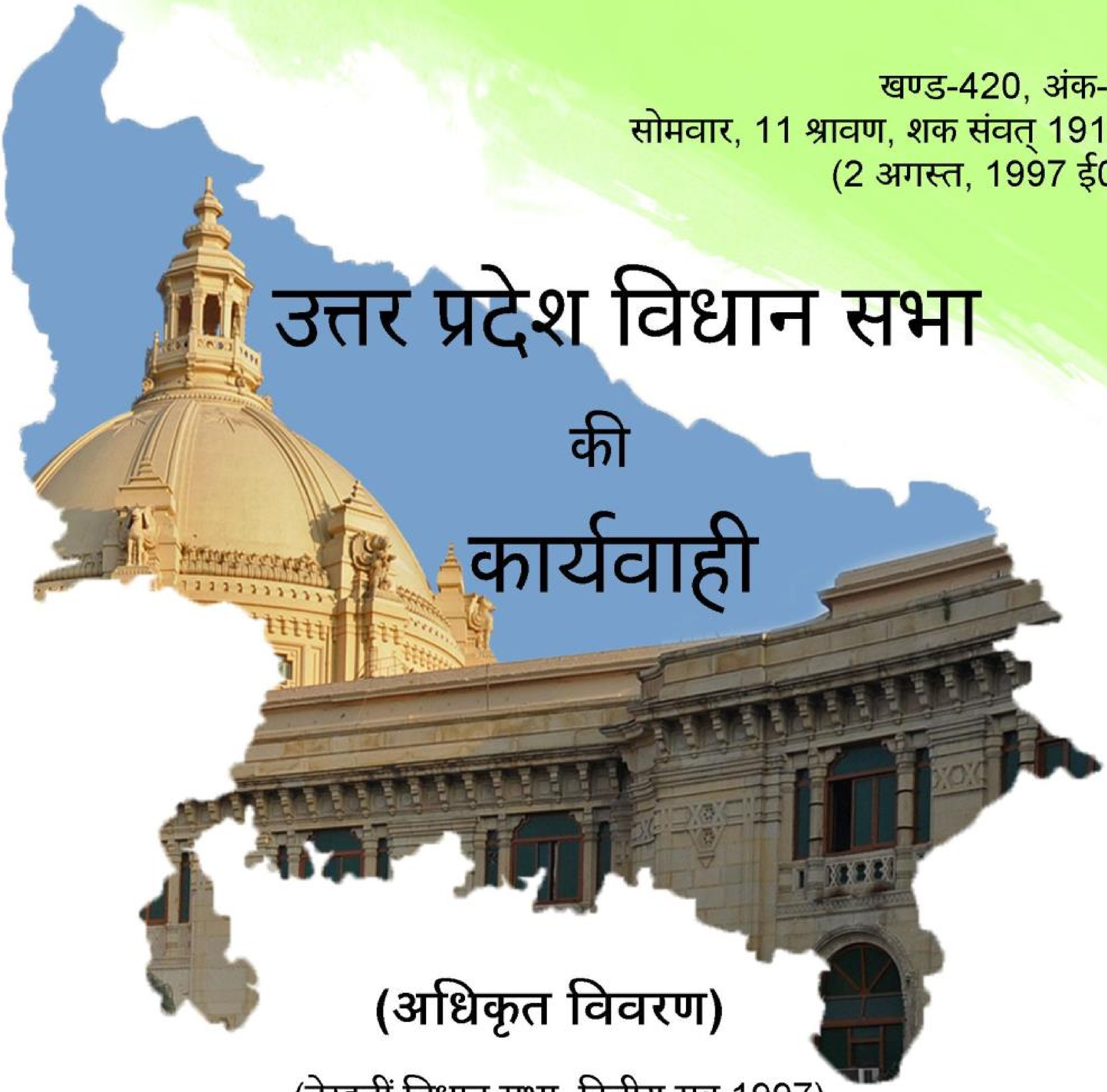

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
–सदन में विद्युत व्यवस्था ठीक कराए जाने का आग्रह	1
–उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1
–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1
–उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1
–उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	2
–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	2
–कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	2–4
–गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	4–5
–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित)	5
–उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 (पारित)	5–27
–लखनऊ स्थित होटल में हुई गोली बारी की सूचना से उत्पन्न अव्यवस्था के सम्बन्ध व्यवस्था की मांग	27–28
–नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	28
–गढ़वाल जनपद में 22 लघु विद्युत परियोजनाओं के निष्क्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
–शासकीय दुग्ध डेरी उद्योग संग्रामपुर, खागा जनपद फतेहपुर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28–29
–बलरामपुर जनपद की तहसील तुलसीपुर के कतिपय गांवों जो बाढ़ से प्रभावित हैं, में राहत कार्य करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
–नान मेडिकल असिस्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29
–तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के कतिपय मार्गों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
–जिला खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय बालिका हाई स्कूल/बांयज इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	30

विषय	पृष्ठ संख्या
–गाजीपुर में जमानियां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों को गंगा नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
–नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	31
–उत्तर प्रदेश में आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 1996-97 तथा आर्थिक समीक्षा 1995-96 प्रकाशित कराए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	31–32
–गोरखपुर मण्डल के गोड़ जाति के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र पाने से वंचित रहने विषयक औचित्य का प्रश्न	32–34
–डी० आर० डी० ए० की बैठकों की अध्यक्षता जिलाधिकारियों द्वारा किए जाने के शासन के निर्णय विषयक औचित्य का प्रश्न	35–36
–जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर को हटाए जाने के सरकार के निर्देश विषयक औचित्य का प्रश्न	37–38
–भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितता विषयक औचित्य का प्रश्न	38–39
–पश्चिम उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा किए जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	39–40
–प्रदेश के कई जिलों में घटी घटनाओं के संबंध में औचित्य का प्रश्न	41–42
–परिवहन मंत्री को अनेक प्रमुख सचिव द्वारा सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने विषयक सूचना संबंधी औचित्य का प्रश्न	42–44
–कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	44–64
–वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग	64–85
–वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–95–उत्तराखण्ड विकास विभाग ...	85–100
–वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग	101–148
–अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन), अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग विभाग (संचार साधन) अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	101–148
–दिनांक 1-8-97 की कार्य सूची की नत्थी "ख" के ता० प्र० सं०–3 के निरस्तीकरण के संबंध में व्यवस्था	149

विषय	पृष्ठ संख्या
–राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर रोक तथा प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने संबंधी चर्चा का स्थगन ...	149
–नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	149
–जनपद मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रदेश में निजी एवं अन्य राज्यों की लाटरियों की पुनः बाजार में खुले आम बिक्री से संबंधित चर्चा का स्थगन	149

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शनिवार, दिनांक 2 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अनीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमवेश स्वामी, श्री	बिजनौर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गणेश, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल गंगावार, मास्टर	बरेली
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश, श्री	देवरिया
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भरत सिंह, श्री	बलिया
मंगल सिंह, श्री	मुरादाबाद
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	इटावा
राजधारी, श्री	बलिया
राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
रूप चौधरी, श्री	मेरठ
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ

* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लाल जी टन्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

सत्यमेव जयते

---

* माननीय सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

शनिवार 2 अगस्त, 1997

(विधान सभा की बैठक दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

सदन में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने का आग्रह

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय कार्यमंत्री जी जो पूरी सरकार चला रहे हैं । यह बिजली की व्यवस्था पहली बार देख रहा हूं कि आती है जाती है, आंख मिचौली हो रही है, इसको ठीक करायें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी कक्ष में मैंने इस संबंध में संज्ञान में लिया है, एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को इस संबंध में बात करने के लिए बुलवाया है ।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1997 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 जुलाई, 1997 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश रूड़की विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन), विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 1 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा का कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 अगस्त, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 2 अगस्त, 1997 से 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :–

अगस्त, 1997

---

2 शनिवार (1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण–.....आधा घण्टा

(2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घंटे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(4) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––दो घण्टा ।

3 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

4 सोमवार — (1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997––आधा घण्टा ।

(ख) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997––आधा घण्टा

(2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(3) गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी/प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अश्लीलता व दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा––एक घण्टा

(4) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क तथा अध्ययन शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना पर सदन में हुए वक्तव्य के संबंध में नियम–52 के अन्तर्गत ग्राह्य की गयी सूचना पर चर्चा––आधा घण्टा

(5) नियम–103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाय ।"

5 मंगलवार — (1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू" श्री अमर मणि, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विवेक सिंह, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री बिहारी लाल आर्य, श्री दलबीर सिंह, श्री गंगा बक्श सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल व श्री अखिलेश कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा

के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

अनन्तिम रूप से "यह सदन राज्य निर्वाचन आयोग से संविधान तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा तद्धीन बनाई गई नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन से संबंधित कार्य-कलापों पर चिन्ता व्यक्त करता है।"

6 बुधवार वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार
10 रविवार

बैठक नहीं होगी।

11 सोमवार वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 मंगलवार वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(अपराह्न 4-00 बजे तक)

(2) 4-00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

पर्यावरण संसदीय एवं कार्य-मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आदरणीय श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1997 †

पार्यावरण एवं संसदीय कार्य-मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1997 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997

महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री हरी किशन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह आयोग पहली बार उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और इसका प्रकरण बिलकुल वही है जो राष्ट्रीय महिला आयोग का है । चूंकि 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय महिला वर्ष सारे संसार में मनाया गया भारत में भी इसे मनाया गया यह सरकार इस बात के लिए सजग है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उन्नति के लिए, प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी एक आयोग का गठन किया जाय । इस कारण इस सरकार ने विचार करके यह निर्णय लिया है । यह बिल विधान परिषद् में पारित भी हो चुका है । इसके अन्तर्गत एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे एवं एक सचिव अनिवार्य रूप से महिला अधिकारी होगी इस प्रकार से 80 व्यक्तियों के समूह से मिलकर आयोग की स्थापना होगी । प्रयास यह किया गया है, अनिवार्यता भी कर दी गयी है कि जो सदस्य होंगे उसमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं एक पिछड़े वर्ग का भी सदस्य होगा जो महिला हो इस के लिए बल दिया गया है । इसके अन्तर्गत वह शक्तियां प्रदत्त हैं, हो गयी हैं जो एक सिविल कोर्ट के अन्तर्गत अधिकार होता है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि आयोग अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करने हेतु किसी व्यक्ति को सम्मन करना चाहे तो कर सकता है किसी दस्तावेज को

---

† दिनांक 27-8-97 के सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित ।

देखना चाहे तो देख सकता है इस प्रकार के सभी अधिकार आयोग को होगा । इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा ।

(इस समय 11 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

जैसा प्रदेश सरकार निर्धारित करेगी उसके अनुसार इसका कार्य-संचालन होगा । वित्त विभाग ने अनुमानित व्यय इसका 25 लाख किया है जिसकी व्यवस्था कर दी गयी है । मैं माननीय सदस्यों से इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विधेयक में भी माननीय किसी सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । इसके पूर्व जब मैंने महिला एवं बाल विकास विभाग का बिल प्रस्तुत किया था तो उस समय मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि यह विधेयक जनहित का है जिसमें सभी अपने दायित्व के अनुसार एवं अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं । इसमें किसी प्रकार का राजनैतिक विरोधाभाष नहीं है इस कारण जो माननीय सदस्य प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव लाये हैं वह निरर्थक है । मैं समझता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसमें एक क्षण भी विलम्ब करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को पारित करने पर विचार कर लें ।

(श्री अमर मणि को पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

श्री अमर मणि जी नहीं हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वे तो इस समय नहीं हैं, आप कहें तो मैं संशोधन रख दूं या विचार करा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

केवल विचार रखें । इसके बाद और जो भी माननीय सदस्य विचार देने चाहेंगे उनको अवसर मिलेगा ।

श्री हरी किशन–

मान्यवर, संशोधन न आ पाने के कारण, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो यह राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 आया है उसका मैं स्वागत करता हूं ।

राष्ट्रीय महिला आयोग के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में तमाम सामाजिक संगठन तमाम प्रदेश की महिलाओं के संगठन जुड़े हुये हैं और महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर मांग उठाते रहे हैं कि प्रदेश में भी महिला आयोग का गठन किया जाय उस दिशा में उन्होंने एक सार्थक कदम उठाया है इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं । पिछले दिनों मैंने भी इस संबंध में प्रश्न किया, जो आप विधेयक लेकर आये हैं उसमें कुछ बातें जो रखी हैं, उनके संबंध में मुझे और सदन के अन्य सदस्यों को कुछ शंकायें हैं । आपने कहा कि आयोग में 6 सदस्य होंगे एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव कोई राजपत्रित अधिकारी विशेष सचिव स्तर का होगा । जो आपने इस पवित्र आयोग का गठन किया है अध्यक्ष और 6 सदस्यों के चयन में जो समाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलायें हैं उनको इस आयोग में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में रखेंगे तब तो ठीक है कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से जिन निगमों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ है और निगमों की जो हालात है कि अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को चेयरमैन बना दिया है उसी तरह से इसमें भी अपनी पार्टी की महिला नेत्री को इसमें अध्यक्ष बना दें और अन्य कार्यकर्ताओं को इसका सदस्य बना दें फिर आपने जिस उद्देश्य से इस आयोग का गठन कर रहे हैं शायद उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समुचित कठिनाई पैदा होगी आपने इस विधेयक में उल्लेख किया कि आयोग महिलाओं के संबंध में क्या-क्या कार्य कर सकता आर सिविल कोर्ट के अधिकार इस आयोग को होंगे। इसी तरीके से विधेयक में नौ (ट) में आपने उल्लेख किया कि जेल में, सुधार गृहों में महिला संस्थाओं के आयोग के दौरे होंगे, यह बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी कठिनाइयों के निराकरण के लिए आयोग कार्य करेगा।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलों में नर्सिंग होम की बाढ़ सी आ गई है उसमें जो महिला दाई या नर्सिंग स्टाफ के रूप में जो महिलायें कार्य करती हैं। उनको 200--200 सौ रुपये मात्र मिलता है वे मजबूरी में पारिवारिक कारणों से वह कार्य कर रही हैं। इस तरह जो मांटेसरी स्कूल हैं उसमें फीस 50 रुपये ली जाती है, डोनेशन लिया जाता है और उनमें जो महिलायें पढ़ाती हैं उनको 300--400 रुपये मात्र वेतन मिलता है। कोई भी मांटेसरी स्कूल का प्रबन्ध तंत्र, जो माध्यमिक और बेसिक या सरकारी स्कूलों में पे-स्केल, वे इन्हें नहीं देता है।

इसमें कोई संशोधन नहीं आया है, इन चीजों का समावेश करें। आयोग का गठन कोई राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं है। इस आयोग का गठन "यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता" के आधार पर किया जाना चाहिए। पुरातत्व काल में महिलाओं की पूजा होती थी। आज उन महिलाओं के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है अगर उसको मैं कहूंगा तो बहुत समय लगेगा।

श्री अधिष्ठाता–

श्री पाल जी कृपया संक्षेप में कहें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संक्षेप में ही कह रहा हूं। तो मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इस आयोग के गठन के लिए 25 लाख रुपये की आवश्यकता थी उसकी आपने व्यवस्था कर दी। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब हम बजट पारित कर रहे हैं और बजट सत्र चल रहा है और इस विधेयक को हम ले करके आये हैं, तो संचित निधि से 25 लाख रुपये देने का क्या औचत्य है ? और क्या हर साल संचित निधि से देंगे, या फिर बजट में प्राविधान करेंगे ? यह नहीं लिखा है। मान्यवर, अगर सत्र समाप्त हो जाता और विधान सभा नहीं चल रही होती उसके बाद यह अध्यादेश आता तो अध्यादेश के तहत पैसों की आवश्यकता पड़ती तो उस कारण से संचित निधि से लिया जाता कोई बात न होती।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

महिलाओं के कल्याण के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। हमारी बहनें यहां पर बैठी हैं [x x x] तिवारी जी हमें टोक रहे हैं। उनके कल्याण के लिए तो हमें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, यह [x x x] शब्द क्या है । इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने इसके लिए नहीं कहा है । यह तिवारी जी के लिए कहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

"बेचारी" शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

तो मान्यवर, हमें यह देखना होगा कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक में लिखा है उद्देश्य और कारण में, महिलाओं के संबंधित जो समस्याएं होंगी और कठिनाइयां होंगी, यहां तक कि अगर कोई संवैधानिक आवश्यकता पड़ेगी तो यह आयोग प्रस्ताव करेगा, पनुः अवलोकन करेगा....

तो मान्यवर, जो इसका उद्देश्य है, वह भी अगर महिलाओं के प्रति हो रही असमानता को दूर करने के लिये, अगर संविधान में संशोधन भी करना पड़े, तो मैं संशोधन का सुझाव दूंगा और मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी इस उद्देश्य से भटक न जाये । आप को एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिलाओं के आरक्षण के लिये लाना चाहिये, 35 प्रतिशत आरक्षण के लिये लाना चाहिये और हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन मान्यवर, इस सरकार की कथनी आर करनी में अन्तर है । कम से कम यह विधान सभा सबसे पहली विधान सभा होनी चाहिये जो महिलाओं के आरक्षण के लिये प्रस्ताव कर केन्द्र को भेजें और मार्गदर्शन करें । मान्यवर, इस विधान सभा ने समय-समय पर मार्गदर्शन किया है । महिलाओं की कठिनाइयां बहुत हैं । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसको अभिकरण के रूप में स्थापित करें और यह बिल्कुल स्वतंत्र हो, स्वायत्तशासी हो और किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो और ऐसा न हो आज आप आयोग गठित करते हैं और कल एक विभाग बना दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया आपस में टोका टोकी न करें । इससे विचारों का सिलसिला टूटता है । आपको समय दिया जायेगा तो आप कह लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस आयोग को स्थापित करने की केवल यह मंशा है कि इसकी स्वायत्ता बनी रहे । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस संबंध में कुछ कहेंगे कि इस आयोग की स्वायत्ता पर कोई हमला नहीं होगा । अगर आप संचित निधि से इसको पैसा देंगे तो लोग सचिवालय के चक्कर लगाते रहेंगे । आप इस आयोग को न्यायिक अधिकार दे रहे हैं । तो इसे वित्तीय संसाधनों से मजबूत बनाना चाहिये । इसे विधिक अधिकार भी होने चाहिये । मान्यवर, मेरा कहने का आशय यह है कि इस आयोग को आपको मुकम्मल अधिकार देने चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

महिला सदस्यों को भी बोलना है ?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, बहु प्रतीक्षित उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की स्थापना पर निश्चित रूप से सरकार को बधायी देना चाहती हूं, आभार व्यक्त करना चाहती हूं। महिला आयोग के माध्यम से, हमारी 50 प्रतिशत आबादी पर जो जन्म से पूर्व ही कुठाराघात होना प्रारम्भ हो जाता है, मैं अपने बिन्दु को वहां तक ले जाना चाहती हूं कि आज के तकनीकी सहयोग से महिलाओं का धरती पर आना ही अपराध हो रहा है, ऐसे समय में महिला आयोग का गठन अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगा और उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुयी मुजफ्फरनगर की घटना में जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका अपने आप में प्रभावी होने के बाद भी, लागू कराने में असुविधा हुयी, उससे मुक्ति होगी। हमारा यह आयोग अधिकार सम्पन्न होगा और जो अधिकार उन्हें दिये गये हैं उनका प्रभावी उपयोग होगा और निश्चित रूप से इन प्रभावी उपयोगों के बाद कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, मैं उसको नीचे और ले जाना चाहती हूं, केवल नर्सिंग होम में नहीं केवल विद्यालयों में नहीं, केवल असंगठित मजदूरों में नहीं, जहां तक आर्थिक अधिकारों की बात है हर तरह से हकतलफी हो रही है।

घरों में बर्तन मांजने के काम में भी महिलाओं की भूमिका होती है। लेकिन वेतन की दृष्टि से उनके साथ जो व्यवहार होता है उस ओर भी निश्चित रूप से इस आयोग की भूमिका होगी। आज मैं पुनः बड़ी प्रसन्नता और गौरव के साथ सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूं यह कार्य पूर्व में ही महिला वर्ष में होना चाहिए था। महिला वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सही आजादी की अर्द्धशताब्दी वर्ष में ही सही, इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे महिला आयोग विधेयक पर बोलने की इजाजत दी। कल माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का बजट था। माननीय श्रीवास्तव जी हमारे साथी थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आज भी साथी हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

हां साथी हैं। तो मैं कह रहा था कल इनका बजट था। महिला कल्याण मंत्री का उसमें इसका जिक्र नहीं है। और आज यह विधेयक लाये हैं तो इसमें सरकार की मंशा महिलाओं के बारे में ठीक नहीं लगती है। इनका जो बजट साहित्य कल बटा था उस साहित्य में कोई आइटम का नहीं है। मेरे पास भी यह विभाग रहा है, इस बजट में कहीं कोई प्रोविजन नहीं किया है। यदि मंशा साफ होती तो बजट में धन की व्यवस्था करते। इनके मन में महिलाओं के प्रति हमदर्दी नहीं है। बहन कटियार जी ने महिलाओं के बारे में पूरे विचार व्यक्त किये। महिलाओं के साथ सदा से हमारे देश में सम्मान रहा है। हम इस बात को मानते हैं:–"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" हमारे देश में महिलाओं का हमेशा आदर होता आया है। मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में आदर किया है। और हमारे देश में तमाम महिलाएं सीता, सावित्री के रूप में याद की जाती रही हैं। जिन्होंने हमारे देश के गौरव और संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है महिलाओं की घोर उपेक्षा कर रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज यह जो विधेयक आया है इसमें मेरा सुझाव है, कि महिला आयोग का चेयर मैन राजनीतिक दृष्टि से न बनाया जाय उसमें राजनीतिक "बू" न आये और वह राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष के दबाव में काम न करे। जिस तरह से और आयोगों को स्वायत्ता होती है उसी तरह की स्वायत्ता इसकी भी बनी रहे। मां सविता अम्बेडकर को इसका चेयर मैन बनाया जाय यदि उन्हें चेयर मैन न बना सकें तो हाईकोर्ट की किसी महिला जज जो रिटायर्ड हों उनको चेयरमैन बनाया जाये। महिलाओं और बालकों के वेलफेयर स्टेट की कल्पना हमारे देश और प्रदेश में की गई है और तमाम योजनाएं उनके कल्याण की सरकार द्वारा संचालित होती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन योजनाओं का लाभ, महिलाओं और बच्चों को तो मिलना दूर रहा, इन योजनाओं का नाम भी लोग नहीं जानते हैं। महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका शतप्रतिशत लाभ महिलाओं को मिले और ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में रखी जाये कि राष्ट्रीय महिला आयोग देखें कि एक पैसा भी किसी ने खा लिया है तो उसे सीधे जेल की हवा खिलाई जाये।

लेकिन मैं समझता हूं कि शासन की जो मंशा है वह साफ सुथरी नहीं है अगर शासन की मंशा ठीक होती तो मैं समझता हूं कि बजट में उसका प्राविधान किया गया होता। मुझे तो यह लगता है कि यह अपने किसी कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिये या कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिये इस आयोग की स्थापना की जा रही है। अगर मंशा साफ है तो आप मां सविता अम्बेडकर को या हाईकोर्ट की महिला रिटायर्ड जज को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाय और उनको जुडीशियल अधिकार दिये जायं ताकि वह सारी चीजों को देख सकें और निष्पक्ष काम कर सकें और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तक हमारे देश और प्रदेश में ऐसी मान्यता रही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप घर में देख लें या घर के बाहर देख लें महिलाओं के साथ हर जगह उनके साथ शर्मनाक व्यवहार हो रहा है। मैं प्रसाद जी की दो पंक्तियां कहना चाहती हूं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध है आंखों में पानी। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि इस विधेयक द्वारा जो उनको अधिकार देने की बात कही गयी है यह एक अच्छा कदम है। यह अकाट्य सत्य है कि जिस घर में महिलायें न हों, उस घर को घर नहीं मानना चाहिये। जिस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत न हो उसको प्रदेश नहीं मानना चाहिये और जिस देश में महिलाओं की इज्जत न हो उस देश को देश नहीं मानना चाहिये। आज महिलाओं के ऊपर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनकी जिंदगी यातनामय हो गयी है। महिलाओं को आज दहेज की वेदी में डाला गया है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे समय में यदि सरकार ने महिलाओं के लिये कुछ निर्णय लेकर यह विधेयक पेश किया है वह एक अच्छा कदम है। हमारे समाज में जो महिलायें परित्यक्ता हैं, विधवा हैं और जिनमें कोई खामी आ गयी है उसकी वजह से उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिये आप एक ऐसा प्रस्ताव यहां रखें और ऐसा संगठन बनायें जो महिला उत्थान के बारे में नयी चीजें और नयी व्यवस्था करे। इस संगठन में ऐसी महिला को रखा जाय जो पात्र हो और सामाजिक रूप से कार्य कर रही हो। महिला चेयर मैन का नाम लिया गया मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि चेयर मैन किसी महिला को ही नियुक्त किया जाय। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करती हूं।

* श्री बेचन राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महिला आयोग के इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, भारतीय संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया तो भारत के संविधान में नारी को समान दर्जा दिया गया । आज देश को आजाद हुये ५० साल हो गये हैं । एक लम्बे समय तक देश और प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही है लेकिन भारतीय संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस सरकार के नेताओं ने केन्द्र से लेकर प्रदेश तक कहीं पर भी महिला आयोग या महिलाओं के विकास के लिये उनके सम्मान के लिये कोई आयोग आज तक प्रदेश में बनाने का काम नहीं किया था । यह प्रसन्नता की बात है कि भाजपा और बसपा की सरकार बनी तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमंते तत्र देवता, महिलाओं को इज्जत देने के लिये आयोग की स्थापना की । मान्यवर, कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वार्गादपि गरीयसी की भावना से प्रेरित होकर नारी का सम्मान करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिये महिला आयोग का गठन किया गया और इसको सिविल कोर्ट का अधिकार मिल रहा है ।

मान्यवर, इससे नारियों के सम्मान की रक्षा होगी । नारियों का उत्थान होगा । मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि नारी समाज के कल्याण के लिये अनेकों तकनीकी तरीकों को इजाद करके हमारे देहात की जो बालिकाएं हैं, अभी तक शिक्षा से वंचित हैं युद्ध स्तर पर अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करके उनके लिये व्यवस्था की है । उनके लिये प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिये भी व्यवस्था की जाय ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग इतने अधीर न हों । मैं पुकार रहा हूं । जब आपका नाम होगा तब बोलियेगा ।

श्री बेचन राम–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महिला आयोग विधेयक पर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । जय हिन्द । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के मंत्री लोग सो रहे हैं । इसलिये कहते हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक ही सदन चलायें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार महिला आयोग गठित करने के लिये यह विधेयक लाई है । आज देश प्रदेश आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है लेकिन नारी की स्थिति जहां की तहां है । समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो नारी जाति के उत्थान की बात करते हैं जिन्हें ही नारी समाज को हमेशा शोषित किया है । नारी समाज ने स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन से आजादी तक देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसे समाज कभी भुला नहीं सकता । मान्यवर, यह सरकार महिला आयोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो गठित करे लेकिन उनकी सुरक्षा की गारन्टी भी इनको लेनी होगी नहीं तो इस आयोग बनने में कोई फायदा नहीं है । ये मजलूमों की आह सुनते हैं, तो मुंह फेर लेते हैं ।

ये अबलाओं की चीत्कार को सुनकर हंस के टाल देते हैं ।
ये दलितों की विकास की बात करते हैं,
ये बड़े बेशर्म हैं कि मजलूमों के कफन बेच लेते हैं ।।

हम महिला आयोग का स्वागत करते हैं, परन्तु हमें विश्वास नहीं है कि सरकार नारी के प्रति संवेदनशील है, सरकार दृढ़ता के साथ ऐसा कोई कानून बनाये जो लोग नारी को केवल पोस्टरों में प्रचार का माध्यम बना लिये आर अश्लीलता के साथ आज उनका हर रूप में प्रयोग किया जाता है । ऐसे लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये ।

* डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, हमारे साथी सदस्यों ने एक बात बार-बार दोहराई है । मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरीवश कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । पहले तो मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं इस महिला आयोग विधेयक के लिये । इतने वर्षों में भा०ज०पा० और ब०स०पा० की ही यह सरकार रही है जिसने इस उक्ति को चरितार्थ किया है :–

यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता:

मान्यवर, मुजफ्फरनगर कांड हुए बहुत दिन नहीं बीते हैं । महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार हुआ । महिलाओं के बारे में बातें तो बहुत होती हैं भाषण बाजी भी होती है लेकिन उनके कल्याण के लिये भी कुछ कार्य किया जाना चाहिए । हमारी सरकार ने महिलाओं के बारे में विचार किया उनकी विकास के अन्दर साथ-साथ की सहभागिता दी । उनके सम्मान की रक्षा हो, उनकी समस्याओं के प्रति सरकार सम्वेदनशील है इसीलिये इस महिला आयोग का गठन किया जा रहा है । प्रदेश ही नहीं देश की महिलाओं को सम्मान दिया है । इस आयोग के गठन से उनके मान सम्मान की रक्षा होगी । उनकी तमाम समस्याओं के समाधान के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोग को गठन करने का फैसला लिया है । इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा और महिलाएं उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेंगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री सीता राम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, महिला आयोग विधेयक पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिये बहुत दिनों से यह आवश्यकता प्रतीत की जा रही थी कि मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है । इसके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए जो कानून उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, बहुत से ऐसे कानून हैं उसमें महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया है । आवश्यकता इस बात की है कि इस आयोग का कार्य क्षेत्र इस प्रकार होना चाहिए कि वह देखें जो कानून इस समय उत्तर प्रदेश में है, हर जगह उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए । नयी पंचायत राज्य प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी देकर बहुत सराहनीय काम किया है लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए उस दिशा में, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में काम आरम्भ किया गया है यह भी एक अच्छा कदम होगा । उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश अधिनियम जो लागू किया गया ह उसमें जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तराधिकारी का प्राविधान धारा 171 उपधारा (का) में दिया गया है उसमें भौमिक अधिकार खातेदारों के हैं । खातेदार की मृत्यु होती है उसमें जो दाखिल खारिज होता है उसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, विधवाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है जिसका नतीजा यह होता है कि खातेदार की मृत्यु के बाद, पुत्रों का नाम दर्ज होने के कारण, विधवा मां को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है जब लड़कों का बंटवारा हो जाता है तो विधवा मां की परवरिश के लिए कोई नहीं रहता है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि महिला आयोग विधेयक इस विषय पर भी देखें । आजादी के स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 171 (क) में यह संशोधन किया जाए कि खातेदार की मृत्यु के बाद जब जमीन का दाखिल खारिज होगा उसमें जो लड़कों का नाम दर्ज होगा उसके साथ उसकी विधवा मां का भी नाम दर्ज हो ताकि लड़के यदि उसकी परवरिश नहीं करते हैं तो भी उसको दिक्कत न हो । महिलाओं का जो अन्य प्रकार से उत्पीड़न होता है वह नहीं होना चाहिए हर क्षेत्र में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । आज ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को वह दर्जा नहीं दिया जाता है जो उन्हें मिलना चाहिए । जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं दिया जाता है तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कहें ।

श्री सीता राम निषाद–

इस विधेयक को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद ।

* डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, जो विधेयक लाया गया है जहां तक महिलाओं की बात आती है तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति इतना कैसे दुराग्रही हो गया है ? कन्या का जन्म किसी घर में होता है, प्रसव की सूचना मिलती है तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है जहां कन्या का पता लगता है तो पूरे परिवार में दुख छा जाता है जिस परिवार में कन्या का जन्म होता है वहां तो इस कारण दुख छा जाता होगा कि दहेज देना पड़ेगा लेकिन जब पड़ोसी को पता चलता है तो पड़ोसी पर भी दुख छा जाता है । जब किसी महिला का पति रात में 10-11 बजे घर आता है तो–उसकी पत्नी घर पर इन्तजार करती है । जब उसका पति आता है तब उसको भोजन कराने के बाद ही वह भोजन करती है । अगर किसी दिन पति समय से आ जाता है और पत्नी घर में नमक न होने के कारण पड़ोसी के घर पर नमक मांगने चली जाती है तो कुद्ध हो जाएगा । कहां चली गई । महिलाओं के प्रति यह सोच जो पुरुषों की बनी है यही घातक है । अभी महिलाओं की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में जो आयोग गठित करने की बात कही जा रही है लेकिन जब आयोग बने तो उसकी अध्यक्षता किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए ।

अभी एक बात कही गई कि जिस देश में महिला पूजी जाती हैं उसी देश में देवता वास करते हैं इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन ग्रन्थों में महिलाओं का अपमान किया गया है उन अपमान जनक शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए । स्त्री शुद्धम धीयताम्, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, महिला उसी प्रकार उत्श्रंखल हो सकती है जिस प्रकार कोई नाली पानी ज्यादा होने पर उत्श्रंखल हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाती है । ऐसे शब्दों का जिन ग्रन्थों में इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों को निकाल दिया जाए । स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं अगर एक पहिया बड़ा और एक छोटा होगा तो गाड़ी हिचकोले खाकर चलेगी । अगर स्त्री आर पुरुष में समान सम्बन्ध नहीं हैं तो उनकी गाड़ी सही तरीके से नहीं चल सकती हैं । स्त्रियों का महत्व उतना ही होना चाहिए जितना पुरुषों का इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उसने महिला आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है । इसका मैं पूरी तौर पर समर्थन करती हूं । लेकिन कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं । इस आयोग को केवल कागज पर न रखा जाए इसको वास्तविक रूप में लाने की आवश्यकता है । महाराष्ट्र सरकार में वहां चित्रा आयंगर ने नीति बनाई है जिसके कारण महिलाओं की स्थितियों में विगत 10 वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं । इसी प्रकार से इन्टर नेशनल महिला फोरम की भी इस कार्य में मदद ली जाए । महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केवल भाषण बाजी न होकर वास्तविक सुधार किए जाएं चित्रा आयंगर की तरह हमारे यहां एक नीति बनाई जाए । आज सभी जगह पर नारी ने सिद्ध कर दिया है कि जिस-जिस क्षेत्र में वह उतरी है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी, आई० ए० एस०, इंजीनियरिंग कहीं पर भी वह पुरुषों से पीछे नहीं है । हर जगह उसने अपनी क्षमता का परिचय दिया है । नारी पुरुष से अधिक अनुशासन में कार्य कर सकती है । उत्तर प्रदेश में जो नारी की शिक्षा का स्तर है वह बहुत नीचा है इसको ऊपर उठाया जाए । आज हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा का जो आक्रमण हो रहा है जिसके कारण हमारी नारी को आज केवल भोग्य की वस्तु समझा जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए । हमारे यहां जो नारी का पतन हुआ है उसके उत्थान के प्रयास करने चाहिए । इसके लिए सोच समझ करके एक नीति बनानी होगी । पुलिस में नारियों की संख्या बढ़ानी होगी, न्यायालय में भी उनका चयन करना होगा । हर जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन बनाया जाए जिसमें केवल नारियों को ही रखा जाय । तभी हम सही मायने में स्त्रियों का भला कर सकेंगे ।

इसी तरह से पंचायतों से लेकर न्यायालय तक यदि स्त्री को स्थान दिया जायेगा तो उसके साथ सही न्याय हो सकेगा ।

मान्यवर, जहां भी नारी को निम्न स्तर पर रखकर देखा गया है । वहीं देश का पतन हुआ है । इसलिए हम चाहती हैं कि आयोग में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के प्रति संवेदना रखना चाहिए । और नारी को उसको उचित स्थान दिया जाये, इसके लिए सरकार को महिला आयोग गठन के लिए मैं धन्यवाद देती हूं ।

श्री बिजेन्द्र आर्य–

अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने इस महिला विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मेरी नीयत इस संबंध में लंबा चौड़ा भाषण देने की नहीं है बल्कि इस विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, यह विधेयक वास्तव में अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन इसकी उपयोगिता तभी संभव है जब सरकार अपनी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर उसकी उपयोगिता और महत्व को सही तरीके से लागू करे तभी उसकी सार्थकता होगी ।

मान्यवर, हमारे देश में चाहे केवल स्वतंत्रता का आन्दोलन रहा हो चाहे देश, प्रदेश, समाज को बनाने का सवाल हो महिलाओं का इन क्षेत्रों में जो स्थान रहा है उसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं । आप सभी जानते हैं कि राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं की अहम् भूमिका रही है । और इस देश में महिलायें समाज को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । लेकिन वह महत्व उन्हें नहीं मिल पाया है जिसकी आवश्यकता उन्हें थी ।

मेरा स्पष्ट मत है कि इस देश, प्रदेश, समाज में महिलाओं की भूमिका के संबंध में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये और जब विधेयक लाया जा रहा है तो महिलाओं को शिक्षा के लिए इसमें कम से कम 15 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया जाना चाहिए । मान्यवर, जिस देश और समाज में महिलायें शिक्षित होंगी तो वह देश, प्रदेश और समाज तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होता जाएगा । इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस राज्य महिला आयोग विधेयक पर साफ मन से और गंभीरता से विचार करके उसे महिलाओं के लिए कल्याणकारी बनायें ।

* श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो महिला आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं । इससे हमारे समाज की महिलाओं की प्रगति एवं उन्नाति होगी और इससे समाज में जागरूकता आयेगी । मान्यवर, हमारे समाज में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत है, उनका जागरूक होना एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिये नितान्त आवश्यक है । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज की जो स्थिति है, इतिहास गवाह है, वैदिक युग में भी ऐसा नहीं था, जो आज की स्थिति है । इस आयोग के गठित होने से महिलायें शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी और वह पुरुष प्रधान समाज में उनके कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकेंगी, तभी हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं । मैं बताना चाहती हूं कि आगे ऐसा दिन कभी न आये, जब महिलाओं के लिये आरक्षण करना पड़े, या उनके लिये कोई आयोग गठित किया जाय । हमारी जो अभी तक की प्रतिष्ठित महिलायें हुई हैं, या जो होंगी, उनको इससे पूरा सम्मान मिलेगा, इसी के साथ मैं इस महिला आयोग का समर्थन करती हूं ।

*श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी 8 सदस्यीय महिला आयोग का गठन करने जा रहे हैं, आज प्रदेश में चारों तरफ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, क्या यह 8 सदस्यीय महिला आयोग महिलाओं की सारी समस्याओं का निराकरण कर सकेगा ? मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से हाईकोर्ट से नीचे हर जिले में कोर्ट्स हैं, उसी तरह हर जिले में महिला आयोग की शाखायें होनी चाहिये ताकि उस जिले में ही उनकी उत्पीड़न की समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर ही हो सके, तब तो इसका फायदा है अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है । इतना बड़ा हमारा प्रदेश है और 8 सदस्यीय महिला आयोग पूरे प्रदेश में क्या कर सकेगा, यह सोचने की बात है । अभी बुलन्द शहर में ईंट भट्ठे पर काम करने वाली 5 महिलाओं को अवांछनीय तत्व रात में उठा कर ले गये और उनको जंगल में ले जाकर छोड़ा । उनके साथ बलात्कार हुआ और नंगी अवस्था में वह पांचो महिलायें मिली । माननीय मंत्री जी जो इस आयोग का गठन आप कर रही हैं, इसकी शाखायें हमारे हर जनपद में होनी चाहिये, अगर पैसे की उपलब्धता पर्याप्त न हो तो कम से कम मंडल स्तर पर इसकी शाखायें अवश्य स्थापित की जायें, यह मेरा सुझाव है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, महिलाओं का आयोग गठित करने का प्रस्ताव है उसका उद्देश्य पढ़ने से लगता है कि कोई विशेष योजना महिलाओं के कल्याण करने के संबंध में नहीं है । बहुत से आयोग पहले से बने हुये हैं और बहुत से बनते भी रहते हैं । सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई तो है ही, साथ ही मंत्री जी को भी जानकारी होगी कि इसी प्रदेश की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महिलाओं के लिये इज्जत को बेचने के लिए कोठे बने हुये हैं, हमारी तमाम माताओं-बहनों को अपनी इज्जत बेचने के लिये शहरों में आना पड़ता है, यह स्थिति इस प्रदेश की है, साथ ही बहुत बार महिला को अपनी जान भी खोनी पड़ती है, तमाम गरीब घर की लड़कियों को रोटी और पेट के लिए बाहर विदेशों में बेचा जाता है । महिलाओं को अपनी इज्जत बेचना, लड़कियों को बाहर विदेशों में भेजना, जिन्दगी से हाथ धोना, पहले तो हम इन चीजों पर उनकी रक्षा कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता । अधिकार तो उन्हें दिलाना हमारी कर्तव्य है ही । क्या इस तरह की कोई योजना माननीय मंत्री जी के दिमाग में है ?

महिलाओं के कल्याण की योजना अगर सरकार के दिमाग में है तो हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन उसका जो उद्देश्य है, मंशा है उसकी तरफ जाना चाहिए । न केवल आयोग गठित करके सरकारी कर्मचारियों को नौकरी और कुछ लोगों को पद और कुछ को भत्ता और गाड़ी देने के लिए महिलाओं का आयोग न गठित किया जाये । इस देश में और प्रदेश में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है । मैं इस आयोग का स्वागत करता यदि महिलाओं के कल्याण की कोई ठोस योजना इस विधेयक में होती ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार महिला आयोग के गठन के बारे में विधेयक लायी है । विधेयक लाने की कार्यवाही का मैं स्वागत करना चाहता हूं । जिस तरीके से भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग गठित करके महिलाओं के साथ जो जेण्डर डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से लिंग का भेदभाव विकास के दौर में जीवन के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में हो रहा था उसमें एक अच्छी पहल की जा सकती है लेकिन श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं कि एक कहावत है–यह कहा जाता है कि नीयत है और नीति है, लेटर वन स्प्रिट । जब तक हमारी नीयत और नीति एक नहीं होगी "अनलेस वी आरट्रू इन लेटर एण्ड स्प्रिट" तब तक महिलाओं का कल्याण नहीं हो सकता । मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर बात कर रहा हूं तमाम आयोग इस देश और प्रदेश में बने, केवल महिला आयोग की ही बात नहीं है, उन तमाम आयोगों का प्रयोग धीरे-धीरे समय गुजरते-गुजरते राजनीतिक उद्देश्यों के लिये होने लगा । लिहाजा हमारे सामने आज एक सवाल है कि जिस आयोग के सदस्य, जिस आयोग के चेयरमैन, अध्यक्ष किसी राजनैतिक दल के घर में बैठकर, किसी राजनैतिक दल के नेता के घर में बैठकर किसी घटना पर अपनी रिपोर्ट देने का काम करेंगे तो उस आयोग से इस देश और प्रदेश की जनता क्या उम्मीद कर सकती है ? लिहाजा श्रीमन्, मेरा कहना है कि यह जो महिला आयोग गठित करके विधेयक माननीय मंत्री जी लाये थे, बहुत अच्छा होता यदि इस बात के लिये कोशिश किया जाता कि आयोग के सदस्यों, अध्यक्षों का जो चयन हो तो कोई स्क्रीनिंग कमेटी चाहे इस सदन के सदस्यों की कमेटी हो या माननीय अध्यक्ष द्वारा नियत स्क्रीनिंग कमेटी क्यों न हो, जो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कुछ नामों का पैनल तैयार करे और सरकार उन पैनल में से ही अन्तिम चयन करे, ताकि जो आयोग बने उसका दुरुपयोग न हो सके । आज महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है । इस देश ने भी बड़ी ख्याति हासिल की है, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल दिये हैं, अरूणा आसिफ अली, ऐनीबेसेंट और सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं को दिया है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न हो रहा है, आज भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां टेम्पुल इन्ट्री के नाम पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है । एक बात और कहना चाहता हूं, अभी माननीया कटियार जी ने अपनी एक बात कही तो उन्होंने मुजफ्फरनगर घटना का जिक्र किया, जब तक इस सदन के अन्दर केवल मुजफ्फरनगर घटना की चर्चा होगी, बवराला और सहारनपुर की चर्चा नहीं होगी ।

(12 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं कहता हूं कि मुजफ्फरनगर की घटना बहुत दुखद घटना रही लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि बबराला और सहारनपुर की घटना भी उतनी ही दुखद है । जब तक किसी आयोग का दृष्टिकोण सभी तरह की घटनाओं पर एक सा नहीं होगा, मानवीय नहीं होगा तब तक आयोग अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा इसलिए मान्यवर, इस विधेयक को किसी समिति को भेज दिया जाय, अध्ययन करा लिया जाय और बाकायदा एक संतुलित विधेयक इस सदन के अन्दर लाया जाय जो प्रदेश की महिलाओं के लिये प्रभावी ढंग से कार्य कर सके ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मुजफ्फरनगर कांड का जिक्र किया गया उसके पीछे माननीय सदस्य की नीयत का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने अपनी नीयत के अनुसार उसको समझा मैंने तो केवल राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार से संबंधित संदर्भ दिया था मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था ।

श्रीमती राजराय सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि महिला आयोग गठित करने के लिए जो विधेयक लाया जा रहा है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं । मैं कहना चाहती हूं कि सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, उपन्यास हैं इसमें जो अश्लील चित्र हैं उन पर रोक लगाई जाय और इसको भी उसमें रखा जाय । आज हमारा देश पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है लेकिन महिलाओं की स्थिति आज भी बदतर बनी हुई है । हालत यह है कि आज भी हमारे गांव में बालिकाओं के पढ़ने के लिए कोई भी स्कूल नहीं है । जिसमें बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर सकें जब तक हमारे गांव में स्कूल नहीं होंगे, हाईस्कूल नहीं होंगे तब तक कन्यायें कैसे पढ़ सकेंगी ? इसलिए मैं चाहती हूं कि हर गांव में स्कूल हो । दूसरी बात यह है कि हमारा जो आयोग बनाया जा रहा है जिसका गठन किया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है इसमें महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए, सभी का इसमें सहयोग रहना चाहिए ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारा विपक्ष इस पर संशोधन नहीं लाया इसलिये विपक्ष की स्पष्ट नीयत थी कि महिला आयोग का स्वागत होगा ।

मान्यवर, इसमें कुछ कमियां हैं उससे लगता है कि माननीय मंत्री जी इसे आधे अधूरे मन से लाए हैं, इसे दिल से नहीं लाना चाहते थे । मान्यवर, भारत सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी तो हमने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन पहले ही कर दिया था । तबसे इन सरकारों पर दबाव डाला जा रहा था कि गठन करिए, चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए । मान्यवर, मैं तीन-चार बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

आप इस विधेयक का अध्याय 2 कृपया देखें । आयोग का गठन– आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिये समर्पित कोई विख्यात व्यक्ति होगा । मान्यवर, इसमें कोई संशय न रहे इसको परिभाषित कर दें कि कोई महिला रहे तो ज्यादा उचित होगा । फिर आगे (ख) में है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट 6 से अनधिक सदस्य जो अधिमानतः महिलाएं हों ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आप भी कृपया इस बिल को देखें शब्द जो अध्यक्ष के लिए व्यक्ति प्रयुक्त हुआ है उसमें महिला ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसी तरह से अध्याय दो में "ख" है उसके पैराग्राफ–३ में लिखा है–परन्तु उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा । मैं इसका स्वागत करता हूं । कि आप अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग को इसमें रख रहे हैं । मान्यवर, आज अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं सामाजिक व्यवस्था में प्रताड़ना का शिकार होती है तो क्या ये उचित नहीं होगा कि अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग की महिला भी इसकी सदस्य हों जो अपनी संस्कृति और दुर्व्यवस्थाओं को बता सके ।

पृष्ठ तीन पर देखें, मान्यवर, यह आयोग नहीं बन रहा है, चारागाह बन रहा है जिसको जब चाहें रख लें और निकाल दें । जब तक इस आयोग को आप संवैधानिक दर्जा नही देंगे, आटोनोमस नहीं बनायेंगे तब तक आयोग कार्य नहीं कर सकेगा, इसमें आपने 'घ' में लिखा है कि कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है । तो आप किसी को कभी भी निकाल सकते हैं इसमें आप अक्षमता को परिभाषित करें ये तो सरकार के पूरी तरह से विवेक पर हो गया आपने इसमें ३ वर्ष की बात रखी है । यदि आप किसी को निकाल रहे हैं तो आप सदन को बतायें और दो/तीन बहुमत से उसको पारित करायें ये आ जाय कि वह क्यों अक्षम हैं । इसको संवैधानिक दर्जा जरूर मिले ।

इस सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से दर्जा मिलना चाहिए । यह सरकार एक संकल्प लेकर आये और पहले करे कि विधान सभा और विधान परिषद् में महिलाओं का ३३ प्रतिशत आरक्षण हो तभी हम इसका स्वागत करते हैं नहीं तो इनकी नियत पर हमें शक रहेगा ।

* डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, आयोग शब्द से तो ऐसा लग रहा था कि सरकार महिलाओं के मामले में खुले मन से विचार करेगी लेकिन जो आयोग की संकल्पना है, मेरी संभावना है कि आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा, सरकारी विभाग की राय से काम करेगा । मान्यवर, अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य तिवारी जी ने कहा कि जब चाहे सरकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्य मुक्त कर सकती है तो अगर यह है कि तो वह स्वतंत्र रूप से चिन्तन और विचार नहीं कर पायेगी और जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त होगी वह भी निष्पक्ष नहीं होगी । मान्यवर, जिस समाज के ५० प्रतिशत की निरन्तर उपेक्षा रही हो, समाज के मुख्य दायित्वों के निर्वहन में अवसर न मिल सकें सरकार जब तक अपनी इच्छा शक्ति को इसमें स्पष्ट नहीं करेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है । मान्यवर, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या १० प्रतिशत है । यह बहुत कम है ।

मान्यवर, जहां ५० प्रतिशत महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं और उन दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन कर सकती हैं, अगर ऐसे मामले में महिलाओं के प्रति यह सरकार संवेदनशील रहती, कोई ऐसा शासनादेश निर्गत करती कि महिलाओं के लिए रिक्त पदों में ५० प्रतिशत का आरक्षण किया जायेगा, अगर ५० प्रतिशत न हो पाये तो ३३ प्रतिशत की बात करते, तो मैं उसका स्वागत करता । मान्यवर, समाज में सबसे बड़ा अधिकार सम्पत्ति का अधिकार होता है, स्वामित्व का अधिकार होता है । हमारे समाज की कुछ ऐसी संरचना है कि सम्पत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है, तो जब तक उन्हें सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक यह आयोग कैसे कारगर सिद्ध होगा उन्हें पहले सम्पत्ति का, बराबरी का अधिकार दिलायें । मान्यवर, यह पुरुष प्रधान समाज है और सारे नियम उन्हीं की

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुविधाओं के लिये बनाये गये हैं कि समाज में उसकी वरिष्ठता रहे । जब तक समाज में उसकी वरिष्ठता रहेगी और महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जायेगा, समाज में तब तक यह आयोग महिलाओं के आंसू पोंछने का काम नहीं कर सकेगा । आयोग के गठन के समय सरकार की इच्छा शक्ति का पता इसी से चलता है कि इतनी जल्दबाजी में यह विधेयक लाया गया है । इतने गंभीर विषय पर विस्तार से विचार विमर्श होता, चिन्तन होता, महिलाओं के संबंध में, जो हमारे महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी महिलाएं हैं, उन सबके विचार आ जाते, माननीय सदस्यों के विचार आ जाते तब इसे लाते तो उचित रहता । तब उनका उत्थान हो पाता । इसमें कोई तात्कालिकता नहीं थी । आज ही हमें यह कागज मिला है और आज ही इस पर चर्चा हो रही है और ये जल्दबाजी में पास कराना चाहते इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें विचार आ जायें और सब बिन्दु आ जायें और यहां पर केवल औपचारिकता का निर्वहन न हो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो सरकार की मंशा है वह परिलक्षित हो रही है । इसमें जो कमियां हैं, त्रुटियां उसको देखने के लिए ....

तो इसे प्रवर समिति में भेजने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार भी करेंगे और प्रवर समिति विचार करके अपना प्रतिवेदन दो महीने में प्रस्तुत कर दे और तब माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लायें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रवर समिति का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है ।

श्री हरी किशन–

मैं सभी मा० साथियों का आभारी हूं क्योंकि सभी लोगों ने इस विधेयक का समर्थन किया है । इसके पूर्व कि मैं अन्य किन्हीं बातों का उत्तर दूं, अपने सहयोगी वरिष्ठ साथी श्री अशोक बाजपेई से कहना चाहूंगा कि इस सदन में जब इस विधेयक पर विचार करना प्रारम्भ हुआ तो एजेन्डा में यह छपा हुआ था कि विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये लेकिन कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ और मुझे सदन के सदस्यों को बधाई देनी पड़ी । जनहित और लोक कल्याण के विषय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो आचरण प्रदर्शित किया गया है, यह उदाहरण अभूतपूर्व है बहस में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल मूल्यवान विचार ही दिये गये । इस कारण श्री अशोक बाजपेई का यह कहना कि यह विधेयक प्रवर समिति को दे दिया जाये, उचित नहीं है अब उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इसमें सुझाव बहुत से आये हैं और उन सुझावों के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि उनके जो मूल्यवान सुझाव हैं, उन पर अवश्य विचार किया जायेगा । जब आयोग गठित हो जायेगा तो हम सबका कर्तव्य हो जायेगा कि इन सुझावों पर सम्यक रूप से विचार करें और उन पर निर्णय लें, यह आशंका निर्मूल है कि इसका राजनैतिक प्रयोग होगा लोकतंत्र में राजनीति तो है ही और इसी कारण हम लोग यहां पर बैठे हैं सदैव यह होता रहा है कि आयोग गठित होते रहे हैं और उनका विरोध भी होता रहा है, परन्तु यह आयोग जो गठित हुआ है भिन्न है इस आयोग को पता नहीं किस चश्में से कुछ लोग देख रहे हैं, आप इसमें भी राजनीति देख रहे हैं । इससे अधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता है ? इस विधेयक में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट छः से अनधिक सदस्य जो अधिमानतः महिलायें हों और जिन्होंने महिलाओं के हित के लिये सेवा की हो या जिन्हें विधि या विधायन में या महिलाओं की उन्नति से संबंधित मामलों के प्रशासन में या महिलाओं के हितों के संरक्षण, उत्थान या उन्नयन के लिये महिलाओं के किसी ट्रेड यूनियन या स्वैच्छिक संगठन के नेतृत्व का, पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो । फिर आपको क्यों चिन्ता होती है यह

सरकार उल्टा कर देगी । प्रमोद तिवारी जी ने आशंका व्यक्त की, उन्होंने कहा है कि जब दूसरी सरकार आयेगी तो इस आयोग को वह समाप्त कर देगी । आयोग के सदस्यों को बदल देने की बात कही है ।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी आयोग के सदस्य को सरकार अपने विवेक से हटा देगी और वह विवेक माननीय मंत्री जी का होगा ।

श्री हरी किशन–

मेरा कहना यह है कि इतना बड़ा विश्वास लेकर अगर हम चलेंगे और सदन में बैठेंगे तो बड़ा द्वन्द खड़ा हो जाएगा । फिर जनकल्याण की कल्पना भूल जायेंगे । यह दुनियां सत्य पर आधारित है चाहे कितना बिगड़ गया हो लेकिन असत्यता पर आधारित नहीं है । यह कहना कि हमारी नीयत साफ नहीं है और नीति ठीक है, यह उचित नहीं है । तो नियत नापने का कौन सा बैरोमीटर होगा ? (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

आपने इसमें जो व्यवस्था की है उसके अनुसार मंत्री के विवेक से अध्यक्ष या उसके सदस्य को हटाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसमें जो उल्लेख किया है, किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा, वह विवेक सीमित कर दिया है । आप जरा देखें परिस्थितियों पर निर्भर कर दिया है । खण्ड–3 च को देखें ।

श्री हरी किशन–

मान्यवर, अन्त में यह भी लिखा है–"परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।"

मेरा विश्वास है कि विधेयक पूर्ण है इसमें कोई कमी नहीं है । सम्पूर्ण सदन की इच्छा यही है कि महिलाओं के कल्याण के लिए एक अलग आयोग हो, इसी के अनुरूप यह प्रस्तुत किया गया है । उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व भी अन्य दलों की सरकारें आई हैं किन्तु आयोग गठित नहीं हुआ । आज जिस दल से मा० प्रमोद तिवारी जी सम्बद्ध हैं जिसकी जयजयकार आपने की है आप का दल क्यों नहीं संकल्प लाया ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह किसी दल से संबद्ध नहीं है सभी दलों से संबद्ध कर रहे हैं । इनकी तो सदा समदृष्टि रही है ।

श्री हरी किशन–

यह तो माननीय सदस्य के लिए लागू होता है (व्यवधान)

एक महिला मुख्य मंत्री के समय वह भी दलित वर्ग की महिला के समय यह विधेयक आया है । जैसा मैंने पहले ही कहा है बहुत मूल्यवान सुझाव यहां पर आए हैं । जो राजनीति की बात इसमें करने हैं उससे थोड़ा कष्ट अवश्य होता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप प्रश्न करिए ।

श्री हरी किशन–

मान्यवर, इसमें कोई संशोधन तो आया नहीं है । इसमें तो अब मद–II का ही प्रस्ताव होना है ।

श्री अध्यक्ष–

तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 19 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में,-

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है;

(ख) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(ग) "राष्ट्रीय महिला आयोग" का तात्पर्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग से है;

(घ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है;

(ङ) "महिला" में बालिका या किशोरी सम्मिलित है।

अध्याय—दो

राज्य महिला आयोग

आयोग का गठन

3-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,-

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिये समर्पित कोई विख्यात व्यक्ति होगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट छः से अनधिक सदस्य जो अधिमनतः महिलायें हों और जिन्होंने महिलाओं के हित के लिये सेवा की हो या जिन्हें विधि या विधायन में या महिलाओं की उन्नति से संबंधित मामलों

के प्रशासन में या महिलाओं के हितों के संरक्षण, उत्थान या उन्नयन के लिये महिलाओं के किसी ट्रेड यूनियन या स्वैक्षिक संगठन के नेतृत्व का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो :

परन्तु उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो ।

पदावधि और सेवा की शर्तें

4-(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, किसी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुन्योचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया और कारावास से दण्डित किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अक्षमता अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातर बैठकों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिये हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाए ।

5-(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिये आवश्यक हों। आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाए।

6-अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा। वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना

7-आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी। रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी।

8-(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा। आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाले प्रक्रिया

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य

9-(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्,— आयोग के कृत्य,

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना,

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना,

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों

की सिफारिश करना जिससे की ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्ता या त्रुटियों को दूर करने के लिये उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके,

(ङ) महिलाओं से संबंधित संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,

(च) निम्नलिखित मामलों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेना--

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन,

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन,

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों से उद्भूत विवाद्यकों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिये कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके,

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिये उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे कि आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिये सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता,

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना ;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी/कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना ;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना ;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलायें कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना ;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी ।

आयोग की शक्तियां

10–किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उपखण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

अध्याय–चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11–(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे ।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा ।

लेखा और लेखा, परीक्षा

12–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा ।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी ।

13–आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

14–राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

15–आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

16–राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी ।

सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही की संरक्षण

17–किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

18–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्–

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा ;

(घ) प्रपत्र जिसमें समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

19-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 19 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरी किशन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लखनऊ स्थित होटल में हुई गोलीबारी की सूचना से उत्पन्न अव्यवस्था के संबंध में व्यवस्था की मांग

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कल लखनऊ में जो दुर्घटना घटी जिसमें एक होटल में दो पक्षों में गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति मारा गया तथा 3 घायल हो गये। यह घटना लगभग 10 बजे प्रातः की है। विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने 2 बजे इस बात की सूचना सदन में दिया कि वहां अभी भी गोलीबारी चल रही है और शहर में अशांति हो गयी है इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर इस प्रश्न पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण कल समाप्त हो गया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रतिपक्ष के 12 माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और सदन का सारा कार्य अव्यवस्थित हो गया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह उचित था ? एक गलत सूचना देकर सदन को भ्रम में डालकर, मीडिया को भ्रम में डाल कर सदन में जो अव्यवस्था की गयी क्या यह उचित है ? इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कल सदन अव्यवस्थित हो गया था। यदि सदन अव्यवस्थित हो गया था तो अव्यवस्था के समय में जो कार्य किया गया है जो प्रस्ताव पारित किये गये हैं उनको निरस्त माना जाए।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकरण को मैंने समाप्त कर दिया है। माननीय सदस्यों को जो सूचना मिली वह भले ही गलत हो लेकिन माननीय सदस्यों ने नेकनीयती से उस सूचना को सत्य मानकर यह बात कही थी। वह प्रकरण समाप्त हो गया है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 अगस्त को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

(स्वीकार की गयी निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

गढ़वाल जनपद में 22 लघु विद्युत परियोजनाओं के निष्क्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय, गढ़वाल मण्डल में विद्युत आपूर्ति के लिये विद्युत परिषद् में 22 लघु विद्युत परियोजनायें गत 22 सालों से करोड़ों रुपये से बनायी गई हैं। यह योजनायें महत्वाकांक्षी एवं बहुउद्देशीय है। जिनसे यह अपेक्षा की थी कि प्रदेश की अत्यन्त पिछड़े जनपदों में विद्युत आपूर्ति होगी। साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योगों के लगाने से वहां की बेरोजगारी एवं गरीबी दूर होगी। खेद है कि यह सभी योजनायें निष्क्रिय पड़ी हैं एवं इनमें कार्यरत कर्मचारी बिना काम के वेतन ले रहे हैं। विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है। सरकार एवं विद्युत परिषद् को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। क्षेत्रीय जनता के संस्थानों ने विद्युत परिषद् से मांग की है कि यह निष्क्रिय योजनायें हैं उन्हें बेच दिया जाये। इससे विद्युत उत्पादन भी होगा और सरकार के करोड़ों रुपये जो खर्च हुए हैं वह मिल जायेंगे। किन्तु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार को इन परियोजनाओं को संचालित करने या बेचने की अनुमति देने का कष्ट करें।]

शासकीय दुग्ध डेरी उद्योग संग्रामपुर, खागा, जनपद फतेहपुर का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना लाल मौर्य–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विकास कार्यों से पीछे छोड़ा गया मेरा चुनाव क्षेत्र खागा व जनपद फतेहपुर आजादी के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाद से आज तक विकास की सीमाओं से बहुत ही पीछे रहा है । अन्य विकास कार्यों के अतिरिक्त खासकर मैं एक मात्र समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि 5 वर्ष पूर्व शासन के द्वारा मेरी विधान सभा क्षेत्र खागा, संग्रामपुर, अन्तर्गत एक शासकीय दुग्ध डेरी उद्योग लगाने का निर्णय लिया गया था जिस पर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य भी आरम्भ कराया गया था परन्तु विगत 2 वर्षों से निर्माण कार्य में खाऊ-कमाऊ नीति के तहत विलम्ब किया जा रहा है जब कि उक्त डेरी निर्माण का पर्याप्त फण्ड मौजूद है ।

अतः मैं पुनः सादर अनुरोध के साथ आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जनहित में शासन द्वारा उक्त शासकीय दुग्ध डेरी उद्योग संग्रामपुर, खागा का निर्माण कराया जाये जिससे अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र खागा के ग्रामीण अंचलों में दुग्ध समितियां स्थापित कर क्षेत्र में फैली हुई बेसुमार बेरोजगारी पर आंशिक अंकुश लगाया जा सके ।]

(श्री इन्द्रदेव सिंह, का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

बलरामपुर जनपद की तहसील तुलसीपुर के कतिपय गांवों (जो बाढ़ से प्रभावित हैं) में राहत कार्य करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

[मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बलरामपुर जनपद के विकास खण्ड बलरामपुर व तहसील तुलसीपुर के गांव राप्ती नदी पर बने छोटे बांध टूट जाने से बाढ़ की चपेट में आ गये हैं । इन गांवों में भोजपुर, कौल्हैया, वीरपुर, देवलहा, माहरी, गोविन्दपुर, सदवापुर आदि की पूरी धान की फसल व अन्य फसल नष्ट होने के साथ ही कई घर भी गिर गये हैं और 20 जुलाई से इन गांवों में पानी भरा है ।

यह कि इसी प्रकार बलरामपुर तहसील के ग्राम गुलहरिया, पुरैना, शिवराहा, नौबस्ता, मुगला, इतरन्गवा, सिगवापुर, गौरा आदि बाढ़ से प्रभावित हैं । और करमाहना गांव में राप्ती नदी पर बने बांध के टूटने का पूर्ण खतरा बना है । यदि यह बांध टूट गया तो इन सब गांवों में जान माल का भारी नुकसान हो सकता है । इसलिये इस बांध पर तुरन्त ध्यान देकर टूटने से बचाने का प्रयास किया जाये तथा बाढ़ से प्रभावित गांवों को तुरन्त राहत कार्य और जो फसल नष्ट हो गयी है, उसका मुआवजा देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार को आदेश करने की व्यवस्था करें ।]

नान मेडिकल असिस्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश सिंह यादव–

[मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी विज्ञप्ति में 30-9-96 तक नान मेडिकल असिस्टेन्ट के चार माह के प्रशिक्षण हेतु लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे किन्तु लिखित परीक्षा आयोजन के उपरान्त भी उसके प्राप्तांकों को साक्षात्कार परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही मनचाहे अभ्यर्थियों को चयनित कर दिनांक 2-7-97 को परीक्षाफल घोषित कर प्रदेश के सैकड़ों सुयोग्य अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय किया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः उपरोक्त विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही कर सुयोग्य एवं सफल (लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा में) अभ्यर्थियों के चयन की मांग करता हूं।]

तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के कतिपय मार्गों का डामरीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

[मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। सिराथू से ग्राम रमसाहीपुर होकर ग्राम मोहब्बतपुर पइन्सा को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनायी गयी है। उक्त सड़क सिराथू से लगभग 3 कि०मी० डामरीकरण है बाकी मार्ग पर बड़े-बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं। यह डामरीकरण एवं बोल्डर लगभग 5-6 वर्ष पहले किया गया था। यह मार्ग जनपद फतेहपुर एवं जनपद बांदा को जोड़ता है। इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग हजारों व्यक्ति आवागमन करते हैं। उक्त मार्ग पर वाहन तो चलना दूर पैदल चलना भी अत्यन्त मुश्किल है। सिराथू एक बड़ा रेलवे स्टेशन, तहसील एवं बाजार होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों को आना जाना पड़ता है। उक्त मार्ग का नदी के पुल तक डामरीकरण किया गया है। नदी का पुल नदी की सतह से बराबर होने के कारण वर्षा में यह मार्ग पूर्णतया बन्द हो जाता है। जिसके कारण इस क्षेत्र में बसे लगभग 15 ग्राम पंचायतों के एवं अन्य जनपदों के आने-जाने वालों को बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि तहसील सिराथू से ग्राम रमसाहीपुर होकर ग्राम मोहब्बतपुर पइन्सा जा रहे मार्ग का डामरीकरण एवं मार्ग में पड़ रहे उक्त पुल को नदी की सतह से ऊपर कराये जाने की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाये ताकि उक्त क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो सके तथा जनहित में इसका लाभ पहुंच सके।]

जिला खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत राजकीय बालिका हाई स्कूल/ब्वायज इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णाराज–

[महोदय, जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में आजादी के 50 वर्षों के बाद भी अभी तक बलिकाओं की शिक्षा सुविधा हेतु राजकीय बालिका हाई स्कूल अथवा ब्वायज इण्टर कालेज नहीं खोला गया है जब कि क्षेत्रीय जनता की ओर से सरकार से बालिकाओं को सुचारु रूप से शिक्षा हेतु राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेज खोलने की मांग की जाती रही है, जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है, बालिकाओं की शिक्षा हेतु मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत बालिका हाई स्कूल तत्काल स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं।]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं एक सूचना प्रतीक्षा सूची से ले रहा हूं।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजीपुर में जमानियां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों को गंगा नदी की कटान से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश यादव--

।महोदय, जनपद गाजीपुर में जमानियां विधान सभा क्षेत्र के बड़ेसर, कसेरा सराय मुहम्मद, सरया आदि कई गांव गंगा की कटान से विगत वर्षों से प्रभावित हैं । इन गांवों की अधिकांश कृषि योग्य भूमि कट गयी है । यह कटान अब आबादी की ओर बढ़ रही है । जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान न देने पर जब मैंने उच्चाधिकारियों व शासन तक भी गुहार लगायी तब भी इन गांवों व अन्य प्रभावित गांवों के गरीब लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । तत्काल प्रबन्ध न किये जाने पर ये सभी गांव गंगा में विलीन हो जायेंगे । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए तत्काल समुचित प्रबन्ध किये जाने की मांग करता हूं । ।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं हैं वह श्री पूर्णमासी पंकज, श्रीमती मिथिलेश कुमारी, श्री चन्द्र किशोर, डा० गंगा बख्श सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री उदयराज यादव, श्री दीप लाल भारती, श्री तेजभान सिंह, श्री पारसनाथ यादव, श्री शिशु पाल सिंह यादव की सूचनायें हैं ।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उस संबंध में मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आज कार्य-सूची में मदों की संख्या अधिक है । जिन माननीय सदस्यों को मैं बोलने के लिये कहूंगा वे अति संक्षेप में अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

उत्तर प्रदेश में आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण 1996-97 तथा आर्थिक समीक्षा 1995-96 प्रकाशित न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं औचित्य के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ जो संवैधानिक भी हैं, माननीय सदस्यों के अधिकार से भी संबंधित है, उठाकर आपसे व्यवस्था चाहूंगा । मान्यवर, प्रदेश के नियोजित विकास के लिए आवश्यक है कि नियोजन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ आधारभूत आंकड़े तैयार किये जायं । इसके साथ-साथ जब आंकड़े आते हैं, उसका परीक्षण करके प्रदेश की जनता को बताने का भी काम हो और जो माननीय सदस्य हैं उनकी जानकारी के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो । इस समय बजट पर चर्चा हो रही है । बजट के संबंध में वजट साहित्य न मिलने से सरकार की तरफ से उल्लंघन हो रहा है । माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन हो रहा है । इस तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद–202 में दिया है–वार्षिक वित्तीय विवरण–राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है । मान्यवर, वार्षिक वित्तीय विवरण आ गया उसके पश्चात् बहस करते हैं फिर सामान्य चर्चा होती है । सामान्य चर्चा के बाद अनुदान की मांगों पर 203(1) में इस तरह की व्यवस्था है और जो व्यवस्था है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सचमुच में यह जो राज्य नियोजन संस्थान का कार्य विवरण दिया गया है उसके आधार पर आय-व्ययक कार्य विवरण तैयार नहीं है । माननीय सदस्यों के सामने उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक समीक्षा है वह आनी चाहिए क्योंकि उस समीक्षा में प्रदेश की पिछले दिनों की स्थिति रहती है उसका सम्यक् विशलेषण होता है । पहले पेज पर जो प्रभाग का

दिया है अध्याय 3 में दिया गया है उसके पृष्ठ–7 पर 3.3.31 पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा । महोदय, लोक सभा में आर्थिक समीक्षा बजट के पहले ही रख दी जाती है उसी के आधार पर यहां पर दिया जाना चाहिए । आर्थिक समीक्षा तैयार करायी जानी चाहिए थी । लेकिन समीक्षा की स्थिति यह है कि आर्थिक समीक्षा का आलेख्य पूर्ण कराकर उसके प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति पर रही, दिया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक समीक्षा प्रकाशित नहीं हुई । आर्थिक समीक्षा नहीं होगी तो बजट के समय सदस्य अपने विचार किस आधार पर रखेंगे । आर्थिक समीक्षा से सदस्यों को अपने विचार रखने में सहायता मिलती है । उसी तरह मान्यवर, यह भी है कि उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक एवं कार्य संबंध विवरण रखा जाता है जो नहीं रखा गया । आज तक तैयार नहीं हुआ । कहा गया है कि बजट साहित्य प्राप्त न होने के कारण तैयार नहीं किये गये ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत आय-व्ययक पर चर्चा हेतु आवश्यक साहित्य उत्तर प्रदेश में आय-व्यय का आर्थिक एवं कार्य संबंधी विवरण तथा आर्थिक समीक्षा 1995-96 प्रकाशित न कराये जाने से सदस्यों को न प्राप्त होने के कारण सदस्यों के जो अधिकार संविधान के अनुच्छेद 202, 203 के अन्तर्गत हैं उनका हनन हुआ है । माननीय सदस्यों को आंकड़े भी नहीं उपलब्ध कराये गये । यह उस बजट की प्रक्रिया की कड़ी है सचमुच में इस सरकार ने जानबूझकर हमारे अधिकारों का हनन किया है इसके साथ ही साथ जो असावधानी बरती गयी है उसके लिए सरकार को प्रताड़ित करें । हमको जो सामग्री मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली । आप यह व्यवस्था करें इस तरह की सामग्री सदन के सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय और भविष्य में बजट के पहले या उसके साथ-साथ सामग्री उपलब्ध करा दी जाय । मान्यवर, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपकी पीठ से निर्देश होने चाहिये मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस प्रश्न को राम नरेश यादव जी ने उठाया है मान्यवर, निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 1996-97 उत्तर प्रदेश में आप-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण, जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाएगा । इसके प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है और जो विलम्ब हुआ है उससे जो माननीय सदस्य चिन्तित हैं, पूरे सदन की यह चिन्ता है, तो बताना चाहूंगा कि सदन के संज्ञान में है इस साल का जो बजट पास हुआ है 1996-97 का वह बजट काफी विलम्ब से पास हुआ और वह दिसम्बर तक लेखानुदान था । दिसम्बर में पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत किया और पार्लियामेंट से बजट पास हुआ जिसके कारण वर्गीकरण करने में लम्बा समय लगता है, जो समय से मिल जाना चाहिये था उसमें समय लग रहा है जैसे ही यह प्रकाशित हो जाएगा वैसे ही सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपने बजट साहित्य की सूचना में लिखा है कि "आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण" और आर्थिक समीक्षा 1995-96 प्रकाशित न कराये जाने के बारे में यह दोनों ही सूचना माननीय सदस्य के द्वारा इस विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से संबंधित है यह साहित्य उपलब्ध नहीं है तो माननीय सदस्य प्रभावी ढंग से भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे और वाद-विवाद में विचार-विमर्श नहीं कर सकेंगे ।इस साहित्य को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की यह व्यवस्था करेंगे ।

गोरखपुर मण्डल में गोंड़ जाति के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र पाने से वंचित रहने विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है । संविधान के भाग-16 में अनुच्छेद 341(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य में किया जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस संदर्भ में सांसद द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन जातियों को संलग्न किया जाना है इस प्रकार भारत के संविधान 341(2) में अनुसूचित जाति, जनजाति आदेश संशोधन अधि० 1976 ऐक्ट सं०--108 के अन्तर्गत पृष्ठ 14 पर क्रमांक 36 पर "गोंड़" जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया । इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुक्त एवं सचिव धर्मेन्द्र सिन्हा ने शासनादेश संख्या 6744/26-77-17(21)-74 दिनांक 29 अगस्त, 1977 भारत के संविधान का उल्लेख करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि "उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–1442/छब्बीस/818-1957 दिनांक 22 मई 1957 आंशिक संशोधन कर यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियां और जनजातियां आदेश संशोधन अधि०–1976 दिनांक 27 जुलाई, 1977 से प्रभावी कर दिया गया है । तदनुसार उक्त शासनादेश में उत्तर प्रदेश के लिये निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची दिनांक 27 जुलाई, 1977 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये निम्नवत् पुनरीक्षित कर दी गई है । इसमें क्रमांक 36 पर गोंड़ जाति का उल्लेख किया गया है । यह शासनादेश इसी सरकार में 24 सितम्बर, 1977 को एस० पी० आर्य, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग से इन सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा गया था कि सम्पूर्ण गोंड़ जाति लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा । तथा उन्हें सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों को मिलती हैं, अनुमन्य होंगी । लेकिन इसका अनुपालन उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण गोंड़ जाति के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं ।

संविधान के अनुच्छेद 330 व अनुच्छेद 332 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति के लिये लोक सभा और विधान सभा के लिये सीटें आरक्षित होंगी । वह प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने में वह असमर्थ हैं । जब इस बात की शिकायतें शासन के पास आईं तो 1995 में वर्तमान समाज कल्याण मंत्री ने शासनादेश निर्गत किया उसमें आदेश दिया । इस प्रकार अनेक शासनादेशों के जारी किये जाने के बावजूद भी जिलाधिकारी बस्ती, जिलाधिकारी देवरिया, जिलाधिकारी पडरौना, तत्कालीन आयुक्त गोरखपुर मण्डल श्री हरीशचन्द्र द्वारा लिखित रूप से आदेश दिये गये कि गोंड़ जाति के लोगों को प्रमाण पत्र न दिये जाये । जिसके कारण वह शिक्षा व अन्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं । अखिर जब संविधान में यह व्यवस्था है तो उन जातियों को क्यों नहीं दिया गया । इसके बाद गोंड़ जाति के लोग उच्च न्यायालय गये उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 36, 867 (1992), रिट संख्या 232, 299 एवं रिट संख्या 2563 सन् 1978 में लगातार आदेश इस बात के निर्देश दिये कि गोंड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जातिका प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये । इतना सब करने के बावजूद मान्यवर, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है । उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है । और जानबूझ कर उनके अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश की जा रही है । जिलाधिकारी फैजाबाद, जिलाधिकारी देवरिया, अपर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा आदेश निर्गत किये गये कि उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत न किया जाए । मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । विधान सभा में इस पर प्रश्न भी उठाया गया था । उसमें मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि उनको गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति में रखने का निर्णय लिया गया है । जिलाधिकारियों के पत्र मैंने आपके अवलोकनार्थ नत्थी किये हैं ।उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनको इस सुविधा से वंचित किया जाय । तो मैं इस प्रश्न को उपस्थित करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पीठ से इस पर निर्देश देने का कष्ट करें । तथा संविधान के अनुच्छेदों का पालन करते हुए सम्पूर्ण गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जाय । तथा उनको इसका प्रमाण पत्र दिया जाय । तथा जिन अधिकारियों द्वारा जानबूझकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तथा लगातार 20 वर्षों से उनको इससे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

शाही जी आप स्वयं जानते हैं कि यह नियम 3(x) के अन्तर्गत कैसे आएगा ?

श्री हरि शंकर तिवारी–

अध्यक्ष जी, अभी शाही जी ने चर्चा की है कि गोरखपुर के आयुक्त श्री हरीशचन्द्र ने सभी मण्डल के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि गोंड़ जाति के लोगों कोअनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिया जाय । मऊ जनपद के श्री सन्त कुमार के घर जब लड़का पी० सी० एस० की सभी परीक्षायें पास कर चुका तो भी उसको इसका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया इस कारण लड़का इसमें शामिल नहीं हो सका । मान्यवर, यह एक संवैधानिक संकट है । मैं चाहूंगा कि जितने शासनादेश जारी हुए हैं तथा उच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं इन सबको देखते हुए जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिसके कारण पास हुआ लड़का पी० सी० एस० में सम्मिलित नहीं हो सका उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

(व्यवधान)

मान्यवर, तत्कालीन आयुक्त श्री हरीशचन्द्र को भी दण्डित कराने का प्राविधान करें ।

(व्यवधान)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जो तिवारी जी ने कहा है उसको मैं संज्ञान में ले रहा हूं और जो इसमें जिस बिन्दु के ऊपर भ्रम पैदा हो गया है, वह कहार और गौंड़ में है । कहार जाति पिछड़ी जाति में है और गोड़ जाति अनुसूचित जाति में आती है,उसको लेकर भ्रम बना है । यदि शासनादेश का उल्लंघन इसमें हुआ है तो इसको मैं संज्ञान में ले रहा हूं । अतः आप इसे अग्राह्य करें ।

श्री अध्यक्ष–

पुराने जो शासनादेश हुए हैं उसमें यह जो विसंगति रह गई है उसको दूर करते हुए आप एक निश्चित शासनादेश जारी कर दें । कहार और गोंड़ में जो भ्रम का सवाल है उसको देखकर भ्रम का निवारण करें इसके साथ ही मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है, इसलिये इस संबंध में आप शासनादेश जारी करवायें ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी तिवारी जी ने जो कहा है उसको भी देख लें और एक नया शासनादेश जारी करवायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अनुच्छेद 341 में जो संशोधन हुये हैं जिसके अन्तर्गत ऐक्ट बना है उसमें स्पष्ट रूप से गोंड लिखा है । जनगणना जो 1981 और 1991 में हुई है वहां भी गोंड जाति का उल्लेख होता आया है इसलिये जानबूझकर उनको इस सुविधा से सरकार वंचित कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

डी० आर० डी० ए० की बैठकों की अध्यक्षता जिलाधिकारियों द्वारा किये जाने के शासन के निर्णय विषयक औचित्य का प्रश्न

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अभी तक जो व्यवस्था रही है उसके अनुसार जितनी भी कमेटियों में विधायक और सांसद रहते हैं उनकी अध्यक्षता अधिकारी नहीं करते हैं और आज तक नहीं करते थे। लेकिन एक नई परम्परा अभी शुरू हुई है कि जिलों में जो तमाम कमेटियां हैं जैसे डी० आर० डी० ए० है उसकी बैठक हुई तो जिलाधिकारी उसकी अध्यक्षता करने लगे हैं। चमोली जिले में दो बार डी० आर० डी० ए० की बैठक इसलिये स्थगित की गई कि चुके हुये प्रतिनिधि–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठना नहीं चाहते थे। अभी शासन से शासनादेश गया है की जिलाधिकारी डी० आर० डी० ए० की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मान्यवर, इस व्यवस्था से न केवल विधान सभा सदस्यों की गरिमा गिरी है बल्कि लोकतांत्रिक परम्पराओं और मूल्यों पर भी कुठाराघात हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो यह व्यवस्था है तत्काल उस शासनादेश को निरस्त किया जाये और जनप्रतिनिधियों से क्रमानुसार उसकी अध्यक्षता में बैठकें संचालित की जायें।

दूसरी चिन्ता जाहिर की थी कि जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है माननीय विधायकों को जैसे ही थोड़ा समय मिलता है, वह माननीय सचिवों से मिलने उनके कार्यालय कक्ष में जाते हैं वहां उनको सचिवों के कार्यालयों के बाहर मिनटों और घण्टों तक खड़ा रहना पड़ता है, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है उस समय उनकी स्थिति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बदतर रहती है। मान्यवर, जब माननीय सदस्य की गरिमा गिरेगी तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा गिरेगी, जब सदन की गरिमा नहीं होगी तो सदन का कार्य विनियमित होने में कठिनाई पैदा होगी। इसलिये मान्यवर, मैंने नियम 3(X) के अन्तर्गत जो औचित्य का प्रश्न है उसको लाया हूं और उस पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय सदस्यों के सम्मान की बात है और इसमें प्रशासनिक पहलू भी जुड़ा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लीजिये। यह नियम 3(X) के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये अग्राह्य करता हूं।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आप भी जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में उसके बैठकों की अध्यक्षता जनप्रतिनिधि करते हैं। जहां तक डी० आर० डी० ए० का सवाल है उसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 20 प्रतिशत राज्यांश होता है और इसके लिये केन्द्र सरकार की नियमावली बनी हुई है। इस बारे में कई बार अनेक प्रदेशों से केन्द्र सरकार को लिखा गया कि इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं, उनकी जगह पर जन प्रतिनिधि को कर दिया जाये लेकिन जब तक भारत सरकार नियमावली में संशोधन नहीं करती, उसको नहीं किया जा सकता है।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इस तरह के केन्द्र से कोई भी निर्देश नहीं हैं जो भी शासनादेश होता है वह उत्तर प्रदेश शासन का होता है। मान्यवर, जो मैंने 2-3 बिन्दु उठाये हैं उस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित बिन्दु है उस पर सचिवों और अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाये।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया कि डी० आर० डी० ए० में 80 प्रतिशत केन्द्रांश और 20 प्रतिशत राज्यांश होता है, यह सूचना पूरी तरह से गलत है। डी० आर० डी० ए० की तमाम तरह की योजनायें हैं और अलग-अलग योजना पर अलग-अलग अंश है किसी में 80: 20 का है, किसी में 50 : 50 का है और किसी में पूरी तरह से राज्य या केन्द्र पोषित है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो 80 और 20 प्रतिशत का रेशियो डी० आर० डी० ए० की बतायी है वह पूरी तरह से गलत है। यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है सबकी बात है अभी जो माननीय सदस्य ने डी० आर० डी० ए० की बैठकों की अध्यक्षता की बात उठायी उसमें जनप्रतिनिधियों को अध्यक्षता करनी चाहिये। इसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश की बात नहीं है यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन एक यूनिट है और उसमें 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का कोई रेशियो नहीं है। जितनी भी योजनायें हैं उनमेंअलग-अलग रेशियो है। इसलिये इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश जाना चाहिये और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिये। और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को गुमराह करने वाला वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिये।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं इसमें एक सैद्धान्तिक बात कहना चाहता हूं कि जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने 80 और 20 प्रतिशत के रेशियो की बात कही है अगर कल यह हो जाये कि भारत सरकार यह कह दे कि उत्तर प्रदेश का जितना बजट है,उसे हम दे रहे हैं तो कल उत्तर प्रदेश विधान सभा की इस सीट पर चीफ सेक्रेटरी से अध्यक्षता करायेंगे। मान्यवर, इस पर आप सरकार को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष–

यह तो संवैधानिक पद है, इसलिये इसके बारे में चिन्तित न हों।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह मामला जन प्रतिनिधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, इस पर आप निर्देश दें दें।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

डी०आर०डी०ए० तो पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैंने डी० आर० डी० ए० में उसकी नियमावली के बारे में कहा, जिसके तहत उसका गठन हुआ है। यह नियमावली भारत सरकार की है। बिना भारत सरकार की अनुमति के नियमावली में संशोधन हो नहीं सकता, मैं सदन को कहीं से गुमराह नहीं कर रहा हूं।अपनी जानकारी के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। यदि यह उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान्यवर, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, उसके अनुसार तमाम प्रदेशों से ऐसे प्रस्ताव आये थे, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये बैठक की अध्यक्षता किसी अधिकारी द्वारा किये जाने का मामला था और यह कहा गया था कि यह जन प्रतिनिधियों का अपमान है, परन्तु चूंकि यह व्यवस्था हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, इसलिये ऐसी व्यवस्था कर पाना बिना भारत सरकार की अनुमति के संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर को हटाये जाने के सरकार के निर्देश विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री ओम प्रकाश जी की है। यह जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के बारे में है, यह नियम 3(X) में तो आती नहीं है।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं आपके द्वारा पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला पंचायत, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। श्रीमन् जब यह सरकार सत्तासीन हुई, तो जिला पंचायत अध्यक्ष, गाजीपुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया श्रीमन् प्रस्ताव गिर जाने के एक दिन बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्वयं उस जनपद में गये और इन्होंने कहा कि यह कैसे हो गया। डी० एम० क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, कैसे अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मान्यवर, आप पता करा लें, मेरी बात सही है। जिस दिन प्रस्ताव गिरा था, उसके दूसरे दिन मंत्री जी गये थे। श्रीमन्, उसके बाद पंचायती राज मंत्री जिले में गये। श्रीमन्, जब जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, तो उसके बाद उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। स्थानान्तरण नीति जो यहां से गई हुई है कि समूह क और समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, अपर मुख्य अधिकारी जो अवधेश नारायण सिंह हैं, वह आज भी विराजमान हैं, उनका 10-6-97 को स्थानान्तरण किया गया था, उसके बाद 17-6-97 को उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया। अब जिनका वहां पर किया जा रहा है, वह जौनपुर के श्री बी० बी० सिंह हैं, उनका गाजीपुर किया जा रहा है और गाजीपुर वालों का जौनपुर। यह सब मामला मान्यवर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया जा रहा है। जो इंजीनियर वहां कार्य कर रहा था, वह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बाद में यह भी वहां कहा गया कि बहुजन ने भाजपा को धोखा दिया और भाजपा कह रही है कि बहुजन ने धोखा दिया श्रीमन्, अब इस सवाल पर जो अपर मुख्य अधिकारी हैं पूरा का पूरा पैसा देना-लेना उसके अंडर में है वह जो अधिकारी समूह–ख का है उसको जिले में रखने का अधिकार नहीं,उसको बचाया जा रहा है वह किसी न किसी दल से जुड़ा है और जो अधिकारी इस दल से जुड़ा है उसको निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

निलम्बन और स्थानान्तरण इसका अंश नहीं है इसमें अलग से कर लीजिये।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, इसे सुन लीजिये इस पर निर्देश नहीं देंगे तो कैसे काम होगा मंत्री जी पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं।

श्री मुख्तार अंसारी–

मान्यवर, मा० सदस्य की यह सूचना गलत है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि जिला पंचायत गाजीपुर में भेदभाव किया जा रहा है वहां पर शासनादेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी पीठ से व्यवस्था हो और आप चर्चा करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जहां तक नियम 3(X) का सवाल है उसके बारे में मैं समझता हूं कि कुछ कहने के लिये नहीं है। जहां तक मेरा नाम लिया गया है, माननीय सदस्य जिस तरह से चाहें जिस एजेंसी से जानकारी कर लें, जांच करा लें, जब से यह सरकार बनी है, मैं गाजीपुर गया ही नहीं हूं। डाक बंगले में गया ही नहीं हूं। इसकी जानकारी माननीय सदस्य जिस तरह से चाहें कर लें।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मुझे जानकारी मिली थी कि आप डाक बंगले में गये थे।

श्री बी० आर० वर्मा–

कोई चीज जब तक सही न मालूम हो, पूरी तरह से संतुष्ट न हों,नहीं कहना चाहिये और ऐसे वरिष्ठ सदस्य को नहीं कहना चाहिये जो लोग कई बार इस सदन में रह चुके हैं जिनकी बातों को गम्भीरता से लिया जाता है,जो उप नेता भी हैं उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

नियम 3(X) में यह सूचना नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को चाहे पंचायत का अध्यक्ष हो या कोई भी हो उसकी एक प्रक्रिया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या जो नियम में व्यवस्था है, करेप्शन के बारे में है, अन्य बिन्दुओं पर कार्रवाई होती है। मान्यवर, यह कहीं भी नियम 3(X) को छूता तक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जिला पंचायत के सदस्यों को अधिकार है जिला अध्यक्ष के रिमूवल का, पद्च्युत का अधिकार शासन को है, मुख्य शर्तें दी गयी हैं कि यह शर्तें पूरी होंगी तब हटाया जायेगा, अन्यथा नहीं हटाया जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मान्यवर, किसी निर्वाचित ग्राम प्रधान को हटाने का अधिकार इस विधान सभा को है ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें तो है नहीं, आप अलग से सूचना देना चाहें तो दीजियेगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सीधे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उस पंचायत के सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हटा सकते हैं। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह अधिकार उनको है। रायबरेली की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित हुए व्यक्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हां हटाया जा सकता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी आजमगढ़ के रहने वाले हैं गाजीपुर उससे सटा हुआ है वहां जाने का अनुग्रह करें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट्स में उल्लिखित अनियमितता विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्रीरघुवर दयाल वर्मा जी की है वर्मा जी आप देख लीजिये कि यह कैसे नियम 300 में आती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक कि 1996 की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई जितनी सरकारी कम्पनियां है वह जो उनकी पूंजी अंशदान की दी गई थी ।सारी पूंजी को खा गई और सारी कम्पनियां खोखली हो गई । श्रीमन्, अरबों रु० का घाटा सरकार के सिर पर आ गया है । सार्वजनिक धन की लूट इन कम्पनियों के द्वारा की जा रही है जो चिन्ता का कारण है और गम्भीर वित्तीय हानि का मामला है । महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो सदन में आती है वह सरकार के संज्ञान में रहती है अब यदि सरकार उस पर निष्ठुर बनी बैठी रहे तो यह चिन्ता का कारण है ।मान्यवर 31 मार्च, 96 को सरकारी कम्पनियों को ये पूंजी प्रदत्त की गई वह 15 अरब 60 करोड़ चालीस लाख रु० है । जो 60 कम्पनियों की बकाया राशि है, जो दीर्घकालीन ऋण की मालूम हुई, वह 16 अरब 77 करोड़ 37 लाख है 77 कम्पनियां ऐसी हैं जिनमें एक वर्ष के लेखे बकाया हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जब उद्योग विभाग की अनुदान मांगें आयेंगी तो उसमें आप इन सब बातों को कह सकते हैं ये नियम 300 में कैसे आयेंगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने दो निगमों खनिज,राजकीय निर्माण निगम का उदाहरण दिया है । ये कम्पनियां हाथी बनकर लूटने का काम कर रही हैं उनको रोका जाय और प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद के नियम 300 में इसको अग्राह्य घोषित करता हूं ।

श्री दिलीप कुमार जी की अगली सूचना है । मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वे कृपया अपनी सूचना को सोमवार को दे देंगे ।

श्री दिलीप कुमार–

मान्यवर, ठीक है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री समर पाल सिंह व अन्य की पश्चिमी उ० प्र० की उपेक्षा के संबंध में है, यह नियम 300 में कहां से आयेगी ? यह तो सामान्य बजट की चर्चा पर कहने वाली बात है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यही कहेंगे कि यह सूचना अग्राह्य है । संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जब आपकी पीठ से व्यवस्था हो गयी तो कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार दिया गया है । संविधान के अनुच्छेद 15(1) में लिखा है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।" लेकिन जो सरकार ने इस बार का बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि में धन का प्राविधान किया गया, उत्तराखंड के लिये उत्तरांचल विकास निधि से धन आवंटित किया गया है और बुन्देलखंड के लिये बुन्देलखंड विकास निधि से धन दिया गया है । लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जो विकास के लिए तरस रहा है उसके लिये इस बजट के अन्दर कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, क्या सरकार इस बात को मान रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की सारी ऊंचाइयों को छू चुका है ?

मान्यवर, यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कृषि के क्षेत्र में विकास किया है और खाद्यान्न में ज्यादा उत्पादन करने का काम किया है । लेकिन उसको इस रूप में न लिया जाय कि वहां पर सड़कों, बिजली, आवागमन, पेयजल की व्यवस्था, अस्पताल न खोले जायें । जो परियोजनायें बीस-बीस साल से स्वीकृत पड़ी हैं उसको बन्द कर दिया जाय और दूसरी जगह पैसा लगा दिया जाये । यह भेदभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ किया जा रहा है । मान्यवर, यदि आप जायें तो आप देखेंगे कि वहां पर सड़कों की क्या हालत हो गयी है । मेरठ से मुजफ्फरनगर 55 किमी० दूर है लेकिन सड़कों की हालत की वजह से आप दो घंटे में पहुंच पायेंगे । इसी तरह से मेरठ से बड़ौत केवल 45 किमी० दूर है लेकिन वहां जाने में दो घंटे लगते हैं । जो मुख्य मार्ग है जैसे दिल्ली से रुड़की का मार्ग है, दिल्ली से सहारनपुर का मार्ग है, मेरठ से बिजनौर का मार्ग है उनकी सड़कों की हालत बहुत बुरी है । बिजली वहां पर एक दो ही घंटे आती है, तार टूटे पड़े हैं.....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । इसे आप बजट के समय भी रख सकते हैं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, ट्रांसफार्मर के लिये पैसा नहीं है, वह खराब पड़े हैं । परियोजनायें बन्द पड़ी हैं । 1977 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कृष्णा–हिण्डन दोआब परियोजना स्वीकार हुई थी, 97 आ गया है और उसकी धनराशि 6 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ रुपया हो गयी है, उसका काम बन्द पड़ा है । मान्यवर, हमारे प्रधान मंत्री जी बरनावा गये थे तो उन्होंने वहां पर दो बिजली घर की स्वीकृति दी थी लेकिन उसका काम भी शुद्ध नहीं हुआ, छपरौली में महामहिम राज्यपाल जी गये और एक बिजली घर का शिलान्यास किया तो उसका काम भी बन्द पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि वहां पर अस्पताल खोले जायें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें । केवल इस आधार पर कि वहां पर अनाज पैदा होता है उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाये तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य किया जाय । मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हर जिले की जिला योजना होती है जिसके माध्यम से विकास होता है स्टेट सेक्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश को पैसा दिया जाता है । कोई भेद-भाव नहीं होता है और जब यह शुरू हुआ तो इस बात का ध्यान रखा गया कि क्षेत्रीय पिछड़ापन समाप्त हो । क्षेत्रीय विषमतायें समाप्त हों, तो इस तरह की योजनायें बनायी गयी हैं । मान्यवर, यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करने की कृपा करें ।

प्रदेश के कई जिलों में घटी घटनाओं के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको नियम–3(X) में अग्राह्य करता हूं ।

अगली सूचना को अब मैं लेता हूं जिसे कुंवर रेवती रमण सिंह तथा अन्य सदस्यों ने दी है ।

यह सूचना विभिन्न जिलों की घटनाओं का संकलन है इसलिये यह किसी भी प्रकार से नियम–300 में नहीं आती है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

चूंकि इस सूचना को सदन के वरिष्ठतम् सदस्यों ने दी है और उन्होंने अपनी सूचना की आखिरी लाइन में लिखा है कि अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा कराने की अनुज्ञा चाहता हूं । तो मान्यवर, यह नियम–300 में नहीं आता है इसलिये इसको आग्रह करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना में कई जिलों का उल्लेख है और सदन की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, कृपया ग्राह्यता पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप गृह विभाग वाले बजट में यह सारी बातें कह दें । उस समय आपको काफी समय मिल जायेगा, इस समय तो केवल दो ही मिनट मिलेंगे ।

* श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, संवैधानिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिये कार्यपालिका की भूमिका होती है । आज पूरे प्रदेश की कार्यपालिका जबरदस्त तरीके से क्षुब्ध है, जबसे उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार बनी है उसकी साजिश के तहत सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं । अधिकारी के घर जाते हैं और अधिकारी से पैसा मांगते हैं और अगर वह अधिकारी पैसा नहीं देता है तो उसको अपमानित करते हैं और मारते पीटते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, हमीरपुर जनपद में बी० डी० ओ० को सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा मारा पीटा गया । झांसी में जूनियर इंजीनियर से पैसा वसूल करने के लिये उसे मारा पीटा गया तो इस तरह से हर जगह अधिकारियों और कर्मचारियों को अपमानित किया जा रहा है । मान्यवर, श्रावस्ती के जिलाधिकारी को अपमानित किया गया और उसके फलस्वरूप उनकी मौत हो गयी । मान्यवर, सी० डी० ओ० अम्बेडकर नगर को अपमानित किया गया तो इस प्रकार से कहीं प्रधानाचार्य को पीटा जा रहा है, कहीं एस० एस० पी० को पीटा जा रहा है, पूरे प्रदेश में अराजकता फैल गयी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट हो गये अब आप बैठें ।

चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं । आज पूरे प्रदेश की कार्यपालिका जबरदस्त तरीके से क्षुब्ध है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर नियम–3(X) में चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

चन्द्र पाल सिंह यादव और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाये है मैं उनका खण्डन कर रहा हूं ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसकी जांच करवा ली जाये ।

परिवहन मंत्री को उनके प्रमुख सचिव द्वारा सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने विषयक सूचना संबंधी औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय चन्द्रपाल जी की सूचना को अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय प्रसाद कुमार, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल की है । माननीय पाल साहब आप बतायें कि यह नियम–3(X) में कैसे आएगी ? मैं तो इसको कक्ष में ही निस्तारित कर रहा था ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सबसे बड़ा औचित्य का प्रश्न है । यह संविधान की धारा 73 के अन्तर्गत है ।

श्री अध्यक्ष–

केवल उल्लेख कर देने से कैसे आयेगी ? आप जरा पढ़ दीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उसमें साफ लिखा है जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक उस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और कोई राज्य का अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए बिल बनाने की शक्ति है । ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कर सकता था ।

इसीलिये प्रजातंत्र में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है । जो शासन की नीतियां हैं जो शासन के विधायन होते हैं उन कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने के लिये ब्यूरोक्रेसी की प्रतिबद्धता है । आज संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है । शासन के एक मंत्री मुख्य मंत्री को और प्रमुख सचिव को पत्र लिखते हैं । मैं उस पत्र का नम्बर भी प्रस्तुत कर रहा हूं । वह पत्र संख्या–4031/एम० टी०/वी० आई० पी०/97 इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि उनके प्रमुख सचिव सहयोग नहीं कर रहे हैं । विधान सभा के प्रश्नों और अन्य संकल्पों पर सही तथ्य एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । जिसके कारण उन्हें अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुच्छेद 73 (दो) में कैसे आयेगा ? वह यहां कैसे लागू होगा ?

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

यह आरोप लगाने की प्रक्रिया गलत है । (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, किसी भी प्रजातंत्र में कार्यपालिका और विधायिका एक रथ के दो पहिये हैं । उस पक्ष में मंत्री जी ने कहा है कि इस विधान सभा की कार्यवाही और प्रश्नों तथा संकल्पों के संबंध में जिस तरह कोआपरेशन मिलना चाहिए उनको अपने प्रमुख सचिव से नहीं मिल रहा है । सही सूचना न मिलने के कारण मेरा उपहास हो रहा है । इस प्रकार का पत्र उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखा है तो निश्चित रूप से यह औचित्य का प्रश्न बनता है । मान्यवर, सदन में माननीय सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार है, संकल्प लाने का अधिकार है, तो कृपा कर इसे ग्राह्य करें । जो हमारे प्रश्न हैं और संकल्प हैं उनका उत्तर सरकार की तरफ से आता है अगर मंत्री जी को सहयोग नहीं मिलेगा तो हमें भी प्रश्नों का उत्तर सही नहीं मिल पायेगा । क्योंकि जब प्रश्न की स्वीकृति आपसे मिल गई तो इसका सही उत्तर हमें मिलना चाहिए । (व्यवधान)

तो जो यह पत्र लिखा है उसे सदन में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बतायें वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर) माननीय पाल साहब ने विस्तार से कह दिया है, संविधान की पृष्ठभूमि भी दे दी है, अब कोई बात नहीं रह जाती ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय पाल साहब ने जो बातें कही हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं । केवल उसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूं । यह सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी है । मंत्रिगण यहां पर उत्तर देते हैं और उनका उत्तर उनके विभाग द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित होता है । माननीय मंत्री जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा कि विभाग के प्रमुख सचिव सहयोग नहीं देते हैं जिससे विधान सभा में उनको उपहास का पात्र बनाना पड़ता है । मान्यवर, इससे स्पष्ट होता है कि उनको गलत सूचना दी जाती है और वह गलत सूचना सदन को देते हैं । मान्यवर, यह विषय ऐसा है जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है ।

माननीय पाल जी ने यहां पर उस पत्र की पत्र संख्या भी दे दी है वह पत्र मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री को लिखा गया है । मान्यवर, चूंकि सदन के कार्य के विनियमित होने संबंधित वह पत्र है, माननीय मंत्री जी यहां पर बजट के संबंध में उत्तर देते हैं, नियम 56 और नियम 3(X), 3(I) की सूचनाओं के उत्तर देते हैं । अगर उनको सूचना ही सही नहीं मिल रही है तो मंत्रिपरिषद् का जो सदन के प्रति उत्तरदायित्व है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है इसलिये यह सूचना नियम 3(X) में आती है । मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रमुख सचिव से उनको छुट्टी दिलायें जो उनके कार्य संपादन में बाधा उपस्थित कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यहां पर विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में बात कही गयी । कार्यपालिका अपना काम कर रही है और विधायिका अपना काम कर रही है । जहां तक सचिव के संबंध की बात कही गयी तो सचिव से संबंध मधुर हैं । जहां तक पत्र लिखने की बात है, समय-समय पर मंत्री को किसी चीज की जानकारी की आवश्यकता हुई तो वह निर्देश देकर और आदेश देकर सूचना मंगाते हैं । सचिव से कहते हैं । अगर कहीं कोई बात आती है तो मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं । इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि यह कहीं भी नियम 3(X) की परिधि में आता है । मान्यवर, जिस पत्र की बात कही है, अगर पत्र दिया गया होता तो मैं तथ्यों की जानकारी करता । यह मान्यवर, नियम 3(X) में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय प्रमोद कुमार, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना पर इस प्रकार से अपनी व्यवस्था देता हूं । यदि किसी अधिकारी के माध्यम से सदन में

किसी अधिकारी के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर कोई माननीय मंत्री सदन में गलत सूचना देते हैं तो उसके लिये नियमावली और प्रक्रिया के निर्देशों में इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार से माननीय सदस्य उस प्रश्न को सदन में उठायेंगे, किस प्रकार से यदि कोई उत्तर गलत है उसके संबंध में सदन को सूचना देंगे, यह एक बिन्दु है। दूसरा बिन्दु है कि किसी माननीय मंत्री या उनके सचिव में क्या संबंध हैं और माननीय मंत्री के सचिव के संबंध में कोई पत्र लिखा या नहीं यह उनके विभागीय अनुशासन की बात है। विभागीय अधिकारी पर नियंत्रण रखने की बात है। यह नियम 310 में नहीं आता है इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री हरिशंकर तिवारी जी की अन्तिम सूचना है यह मेरे विधान सभा सचिवालय के कार्य कलापों से संबंधित है। इस पर मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा। इस सूचना को इसी के साथ निस्तारित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

एक मेरा निवेदन है, कल हम लोगों ने जिस प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है, पहली सूचना नियम 311 में उसी विषय पर आयी है। मैं माननीय सदस्यों से इतना आग्रह करूंगा कि जिस सूचना का पटाक्षेप कर दिया गया है उसको लेने से कहीं ऐसा संदेश न जाय और इस विधान सभा की कार्यवाही से कुछ लोग हीरो बन जायं, मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन इससे ऐसा संदेश जाय जो स्वस्थ संदेश की परिभाषा में न आता हो, तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सतीश शर्मा, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री विवेक सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री अमरमणि, डा० अशोक वाजपेई, श्री राम सिंह सैनी जी की है। मुझे जरा संख्या का अन्दाजा हो जाये कि कितने लोग इस सूचना पर बोलेंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैंने कल भी बोलना चाहा था लेकिन इस बीच में मैं ही मारा जाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं और आभारी इसलिए हूं कि मैंने नियम–311 के अन्तर्गत अनुरोध किया था बाद में आपने उसको नियम–56 में ले लिया। यह विषय पूरे प्रदेश में कानून की जो व्यवस्था है, अराजकता की जो स्थिति है, उस ओर इंगित करना चाहता हूं कि किसी को हीरो बनाने का या माफिया बनाने के लिए चर्चा करने की बात नहीं है। श्रीमन, राजधानी में नाक के नीचे मान्यवर, आपको स्मरण होगा इतने वर्षों से संसदीय जीवन से जुड़े हैं। आपका सानिध्य 20/25 साल का रहा है। जब सदन चलता था। बजट सत्र हो या कोई और छोटा सत्र तो पूरे प्रदेश में पूरी सतर्कता रहती थी कि कोई बात इस तरह की यहां नहीं होनी चाहिये कि जिसकी चर्चा यहां हो और सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़े। विधान सभा सत्र चलने से पहले लखनऊ के बार्डर पर पूछा जाता था कहां जा रहे हैं ? दारुलशफा से आने वालों को पूछा जाता था। मैं यह आपके संज्ञान में लाना अपना दायित्व समझता हूं। विधान सभा के अन्दर, या जितने होटल लखनऊ के हैं उनमें दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष–

आपने विधान सभा के अन्दर कहा है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा दावा है कि आप दिखवा लें अपनी किसी एजेन्सी से कि कितने क्रिमिनल या दूसरे असामाजिक तत्वों का साम्राज्य इस समय है उसी की पृष्ठभूमि में कहना चाहता हूं कि शाही जी की हत्या को हम भूले नहीं हैं, एक सिनेमा हाल के प्रबन्धक की हत्या हो गयी और फिर भी एक अभियन्ता

की हत्या को भी हम भूले नहीं हैं जो अभी हाल ही में हुई थी कल दनादन ए०के०-47 से चार लोगों पर गोलियां चलाई गई जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और तीन मरणासन्न हैं । श्रीमन्, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है ? उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं । हम जनता के रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में यहां पर बैठे हैं । राजधानी मे शासन की नाक के नीचे जहां सरकार चल रही है वहां यह हाल है तो ग्रामीण अचलों में क्या हाल हो रहा होगा । आज जनता में आतंक व्याप्त है । मान्यवर, इससे बड़ा और महत्व का क्या प्रश्न हो सकता है ? यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं चाहता हूं आपसे निवेदन करता हूं कि सारे कार्यक्रम को निलम्बित करके स्थगित करके इस पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए । कल छोटा सा उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी का आया था इसलिये सदस्यों को उत्तेजित होना पड़ा । मैं भी उत्तेजित हूं लेकिन उद्वेलित महसूस कर रहा हूं । आपसे सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप कृपया यह आश्वस्त करने की कृपा करें कि आने वाले दिनों में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी जनता के बीच में शांति है शांति और सुरक्षा के माहौल में शांतिपूर्वक माहौल पैदा करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–56 या नियम–311 के अन्तर्गत आने के लिये जो भी मानक आधारित है लेकिन इस घटना को सुनने के बाद इसे अग्राह्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अविलम्बनीयता है । कल घटित हुई है तो आज देंगे आज के पहले तो नहीं दे सकते थे । यह सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व की है । राजधानी में यह घटना घटित हुई है पूरी तरह भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । मान्यवर, कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में जब विपक्ष के सदस्य सवाल करते हैं तो सरकार यही दावा करती है कि कानून व्यवस्था ठीक है और यह कहते नहीं, थकते है कि अपराधों में कमी आई है, स्थिति नियंत्रण में है । मुझे नहीं याद पड़ता है कभी ऐसी भी परिस्थिति रही हो । ऐसी खराब परिस्थितियां रही हैं । सबसे बड़ी बात मान्यवर, राजधानी में भी उन हत्यारों की आवाजाही हो गई है । जो हथियार, जो शस्त्र आतंकवादियों के पास माने जाते थे, जो सीमा के दूरदराज क्षेत्रों में प्रयोग होते थे, उन आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग राजधानी में होना खतरनाक संकेत है और मान्यवर, हमारा फर्ज है सरकार को साचेत करने का, अगर यह सरकार सचेत नहीं होती है तो इनकी इच्छा जिस तरह की घटना घटित हुई है और हत्या हुई है जो घायल हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मान्यवर, सरकार एक जलाल से, एक प्रसिद्धि से चलती है इस सरकार का जलाल खो चुका है । यह सरकार प्रसिद्धि का अधिकार खो चुकी है । अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वह सरकार को चुनौती देकर चले गए ।

मान्यवर, अगर कोई घटना घटित होती है तो यह सरकार डी०एम०, एस०पी० को हटा देती है, तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । यहां पर समाचार पत्रों का उद्धरण नहीं दिया जा सकता है समाचार पत्रों में छपी सूचना को अग्राह्य नहीं किया जाता है लेकिन उनकी मान्यताओं को मानना चाहिए उदाहरण के लिए एक घटना अपहरण की हुई पुलिस इसलिए उसकी तह में नहीं पहुंची कि सत्तारुढ़ दल का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है । अधिकारी चुस्त-दुरुस्त है आप सत्ता में बैठकर अपराधियों को संरक्षण देंगे तो अपराध कम नहीं होंगे सरकार कहती है कि हमने अमन-चैन कायम किया है यह पारदर्शी सरकार है लेकिन इस सरकार ने जंगल राज कायम किया है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

श्री रामसिंह सैनी–

मान्यवर, जो तिवारी जी ने तथा और माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह देखने की आवश्यकता है कि घटना कहां हुई है लखनऊ

जैसे शहर में, विधान सभा के पास, एक तरह से मेन सड़क पर घटना हुई है । जंगल में घटना हुई होती तो उसको सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, लेकिन उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए लेकिन यह जो पारदर्शी सरकार है यह किसी घटना को संज्ञान में नहीं ले रही है । घटना कब हुई ? अगर रात में घटना हुई होती, तो रात में लोग सोते हैं हो सकता है तब पुलिस को पता नहीं लग पाता, लेकिन मान्यवर, यह घटना साढ़े दस बजे घटित हुई है मान्यवर, लखनऊ में ही मेरी जानकारी है कि 130 के करीब हत्यायें हो चुकी हैं । यह सरकार दलितों की बहुत हितैषी है लेकिन किसी घटना को संज्ञान में नहीं ले रही है कालेज के गेम्स सुपरिटेन्डेन्ट मारा गया पूर्व विधायक शुक्ला को मारा गया, एक लड़का मारा गया इस तरह से आए दिन हत्यायें हो रही हैं भय का वातावरण व्याप्त है । हम विधायक और नागरिकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । बुलन्दशहर में घटना घटित हुई । दलित वर्ग की महिलायें भट्ठे पर काम करती थी । उनको उठाकर कुछ बदमाश ले जाते हैं जिस दशा में महिला मिली हैं मान्यवर, वह महिलायें दो-तीन घंटे के बाद जंगल में नग्नावस्था में मिली हैं । लेकिन जब एस०पी० जाता है और कहता है तथा आतंकित करता है कि तुम रिपोर्ट दर्ज न कराओ नहीं तो बदमाशों से फिर उजड़ जाओगे । यह जंगल राज नहीं तो और क्या है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । सदन को रोककर इस पर चर्चा करवाएं नहीं तो सरकार को शासन में रहने का कोई औचित्य नहीं है । मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराएं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष जी, यह घटना जो घटित हुई उसकी ग्राह्यता के संबंध सदस्यों ने अपने विचार रखे । तीन बिन्दु जो इस नियम के अन्तर्गत ग्राह्यता के लिए होते हैं । वह तीनों इसमें हैं । यह घटना तत्काल की है, अविलम्बनीय, लोक महत्व की है । यह एक घटना का प्रश्न नहीं है आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की राजधानी में विधान सभा का सत्र जब चल रहा हो तथा यहां सरकार मौजूद है यह सत्र पिछली 17 तारीख से चल रहा है । इन मात्र 13 दिनों में प्रदेश की राजधानी में तीन घटनाएं घटित हो गईं । जिससे प्रदेश की राजधानी थर्रा उठी । लोग आतंकित हो गए । जो निर्माण निगम के सहायक अभियन्ता श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव तथा अम्बेदकर उद्यान से जुड़े थे जिस तरह से गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया । मुख्य मंत्री जी ने इस घटना का संज्ञान लिया तथा उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी देदी कि जो हत्या हुई है उसके हत्यारे को एक सप्ताह के अन्दर नहीं पकड़ा गया तो सब लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । दूसरी घटना मेफेयर टाकीज के प्रबन्धक की हत्या की घटित हुई । तीसरी घटना कल ही दिन में अत्यन्त आधुनिक हथियारों से लैस होकर की गई जिसमें कोई भी हत्यारा मौके पर नहीं पकड़ा गया । मुख्य मंत्री ने जब कठोर कार्यवाही की पूर्व में चेतावनी दी थी तो दो निर्दोष छात्रों श्री धनंजय सिंह व राजसिंह को नामजद कर दिया गया । सहायक अभियन्ता की हत्या में जो दो निर्दोष छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है इस तरह से घटनाएं होने के बाद पुलिस प्रशासन लीपापोती करने में लग जाता है । तथा बेगुनाह लोगों को मुल्जिम बना रहा है । मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि इन दिनों में 58 हजार माफिया और गुण्डा लोग जेल की सलाखों में भेजे गए । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी के अन्दर 13 दिनों में तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्याएं हुईं । घटनाएं हो सकती हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है लेकिन इस घटनाओं को चुनौती मानकर जैसा कि मा० मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी तथा आज तक सरकार की प्राथमिकता ला एण्ड आर्डर की है सत्तारूढ़ होने के बाद मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे के अन्दर गुण्डा और माफिया जेल में होंगे । लेकिन उत्तर

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी कार्य को स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष–

जिस सूचना पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उससे इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें आप अलग से लिखकर दें । (व्यवधान) यह नहीं लिखा जाएगा । कृपया आप बैठ जायें आपका कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

श्री राम प्यारे–

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । आपका नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, लखनऊ की घटना नियम 56 में जो सुन रहे हैं उसमें दो मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना पर जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं वह भी कहेंगे कि सुन लें तो यह तो चर्चा हो जायेगी ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, मुझे केवल दो मिनट आप सुन लें । मान्यवर, घटनायें प्रकृति प्रदत्त होती हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है लेकिन उसमें कुछ कमी की जा सकती है । इसलिए यदि सरकार प्रीकाशन अहतियात ले तो निश्चित रूप से घटनाओं को रोका जा सकता है । देखना यह पड़ता है कि व्यवस्था में बैठने वाले लोग जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वह कितने संवेदनशील हैं और कितने जागरूक हैं तथा वह घटनाओं को किस हद तक रोक सकते हैं । इसलिए सरकार से निवेदन है कि आज व्यवस्थायें हैं उसमें जिस तरह से अत्याधुनिक और असलहे पूरे प्रदेश में फैले हुये हैं । जो बार्डर से लगे हुये क्षेत्र हैं, जो सीमा क्षेत्रों से लगे हुये जिले हैं उनमें अत्याधुनिक हथियारों का आवागमन हो रहा है इस पर रोक नहीं लगायी गयी तो जो घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुई है, इसी तरह की घटना विधान सभा में भी घट सकती है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, पुलिस को जो असलहे दिये गये हैं वह अंग्रेजों के जमाने के हैं यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में 50 साल की आजादी के बाद भी कोई अत्याधुनिक असलहा तैयार नहीं कर सके, आज हमारे पास कोई अत्याधुनिक असलहा नहीं है हिन्दुस्तान में 315 बोर राइफल के अलावा कोई असलहा नहीं है जबकि विदेशों में अत्याधुनिक असलहे मौजूद हैं, जो बदमाश हैं अपराधी प्रकृति के लोग हैं, उनके पास 455 बोर या आधुनिक शस्त्र मौजूद हैं वह 20-25 हजार रुपया देकर खरीद लेते हैं ।

आज पूर्वांचल की स्थिति बड़ी विषम होती जा रही है, राजधानी में घटना घट गयी, इस प्रकार की घटना पूरे प्रदेश में घट सकती है । इस पर सरकार को राजनैतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर विचार

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा

करना पड़ेगा और सरकार को अत्याधुनिक असलहों की व्यवस्था सुरक्षा कर्मियों के लिए करना पड़ेगा। आज सुरक्षा के नाम पर सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम 14 करोड़ जनता की सुरक्षा कर रहे हैं तो सम्मानित विधायकों और तमाम बड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है तो जनता का क्या होगा ? इसलिये मेरा आग्रह है कि सरकार को निर्देशित करें कि अत्याधुनिक असलहों के मुकाबले में अत्याधुनिक असलहों का प्रयोग नहीं करेंगे, सुरक्षा एजिन्सयों को नहीं देंगे तब तक यह घटनायें रुकने वाली नहीं हैं इसलिये अविलम्बनीय लोक महत्व का जो प्रश्न है उस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

श्री पारसनाथ यादव जी ने गम्भीर सुझाव दिये हैं, जो विचार करने लायक हैं।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, कल की जो घटना है निश्चित तौर पर काफी दुःखद घटना है। इस पर सरकार गम्भीर है। इस घटना के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। यह गोरखपुर के लोगों की आपसी ठेकेदारी की रंजिश के तहत घटनायें हुई हैं लेकिन मान्यवर, खून किसी का वहां हो दुःख का विषय है। जिस तरह से माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया है इसको लेकर के सरकार चिन्तित है और निश्चित तौर पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की दिशा में सरकार कार्यवाही कर रही है। लखनऊ में जो घटना हुई, मेरे पास 1995-96 व 1996-97 के आंकड़े उपलब्ध हैं लेकिन मैं आकड़ों में नहीं जाना चाहता, यह गम्भीर प्रकरण है, इसको गम्भीरता से लियां जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कब तक इस तरह की घटनायें होती रहेगी ? इस पर आत्म विश्लेषण कीजिये।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, घटना पर सरकार गम्भीर है। जो माननीय सदस्य भावावेश में या राजनैतिक द्वेषवश आरोप-प्रत्यारोप लगा गये हैं, उसका खण्डन करता हूं। यह गम्भीर प्रकरण है, इसको गम्भीरता से लिया जायेगा। नियम 56 के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है, इसलिये इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, कल जब सारा सदन पूरी तरह से स्तम्भित था तो यह बात उठायी गयी, विक्ष की ओर से ही सही तो आपने संकेत दिया था सुनने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा दें। मान्यवर, कल भी मांग थी, तब आपने संकेत दिया था कि किन्हीं नियमों में उठाइयेगा, तो हम विचार कर लेंगे। आपके आश्वासन को याद दिलाते हुये अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आप इस पर चर्चा करा दें, यह अति आवश्यक है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमने तो सारे कल्ल करा दिये लेकिन ये तो अच्छे हैं, इस बात का कोई मतलब है कि हम पिछली सरकारों के आकड़े दे देंगे। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी रोज कहती हैं कि माफियागर्दी, गुण्डागर्दी खत्म कर देंगे। आप इस विषय पर चर्चा करा दें, ताकि विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात आ जाय और उधर बैठे माननीय सदस्यों के जवाब आ जायें, आज आप इस पर एक घन्टे की चर्चा अवश्य करा दें। यदि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित है और आज नहीं हो सकता, तो यह कह दें कि सोमवार को चर्चा हो जाय । मेरी आपसे प्रार्थना है कि चर्चा होना बहुत आवश्यक है, आज पूरा प्रदेश जल रहा है । हम लोग असुरक्षित हैं । दारूलशफा में 4-4, 6-6 रायफलें, बन्दूकें लेकर लोग घूम रहे हैं, पता नहीं कब किसके कमरे में घुस जायें । मान्यवर, हम लोग घर से आते हैं, विधान सभा के लिये कार्यवाही में भाग लेने, पता नहीं क्या हो जाय कि इधर लाश जा रही है । यह बड़ी असुरक्षा की बात है । पता नहीं, कब ए० के०–47 वाले हाउस में घुस आयें, तो बहुत लोग मारे जायेंगे, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, सारे लोगों की जिन्दगी से जुड़ा सवाल है, मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि एक घन्टे की चर्चा करा दें ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, दिनांक 25 मई को मेरे ऊपर ए०के०–47 से आक्रमण हुआ था । मैंने आपसे अनुरोध किया था और आपकी पीठ से भी निर्देश हुआ था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि आपकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जायेगा और कोई कोताही नहीं बरती जायेगी, आप तो सम्मानित सदस्य हैं, हम तो 64 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारन्टी लेते हैं । मान्यवर, आपने कमरे में भी बुलाकर कहा था, मैंने लिखकर भी दिया था, आपने भी कहा था कि पूर्ण सुरक्षा वयवस्था की जायेगी । मान्यवर, मैं आज पुनः अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी लगे थे, जब मुझ पर आक्रमण हुआ, मैं तो मर गया होता, सौभाग्य से आज मैं जिन्दा हूं और जिन्दा रहूंगा तो जनता की सेवा करूंगा । अतः निष्पक्ष और निडर सेवा के लिये मुझे पर्याप्त जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी जाय । यदि जांच प्रक्रिया में विलम्ब होता है, या कोई परेशानी आती है तो साथ जो एस०एल०आर० वाले लोग लगे हैं, उनको नियमित किया जाय । मान्यवर, पुलिस कप्तान, जौनपुर ने मुझे नोटिस दिया है कि यदि आप पैसा जमा नहीं करते तो 10 तारीख को आपके सुरक्षाकर्मी हटा लिये जायेंगे, आपके साथ केवल एक गनर ही अनुमन्य है । मान्यवर, मेरे चारों तरफ अपराधी मंडरा रहे हैं । मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी नम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की नोटिस के बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मैंने अपने परिवार के लिए और अपने लिये सुरक्षा की मांग किया था, कम से कम इन सुरक्षाकर्मियों के साथ एक ए० के०–47 वाला अवश्य लगा दिया जाय और जो पहले से सुरक्षा कर्मी लगे हैं, उनको अवश्य नियमित कर दिया जाय । मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप इस संबंध में कुछ निर्देश अवश्य दें । साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी आश्वासन दें कि यह कब तक इसकी व्यवस्था कर रहे हैं । कब तक मुझे सुरक्षा व्यवस्था मिल जायेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद मानते हुये अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपसे मिले भी थे और रिक्वेस्ट भी किया था । यह माननीय सदस्य का सवाल है । इसमें 3-4 बार कहा गया है आपने पीठ से सुझाव भी दिया था और जनहित में भी है । मान्यवर, यह ठीक नहीं है कि एक ही सदस्य बार-बार एक ही बात को कहे । इस पर आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहें । यह एक गम्भीर मामला है, एक माननीय सदस्य के जानमाल का सवाल है । इस पर आज ही कुछ तय करा दें जिससे बार-बार यह बात न उठे और बाहर एक खराब मैसेज न जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में प्राप्त सूचना जो नियम 56 में परिवर्तित की गयी और दूसरे नियम–56 में सूचना आयी थी उस पर माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं उसे अग्राह्य करता हूं परन्तु माननीय पारसनाथ यादव जी ने पुलिस की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया है कि उनको उच्च श्रेणी के शस्त्र दिये जायं इस बारे में विचार कर लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें समुचित व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा है कि पुलिस अधीक्षक ने इनको पत्र दिया और पैसा मांग लिया तो इसको देख लें । जिन माननीय सदस्यों को विशेष रूप से सुरक्षा दी जाती है तो उनसे धन मांगने की क्या बात है । इनको अपने कक्ष में बुलाकर इनकी समस्या का समाधान सन्तोषजनक ढंग से कर लीजये ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह पहली बार ऐसा हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कदाचित यह अतिरिक्त है, इसलिए कहा गया है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

श्रीमन्, जिला योजना का गठन 1982 में किया गया था । मान्यवर, जो प्रदेश का समुचित विकास नहीं हो पाता था, उसमें समन्वित विकास के लिए जिला योजना का गठन हुआ । मान्यवर, जिला योजना में जो धन आवंटित होता था, वह सांसदों व विधायकों के द्वारा परिव्यय निर्धारित होता था उसमें कार्यक्रमों और विकास नीतियों को शामिल किया जाता था । लेकिन श्रीमन्, बड़ा दुःखद इस समय विषय यह है कि इसमें जन प्रतिनिधियों का माखौल उड़ाया जा रहा है । सामान्य योजना में जितना धन आवंटित किया जा रहा है, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में जितना धन आवंटित किया जा रहा है, इसके बाद श्रीमन्, शासन से साफ निर्देश जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके दिलाये जा रहे हैं कि इन-इन मदों में अम्बेडकर ग्रामों के लिए धन आवंटित कर दिया जाय । इसमें भेदभाव बरतते हुए पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सरकार काम कर रही है । इसमें 21.52 जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में हैं उसमें तो हमें कोई परहेज नहीं है लेकिन सामान्य योजनाओं का पैसा कटौती करना यह न्याय संगत नहीं है । नियोजन विभाग ने जी० ओ० में कहा है कि श्रेणी ''ख'' की योजनाओं में उदाहरणार्थ के तौर पर अम्बेडकर गांवों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के लिए रखी जा रही धनराशि का 50 प्रतिशत सामान्य योजना व शेष 50 प्रतिशत परिव्यय स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के रूप में कराया जा सकता है ।

मान्यवर, गाजीपुर जनपद में ही नहीं अधिकांश जनपदों की क्या स्थिति है जहां सामान्य योजना में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से अधिक पैसा है । सामान्य गांव में तो ट्यूबवेल बन रहे हैं रोड बन रही हैं, लेकिन जहां पर अधिक पैसे की व्यवस्था नहीं है, वहां की पूरी की पूरी व्यवस्था अम्बेडकर गांवों में चली जा रही है । समन्वित विकास के लिए 1982 में जिला योजना के गठन के पीछे जो उद्देश्य था उसका माखौल उड़या जा रहा है इस पर चर्चा करायी जाये । मान्यवर, इससे एक कटुता भी बढ़ रही है कि यह जाति विशेष के लिए है मैं ये नहीं कहता हूं कि अम्बेडकर ग्रामों का विकास न हो लेकिन जो सन्देश जा रहा वह ठीक नहीं है । माननीय नेता सदन कहती हैं कि सरकार सबके विकास के लिए बचनबद्ध है जब से सदन चल रहा है बजट प्रस्तुत करने के बाद इस प्रदेश के प्रति इस सदन के प्रति माननीय नेता सदन कितना उत्तरदायित्व निभा रही हैं ये साफ दिख रहा है । नेता सदन सदन में आयें और इसका उत्तर दें । मान्यवर, जातीय विशेष, वर्ग विशेष के लिए ही कार्य हो रहा है और प्रदेश में 14 करोड़ लोगों के रखरखाव और सुख-दुख के लिए सरकार नहीं है । मान्यवर, इस पर चर्चा कराने की व्यवस्था दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जब इस सरकार ने शपथ ली अपना बजट सरकार के सामने नहीं था । हर सरकार की प्राथमिकता हुआ करती है सारी योजनाओं को बन्द करके अम्बेडकर गांवों की विकास योजनाओं को चलाने की जो बात है उसकी आलोचना अन्य सन्दर्भों में हुई यह अलग बात है, मान्यवर, उसके लिए अलग से प्राविधान नहीं था, लेकिन विभिन्न योजनाओं का अम्बेडकर योजनाओं के लिये पैसा देने का काम हुआ । एक बजट लाकर सरकार की सुनिश्चित योजनाएं सदन के सम्मुख आई हैं लेकिन मान्यवर, जो साढे इक्कीस परसेंट का प्राविधान स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में किया गया है, इसके अलावा पूर्वांचल विकास निधि और अन्य योजनाओं के लिए जो एलोकेटेड है उसमें काट दिया जा रहा है और जब इसकी बात उठाई जाती है तो वह कह देते हैं कि छटपटायें न (अम्बेडकर गांव चलते रहेंगे) उसमें ठीक से चर्चा न करें उल्टे आरोप लगाने का काम हो जाता है कि ये लोग अम्बेडकर गांव के खिलाफ हैं । मान्यवर, यह आचरण बन्द होना चाहिए । जो 21.5 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है उसके अलावा जो अन्य योजनाओं और पूर्वांचल विकास निधि से काटकर सिर्फ अम्बेडकर गांवों को दिया जा रहा है, उसमें राजनीतिक उद्देश्यों को आग बढ़ाने के लिए एक बात बार-बार कही जा रही है, मान्यवर, इसमें हमारा यही कहना है कि बाकी योजनाओं के लिए जो पैसा आवंटित है उसमें कटौती न की जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि योजनाओं का पैसा डाईवर्ट नहीं करेंगे लेकिन अम्बेडकर गांवों के लिए यह पैसा डाईवर्ट किया जा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 17 करोड़ रुपया पूर्वांचल विकास निधि का दे दिया गया । इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं का भी पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिन सदस्यों ने जिला योजना के बारे में जिज्ञासा प्रकट की है, मान्यवर, जिला योजना के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे और माननीय सदस्य भी अच्छी तरह से अवगत होंगे कि वह विधायक और सांसद के माध्यम से योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर तय होती हैं और फिर वह जिला योजना के माध्यम से शासन में आती हैं । इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो अधिकार माननीय सदस्यों को पहले था, आज भी वही अधिकार माननीय सदस्यों का है . उसमें लेश मात्र भी कटौती नहीं की गयी है और यहां आने के बाद वह योजना, विभाग विभिन्न विभागों से जो संबंधित होती है, उसमें प्राविधान करते हैं । मान्यवर, अम्बेडकर गांव के विकास के लिए किसी योजना में कटौती नहीं की गयी है और न ही माननीय सदस्यों के अधिकार में किसी प्रकार की कटौती की गयी है । जहां तक पूर्वांचल विकास निधि की बात आयी तो मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था पूर्वांचल विकास निधि में पहले थी, वही व्यवस्था आज भी है । उसमें कोई संशोधन इस सरकार ने नहीं किया है । इसमें न तो तात्कालिक है और न ही यह नियम–56 में आती है अतः मेरा अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं कि डाईवर्ट नहीं किया है तो मेरे पास जी०ओ० की कापी है । उसमें लिखा है । इस तरह की बात कही गयी कि कोई कटौती नहीं की जा रही है तो यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं । मेरे पास प्रमाण हैं मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं । पूर्वांचल विकास निधि की बात अभी यहां पर की गयी उसकी नियमावली में भी आप देख लें । 21 प्रतिशत की बात नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी है आप कृपया बैठ जायें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

आज ट्यूबवेल की स्थापना नहीं हो पा रही है और यह सारा पैसा अम्बेडकर गांवों को दिया जा रहा है । तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, जितनी भी सूचनाएं नियम–300 में डाली गयीं सब पर आपने कहा कि यह नियम–300 में नहीं आती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी आप कृपया बैठ जायें । पहले मुझे अपनी व्यवस्था देने दें । आपकी सूचना इसके बाद है ।

मैंने श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री अम्बिका चौधरी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं । लेकिन जिस शासनादेश का उल्लेख किया गया है संसदीय कार्य मंत्री जी उसका परीक्षण करा लेंगे ।

तीसरी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, पूरा अन्याय हो रहा है, आप जी०ओ० देख लें उसमें सारी बातें स्पष्ट लिखी हुयी हैं । आप माननीय नेता सदन को बुला लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय सोमवार को आने वाला है तब आप कह लें । मैं अनुमति दे दूंगा । मैं कह रहा हूं । सोमवार को जब पूर्वांचल निधि की बात होगी तो कह लें । मैं अनुमति देने वाला हूं ।

मिश्र जी आपसे निवेदन है कि आपको ईश्वर ने वाणी भी दी है और भाषा भी दी है तो आप अपनी बात संयत भाषा में कहें और संक्षेप में कहें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, कानून व्यवस्था चरमराई हुयी है । उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुयी है और पुलिसिया राज्य चल रहा है । अभी हरदोई, सण्डीला, में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी सदन में आयी, मल्लावां में एक सभासद व्यक्ति की हत्या कर दी गयी, नगर पालिका कार्यालय में हत्या कर दी गयी और हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और जब वहां की जनता ने आन्दोलन किया तो उस पर लाठीचार्ज किया गया और 100 आदमी चुटहिल हुये और दवा करा रहे हैं । इसी तरह से सरला गुप्ता जो समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं उन्होंने ज्ञापन दिया तो उस ज्ञापन को फाड़ दिया गया और जब वह अनशन पर बैठ गयीं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गयी । इसी तरह से अनिल गुप्ता जो जिला व्यापार मण्डल के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के हैं उन पर 307 का झूठा मुकदमा लगा दिया गया है । अभी दो दिन पहले बावन में एक घटना घटी वहां पर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी थी कुछ लोगों ने कहा कि मूर्ति पर जूते के माले पहनाये गये, जिसमें हमारे तीन आदमियों बलराम यादव, अध्यक्ष, एस० पी०, और राम कृष्ण मिश्र भूतपूर्व प्रधान पर झूठे मुकदमे लगा कर उनको फंसा दिया

गया है तो इस प्रकार से सारा जिला त्राहि-त्राहि कर रहा है । हमारी महिला सदस्या विजमा यादव के पति के कपड़े गायब कर दिये गये, जो सील थे, और संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । सण्डीला में आज दशा यह है कि अल्पसंख्यक लोग वहां से पलायन कर रहे हैं । मल्लावां में भी यही हो रहा है । मैं मल्लावां गया था । मुल्जिम आज तक नहीं पकड़े गये हैं और मुकदमे के गवाहों को परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं । मान्यवर, इस तरह की समस्या प्रदेश के सामने है । हमारे खिलाफ ही पांच मुकदमें कायम कर दिये गये हैं । यह विधायक की स्थिति है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह देते हैं कि मैंने सदन के संज्ञान में ला दिया है लेकिन मान्यवर, समस्या कैसे हल हो सकती है ? हमारा यह सदन बहुत चिन्तित है, कत्ल हो रहे हैं, आतंक फैल रहा है और उत्तर प्रदेश में लोगों की दयनीय दशा है और उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है ।

श्रीमन्, हमारा अनुरोध है यह लोग बहुत बार कहते हैं कि हम बहुत चिन्तित हैं हम इनकी चिन्ता व्यक्त करते हैं । लेकिन होता क्या है । (व्यवधान) इनकी चिन्ता, जनता को खा रही है ।

चिन्ता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है ।

मुर्दे को चिन्ता जलाती है चिन्ता जीते जी को खाती है ।।

मान्यवर, आज हरिजनों के नाम से उत्पीड़न हो रहा है । हरिजनों का कहीं कल्याण नहीं हो रहा है । इस तरह से प्रदेश कैसे चलेगा ? कल आपने हमें निकाल दिया आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । हम आपकी पीठ का सम्मान करते हैं । लेकिन प्रदेश की जनता के हित में जरूर कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, न्याय और अन्याय के विरोध में आपसे कहना, शासन के अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी । बार-बार भले ही हमें निलम्बित कर दें । आपके आर्शीवाद से हम पीठ को नमन करते हुए संघर्ष करेंगे ।

श्री बी० आर०वर्मा–

मान्यवर, यह नियम 56 में नहीं आता है । माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी ने कहा है .....

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो सवाल माननीय मिश्र जी ने उठाये हैं उनको हल्के से न लें । फर्जी मुकदमें उनके ऊपर कायम कर दिए हैं एक ही समय में 5-5 जगह उन्हें दिखाया गया है । एक जगह आग लगाते हुए, एक जगह तार काटते हुए, एक जगह जीप जलाते हुए आदि इस तरह उन्हें 5 जगह दिखाया गया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

वे मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है उनको आप देख लें ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, वहां पी०ए०सी० ने लाठीचार्ज किया है माननीय मिश्र जी ने जो बात कही है वह सच है, सरकार को इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

शासन के संज्ञान में यह बात आ गई है, मैं माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी की सूचना को निरस्त करता हूं ।

चौथी सूचना माननीय अवधेश प्रसाद जी की है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 4 महीने हो गये हैं । लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के आचरण से, इस सरकार के वक्तव्यों से, सरकार के निर्णयों से, सरकार की कार्य पद्धति से प्रदेश के सभी वर्ग चिन्तित हैं । आज प्रदेश की कानून व्यवस्था चकनाचूर हो गई है । इन चार महीनों में 18 साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं । प्रदेश की जो तहजीब है, गंगाजमुनी तहजीब है उसमें यह राजनीति पैदा करना चाहते हैं । उसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने फैजाबाद के निर्वाचन क्षेत्र सोहावल की एक घटना बताना चाहता हूं । "सोहावल" के विकास खण्ड रोनाही के ग्राम "जगनपुरा" जहां आई०टी०आई० और एक इण्टर कालेज है उसी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 30 लाख की लागत से एक बूचड़खाना, पशुवधशाला बनाना शुरू कर दिया है । पुलिस और पी०ए०सी० के जवानों की तैनाती में यह काम हो रहा है । जबकि शासन की नीति है धार्मिक स्थानों पर और स्कूलों के पास सर्वाजनिक स्थानों में किसी प्रकार की मधुशाला या बूचड़खाना नहीं बनेगा । और यह सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है तो जहां पर यह बन रहा है वहां पर आई०टी०आई० और एक कालेज है जहां पर 2 हजार छात्र पढ़ते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह मोबाइल फोन किसका बोल रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

यहां पर बोर्ड की परीक्षा में बच्चे मेरिट में पास होते हैं । और वहां ईदगाह है जहां सैकड़ों गांवों के लोग ईद पर नमाज अदा करते हैं । वहां पर बूचड़खाना खोले जाने से पूरे इलाके में दहशत और रोष है । वहां पहले कभी बूचड़खाना नहीं था इस घटना को लेकर वहां की पूरी जनता में भारी असंतोष है और वहां के लोगों ने मेरे पास पत्र भेजकर लिखा है । मेरे आवास पर कम से कम 500 आदमी घेरे हैं और कह रहे हैं कि यह सरकार क्या करा रही है । वहां पर जहां विद्यालय था और जहां पर हनुमान जी (इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राकेश धर त्रिपाठी पीठासीन हुए ।) का मन्दिर है उसके पास बूचड़खाना बनाने जा रहे थे लेकिन उसका वहां से हटवाया गया । इधर असेम्बली चल रही थी शनिवार और रविवार था और न्यायालय बन्द थे, मैं इधर था तो इस सरकार के इशारे पर बूचड़खाना बनाना शुरू किया गया है । मान्यवर, फैजाबाद जिला एक संवेदनशील जिला है उसको आग की लपटों में झोंकने का काम यह सरकार कर रही है । इस सरकार के इशारे पर वहां के अधिकारी यह काम कर रहे हैं । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । यह किसी एक जाति या वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है । क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग इससे दुखी हैं । हमारे क्षेत्र का एक भी विद्यालय नहीं खुला है । मुझे इससे बड़ी तकलीफ है । माननीय सीताराम जी ने आकर मुझसे बताया कि किस

कारण से वहां पर चिन्ता और तनाव व्याप्त है । मान्यवर, जब सड़क बनाने की बात आती है, बिजली का सवाल आता है तो कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन बूचड़खाने के नाम पर 20 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है । यह क्यों खर्च किया जा रहा है, यह फैजाबाद को जलाने के लिये खर्च किया जा रहा है ।

फैजाबाद राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव और भगवान राम की धरती है । ऐसी धरती पर बूचड़खाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जायगा । आज भाजपा के लोग भी चुपचाप बैठे हैं जो ठीक नहीं है । मैं इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और बूचड़खाना रोकने के कड़े निर्देश दिये जायं यह हरकत बन्द की जाय और इसके लिये जो अधिकारी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय क्योंकि यह उनकी सोची समझी चाल है और वह फैजाबाद को जलाना चाहते हैं ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, फैजाबाद जिले में आयोध्या पवित्र नगरी है, फैजाबाद एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के लोग रहते हैं । उस जिले में कभी कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । अयोध्या प्रकरण को लेकर सारे देश में दंगे हुये हैं लेकिन फैजाबाद जिले में कभी कोई दंगा नहीं हुआ । वहां की जनता अमन चैन से रहना चाहती है लेकिन वहां ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि फैजाबाद की जो शांतिप्रिय जनता है वहां पर अशांति का वातावरण फैले । इसीलिये सरकार की कोशिश है जमनपुर में बूचड़खाना ऐसे क्षेत्र में बनाया जा रहा है जहां पर हिन्दू और मुसलमान, सब लोग नहीं चाहते है कि वहां पर बने । वहां के हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं वहां कभी दंगा फसाद नहीं होता है । लेकिन बूचड़खाना ऐसी जगह कायम होने जा रहा है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग है और ईदगाह है तथा इण्टर कालेज है । उसी स्थान को चुना गया है ताकि वहां दंगा फैले । वर्ष के सैकड़ों गांवों में ऐसा वातावरण पैदा हो गया है सरकार के इस कारनामे से, वहां भय और आतंक है । अगर वहां बूचड़खाना बनाया गया तो वहां दंगा और अशांति होगी और खून की नदी बहेगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कड़े निर्देश दिये जायं कि वहां पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसको तुरन्त रोका जाय ताकि उस क्षेत्र में अमन चैन का वातावरण जो पहले था वह कायम रहे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य या पूरा सदन इस बात से अवगत है कि जगह-जगह पर जो इस तरह की पशु बधशाला, बूचड़खाना हैं और अनधिकृत जमीन पर इस तरह का कार्य करते थे, इनके लिये इसको ध्यान में रखते हुए कि किसी को परेशानी न हो, एक निश्चित जगह पर बना दिया जाय । बूचड़खाना और उसे घेरकर चिन्हित करके बना दिया जाय ताकि विवाद पैदा न हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । प्रदूषण से भी उस जगह को साफ सुथरा रखा जाय । कोई घर में काटता था या किसी दूसरी जगह पर, जैसा कि सदस्य बता रहे हैं, पुलिस और वहां के जन प्रतिनिधियों से इसके लिये जगह चिन्हित कराई गई थी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह गलत बयानी है । वहां लोगों में असन्तोष पैदा हुआ है । कोई भी जन प्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहेगा । मैं उस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूं । जनता ने मुझे चुनकर भेजा हैं । मैं बराबर इसका विरोध कर रहा हूं । उस पशु बधशाला के बारे में लगातार विरोध कर रहा हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसमें दीवानी न्यायालय से स्थगन भी आ गया है । काम रोक किया गया है । इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे या जिन बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलायेंगे, सबकी सहमति से रजामंदी से स्थल चयन किया जायेगा, ताकि इसका निराकरण हो सके । इस समस्या का समुचित रूप से निराकरण किया जा सके । अभी काम रोक दिया गया है । आगे स्थल चयन होगा । जिला प्रशासन, पुलिस और जन प्रतिनिधियों, सब लोगों के सुझाव को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जायेगी । जहां तक यह कहा गया कि शिक्षण संस्था बन्द है, यह सत्य से परे है । वहां पर विद्यालय खुले हैं और शांति व्यवस्था है, स्थिति नियंत्रण में है । यह सब झूठ है । इस तरह का आरोप बेबुनियाद है । यह नियम–56 में नहीं आता ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वहां पर स्थिति नियंत्रण में है विद्यालय खुले हुए हैं । यह सूचना नियम–56 में नहीं आती । अतः निरस्त की जाती है । अगली सूचना श्री समरपाल जी की है । कृपया समय को ध्यान में रखकर अपनी बात कहें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, सूचना निदेशक ने 16 जून, 1997 को प्रदेश भर के लघु और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि इस पत्र की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर टेलीप्रिन्टर सेवा लेकर सूचित कर दें नहीं तो उनके विज्ञापन की जो मान्यता है उसको समाप्त कर दिया जायेगा । सूचना निदेशक के इस पत्र से इस सन्देश से उन सारे समाचार पत्रों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है जो समाचार पत्र इस श्रेणी में आते हैं 95 फीसदी सान्ध्य दैनिक है । शाम को निकलते हैं । सीमित संसाधन होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि यह टेलीप्रिन्टर्स से समाचार ले सकें । दूसरी बात यह है कि ये सान्ध्य दैनिक समाचार पत्र हैं उनका अपना क्षेत्र सीमित है । सिर्फ अपने जिले के या आसपास के जिले तक ही सीमित हैं वह अपने समाचार पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याएं समाचार को ही प्रकाशित करते हैं उन्हें टेलीप्रिन्टर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है । दूसरी बात मान्यवर, यह समाचार पत्र दिन में एक बजे प्रकाशित हो जाते हैं टेलीप्रिंटर से संवाद समिति समाचार नहीं भेज पाती है यदि समाचार भेजती है तो खेलकूद संबंधी जिनका समाचार पत्रों के लिए बहुत महत्व नहीं है यह जो लघु समाचार पत्र हैं यह आपकी नीतियों को सस्ती दरों पर जनता के बीच में पहुंचाते हैं इन लघु समाचार पत्रों की दरें बड़े समाचार पत्रों की अपेक्षा कई गुना कम हैं । जो सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं उसको लघु समाचार पत्र छापते हैं और जन-जन तक आपकी नीतियों का प्रचार-प्रसार करते हैं । अब टेलीप्रिंटर सेवा के लिए इनको बाध्य किया जायेगा तो इतना पैसा इनके पास नहीं होगा लिहाजा इनको समाचार पत्र बन्द करना पड़ेगा । मान्यवर, समाचार पत्रों का तो जो होगा वह होगा, लेकिन जनता को जो सूचना जानने का अधिकार है, जनता को जो राइट टू नो का अधिकार है वह खत्म हो जाएगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कएंगा कि इसको वापस ले लिया जाए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्रिंट मीडिया को सुदृढ़ बनाने के लिए मजबूत करने के लिए, इनके पास सही तथ्य और जानकारियां हैं, इसके लिए नियमानुसार व्यवस्था की जा रही है । जहां तक माननीय सदस्यों का यह कहना है कि समाचार पत्र ब्रन्द हो जाएंगे , सरकार ऐसा कदाचित नहीं चहती है । विज्ञापन की जो बात है उसमें व्यवस्था है किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, इसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

नियमानुसार विज्ञापन दिए जाते हैं । गुणवत्ता में विकास हो, जनता अच्छे समाचार से अवगत हो, इसलिए मजबूत और निष्पक्षता के लिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है । विज्ञापन किसको दिए जायेंगे किसको नहीं दिए जाएंगे, यह नियमों की बात है । यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त कर दें ।

श्री समरपाल सिंह–

टेलीप्रिंटर सेवा चालू न करें ऐसा करके छोटे समाचार पत्रों को समाप्त न करें । टेलीप्रिंटर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

समरपाल जी पूरी बात आ गई है । मैंने समरपाल सिंह जी और संसदीय कार्य मंत्री को सुना । यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त किया जाता है । आज कई महत्वपूर्ण विषय हैं पांच सूचनायें सुननी थीं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप लोग ज्यादा कहें तो आदेश हैं एक–दो मिनट सुन लिया जाएगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने नियम–56 के माध्यम से उत्तर प्रदेश क्वालिटी आफ ह्यूमैन लाइफ इन्डैक्स चल रहा है सूचना दी है राष्ट्र संघ द्वारा मांग की गई है बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है । क्वालिटी आफ ह्यूमैन लाइफ इन्डैक्स निर्धारित होता है । मान्यवर, प्रति व्यक्ति कितनी ऊर्जा की उपयोगिता उत्तर प्रदेश में होती है, प्रति व्यक्ति कितने कपड़ों का उपयोग एक वर्ष में किया जाता है । प्रदेश में ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था क्या है । इसे दृष्टि में रखते हुए क्वालिटी ह्यूमन इन्डैक्स निकाला जाता है । कितने लोगों के पास सही तरीके के भवन हैं, सेनीटेशन की क्या व्यवस्था है इस तरह के तमाम आधार हैं जो क्वालिटी आफ ह्यूमन इन्डैक्स में लिए जाते हैं । अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी आफ ह्यूमन इन्डैक्स का जो पैमाना है उसके अनुसार 138 देशों में हिन्दुस्तान का स्थान 135 वां आता है । हिन्दुस्तान में क्वालिटी आफ ह्यूमन इन्डैक्स है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे आता है । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । तमाम छोटे–छोटे विषयों को लेकर इस सदन में चर्चा होती रहती है लेकिन जिससे प्रदेश के विकास का मुद्दा जुड़ा है इस पर चर्चा नहीं हो पाती । आप आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना को मंगवाकर देख लें बिजली के संयंत्र व बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ा है । अगर एन०टी०पी०सी० हमें बिजली न दे तो लखनऊ अंधेरे में डूबा नजर आएगा ।

आज उत्तर प्रदेश के ग्रामीण में जो अस्पताल चल रहे हैं वहां पर दवाएं नहीं हैं, चिकित्सक नहीं हैं जो जिला स्तर पर अस्पताल हैं उनकी भी स्थिति अत्यन्त दयनीय है । एक बात और कहना चाहता हूं कि आज क्वालिटी आफ ह्यूमन इन्डैक्स में हिन्दुस्तान का स्थान 135 वां है लेकिन अगर उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार को निकाल दिया जाए तो हिन्दुस्तान बढ़कर 21वें स्थान पर पहुंच जाएगा । इतनी दयनीयस्थिति उत्तर प्रदेश की है । शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । स्कूलों में कोई भवन नहीं हैं, कोई अध्यापक नहीं हैं । विद्यालय जो संचालित होते हैं वहां पर आडियो और वीडियो की व्यवस्था नहीं है । माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी इतनी ही जर्जर है । मैं कहना चाहता हूं कि मूर्ति लगाने से पार्क बनवाने से क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधर जाएगी । क्या प्रदेश में अनेक मण्डल बनवाने, जिले

बनवाने, तहसील बनवाने, से क्वालिटी आफ ह्यूमन इन्डैक्स की स्थिति सुधर जाएगी । इससे आप वोट की राजनीति को कर सकते हैं लेकिन प्रदेश की विकास दर को नहीं बढ़ा सकते हैं । आज उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय है कि कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता है । उत्तर प्रदेश में कोई अपना करोबार नहीं लगाना चाहता है । एक गम्भीर स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई हैं । उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि हर कोई आतंकित है । क्या इसी स्थिति के साथ हम 21वीं शदी की ओर जा-रहे हैं । आज उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे अखबारों में गुन्डा और माफियाओं के बारे में खबरें प्रमुखता से छपती हैं । आर्थिक सवालों पर गम्भीर चिन्तन होना चाहिए कि प्रदेश की विकास दर आज दो प्रतिशत रह गई है वह भी आंकड़ों के आधार पर है हकीकत तो यह है कि हमारी विकास दर माइनस में चली गई है मान्यवर, इससे ज्यादा संवेदनशील, चिन्ता और तात्कालिकता का विषय और क्या हो सकता है । इसलिए इस सदन में आप चर्चा करायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बाजपेयी जी की चिन्ता जायज है और जिस व्यथा से वह व्यथित हैं वह सही है । आज दुनिया में जो भारत की स्थिति है और भारत में हमारे प्रदेश की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है । खासतौर से यह स्थिति जो बनी है जिस दर को आठवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थात् 6 प्रतिशत विकास दर जो प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें हम 2.9 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त कर चुके हैं । लेकिन हमारा प्रदेश इन विकास योजनाओं में पिछड़ता गया है । विकास दर के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं । मान्यवर, इस बार नवीं पंचवर्षीय योजना जो 1-4-97 से 21-2-2002 तक चलेगी । इसमें 1997-98 का पहले साल का आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है और इस बात को मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में ही कहा था कि आज जो स्थिति प्रदेश की है, वह चिन्ताजनक है । उन्होंने कहा कि पिछली योजना में 2.9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर पाये हैं । इसलिए आगे हमें यदि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना है तो निश्चित रूप से अपने संसाधनों को बढ़ाना होगा और कड़े वित्तीय अनुशासन के साथ कुछ अप्रिय कदम उठाने होंगे क्योंकि सस्ती लोकप्रियता से इस प्रदेश की तरक्की नहीं होगी, इसलिए इसके लिए व्यवस्था करनी होगी ।

मान्यवर, जैसे ही यह सरकार बनी है वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए और मितव्ययिता के उपाय करने के लिए मंत्रि परिषद् की एक उपसमिति बनाई गई है, जो इस संबंध में कार्यवाही कर ही है । मान्यवर, संसाधनों को बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमने कोशिश किया है और उसमें कुछ क्षेत्रों को चिन्हित भी किया है । जैसे कि नजूल भूमि को बेचने, विभिन्न विभागों की बेकार पड़ी सम्पत्तियों का निस्तारण करने, देयों की वसूली करने स्टैम्प डियूटी से आय बढ़ाने स्थानीय निकायों से करो की वसूली करने, व्यापार कर नेशनलाइजेशन से आय बढ़ाने, एकीकृत मोटर वाहन कर लगाने, शास्त्रों के नवीनीकरण से आय बढ़ाने आदि अनेक संशाधन बढ़ाने के उपाय किये गये हैं । इस तरह सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये और सरकार पूरे मन से इस विषय में काम कर रही है । इसलिए मान्यवर, हमें संसाधनों को बढ़ाना होगा और यदि नहीं बढ़ायेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, रिर्सोसेज मोबलाइजेशन टैक्सेशन कमेटी वित्तीय संसाधनों को जुटाने और मितव्ययिता के संबंध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इसलिए पूरी कोशिश है कि विकास दर जो निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए संसाधनों को बढ़ाना होगा । मान्यवर, इस समय जो योजना का आकार भारत सरकार ने तय किया है, उससे एक आशा की किरण जगी है । उनको यह भी बताया है कि कहां से धन की व्यवस्था करेंगे, उससे संतुष्ट होकर योजना आयोग हमारे परिव्यय ढांचें का आकार तय किया है । इस प्रकार पिछली बार के मुकाबले ढाईगुना ज्यादा नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार तय हुआ है ।

उसे पूरा करने के लिए हमने अपने संसाधन बताये हैं और उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं कि इसके लिए कुछ अप्रिय कदम भी उठाने पड़ेगें तो भी हम संसाधन जुटायेंगे अगर नहीं करेंगे तो जो वार्षिक योजना आकार होगा वह कम हो जायेगा । इसलिये यह प्रदेश के विकास से सम्बन्धित है और प्रदेश के विकास के लिये जरूरी है, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और उसके लिये एक उप-समिति का गठन किया है जो विचार करेगी कि किस तरह से संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं उस विकास दर को प्राप्त करने के लिए सरकार सचेष्ट है और कृतसंकल्पित है और मुझे उम्मीद है कि वह शुभ घड़ी आयेगी जब हम उस विकास दर को प्राप्त कर लेंगे । मान्यवर, यह लोक महत्व का तो है लेकिन इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है इसलिये यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः इसे अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अशोक बाजपेयी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् चूंकि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त किया जाता है । अगली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं एक अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मान्यवर, केला, दलहन, तिलहन, सूखे मेवे, सुपाड़ी आदि पर मण्डी शुल्क मण्डी समितियों द्वारा लिया जा रहा है । उसमें यह स्पष्ट है कि मण्डी शुल्क से प्राप्त धनराशि का प्रयोग किसानों के हित में सड़क बनाने आदि में किया जायेगा । लेकिन आज किया क्या जा रहा है इसमें बड़ी भारी कर की चोरी हो रही है, लाखों रुपया प्रतिदिन कर की अपवंचना हो रही है जिस कारण मण्डी समितियां खोखली बन रही हैं और घाटे का स्थान बनती जा रही हैं । मान्यवर, 1964 का जो मण्डी अधिनियम बना है उसमें प्रारूप–6 पर है कि रसीद दी जायेगी । मान्यवर, केला, सेव, सुपाड़ी आदि जो आते हैं उस पर एक परसेण्ट की दर से कर न लेकर दो-चार रुपया लेकर माल पास कर देते हैं और बाद में जो बचता है यानी पूरे माल पर कर नहीं लेते हैं थोड़े माल पर कर लेकर माल जाने देने पर जो शेष माल बचता है उससे अधिकारी अपनी जेबें भरते हैं और पैसा शीर्ष तक पहुंचाया जाता है । 6 नम्बर के फार्म पर माल आने के बाद उसे दूसरे मण्डी में 9 नम्बर के फार्म पर भेज देते हैं जब 9 नम्बर फार्म पर माल जाता है तो उस पर कोई मण्डी शुल्क नहीं लगता है । मण्डी शुल्क की चोरी और फ्री माल भेजने का मामला है । इस पर लाखों रुपये की कर चोरी हो रही है । यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है । प्रारूप 6 को कौन चेक करेगा । इसका गंभीरता से लेना चाहिए । कर अपवंचना से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है । आज सूखे मेवे, सुपाड़ी आदि होते हैं उन पर एक परसेन्ट का शुल्क नहीं लिया जाता है । आज सुपाड़ी का प्रयोग तमाम व्यंजनों में हो रहा है । कृषि विभाग प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित करता है कि खेती की उपज इतने कुन्टल बढ़ जायेगी और आंकड़े कृषि विभाग से मण्डी में आते हैं । अगर मण्डी शुल्क की वसूली और कृषि उत्पादन के आंकड़े दोनों को शामिल करें तो देखेंगे कि अकेले व्यापार में लोग बहुत बड़ी मात्रा में कर की चोरी करके लाभान्वित हो रहे हैं ।

एक तरफ व्यापारी लाभान्वित हो रहे हैं । आज किसान के मंडी समिति में बैठने की जगह नहीं है, जानवरों को पानी पिलाने की कोई जगह नहीं है, उन सबको खुली बरसात में खड़ा रहना पड़ता है । मान्यवर, जिस पर मंडी शुल्क का पैसा खर्च होना चाहिये, वह हो नहीं पा रहा है । आज अधिकारी कर चोरी की प्रवृत्ति से मंडी समितियों को घाटा पहुंचा रहे हैं । मंडी समितियों को जो मुनाफे में जाना चाहिये, आज वह घाटे में जा रही है । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि इस मसले को गंभीरता से लेते हुये माननीय मंत्री जी इसकी सतर्कता अधिष्ठान से जांच करा लें और कर चोरी से सरकारी खजाने पर जो डकैती पड़ रही है, उसको रोकने की व्यवस्था करें । मैं

निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा कराने की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की भावनाओं की कद्र करता हूं, वह बहुत ही पुराने सदस्य हैं । जहां तक मंडी शुल्क चोरी की बात है, मान्यवर, मैंने स्वयं जो मंडी समितियां हैं, उसमें से लगभग 50 मंडियों में आकस्मिक छापे मारे हैं । माननीय वर्मा जी ने जो बात उठाई है, उसमें मुझे खुद कुछ मंडियों में कमी मिली, मैंने पहले ही 7 मंडी सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही की है । लेकिन जहां तक माननीय वर्मा जी ने कहा है कि मंडी शुल्क में कमी आ रही है, उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि या तो माननीय वर्मा जी को पता नहीं है या और कोई कारण है, वैसे सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर ही बात रखी होगी, लेकिन मैं उन्हें तथा पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो कृषि वर्ष 30 जून को समाप्त हुआ ।

इसके पिछले वर्ष की अपेक्षा जो जून, 96 में समाप्त हुआ था, तो जून, 96 की अपेक्षा जून, 97 में मंडी शुल्क में दो करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था और कई मदों में शुल्क माफ कर दिया गया या रोक दिया गया था, उसके बावजूद भी 2 करोड़ रुपया ज्यादा शुल्क हमें प्राप्त हुआ है । जहां तक लापरवाही या कर चोरी की बात है, मैंने पहले भी वर्मा जी से अनुरोध किया था, सदन के बाहर भी किया था, आज फिर सदन में अनुरोध करता हूं कि यदि उन्हें किसी खास जगह की जानकारी है तो मैं खुद उनके साथ चलने को तैयार हूं । आप मेरे साथ चलें, मैं उनके साथ आकस्मिक छापा डालता हूं, जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा, उसको यह सरकार नहीं बख्शेगी, चाहे कोई भी हो । यह जो मामला है, मेरी समझ से नियम 56 में नहीं आता, इसे अग्राह्य घोषित करें, मेरे पास जो सूचना थी, वह मैंने दी, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद, चूंकि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, इसे अग्राह्य किया जाता है ।

श्री दलबीर सिंह–

मान्यवर, आप हमारे साथ चलें खैर मण्डी, अलीगढ़ को देख लें तो आपको स्थिति का पता चल जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दीजिए वह देख लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल इस सदन में आपकी आज्ञा से उठाना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को मैंने कई बार सुना । यह कहते हैं कि बड़ी संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, मान्यवर, यह किसी को बख्शेंगे नहीं । बड़ी कल्याणकारी सरकार है लेकिन मान्यवर, मैं यह देख रहा हूं कि सिंचाई मंत्री जी आ गये हैं, यह स्वयं आये हैं जवाब देने के लिए, मैंने इनसे स्वयं आग्रह किया था ।

आपके राज्य मंत्री ही जवाब दे लेकिन सही जवाब दें । इस सदन में मान्यवर, जो भी बात कही जाती है वह गंभीरता से कही जाती है और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सही जवाब दे लेकिन देखा यह जाता है कि हर सवाल को यह टालने की कोशिश करते हैं, जनहित के सवाल पर ध्यान नहीं देते हैं । वैसे तो पूरे पूर्वांचल के बारे में मैंने उठाया था लेकिन आज मैं खास तौर से इलाहाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले के अन्दर न तो जून महीने में और न जुलाई में और आज 2

अगस्त हो गया है अभी तक इतना कम पानी बरसा है कि धान की रोपाई नहीं हो पाई । 50 फीसदी से ज्यादा धान समाप्त हो गया है और खेतों में सूख गया है आपके हंडिया क्षेत्र में भी पानी नहीं बरसा है, सब सूख गया है शारदा नहर से आपको पानी मिल गया हो तो अलग बात है । मान्यवर, हमारे यहां बारा, करछना, मेजा तहसीलें हैं इसमें जो नहरे हैं कमला नेहरू पम्प कैनाल, टोंस नहर पम्प कैनाल, मेजा टोंस कैनाल यह 3 नहरें हैं इनमें एक बार भी पानी अभी तक नहीं दिया गया है मेजा में । न राजबहा रामनगर से पानी पहुंचा, आज अगस्त तक की बात कह रहा हूं । मान्यवर, टोंस नहर में राजबहा, करछना राजबहा, भुड़ा राजबहा, जोगनी राजबहा आदि राजबहे हैं । इनमें 2 अगस्त तक पानी नहीं पहुंचा है और अगर पानी दिया भी है तो वह कुलाबे में चढ़ा नहीं है, खेतों में पानी पहुंचा नहीं है । इसी तरह से पिछली बार पूरी फसल हमारे करछना में सूख गयी थी और इस बार भी वही स्थिति पैदा हो गयी है । यह कल्याणकारी सरकार बनी है जैसा माननीय मंत्री जी कहते हैं । मान्यवर, किसानों के हित को देखते हुये पानी की तत्काल व्यवस्था करें ।

50 प्रतिशत नलकूप खराब हैं । उस दिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने साफ निर्देश दिये थे कि यहां से अधीक्षण अभियन्ता जाकर उसका निरीक्षण करें । माननीय मंत्री जी आप कोई तारीख तय कर लें मेरे साथ चलकर देख लें और जो वसूली है पानी की उसको इस परिस्थिति के चलते माफ करने की घोषणा करें । खरीफ की फसल में पानी न देने का आपको प्रायश्चित करना चाहिए । किसान वहां आंदोलित है इससे लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न कोई और दूसरा नहीं हो सकता । अधिकारियों ने जो आंकड़े दिये होंगे वह गलत होंगे कि नहरों में पानी चलाया गया । इतना क्यूसेक पानी दिया गया । कमला नेहरू पम्प कैनाल कल तक खराब थी कल ही बनी है । उससे बेलन में पानी मिलना चाहिए । टोन्स में 150 क्यूसेक मिलना चाहिए एक क्यूसेक भी पानी नहीं मिला, उससे करछना में पानी नहीं मिला, एक नहर भी वहां नहीं चल सकती है । मान्यवर, करछना क्षेत्र की सिंचाई 3 नहरों से होती है ।

श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, करछना क्षेत्र की सिंचाई 3 नहरों से होती है बेलन, यमुना पम्प नहर, और टोन्स पम्प नहर । यमुना पम्प नहर से जो विद्युत खराबी थी वह ठीक कर दी गयी है । बेलन नहर में मुख्य शाखा कट गई थी वह ठीक कर ली गई है । टोन्स पम्प नहर जो पम्पों द्वारा चलाई जाती है उसके पम्प बहुत पुराने हैं उनकी क्षमता कुछ कम हुई है उन पम्पों में बिजली के कारण ट्रिपिंग होती रहती है उसमें भी कठिनाई थी, वह ठीक की जा रही है आगे सुचारु रूप से काम चलेगा ।

जहां तक वर्षा की बात है 5 दिन तक लगातार उस क्षेत्र में वर्षा हो रही है। अभी धान की रोपाई हो रही है अभी सीजन है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी कल तक सभी नहरें खराब थीं मंत्री जी ने कबूल कर लिया कि पानी नहीं दे पाये । मान्यवर, पानी नहीं बरसा जो बरसा है वह अपर्याप्त पानी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर साहब माननीय मंत्री जी सिंचाई के लिए कह दिये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 2 अगस्त, को नहर चलायेंगे तो क्या वह पौध बची होगी । धान की रोपाई नहीं हो पाई पानी का जो शुल्क है उसको माफ करेंगे । यहां से अभियन्ताओं को भेजकर जो ट्यूबवेल खराब हैं उनको ठीक करायेंगे ।

सिंचाई गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

चूंकि माननीय सम्मानित सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं और वें पूर्व सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं इसलिए इसकी अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह से जानते होंगे । यह अलग बात है कि आज वह उस पक्ष में बैठे हैं तो उस पक्ष की बात कर रहे हैं । वे पम्प नहरों के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि बिजली की सप्लाई, ट्रांसफार्मर की चोरी या तार कट जाने से पम्प नहर अनुपयोगी हो जाती हैं और दूसरी चीज

यह है कि अगर पम्प नहर को लगातार बिजली न मिले अगर रिपिंग होती है तो पम्प नहर नहीं चलती है। अगर पांच-सात मिनट भी बिजली नहीं आयी तो 40, 45 मिनट लग जाते हैं उसको फिर से चालू होने में और तब तक नहर खाली हो जाती है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यमुना नहर काफी दिनों से नहीं चली, यह 17 जुलाई से 1 अगस्त तक नहीं चली है जिससे पानी नहीं पहुंच पाया है अब यह 1 अगस्त से फिर से चालू हो गयी है। पुरानी नहरों के कटने की बात आयी। बेलन की मुख्य शाखा टूट गयी थी जिस कारण पानी की सप्लाई में कमी हो गयी थी यह हम मानते हैं। यह निश्चित है कि वहां पर पानी नहीं मिला होगा। जहां तक शुल्क की बात है, हमारे पूर्व सिंचाई मंत्री, रेवती रमण सिंह जी जानते होंगे रबी और खरीफ की फसल को जितना पानी दिया जाता है उसके आधार पर वह लगता है। अभी खरीफ की फसल चल रही है और इसके बाद रबी की फसल आयेगी। तो यदि खरीफ की फसल को पानी नहीं मिलेगा, एक या दो पानी नहीं दिया जाता है, और रबी की फसल जब आयेगी उसमें भी पानी नहीं दिया जायेगा तो फिर सिंचाई शुल्क लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मान्यवर, इसमें अविलम्बनीयता नहीं है और तात्कालिक भी नहीं है अतः यह नियम-56 में नहीं आता है। इसे अग्राह्य किया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दोनों फसलों को देखकर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने यह कहा है कि दोनों फसलों में यदि एक बार भी पानी नहीं पहुंचा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र करछना में किसी भी काश्तकार को पानी नहीं मिला है और खरीफ की फसल सूख रही है तो क्या माननीय मंत्री जी शुल्क माफ करने की स्पष्ट घोषणा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, होता यह है कि जब फसल अपने अन्तिम समय में होती है तब यह एक पानी दे देते हैं और कह देते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था हो गयी। लेकिन फसल का नाश हो जाता है। जब वे उसकी शुरूआत में नहीं देते हैं और अन्तिम दौर में देते हैं तो उसके रेट लेने का क्या औचित्य बनता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा है कि यदि खरीफ की फसल को पानी नहीं मिलेगा और रबी की फसल को भी पानी नहीं मिलेगा तो हम शुल्क नहीं लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह घोषणा की कि जिन खेतों में सिंचाई नहीं उन पर महसूल नहीं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जांच करा लें। हमारे विधूना तहसील में तुलसीपुर माइनर, हरचन्दपुर माइनर में यदि पानी गया हो तो उसमें शुल्क लगाया जाय अन्यथा नहीं। दो प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिये, एक तो सिंचाई महसूल की पर्ची वसूली के पहले बटवायेंगे, जैसा कि पहले बांटी जाती थी और अब बन्द कर दी गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यह पहले सूचना में नहीं था।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

तात्कालिकता नहीं हैं। बजट के दिन पूंछ लेंगे, बता दूंगा।

श्री धनीराम वर्मा–

उत्तर दिलवा दें। कब दे चुके हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम में नहीं आती हैं, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री अम्बरीश कुमार–

मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है और इस पर विचार किया जाये । रुड़की से हरिद्वार जाती हुई पथरी नदी पर एक सेतु का निर्माण हो रहा है । राज्यपाल शासन में इस पुल की स्वीकृति हुई थी । तमाम जनता के निवेदन पर इस पुल को स्वीकार किया गया और जब यह पुल बन रहा है तो जो नदी का मूल स्थल था, उसको छोड़कर आगे जाकर दूसरे स्थान पर पुल बनाया जा रहा है और दूसरे स्थान पर पुल बनाने के फलस्वरूप उस नदी से बहुत से किसान जिनकी हजारों बीघा जमीन प्रभावित हो रही है, उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है । जब किसान आन्दोलनरत थे, तो यहां से माननीय मंत्री जी गये और अधिकारी गये लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना और जबरन उनके स्थान को हटा दिया गया, पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा उनको हटा दिया गया और आज प्रशासन इस बात के लिये तैयार नहीं है कि जो भूमि प्रभावित हो रही है उसके बदले में सरकार जमीन दे या उस जमीन का मुआवजा किसानों को दे ।

मान्यवर, जो भूमि प्रभावित हो रही है वहां पर चावल और धान की खेती होती है, बांसमती चावल पैदा होता है और गन्ना पैदा होता है । खेती के लिये यह उत्तम जमीन है । पुल बनने के साथ-साथ उसके किनारे बंध बनाये जाने का प्राविधान नहीं किया गया जिससे दोनों ओर के खेत प्रभावित हो रहे हैं । वहां पर भंयकर स्थिति है । किसानों को वैकल्पिक जमीन नहीं दी गयी है और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और अगर आन्दोलन हुआ तो कानून व्यवस्था खराब हो जायेगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी शासन पर होगी, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप सदन के कार्य को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस स्थल का प्रकरण मा० सदस्य ने कहा है वहां पर पहले जो काजवे थे जिसके कारण जब ज्यादा पानी होता था तो यातायात प्रभावित होता था और पुल के ऊपर पानी बहता था तो यह मांग थी कि वहां पर पुल बनाया जाये । इस पुल पर 128.96 लाख रुपये की लागत आयेगी । हाई लेवल ब्रिज स्वीकृत हुआ है । 22-5-97 को स्वीकृत हुआ है और इसका जो स्थल चयन है वह स्थल चयन समिति द्वारा किया गया है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

नदी का कोर्स बदल गया है । इसीलिये इस ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

पहले वाले स्थान से मात्र 10-15 मीटर हटाकर बनाया जा रहा है । जब पुल बन जायेगा, हाई लेवल ब्रिज बनने से अवरोध समाप्त हो जायेगा तो इसकी वजह से पानी सुगमता से निकल जायेगा । जो किसानों की जमीन की क्षति का मामला है वह नहीं होगा और पानी निकल जाने से उस जमीन में फसल भी उग सकेगी । श्रीमन् यह जनहित में काफी सोच विचार करके सारे बिन्दुओं को देखकर निर्णय लिया गया है । (व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन मेरी उस बात का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है जो 15 मीटर ऊपर पुल के लाए जाने से किसानों की भूमि प्रभावित होगी । तो उसका मुआवजा तय करेंगे कि नहीं । या फिर उन प्रभावित किसानों को सरकारी जमीन बांट दें । वहां पुल बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी । क्योंकि आये दिन राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हो जाता था । पुल बनाने के लिए साधुवाद देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी देख लीजिए लेकिन माननीय सदस्य और संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है । अगली सूचना माननीय प्रभु नारायन सिंह यादव की है ।

श्री प्रभु नारायन सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका ध्यान नवसृजित जिला चन्दौली की तरफ ले जाना चाहता हूं। जनपद चन्दौली के गठित होने से पूर्व वहां पर सकलडीहा तहसील बनी हुई थी। जिसके भवन का निर्माण 1993 में स्वीकृत किया गया था। और यह कार्य माननीय मुलायम सिंह जी के समय में हुआ था और धन भी स्वीकृत हुआ था लेकिन अभी तक वह भवन निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। इससे पहले तहसील विखोदड़ा में होना था। लेकिन सकलडीहा में तहसील का भवन न होने से किराये के भवन में वह कार्य चल रहा है। आज भी भवन के अभाव के कारण सकलडीहा में अधूरा कार्य चल रहा है। अभी तक ट्रेजरी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय और बन्दीगृह वहां नहीं हैं। इन सब के अभाव के कारण जनता को अभी चन्दौली ही जाना पड़ता है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यहां पर यह सभी सुविधाएं बन्दीगृह, ट्रेजरी और रजिस्ट्री कार्यालय की तुरन्त व्यवस्था कराई जाए।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से बनारस से अलग हुए चन्दौली जिले की तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। 9 ब्लाकों को मिलाकर यह नया जिला गठित किया गया है। इसका माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी विरोध हुआ। चन्दौली से नवगढ़ लगभग 126 किलो मीटर दूर पड़ता है। वहां पर आन्दोलन भी चल रहा है। वहां विकास की हालत यह है कि बनारस से जो पैसा विकास के कार्यों के लिए दिया गया है वह बनारस के आठ विकास खण्डों में ही रह गया है। चन्दौली में 9 विकास खण्ड हैं तो उस रेशियो से पैसा नहीं गया। इसकी वहां के जिलाधिकारी और एस० डी० ओ० से चर्चा की तो बताया गया कि बनारस के अधिकारी पैसा नहीं भेज रहे हैं। जो चन्दौली का हिस्सा मिलना चाहिए वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चन्दौली का जो हिस्सा है उसे बनारस के अधिकारी ट्रान्सफर करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा सम्मानित सदस्य जानते हैं, यह सही है कि सस्ती लोकप्रियता के हासिल करने के लिये पहले इस तरह की घोषणायें हो जाती थीं और धन की व्यवस्था नहीं की जाती थी। परन्तु वहां पर जितने धन की व्यवस्था हो पायी जितना इंतजाम धन का किया गया उससे कुछ निर्माण हुआ है। अब सरकार ने अपने सीमित संसाधनों को देखते हुये हर संभव कोशिश कर रही है कि जहां भी घोषणा की जाय उसके लिये धन का इंतजाम किया जाय ताकि वहां निर्माण सुनिश्चित हो सके। मान्यवर, जहां तक इस कार्य स्थगन का सवाल है इसकी तात्कालिकता के बारे में न तो कोई तारीख है कि यह कब का मामला है। यह कैसे नियम 56 में अविलम्बनीय होगा जब इसके समय का ही पता नहीं है। मान्यवर, यह नियम 56 में नहीं आता है।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, मंत्री जी बता दें कि आपने जहां मंडल और जिलों की घोषणा की है वहां धन दे दिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

आप नोटिस दे देंगे तो हम जवाब दे देंगे।

श्री प्रभु नारायन सिंह यादव–

अभी वहां तहसील भवन नहीं बना है।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसको लिखकर दे दीजियेगा।

आपने जो सूचनायें दी थीं उनमें से शलाका के आधार पर जो आयीं थी उनको सुना गया। जो शलाका में नहीं आ सकीं उनको निरस्त कर दिया गया है। श्री विजय पाल सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री चन्द्र नाथ सिंह की जो सूचनायें थीं उनको अस्वीकार कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 21 खाद्य एवं रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज़ रिज़वी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,77,15,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेश की जनता को खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर सुलभ कराने के लिये एवं केन्द्रीय पूल में गेहूं, चावल की खरीद कराने के लिये, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न को क्रय करने के लिये, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये खाद्य और रसद विभाग तत्पर है । इस विभाग में 5 शाखायें हैं । विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, बांट तथा माप शाखा, उपभोक्ता संरक्षण शाखा, कोयला संचरण शाखा मान्यवर, सारे विभागों की गतिविधियों से माननीय सदन पूर्ण रूप से अवगत है फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि विभागों के कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिये समय-समय के ऊपर बैठकें लेकर समस्याओं का निराकरण करके मा० सदस्यों का जब-जब परामर्श मिलता रहता है उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती रही हैं । मान्यवर, प्रदेश में हमारे विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त का भी कार्यालय है और इस आयुक्त के कार्यालय में 4 शाखाएं हैं । विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, लेखा शाखा और खाद्य प्रकोष्ठ । इनके माध्यम से खाद्य के सम्बन्ध में सारे काम प्रदेश में किये जा रहे हैं । जब कभी भी बाजार से गेहूं की खरीद कराने का काम होता है वह विपणन शाखा के माध्यम से होता है । दूसरी तरफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश की जनता को खाद्य की उपलब्धता कराई जाती है । लेखा विभाग खाद्य आयुक्त कार्यालय का पूरा लेखा-जोखा रखता है और उसकी देख-रेख मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम से की जाती है ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में खाद्य से संबंधित बहुत सी शिकायत प्राप्त होती रहती हैं इनकी जांच पड़ताल करने के लिये फूड सेल है जिसे खाद्य प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है . वह जांच पड़ताल करता है और इस जांच पड़ताल के आधार पर सारी कार्यवाही की जाती है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रदेश की जनता को सामान बाजार में ठीक ढंग से मिल सके । बांट और माप विभाग के माध्यम से हम सारी कार्यवाही कराते हैं । इसके साथ-साथ हमारे इस विभाग से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उपभोगताओं के संरक्षण का भी काम यहां पर इस विभाग के द्वारा किया जाता है । मान्यवर, बाजार में चीजों के दामों के ऊपर नियंत्रण कायम करने का भी दायित्व हमारे खाद्य एवं रसद विभाग का है । मान्यवर, बाजार में हर चीज समय पर उपलब्ध रहे, चोर बाजारी, काला बाजारी, जमाखोरी न होने पाये यह खाद्य विभाग का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है । मान्यवर, 96-97 में जो शिकायतें आई उनकी संख्या 25 की थी जिन पर गम्भीरता के साथ जांच पड़ताल कराई गई और जांच पड़ताल के बाद कार्यवाही कराई गई । इसी तरह बांट और माप की 1985 के अधिनियम के माध्यम से बराबर कार्य किया जा रहा है उसके आधार पर 95-96 में 7 लाख 98 हजार 9 सौ पैंतालीस छापे मारे गये जिसमें 53 हजार 437 मामले पकड़े भी गये । इन सब मामलों में जब न्यायिक काम किया गया तो इसके द्वारा 3 करोड़ 83 लाख 56 हजार 204 रुपये फीस के तौर पर वसूल किया गया । विभाग की सभी कार्यवाहियों को ठीक से रखने के लिये कम्प्यूटर की व्यवस्था है । सारी की सारी चीजें हम कम्प्यूटर के माध्यम से रखते हैं ।

मान्यवर, विपणन विभाग के माध्यम से जब गेहूं की खरीददारी करते हैं । सेन्ट्रल पूल से गेहूं लेने के लिए भारत सरकार बात करती है, आग्रह करती है तो भारत सरकार के दिशा निर्देश पर गेहूं की खरीददारी प्रदेश सरकार करती है । 1997-98 में भारत सरकार ने गेहूं खरीदने की अपेक्षा की उस आधार पर 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीददारी की कार्यवाही की गई । बाजार भाव भारत सरकार ने 415 निर्धारित किया है । 415 में बाजार में गेहूं उपलब्ध नही था बाजार में 4.5 रुपया तक था इस आधार पर खरीददारी नहीं हुई । भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार खरीददारी करती है इसलिए

भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया कि गेहूं का दाम समर्थन मूल्य जो निधारित किया है 415 रु० उसमें बढ़ोत्तरी कर दें। भारत सरकार ने हमारी इस मांग को ठुकरा दिया। जो 415 रुपया समर्थन मूल्य था उसको जारी रखा। किन्तु पुनः आग्रह करने पर भारत सरकार ने 60 रुपया कुन्टल के आधार पर बोनस देने की स्वीकृति प्रदान की। इस तरह से 475 कुन्टल के आधार पर गेहूं की खरीददारी कर ली गई। हमारी प्रदेश सरकार की ओर से योजना बनाई गई कि हम सचल वाहनों के जरिए से किसानों के घर तक वाहनों को ले जा करके खलिहान तथा किसान के घर से गेहूं की खरीददारी करेंगे। यह योजना काफी सफल हुई। 30 जून 1997 तक हम 6 लाख 17 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीददारी कर सके। इसके अतिरिक्त चावल की खरीददारी करनी होती है। चावल की खरीददारी हमने 8 लाख 77 हजार मीट्रिक टन की है। मान्यवर, गेहूं और चावल के अलावा हम पान की खरीददारी करते हैं। धान का भाव 388 रुपया कुन्टल कर दिया। यह भाव कामन धान का था। फाइन धान का दाम 395 रु० कुन्टल और सुपर फाइन का 415 रुपया कुन्टल कर दिया। इस आधार पर समर्थन मूल्य किया गया। और इसी आधार पर हमने 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गेहूं की खरीददारी के लिए साढ़े पांच हजार क्रय केन्द्र खोले। उन क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूं की खरीददारी की गई यह क्रय केन्द्र 6 संस्थाओं के माध्यम से खोले गए। एक खाद्य विभाग की विपणन शाखा, मार्केटिंग यूनिट, सहकारी संघ उपभोक्ता सहकारी संघ उत्तर प्रदेश एग्रो कारपोरेशन, उ० प्र० आवश्यक वस्तु निगम, इस आधार के ऊपर इन संस्थाओं के माध्यम से गेहूं की खरीददारी की गई। मान्यवर, जनता को सभी चीजें ठीक ढंग से मिलती रहें। इसके लिए व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण के लिए। लाइसेंस कन्ट्रोल आर्डर, 1989 के आधार पर, जो कि लागू है उसी पर अमल करते हुए लाइसेंस की व्यवस्था चालू रहेगी इस लाइसेंस देने के सम्बन्ध में हमने हर जिले में सुविधा उपलब्ध करा रखी है। यह सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता है। हर जिले में उप डिप्टी आर० एम० ओ० के माध्यम से लाइसेंस दिए जाने के सरलीकरण के सम्बन्ध में हिदायतें जारी की गई हैं। अब कोई भी व्यापारी किसी भी प्रकार की लाइसेंस लेना चाहता है तो वह एक महीने के अन्दर लाइसेंस ले सकता है। उसके बाद तो इसी तरह का काम हमारी सरकार की ओर से प्रदेश की जनता के लिए किया जा रहा है। वह खाद्यान्न की उपलब्धि, खाद्यान्न का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश की जनता को भारत सरकार से मिलने वाले खाद्यान्न को हम वितरित करते हैं। मुख्य रूप से यह योजना भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार ही खाद्यान्न हमको उपलब्ध कराती है। उसी के माध्यम से सारा वितरण करते हैं। 1982 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब इस प्रदेश में लागू की गई थी तो एक मानक बनाया गया था वह मानक था इस प्रदेश के सभी जनता को जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं हर यूनिट पर आठ कि०ग्रा० गेहूं, 6 किग्रा० चावल उन्हें देंगे।

इसी प्रकार से प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 10 कि० ग्रा० चावल 10 कि० ग्रा० गेहूं उन्हें वितरित करेंगे। यह मानक था। किन्तु दुर्भाग्य है कि यह बड़े खेद की बात है कि भारत सरकार की ओर से हमें इस मानक के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया नहीं जा सका। हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जितना भी कर सकते थे हर प्रकार का तरीका अपनाकर हमने प्रदेश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया। लेकिन एक जून 1997 से भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदल दिया है। एक अन्य योजना भारत सरकार ने बनाई है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार के आधार पर 10 कि०ग्रा० गेहूं आधी दरों पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग है उनको चिन्हीकरण के लिए भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वह दिशा निर्देश इस प्रकार के हैं ऐसे लोग जो चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, कुली हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उन लोगों को चिन्हीकरण कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। भारत सरकार ने इसमें संख्या निर्धारित कर दी है कि 75 लाख 48 हजार परिवार ही हमारे प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस प्रकार से भारत सरकार ने सीमा निर्धारित करदी है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 95 लाख 48 हजार परिवार चिन्हित किए जाएं। उत्तर प्रदेश में मात्र 81 लाख दो हजार परिवार चिन्हित

किए जा चुके हैं इन सारे परिवारों को सरकार की ओर से जो भारत सरकार से खाद्यान्न में 7 कि०ग्रा० गेहूं दे रहे हैं तथा 3 कि० ग्रा० चावाल दे रहे हैं। इस प्रकार से सारे उन लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन्हें मात्र 10 कि० ग्रा० खाद्यान्न ही हम दे रहे हैं...मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि पूर्व में यूनिट के आधार पर खाद्यान्न का वितरण करते थे। लेकिन भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार अब प्रति परिवार के आधार पर खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। भारत सरकार ने बताया है कि परिवार में पांच व्यक्ति माने जायेंगे। मान्यवर, यह योजना प्रदेश में अब लागू है।

मान्यवर, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व में खाद्यान्न नगरीय क्षेत्रों में वितरित करते थे और यह वितरण का कार्य दुकानों के माध्यम से करते थे। मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों, नगरनिगम, नगरपालिका, नगर महापालिकाओं, नगर परिषद् टाउन एरियाज में भी खाद्यान्न दिया करते थे लेकिन यह योजना जो भारत सरकार ने दिया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में रहते हों सभी को 10 किलोग्राम के हिसाब से प्रति परिवार खाद्यान्न दिया जाएगा। भारत सरकार की यह योजना है और उसके जो दिशा निर्देश दिये गये हैं। सरकार उसको सुचारु रूप से क्रियान्वित कर रही है और जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है।

मान्यवर, पूर्व की भांति यूनिट के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम खाद्यान्न उपलब्ध करवाते थे लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन आ गया है और गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों हेतुँ वी० पी० एल० योजना और ए० पी० एल०, योजना एबब पावरटी लाइन, के नाम से जानी जायेगी और इसके अन्तर्गत खाद्यान्न सरकार वितरित कर रही है।

मान्यवर, पूर्व में 8 किलोग्राम के मानक से जितना मिल जाता था उसके हिसाब से प्रति परिवार में 30 के०जी० चावल, गेहूं पहुंच जाता था लेकिन इस योजना में हम 10 किलोग्राम गेहूं और चावल उपलब्ध करवा रहे हैं।

मान्यवर, पूर्व में ही मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना भारत सरकार की है और हमें खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है तथा जिस मानक और दिशा निर्देश पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है उसी आधार पर हम यहां खाद्यान्न वितरित करवाते हैं।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न की बड़ी विकराल समस्या रहती हैं चूंकि वहां गल्ला पैदा नहीं होता जिससे जनता सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ही निर्भर रहती थी अब चूंकि यह योजना यूनिट के आधार पर न होकर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है इसलिए मात्र 10-10 किलो० प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसलिए सदन के संज्ञान में यह बात होगी कि पिछली बार भी यहां इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था कि पहाड़ी क्षेत्र में जनता को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा था तो सरकार ने उत्तरांचल क्षेत्र में सप्लाई मैदानी क्षेत्र से काटकर तत्काल खाद्यान्न वितरण की वहां व्यवस्था कराया था और अब वहां व्यवस्था सुचारुरूप से ठीक चल रही है।

मान्यवर, यहां खाद्यान्न जो प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है इसको वितरित करने के लिए जो साधन है–वह यहां सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

प्रदेश में इस समय 77,257 दुकानें हैं जिनमें 11, 721 दुकानें नगरीय क्षेत्र में तथा 65, 536 दुकानों ग्रामीण क्षेत्र में हैं। मान्यवर, इन दुकानों का आवंटन जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने उन्हें एक दिशा निर्देश शासनादेश के माध्यम से दिया गया है। इन दुकानों में भी आवंटन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी है वह रिजर्वेशन इस प्रकार का है अनुसूचित जाति के लोगों को 21 प्रतिशत, जनजाति को 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत, स्वतंत्रता

संग्राम सेनानी के आश्रितों को 5 प्रतिशत, लड़ाई में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को 8 प्रतिशत तथा विकलांगों को 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है शेष दुकानें जनरल कैटेगरी के लोगों को आवंटित की जाती हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो खाद्यान्न वितरित की जा रही है वह 15,36,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध की जा रही है । गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को जो खाद्यान्न दिया जा रहा है उनके दाम भी मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा । गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गेहूं 3 रुपये प्रति किलो तथा चावल 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है । जो एबव पावर्टी लाईन के लोग हैं उनको गेहूं 5 रुपया और चावल 6 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है ।

मान्यवर, प्रदेश की जनता को खाद्यान्न ठीक ढंग से उपलब्ध हो सके इसके लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है और ये समितियां नगरों में वार्ड स्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर होंगी तथा जिले और प्रदेश के स्तर पर भी समितियां बनायी गयी हैं । ये सतर्कता समितियां इन दुकानों की पूरी निगरानी रखती हैं और इनको सत्यापन का अधिकार भी दे दिया गया है और वे सत्यापन का काम भी करती हैं । मान्यवर, इसी प्रकार से इन सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रदेश की जनता को जो लेवी चीनी मिलती है, उसका वितरण किया जाता है । इस समय 65 हजार मीट्रिक टन हर महीने लेवी चीनी वितरित की जा रही है । यह लेवी चीनी भारत सरकार से मिलती है और इसके लिए प्रदेश की सरकार ने मानक बनाया है कि नगरीय क्षेत्र में एक किलोग्राम प्रति यूनिट और ग्रामीण क्षेत्र में 330 ग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी उपलब्ध करायी जा रही है । इसके साथ ही किरोसीन आयल भी उपलब्ध कराया जा रहा है । पूरे प्रदेश में हर महीने 1,26,136 किलो लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया जा रहा है । मिट्टी के तेल के वितरण का जो मानक बनाया गया है वह नगरीय क्षेत्र में जिनके पास एल० पी० जी गैस कनैक्शन हैं उनको 5 लीटर तथा जिनके यहां गैस नहीं है उनको 10 लीटर प्रति माह की दर से दे रहे हैं, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक कार्ड-धारक को 5 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध करा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी क्षमा करेंगे, आज कई अन्य विभागों के भी बजट आने हैं, इसलिये आप मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर बोलने के लिये कितना समय लेंगे ?

श्री एजाज रिजंवी–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो एल० पी० जी० है यह भी इंडियन आयल कम्पनी से मिलता है, लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण जिलाधिकारी के माध्यम से कराते हैं । शत प्रतिशत होम डिलीवरी के माध्यम से गैस का वितरण हम करा रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जरूरत हैं, उतना कोयला हमें नहीं मिल पाता है । कोयले की स्पान्सरिंग 2339 रैक्स की है, लेकिन उसके अनुपात में हमें केवल 163 रैक्स ही मिल पाया है, यद्यपि हमारे प्रदेश में 12004 भट्ठे हैं, जिनकी आवश्यकता के लिये 72 लाख 400 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, इस संबंध में केन्द्र सरकार से वार्ता हम कर रहे हैं और आशा है कि बहुत जल्दी ही इसको हम प्राप्त कर सकेंगे । मान्यवर, जितने भी काम हमारे चल रहे हैं, उन कामों पर नियंत्रण करने के लिये इनफोर्समेंट का काम भी करते हैं और हमारे विभाग के माध्यम से इसमें बराबर कार्यवाही की जाती है ।

पिछले वर्ष में जो मामला पकड़े गये हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय का निर्देश है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को बाजार से सही दामों पर, सही वस्तु, सही ढंग से मिले, इसके लिये भी नाप तौल महकमें के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है, बराबर इनफोर्समेन्ट का काम चलता रहता है । इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण का काम भी चल रहा है। प्रदेश के 68 जिलों में अभी तक इस तरह की योजना है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक राज्य आयोग भी काम कर रहा है । यह भी माननीय सदन

के समक्ष रखना चाहता हूं कि लोगों की जो भी परेशानी होती है, जो इन फोरम्स में शिकायतें रखते हैं, उनका काम बहुत तेजी से हो रहा है, लगभग 90 हजार मुकदमात इन फोरम्स के न्यायालयों में पेंडिंग हैं, उसके लिये व्यवस्था की जा रही है कि कैसे इनका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके । इसके अतिरिक्त हमारे इस विभाग से संबंधित दो निगम भी है । एक है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम । यह केवल राज्य कर्मचारियों के लिये है और इसके माध्यम से राज्य कर्मचारियों को डिपो और कैन्टीन के जरिये से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । इस विषय में बताना चाहता हूं कि पूर्व में यह राज्य कर्मचारी कल्याण निगम बराबर घाटे पर जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष 96-97 में इस निगम ने लाभ अर्जित किया है । वर्ष 1996-97 में इस निगम को 54 लाख 67 हजार का लाभ प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से काम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है । इसके अतिरिक्त दूसरा निगम है, आवश्यक वस्तु निगम, इसके माध्यम से भी हम काम करते हैं । यह निगम के माध्यम से खाद्यान्न, चीनी आदि दुकानों तक पहुंचाने के लिये काम करते हैं । मान्यवर, 21 ऐसे जनपद हैं, जहां आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके अलावा लखनऊ और हाथरस में इस निगम ने गैस एजेंसी भी ले रखी है । मान्यवर, एक बात और सदन के व माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु निगम को पिछले वर्षों में 34 करोड़ रुपये का घाटा भी हुआ है.. मान्यवर, इस प्रकार से आपने देखा कि हम प्रदेश की सरकार की ओर से, जनता को हर चीज खाद्यान्न, आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर सुलभ कराने के लिए पूल में गेहूं, चावल और धान खरीद कर देने के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम चल रहा है । मान्यवर, इस प्रकार मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 9,77,15,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि की स्वीकृति प्रदान करें ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण प्रारम्भ किया है जहां से वहीं से चलता हूं । पहले तो श्रीमन्, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह विभाग कितना रुग्ण हो चुका है, कितना जीर्णशीर्ण अवस्था में है कि सिर्फ यह सामग्री उपलब्ध हुई है हम लोगों को ।

(एक किताब दिखाई)

जिसमें हम लोगों को विचार करना है । माननीय मंत्री जी ने गेहूं की खरीद से अपनी बात प्रारम्भ की थी । गेहूं की खरीद पिछले दो सालों में 95-96 और 96-97 में इतनी कम हो गयी है जिस कारण स्थिति यह हो गयी है कि माननीय मंत्री जी को आवश्यकता है गेहूं की और वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं । कारण क्या है, भारत सरकार यह कहती है कि आप जितनी खरीद करेंगे उसी के हिसाब से आवंटन करेंगे । जब यह खरीद ही नहीं करेंगे, पंजाब से गेहूं भेजा जायेगा एक तो उसके दाम अधिक होंगे । अब तो नई नीति के आधार पर आवश्यक वस्तु निगम को उस पर व्यापार-कर भी देना पड़ रहा है । आवश्यक वस्तु निगम को जानबूझकर इनकी नीतियों ने ही समाप्त कर दिया है । गेहूं की खरीद का हाल यह है कि मंत्री जी ने कहा कि मई जून के माह में साढ़े पांच सौ 6 सौ रुपये का भाव था इसलिए गेहूं नहीं मिला । मेरा यह कहना है कि भारत सरकार से खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए जो गेहूं आवंटित किया गया जिसको बेचकर यह गेहूं का मूल्य स्थिर रख सकते थे वह उठाया ही नहीं आज तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह गेहूं बेंचा नहीं गया खुले बाजार में । क्या हम ये मान लें कि खुले बाजार में भारत सरकार ने जो आवंटन किया इसलिए नहीं बेचा गया ताकि बिचौलिये अधिक भाव कमा सकें मेरा यह आरोप है । पिछली बार भी यही किया गया था । ऐसी नीति बनाई गई ताकि बिचौलियों को लाभ मिलता रहे । उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल में करीब 2 लाख मीट्रिक टन खरीदा था पिछली बार 15 लाख, 13 लाख, 10 लाख मी० टन की औसतन खरीद होती रहती है । एक वर्ष को छोड़कर वह शायद वर्ष 93-94 था जब इन्होंने 10 लाख के बजाय 21 लाख मीट्रिक टन लिया । 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया, पिछले वर्ष 2 लाख कुछ हो सका गेहूं का इस साल 6 लाख 17 हजार स्वयं बताया है ।

गेहूं के उत्पादन के लिए कृषि विभाग कहता है कि बढ़ रहा है, खाद्य विभाग कहता है कि गेहूं नहीं मिल रहा है । खाद्य विभाग का जहां एक ओर दायित्व है कि उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर माल उपलब्ध हो वहीं प्राथमिक दायित्व यह है कि कृषकों को उचित मूल्य मिले, उन्होंने अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं किया ये मेरा आरोप है, 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी ये कब खरीदा गया, हमें तो लगता है कि 110(X) मीट्रिक टन की ही खरीद हुई होगी जो 11 लाख मीट्रिक टन घोषित कर रहे हैं तो पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं । धान की खरीद की स्थिति यह है, मुख्य धान की उपज पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, एक समय यह नीति बनाई गई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को समुचित लाभ नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से पश्चिम में पीलीभीत शाहजहांपुर साइड में धान की मिलें हैं पूर्वी भाग में भी धान की मिलें लगाई जायें और इसको प्रोत्साहित किया जाय लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । यहां तक गेहूं खरीदने के लिए जो निगमों को पैसे दिए जाते हैं, कर्मचारी कल्याण निगम की बात कही गई, 5 हजार मीट्रिक टन खरीदना था लेकिन कितना खरीदा गया, निगम को लगभग 3 करोड़ रुपये गेहूं के लिए दिए गये हैं । एफ० सी० आई० को दे देना चाहिए था । कल्याण निगम में 90 लाख रुपये अन्य मदों में डायवर्ट कर दिए । फ्री सेल की गेहूं जनवरी के महीने में जो उठाई जानी चाहिए थी वह फरवरी के महीने तक नहीं उठाई गई । ये बात आई कि नई नीति के तहत 10 किलोग्राम अनाज पहाड़ी क्षेत्र के गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को दिया जा रहा है । यह कहा गया है कि नई नीति लागू हो जाने के कारण अनाज की कमी हो गई है इसलिए पहाड़ पर अनाज नहीं पहुंच पाया । आप पहले 30-40 किलो प्रति यूनिट अनाज दिया जाता था वहां पर अब केवल 10 किलो दिया जाता है । आप कहते हैं कि जो भारत सरकार की नीति लागू हुई है उस नीति के चलते खाद्यान कम हो गया और भारत सरकार ने खाद्यान्न नहीं दिया । पिथौरागढ़ का कल प्रश्न लगा हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि खाद्यान की आपूर्ति में कटौती की गई है । उत्तर था कि जी नहीं । अभी आपने स्वयं कहा है कि हम पुहंच नहीं पा रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं "जी नहीं" । उसमें यह पूछा गया है यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न का कोटा बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है । उसका उत्तर आया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जून, 97 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नई योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम खाद्यान्न प्राप्त होने तथा उनके दिशा निर्देशानुसार खाद्यान्न आवंटित करने से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी आयी है । तो एक तरफ तो 30 किलो देने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर आप 10 किलो दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कमी हो गयी । मैं आगे भी पढ़ देता हूं ।

पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न दिये जाने हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान की मांग की गयी है । तो यह विरोधाभाष उत्तर यहां पर दिया जा रहा है । इसके बाद खाद्यान वितरण प्रणाली में यह कहा है, इसी सदन में माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी से एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा था कि 81 हजार परिवार लक्षित हो गये हैं, माननीय वर्मा जी बैठे हैं, वह स्वयं पूछ लेंगे । आपने कहा कि 95 हजार परिवार लक्षित कर लेंगे तो यह कितने शीघ्र कर लेंगे इसकी जानकारी नहीं दी गयी है । एक जानकारी मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि अभी तक लक्षित परिवार जो भी हों,

उनके कार्डों का वितरण समुचित ढंग से नहीं किया गया हो, चाहे कोई जिला हो । चाहे वह बस्ती हो या फिरोजाबाद हो । मान्यवर, बस्ती जनपद का उदाहरण दूंगा । वहां पर कार्ड का वितरण नहीं किया गया है और खाद्यान्न कोटेदारों के पास पहुंच गया है वह रखा है और अनाज बंट नहीं रहा है । ऐसे कई उदाहरण हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 किलो खाद्यान बिलों पावर्टी लाइन को दिया जा रहा है लेकिन माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी का कहना है कि यह फिरोजाबाद में 7 किलो दिया जा रहा है । अभी माननीय वर्मा जी अपनी बात जब रखेंगे तो कहेंगे । तो इस तरह से शिकायतें आ रही हैं । मैं चाहूंगा कि इसकी तत्परता से जांच करायी जाय कि वास्तव में यह 10 किलो दिया जा रहा है कि नहीं । मान्यवर, आपने कहा कि सतर्कता समिति गठित कर दी गयी मैं नहीं जानता कि वह कहां पर गठित की गयी, किस ब्लाक में या तहसील में यह कार्य कर रही है । तो इसको पुनः सुनिश्चित करा लें कि इसका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं ।

मान्यवर, इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग की बात कही । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह स्वयं दुखी है । न वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है और न ही वहां पर कागज है । तो जब यह राज्य आयोग की स्थिति है तो फिर जनपदों के फोरम की क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, आज उपभोक्ता संरक्षण फोरम की स्थिन अत्यन्त दयनीय हो गयी है और मुझे खुशी है कि आपने आयोजनगत व्यय में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कोई व्यवस्था की है । करीब एक करोड़ 57 लाख की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, इस पूरे विभाग में जहां एक ओर खाद्यान्न खरीदकर रखने की व्यवस्था की बात की जाती है वहीं रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । माननीय हुकम सिंह जी बैठे हैं, वे तत्कालीन खाद्य मंत्री रहे हैं इनके समय में एक योजना बनी थी । उस समय भारत सरकार से पैसा आ रहा था । भारत सरकार से धन उपलब्ध कराकर गोदाम जगह-जगह बनाया जाय । और वहां पर खाद्यानों को रखा जाये ताकि बाहर से अनाज न मंगाना पड़े और हमको जितनी आवश्यकता है, उसको गोदामों में रखा जाये । मान्यवर, जो बजट सामग्री हमको मिली है उससे ज्ञात होता है कि पिछले तीन-चार सालों में आयोजनागत व्यय में पैसा नहीं खर्च हुआ है । जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आप सही ढंग से इसको नहीं कर पायेंगे । इसी तरह से पहाड़ों के लिये एक योजना बनी, कि बरसात शुरू हो जाती है तो वहां पर सामान पहुंचना मुश्किल हो जाता है और नवम्बर, दिसम्बर की बात आ जायेगी तो सामान नहीं पहुंचेगा । इसलिये मेरा कहना है कि पहाड़ों में जगह-जगह पर गोदाम बना दिये जायें और उन गोदामों में सामान कर स्टाक कर दिया जाये लेकिन ऐसा लगता है कि इस योजना को भी विभाग ने समाप्त कर दिया है । अब इस विभाग का केवल यह काम रह गया है कि बाबू लोग टहले और कहें कि हम उपभोक्ताओं का संरक्षण करते हैं लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा है । जब तक आप इस विभाग को सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा ।

मान्यवर, राशन की दुकानों की बात कही गयी तो मैं कहना चाहता हूं कि सदन में समाचार पत्र की चर्चा नहीं हो सकती है लेकिन मैं कहता हूं कि खाद्य विभाग सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा है । अगर कोई आख्या अखबारों में छपती है तो सदन में चर्चा करना पड़ेगा । एक समाचार-पत्र ने सर्वेक्षण किया और प्रत्येक क्षेत्र की दुकान के बारे में अपने समाचार पत्र में छापा है और उस अखबार में पूरा पन्ना इसी से भरा था लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगा । मान्यवर, मैं गोमती नगर में रहता हूं । गोमती नगर की बात बता रहा हूं । आपके विभाग का जो बाबू वहां पर रहता है, कार्ड चेन्ज करता है । हमारा अपना कार्ड पुराना हो गया था, 89 का था उसको मैंने सोचा बदलवा लूं, मैं महीने भर बाबू को खोजता रहा, लेकिन नहीं मिला । तब जाकर सचिवालय के एक कर्मचारी को मैंने अपना कार्ड दिया और उस कर्मचारी ने सप्लाई आफीसर से मिलकर मेरे कार्ड को ठीक कराया । जब वह वहां रहता ही नहीं है तो निरीक्षण या सर्वेक्षण क्या करेगा ? मैं कह रहा हूं कि यह

विभाग अटकलों और चर्चाओं पर चल रहा है । भगवान मालिक है उपभोक्ताओं का, कैसे जीवन यापन उनका हो रहा है ।

रोजी रोटी जो दे न सके,

वह सरकार निकम्मी है ।

तो यह हालत है, खाद्य विभाग की । आवश्यक वस्तु निगम वस्तुओं को उपलब्ध कराने में विफल हो रहा है । आयोजनागत व्यय से कोई व्यय नहीं हो रहा है । जब उस मद का पैसा खर्च ही नहीं हुआ है तो इतना पैसा देने की क्या आवश्यकता है । इसीलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि कटौती करके एक रुपया कर दिया जाये और मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह मुख्य-मुख्य बातों पर ही कहें ।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं । वास्तव में मुझे लगता है कि माननीय सदस्य भारत सरकार से जुड़े हैं, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखा है । जो बी० पी० एल० और ए० पी० एल० की श्रेणी बना रखी है, आज उसकी परिणति क्या हो रही है ? यह सही है कि कहीं न कहीं विभाग में थोड़ी कमी है जो 95 लाख परिवारों को चिन्हित करना है वह पूरा नहीं हो पाया है । वह उसे पूरा कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इधर 81 लाख दो हजार परिवार चिन्हित हो गये हैं । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी इसे गलत समझ रहे हैं । वैसे ही जैसे धान की खरीद को गलत समझा था । सबसे बड़ी कठिनाई भारत सरकार के बी० पी० एल० और ए० पी० एल० को लागू करने से हुई है । अभी तक स्थिति यह थी कि एक परिवार में सात-आठ यूनिट हुआ करते थे और उसमें पचास से साठ किलो राशन प्रतिमाह मिल जाता था । लेकिन अब भारत सरकार की इस नीति से उत्तर प्रदेश सरकार एक एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है । और मंत्री एक एजेन्सी के रूप में बैठे हुए हैं । इनको जो काम दे दिया जाता है उसी के हिसाब से आवंटन हो जाता है । इसकी परिणति यह है कि जहां प्रति परिवार साठ सत्तर किलोग्राम चावल और गेहूं ले लेता था वहां अब सात और 3 किलो गेहूं और चावल मिलता है जिससे गरीबों का जीना दूभर हो गया है । आप कल्पना की जिस पांच लोगों का परिवार निर्धारित कर दिया है उसमें सात किलो गेहूं और तीन किलो चावल से कैसे एक परिवार जिएगा ।

मैं आग्रह करूंगा कि भारत सरकार में जो अधिकारी या मंत्री बैठे उनसे आप गुजारिश करें जनता के हित में जरा उनसे कहें की वह सोचें । जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं वह बाजार से अनाज नहीं खरीद सकते हैं । इतने कम राशन में गरीब परिवार कैसे जिएगा ।

इसके अलावा एफ० सी० आई० के भण्डारों से राशन उठाना पड़ता है जो भारत सरकार का विभाग है । उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि राशन के दुकानदार को वह सड़ा गेहूं देते हैं । अगर दुकानदार कहता है कि यह सड़ा गेहूं है तो वह कहते हैं कि लेना है तो लो नहीं तो मत ले जाओ । तो दुकानदार की मजबूरी है कि वह सड़ा गला गल्ला गरीबों को सप्लाई करता है तो इस सड़े-गले गेहूं को खाने से वह बीमार हो जाता है और उसकी दवा के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है । (लाल बत्ती) मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं । तो गरीब बेचारा कहां से दवा करेगा ।

यूनिट के आधार राशन मिलता है, वह बहुत कम हो गया है । इसके अलावा एक बात और है कि जो आवश्यक वस्तु निगम है उसके संचालन में घाटा दिखाया गया है । इसमें मैं गोरखपुर की बात कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं एक सड़क पर रिक्शा चलाने वाला इनके राशन को ढोने से जरूर करोड़पति बन गया है। वह राशन की दुकानों में सामान पहुंचाने का काम करता है। तो किस प्रकार की घोटालेबाजी होती है। अगर उसको नहीं रोकेंगे तो निश्चित रूप से यह घाटा बढ़ता चला जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि आप लालबत्ती दिखा रहे हैं, निवेदन करूंगा कि चावल, चीनी, मिट्टी का तेल और गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिले। इसके लिये आप भारत सरकार से वार्ता करिए। भारत सरकार निकम्मे पन का काम करती है और उत्तर प्रदेश को जितना गल्ला चाहिये उतना नहीं दे पाती है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश को समुचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय और अन्य जीवनोपयोगी सामानों को उपलब्ध कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में जनपद अलीगढ़ के संबंध में उत्तर दिया गया है कि वहां पर जनपद भर में कार्ड बना दिये गये हैं यह बिल्कुल गलत है वहां पर राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण रखा है उसको पक्ष और विपक्ष के लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है। मान्यवर, यह सर्वोच्च पंचायत है। यहां पर बैठे हुये सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विभाग में इस कदर लूट, बेईमानी भ्रष्टाचार व्याप्त है उतना किसी और विभाग में नहीं है। वितरण व्यवस्था जो करायी जा रही है वह व्यवस्था गलत है।

सप्लाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दफ्तरों में बैठक कर केवल कमीशन लेने का काम करें रहे हैं और खुल्लमखुल्ला कहते हैं कि हमको पैसा सरकार से ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। मेरा कहना है कि इस व्यवस्था में दुकानदार के साथ विभाग के कर्मचारियों, लेखपाल, कानूनगो, ग्राम विकास अधिकारी, राशनिंग इंस्पेक्टर को सहभागीदार बनाया जाय जो दुकानदार के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करे। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल में स्कूल के बच्चों को 3 किलोग्राम गेहूं पाठशालाओं में देने की व्यवस्था की गयी है। मेरे जिले में जो राशन के वितरण व्यवस्था में लगा है वह साफ कहता है कि मुझे लाने ले जाने के लिये मार्ग व्यय नहीं दिया जाता है अतः इस 3 किलो में से 2 किलो बच्चों को दूंगा और एक किलो मैं रखूंगा। अभी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन वितरण की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह योजना कागज पर है कहीं कोई वितरण नहीं हो रहा है। प्रदेश भर में राशन कार्ड बांटने की जहां तक बात है वह गलत है। मेरे जनपद अलीगढ़ में एक भी राशन कार्ड नहीं बंटा है और पिछले कई वर्ष से नहीं बंटा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी राशन वितरण व्यवस्था को ठीक करें और प्रदेश भर में राशन कार्ड देने की व्यवस्था करें। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ददद्दू प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर अनुदान संख्या 21 के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली कई सरकारों ने प्रदेश में जो खाद्य और रसद की वितरण व्यवस्था की थी वह लचर थी और गांव के अंतिम व्यक्ति को चीनी गेहूं नहीं पहुंच पाता था। हमारी सरकार जबसे आयी है यह व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और सख्ती की जा रही है जिसके कारण चीनी मिट्टी का

तेल, गेहूं की वितरण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है और यह चीजें अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है । गांवों में अंतिम समूह तक यह चीजें पहुंच रही हैं । मैं यह बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह कामयाबी है । इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, सुझाव देना चाहूंगा कि नगरीय क्षेत्र में तो आपने कोटादारों के बारे में आरक्षण की व्यवस्था की है पर देहात, ग्रामीण क्षेत्र में कोटादारों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण गांव में सबल व्यक्ति कोटेदार बन जाता है और निर्बल व्यक्ति जब कोटेदार नहीं होता है तो कोटेदार न होने की स्थिति में वह निर्बल से निर्बल व्यक्ति जो कि पात्र है उस सबल व्यक्ति से राशन नहीं ले पाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था ठीक की जाय ।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में वितरण प्रणाली में विभेद है कि चीनी शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट कुछ और हिसाब से दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी और हिसाब से दी जाती है । तो इसमें समानता आना चाहिए यह विभेद ठीक नहीं है । और मिट्टी के तेल में भी यही स्थिति है । शहरी और ग्रामीण के साथ यह जो भेद किया गया है इसको समाप्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि जो यूनिट का आधार बनाया गया है वह 1981 की जनगणना के आधार का है । 1991 की जनगणना को आधार मानकर यूनिट का निर्धारण किया जाय । ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहुंच सके । मैं मऊ मानिकपुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं । वहां के गांव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये जो व्यवस्था केन्द्र सरकार के सौजन्य से लागू की गई है उसके संबंध में अपने क्षेत्र के गांवों की ओर जिनमें नैनी, मऊ, नादिव कुर्मियान, बरिया, छीबो मारकुण्डी, बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम यहां पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि उनके राशन कार्ड बनवाये जायं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । दिवाकर जी ने सारे तथ्यों को रखा, मैं भी सुन रहा था उससे पूरी पोल पट्टी खाद्य और रसद विभाग की खुल गयी । मैंने खाद्य मंत्री जी का भी भाषण सुना । उन्होंने जितनी बातें कहीं वह सत्य से परे हैं । मंत्री जी झूठ बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं इनके 4 माह के शासनकाल में मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिये के तले अंधेरा है । लखनऊ में मिट्टी का तेल 10 रुपये ब्लैक में खुले आम बिक रहा है । मुझे स्वयं भी 4 महीने से एक बूंद मिट्टी का तेल नहीं मिला । जब बिजली चली जाती है तो मिट्टी का तेल जैनरेटर चलाने के लिये जरूरत पड़ती है । लखनऊ में ही नहीं यही स्थिति हर जगह है । मैं प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला हूं वहां पर मिट्टी का तेल, खाद्यान्न चीनी का अभाव है ।

(व्यवधान)

कभी-कभी किसी-किसी गांव में एक-दो बोरी चीनी आ जाती है । मान्यवर, प्रतापगढ़ में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वह बी०जे०पी० का है । यह सरकार भी बी०जे०पी० ब०स०पा० की है । वह खुले आम मिट्टी का तेल ब्लैक करता है । मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड 20 साल से नहीं बने हैं । बीस साल में कितने लोग मर गये होंगे, रह नहीं गये होंगे । कितनी बार लोगों ने लिखकर भी दिया । पहले व्यवस्था हो गयी थी ग्राम प्रधान लिख देते थे । जिनके राशन कार्ड फट गये थे उस बारे में ग्राम प्रधान पर्ची देना चाहते थे तो उनको बन्द कर दिया गया ।

प्रतापगढ़ जनपद में न तो स्कीम के तहत राशन वितरित हो रहा है न मिट्टी का तेल बिक रहा है पूरे प्रदेश में यह हालत है । अंधेर नगरी चौपट राज्य है यह सरकार जनता को खाद्यान नहीं पहुंचा सकती है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनता के दुख दर्द को यह सरकार नहीं समझती है इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

यह जो सवाल मेरे द्वारा रखा गया है यह जनता के हित का सवाल है इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राजेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि खाद्यान के विषय पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मनुष्य ने जबसे होश संभाला है निश्चित रूप से उसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ी उसमें खाद्य या रोटी सबसे ज्यादा प्रमुख थीं । हमारी सरकार ने जब से शासन संभाला है निश्चित रूप से इस शासन काल में सुधार लाने का प्रयास किया गया है लेकिन परिस्थितियां संभवतः इसके विपरीत हैं । मान्यवर, मंत्री जी ने बताया गेहूं को शासन ने परचेज किया, यह जो खरीदारी रही यह अन्य वर्षों के मुकाबले में बहुत कम रही । यही स्थिति प्रदेश में चावल की खरीद की है । चावल की खरीद, लेवी की स्कीम के द्वारा, लेवी लगाने के पश्चात् खरीदा जाता है । इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमेशा से लेवी स्कीम जो कोर्स की भांति होती है वह पहले 1 अक्टूबर से लागू होती थी अब यह समय से कभी लागू नहीं होती है । खाद्य कार्यालय जाते हैं समय परिवर्तन कर देते हैं । पन्द्रह सौ चावल मिल प्रदेश में काम कर रही हैं । इनमें पन्द्रह सौ करोड़ की पूंजी विनियोजित है । दो लाख मजदूर इसमें कार्यरत होते हैं । मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर विषय है । यह दुर्भाग्य की बात है कि खाद्य विभाग इस इन्डस्ट्री के बारे में नहीं सोचता है । इसी प्रकार माननीय मंत्री जी के पूर्व मंत्री जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा । 11 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया किताब में यह नहीं है मैं नहीं जानता कौन सी स्थिति सही है । प्रदेश में एक खाद्य सचिव महोदय थे उन्होंने धान की परचेज की उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा । एग्रीकल्चर की इन्डस्ट्री है गन्ने के बाद धान चावल आता है इसमें गंभीरता से विचार नहीं किया गया ।

यह हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खाद्यान मुहैया कराने वाली मुआवजा था । लेकिन यह भी एक दुर्भाग्य है कि इसकी नीति में बराबर परिवर्तन होता है । इंडस्ट्री के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है । बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार देती है लेकिन प्रदेश की सरकार उसके लिए अपने मिनट्स से लेवी स्कीम में स्पष्ट आदेश होने के बावजूद लेवी की स्कीम में तमाम बोरों का प्रयोग है । वह इस विभाग द्वारा दिया जाता है । एक बोरे का वजन एक कि०ग्रा० होता है । लेकिन एक कि० ग्रा० के स्थान पर 800-850 ग्राम का मूल्य चावल मिल वालों को दिया जाता है इस प्रकार चावल मिल वालों को 35 करोड़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं जब खाद्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी कि इस पिछड़े और गरीब प्रदेश को एक नई खाद्य और रसद नीति मंत्री जी देंगे । लेकिन मुझे इस बजट भाषण से घोर निराशा हुई । उन्होंने भारत सरकार पर दोषारोपण किया लेकिन खाद्य मंत्री जी जब अपना उत्तर भाषण दें तो इस बात पर ध्यान दें कि भारत सरकार को खाद्य मंत्री ने हमारे सभी सम्मानित साथियों को एक पत्र निर्गत किया था कि प्रत्येक जिलों में खाद्य एवं रसद समितियां बनाई जाएं । लेकिन मंत्री जी बता दें कि कहां ऐसी समितियां बनाई गई । यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं कोई भी यह बता दें कि उसके यहां इस तरह की समिति बनाई है । हमारे बड़े व बुजुर्ग साथी कटौती प्रस्ताव जब रख रहे थे तो उन्होंने गोदामों की चर्चा की थी । हमारे पूर्व खाद्य मंत्री भाई हुकुम सिंह जी भी थे कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में दो-तीन गोदामें बनी हुई हैं । भण्डारण के लिए । अगर भण्डारण व्यवस्था की जानकारी व्यापारियों को और किसानों को हो जाए तो डिमाण्ड और सप्लाई पर नियंत्रण रहे लेकिन भण्डारण की कमी की वजह से तथा एफ० सी० आई० के गोदामों में गेहूं रहते हुए भी व्यापारी मनमाने दाम पर किसानों तथा गरीब लोगों से वसूलते हैं । इसके ऊपर ध्यान दें । गोदामें जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी आज भी बेकार पड़ी हुई हैं उसमें अन्य काम होते हैं । भण्डारण काम नहीं हो पाता है ।

अभी गेहूं क्रय के बारे में कहा गया है । इसमें भी विभेद है । पूर्व और पश्चिम के आंटा मिलों को रेट अलग अलग दिए जाते हैं । पश्चिम की आंटा मिलों को कम रेट पर गेहूं सप्लाई किया जाता है पूर्व की आंटा मिलों को ज्यादा दाम पर गेहूं सप्लाई किया जाता है । इस विभेदकारी नीति को समाप्त करें । एक ही प्रदेश में दो रेट की सप्लाई व्यवस्था उचित नहीं है । अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमने प्रत्येक राशन की दुकान पर मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दिया, चीनी का आवंटन बढ़ा दिया । आप जानकारी कर लीजिए जिला अधिकारी का दुकानों को पत्र निर्गत हुआ है कि अगर 5 ड्रम मिट्टी का तेल किसी गांव में जा रहा था तो उसे 3 ड्राम कर दिया गया । चीनी यदि 5 कुंन्तल किसी ग्राम को जा रही थी तो उसे 4 कुन्तल कर दिया गया ।

तो मान्यवर, आप कोटा कहां बढ़ा रहे हैं ? यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर नियंत्रण करने का आपका दायित्व है । इसलिये मैं अपनी पार्टी के श्री दिवाकर विक्रम जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । धन्यवाद ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, केन्द्र की सस्ती लोकप्रिय नीति के कारण बी० पी० एल० की जो नीति घोषित की गयी है उससे अनाज की कठिनाई पैदा हो गई है और पर्वतीय क्षेत्रों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । लेकिन बी० पी० एल० की योजना घोषित कर दी गयी है । इतना ही नहीं हम केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहते थे कि यदि वह यह कर देती कि पूर्व में निर्धारित जो कीमतें थीं उसकी आधी कीमत पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को अनाज उपलब्ध करा देती और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जितनी उनकी यूनिट हैं । 10 किलोग्राम अनाज प्रति यूनिट दे देती तब केन्द्र सरकार बधाई की पात्र होती किन्तु केन्द्र सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह खाद्यनीति घोषित की है जिससे पहाड़ों में गंभीर संकट पैदा हो गया है । इसलिए

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि संकट को दूर करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक खाद्यान्न नीति बनाई जानी चाहिए । मान्यवर, पहाड़ों में सड़कें टूट गई हैं जिससे वहां खाद्यान्न नहीं पहुंचता और

शत-प्रतिशत आदमी बाजार के खाद्यान्न पर जीवन यापन कर रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर यद्यपि मैदानी क्षेत्रों का राशन काटकर 14 किलोग्राम गेहूं और आठ किलोग्राम चावल प्रति कार्ड देने की व्यवस्था की बात आई है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक यह व्यवस्था वहां पर लागू नहीं हो पाई है क्योंकि बरसात के कारण सड़कें टूट गईं ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जो कंट्रोल के दुकानदार हैं वह मर जाते हैं तो उन्हीं के परिवार वालों को मृतक आश्रित के बतौर दुकानें एलाट करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मेरा यह भी सरकार से अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को नजर में रखते हुए दो महीने का खाद्यान्न भण्डारण अग्रिम के तौर पर वहां की जनता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दें तो अच्छा होगा ।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो योजना लागू की है वह वहां के लिए स्थाई हल नहीं है । इसलिए वहां के लिए पृथक-पृथक खाद्यान्न नीति बनाने की आवश्यकता है और पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त विधायकों के साथ बैठकर पूरी स्थिति की जानकारी करके पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पृथक नीति बनायें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

श्रीमन्, मंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो मुझे एहसास हो रहा था कि जिस तरह गांव में किसी को बेटा पैदा हो तो कहा जाता है कि मेरे परिश्रम का है और यदि किसी को लड़की पैदा हो जाय तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं पड़ोसी का हाथ है ।

श्रीमन्, मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि कोटा बढ़ाने और सुविधा देने में मेरा हक है और जो खामियां हैं वह सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट की है, खाद्यान्न की कमी सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट के तहत है ऐसा नहीं है । आपने तो कहा था अपनी पिछली हुकूमत में कि इतने खाद्यान्न की व्यवस्था करेंगे लेकिन आपने किया क्या ? आपने शराब माफियाओं के डर और आतंक से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा शराब बंटवायी । आपने कहा कि तेल और खाद्यान्न तो देंगे लेकिन शराब भी बेचेंगे । लेकिन शराब बेचने में आपको 6,08,54000/–हजार का घाटा हुआ आप तो जानते हैं कि शराब कौन-कौन से लोग बेचते हैं, किस कैटगरी के लोग हैं, सपाई हैं या भाजपाई । हम तो गंगाजल पीते हैं । मंत्री जी इसका भी जिक्र कर दें कि पिछली बार 6 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ था क्या फिर आप शराब बिकवायेंगे ? माननीय अधिष्ठाता जी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में आया है कि 6 करोड़ 8 लाख 54 हजार रुपये का घाटा हुआ है । फिर भी माननीय मंत्री जी ने उन्हीं अधिकारियों को उन पदों पर रखा है जिनके समय में घाटा हो चुका है । माननीय मंत्री जी ने बड़े सरल स्वभाव से पूरी खूबी बता दी और खामियों को हम पर डाल दिया । मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो इस पर भी अपने सुझाव और राय दें ।

* श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने खाद्य एवं रसद के बजट पर समर्थन करने के लिए अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने बड़ा सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है और आज प्रदेश में जिस तरह का बजट आवश्यक था उसी तरीके से आपने पेश किया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री जी को तो अभी जुमां-जुमां आठ दिन हुये हैं, यह भ्रष्टाचार आज से नहीं है राष्ट्रपति शासन के समय से और इसके पहले से चला आ रहा है।

श्री ओम प्रकाश–

गुरू जी, क्या इसीलिए लगातार चलेगा ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

आप ठीक हो जाइये तो वह भी ठीक हो जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, सरकारी व्यवस्था बहुत दुरुस्त है लेकिन अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान बस्ती जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती जिले में 20 हजार यूनिट फर्जी बनाकर और उसी आदमी को दुकान का लाईसेन्स दिया गया है। आज मिट्टी का तेल 2 किश्तों में दिया जाता है पहली किश्त साढ़े तीन लीटर और दूसरी किश्त डेढ़ लीटर का दिया जाता है। यह जो डेढ़ लीटर दिया जाता है वह महीने के आखिर में दिया जाता है। जिस पर 150 से 200 रुपये प्रति ड्रम के हिसाब से जिलापूर्ति अधिकारी वसूल करवाते हैं। इस प्रकार से वह तेल गांवों में न जा करके बड़े-बड़े जो डीजल के लाईसेन्सधारक हैं, सफेदपोश हैं उनको ले जाकर बेच दिया जाता है।

यह परम्परा स्थापित है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बस्ती जिले में 5 अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती के लिये जिला पूर्ति अधिकारी ने अनुमोदन लिया, लेकिन उसके स्थान पर बैकवर्ड लोगों को रखा गया। मान्यवर, 40 नाम इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से आये थे, उसमें से केवल दो लोगों को किया और बाकी 3 आदमी 60-60 हजार रुपये लेकर पिछड़ी जाति के किये गये। आज भी वहां इस मामले की जांच चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति हो गई है, वह किसी से छिपी नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी को ट्रांसफर करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया और यह कहा गया कि स्थानान्तरण करके जांच कराई जाय, लेकिन अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उनका स्थानान्तरण करके इस मामले की जांच कराई जाय। इसी के साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि वहां डीजल के लाइसेन्सियों से 10-10, 5-5 हजार रुपये लेकर लाइसेन्स दिये जा रहे हैं, चाहे वह सचिवालय हो, चाहे जवाहर भवन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, यहां के सारे कर्मचारी वहां के सप्लाई अफसर से सांठ-गांठ करके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाये जायें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(दल बहादुर कोरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, एक व्यक्ति इधर से और एक व्यक्ति उधर से बुलाने की परम्परा रही है, कृपया इधर से बुलवायें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, हमारे विपक्ष के भाई एक इधर से एक उधर से बुलवाने को कह रहे हैं, लेकिन मान्यवर, उधर इतने कम लोग हैं कि 5 लोगों के बाद तो पूरा विपक्ष आउट हो जायेगा। अच्छा तो यह होगा कि आप 5 इधर से और एक उधर से बुलवायें, ताकि सदन की कार्यवाही ठीक से चले।

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक इधर से एक उधर से ही बुलवा रहा हूं, लेकिन चन्द्रनाथ सिंह जी आपकी तरफ से कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करता।

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, आज जो खाद्य और रसद विभाग का बजट पेश किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, केवल 3-4 बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

(1) आबादी बढ़ चुकी है और नये राशन कार्ड बनाये नहीं जा रहे हैं, इनका विभाग आज्ञा भी नहीं दे रहा है, इससे परिवार के लोगों को चीनी और मिट्टी का तेल बहुत कम मिल पा रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए।

(2) जनपदीय अधिकारी बगैर जांच किये, किसी नेता के कहने पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर किसी का भी कोटा रद्द कर देते हैं यह भी गलत प्रक्रिया है। किसी की शिकायत आई, तो उसकी खुली जांच होनी चाहिये और खुली जांच के बाद यदि वह दोषी पाया जाय, तभी उसका कोटा निरस्त होना चाहिए।

अभी विपक्ष के भाई बोल रहे थे कि प्रतापगढ़ में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इस सरकार ने अभी थोड़े ही दिन हुये, कार्यभार संभाला है। वर्ष 1993-94 में इनकी ही सरकार थी, उस समय इनके नेता वसूली किया करते थे, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूं। हलवाइयों के यहां चीनी पहुंचाते थे और कोटेदारों पर हल्ला बोल करते थे।

आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने अनुदान संख्या 21 पर जो बजट रखा है और उसका कटौती प्रस्ताव हमारे आदरणीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने रखा है, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसको केन्द्र सरकार पर अपनी सारी समस्याओं का बल डालने का प्रयास किया है और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचने का वह प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते दर पर, उचित दर पर राशन उपलब्ध कराया जाय तथा ब्लो पावरटी लाइन के लोगों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार पर डाली है लेकिन आज माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वह पूरे प्रदेश के ब्लो पावरटी लाइन के परिवारों को चिन्हित नहीं कर सके हैं जो स्वयं विभाग की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है और इसमें जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं लिया गया है इसलिए स्वयं इस कार्य में और अधिक तेजी लाई जानी चाहिए ।

इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव में नये राशनकार्ड बनाने का काम जिला आपूर्ति कार्यालय में रुका पड़ा है और दूसरी तरफ फेयर राशन डिपो ने अपने-अपने डिपो में फर्जी राशन कार्ड बना लिये हैं जिसकी स्क्रीनिंग का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है और राशन डिपो होल्डरों द्वारा उपरोक्त खाद्यान्न की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है । इसी तरह से मिट्टी के तेल का हाल है मिट्टी के तेल डिपो वाले उसे पेट्रोल पम्प वालों को ब्लैक में बेच रहे हैं और उसे धड़ल्ले में पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, डीजल में मिलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण सेल में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने का काम नहीं किया जा रहा है वहां 90 हजार विवाद अभी तक लम्बित पड़े हैं जो स्वयं इस बात को दर्शा रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण सेल का कार्य को सुचारु रूप से न चलने के कारण उपभोक्ता अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है इसके लिये विभाग की सतर्कता समितियां बननी बहुत आवश्यक हैं जिसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और विभाग में लगे हुए जंग को साफ किया जा सके इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि बांट और माप तौल विभाग द्वारा भी उपभोक्ताओं और व्यापारियों के हित में व्यापार बढ़ जाने के कारण परीक्षण मुद्रांकन केन्द्र नये कैम्प स्थल नहीं घोषित किये जा रहे हैं जो हर तहसील में होने चाहिए जिससे आम व्यापारियों को जो उपभोक्ताओं को शोषण का काम माप और तौल से किया जा रहा है उसका कोई समाधान करने की तरफ प्रयास नहीं किया जा रहा है बांट और माप तौल में जो विसंगतियां व्याप्त हैं उसके लिये उपभोक्ता व व्यापारियों के हित में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए । इसके अलावा सरकार द्वारा जो नये जिले और मण्डलों की घोषणा की गयी है उन जिलों में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक की नियुक्ति नहीं की गयी है इससे कार्य में बाधा आ रही है ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी की नीयत ठीक नहीं है और विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह जो वर्ष 1997-98 का बजट माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह लोकहितकारी और जनहितकारी बजट है इसलिये मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूर्वांचल के जिलों में महाराजगंज सबसे पिछड़ा जिला है और वहां पहले के वर्षों में जो राशनकार्ड दिये गये हैं वह पचीस फीसदी कार्ड सड़ गये हैं । फट गया है, गल गया है या तो कहीं खो गया है, जो चीनी और तेल मिलता था, आज जिन कोटेधारकों के पास कोटा नहीं है, उनको तेल और चीनी मिलना मुश्किल हो रहा है । कोटेदारों की जिनके पास कार्ड नहीं है, कृपा दृष्टि हो जाती है तो उनको तेल और चीनी दे दी जाती है और कहीं-

कहीं न मिलने पर मार-पीट की नौबत आ जाती है । मान्यवर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण में विसंगति है । शहरी क्षेत्र में जहां प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम चीनी है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 500 ग्राम दी जाती है ।

मान्यवर, आपने बैठने का निर्देश दिया है मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्रीमती उर्मिला यादव–

मान्यवर, जबसे भाजपा, बसपा की सरकार आयी है, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बढ़ी है । मान्यवर, 80 प्रतिशत लोग बी० जे० पी० के राशन विक्रेता हैं । 4 महीने के इस शासनकाल में जो भ्रष्ट हैं उनमें कितने लोगों को पकड़ा गया इसको मंत्री जी बताने का कष्ट करें इसके अतिरिक्त यह भी बताने का कष्ट करें कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कितने लोगों के पास राशन विक्रेता का लाइसेंस है । मैं मैनपुरी जनपद के घिरोर क्षेत्र से आती हूं जहां चीनी और मिट्टी के तेल की हाय-हाय मची हुई है, वहां लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सख्त जरूरत है ।

मान्यवर, आप समाप्त करने के लिये कह रहे हैं, मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रही हूं ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं फर्रुखाबाद जनपद के उर्मदा क्षेत्र से विधायक हूं । मान्यवर, जो मिट्टी का तेल हमारे क्षेत्र की राशन की दुकानों को जाता है, वह कन्नौज तहसील से जाता है हमारे यहां नवजीवन आयल कं० है और भी दूसरे डीलर हैं जो दो महीने का गेप करके राशन के दुकानदारों को तेल देते हैं जिससे क्षेत्र में मिट्टी के तेल का सही वितरण नहीं हो पाता है । जो मिट्टी के तेल का ब्लैक होता है, वह पेट्रोल पम्प में मिलावट कर दिया जाता है और डीजल में भी मिलाया जाता है । फर्रुखाबाद में ही नहीं सम्पूर्ण उ० प्र० में जो पेट्रोल पम्प मालिक हैं उन्होंने पेट्रोल पम्पों पर तेल निकालने वाली मशीनों से ऐसी सेटिंग कर रखी है कि जो 100 लीटर में 5/10 लीटर तेल कम करके नापा जाता है । पूरे प्रदेश में कम नापा जाता है, इसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है । इसी तरह से हमारे यहां इण्डेन गैस एजेन्सी है, जहां लगभग 300 रु० में ब्लैक में गैस बांटी जाती है । हमारे यहां राशन कार्ड पर्याप्त नहीं हैं राशन कार्ड मेरे क्षेत्र की जनता के बनवाये जायें ताकि जनता को शक्कर मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके । मान्यवर, आप समाप्त करने के लिये कह रहे हैं, मैं इसी के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं । मा० मंत्री जी ने एक संतुलित एवं अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । हमारे क्षेत्र में खाद्य एवं रसद का वितरण वैधानिक ढंग से किया जाय तथा इसकी उपलब्धता जनता के बीच निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाय । मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय खाद्य तथा रसद मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दो बातें लाना चाहूंगी । पहली यह है कि अब तक हमारे किसान भाई ऐसी अव्यवस्था का शिकार रहे कि उन्हें मात्र 250 ग्राम चीनी तथा एक किलो मिट्टी का तेल मिलता था । तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे और उनको मिल सके । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आती हूं वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां पर 30 दुकानों में से 28 दुकानें अनुसूचित जाति तथा जनजाति की हैं । केवल दो दुकानें सवर्णों के लिये हैं । तो मेरा अनुरोध है कि उन दुकानों से भी सवर्णों को राशन दिलाने की व्यवस्था करें । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो खाद्य विभाग का 97-98 का बजट पेश किया है वह बिल्कुल निराधार है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी है। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल की निश्चित रूप से काला बाजारी हो रही है, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। मिट्टी का तेल 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक राशन की दुकानों पर बिक रहा है। इसमें पूर्ण रूप से पूर्ति विभाग के कर्मचारी कमीशन खोरी में लिप्त हैं। जो राशन की व्यवस्था है उसमें राशन की होम डिलवरी का प्राविधान है परन्तु वह नहीं किया जा रहा है। राशन दुकानदार को वितरण सामग्री हेतु स्वयं का वाहन लाना पड़ता है राशन वितरण सामग्री लेकर जाते हैं। हर दुकानदार को एक हजार रुपया कार्यालय प्रतिमाह कमीशन देना पड़ता है। व्यवस्था खराब होने से प्रदेश का दलित परेशान है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के मा० सदस्य भी कह रहे हैं कि राशन वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप इस व्यवस्था में सुधार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, लगभग सभी सम्मानित सदस्यों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, इस बात को स्वीकार किया है कि वितरण प्रणाली की आपूर्ति व्यवस्था बिल्कुल लुंज-पुंज हो गयी है और जो उसमें समुचित नियंत्रण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। यह अलग बात है कि मेरी बातों को समझते हुए भी ये लोग मंत्री जी की तरफ से हां करेंगे। हमारे शुक्ला जी यहां पर बैठे हैं यह भी हां करेंगे। मान्यवर, मैं दो तीन मुद्दों पर पुनः बल देता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आज पढ़ रहा था भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इण्डिया, 1996 में उसमें बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। अक्टूबर, 86 की जनगणना के आधार पर मिट्टी का तेल जहां पर आवंटित किया जाता था वह अब एक जुलाई, 1996 की आबादी के आधार पर आवंटित किया जा रहा है। 1986 से बढ़ाकर 1997 कर दिया गया है, तो मिट्टी के तेल की मिलावट क्यों है। वह अधिकांश मिलावट में जा रहा है। वर्ष 1990 में एक योजना चलायी गयी थी तेल कम्पनियों के सीनियर मैनेजरों से परामर्श करके कि मिट्टी के तेल को रंग दिया जाये तो अगर मिलावट होती है तो उपभोक्ता स्पष्ट रूप से जान सकेगा कि मिट्टी के तेल की मिलावट है। यह योजना 1990 में प्रारम्भ की गयी थी, लेकिन पता नहीं उस योजना को क्यों समाप्त कर दिया गया है। मिट्टी के तेल को कलर कर देने के बाद, जो लोग मिलावट का काम करते थे उसमें कमी आ जाती और प्रतिबन्ध लग जाता, इसलिये उसको समाप्त कर दिया गया। अगर कोई दूसरा कारण हो तो माननीय मंत्री जी बता दें।

मान्यवर, बस्ती जिले में इंडियन आयल कारपोरेशन का डिपो था और जितने भी वहां के डीलर थे उनको वहीं से तेल मिलता था लेकिन न मालूम क्यों बस्ती का डिपो तोड़ दिया गया है, जब कि सरकार की नीति है कि अधिक से अधिक डिपो बनाये जायें, उनको अब गोण्डा से सप्लाई की जाती है। बस्ती का डिपो बन्द कर दिया गया है, जबकि जमीन उनकी अपनी थी।

मान्यवर, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बारे में मा० मंत्री जी ने कहा कि घाटा हो रहा है। आप उठा कर देखें कि उनके जिन डिपो पर गबन के दोषी कर्मचारी थे आज वह वहां पर पोस्ट कर दिये गये हैं। ऐसी मेरी सूचना है, आप जांच करा लें।

एक सदस्य–

लाभ हो रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

गबन वालों को पोस्ट कर देने से लाभ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जो गेहूं खरीदने के लिये पैसा कर्मचारी कल्याण निगम को दिया था, मैं चाहूंगा कि उसकी जांच कर लें कि कुछ धन अन्य कामों में प्रयोग किया गया है या नहीं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी भी जांच कर लें कि सतर्कता समितियां जो बनी थी, मेरा दावा है कि किसी भी जिले में कार्य नहीं कर रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर सही नियंत्रण चाहते हैं तो उन समितियों को तुरन्त स्थापित करायें। मान्यवर, अभी आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष का बयान मैंने पढ़ा था कि आवश्यक वस्तु निगम की पूंजी बढ़ाये जाने की मांग कर ली है और शासन उस पर विचार कर रहा है, उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूंजी बढ़ा दी जायेगी। जब बजट साहित्य मिला तो मैं खोजता रहा, 5 करोड़ तो कौन कहे, 5 रुपये भी नहीं दिया गया है। अगर इसको आप सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इसकी अंश पूंजी बढ़ायें और जो खरीदारियां की जा रही हैं उसमें जो घपलेबाजी है, उसकी जांच करें और जो दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दे दें, वैसे आपके लिये समय की बाध्यता नहीं है।

श्री ऐजाज रिजवी–

माननीय सदस्य दिवाकर विक्रम जी का आभारी हूं कि उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग के संबंध में बहुत कुछ जानकारी दी और अच्छे-अच्छे मशविरे दिये लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सम्भवतः जानकारी उनको किसी ऐसे माध्यम से मिली है जो पूरी नहीं है। मान्यवर, जहां तक गेहूं की खरीददारी का मसला है, यह भारत सरकार की योजना थी। उसमें पहले समर्थन मूल्य ज्यादा था ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेहूं पैदा होता था वह सस्ते दामों पर बिकता था। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले इसके लिये समर्थन मूल्य बाजार भाव ज्यादा होता था। इधर गेहूं की खरीददारी जो बाजार में हुई उसमें ज्यादा मूल्य मिलने लगा। क्योंकि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 4.15 रुपया कुन्टल किया और बाजार भाव 5.50 और 6.00 तक कहीं-कहीं पर गया। तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से कहना पड़ा कि समर्थन मूल्य ज्यादा बढ़ायें। उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर भारत सरकार ने 60 रुपया बोनस देकर 4.75 रुपया कुन्टल दाम हो गये। इस आधार पर गेहूं की खरीददारी 6 लाख 17 हजार मीट्रिक टन हो गयी। गत वर्ष यह 2 लाख 20 हजार मीट्रिक टन हुई थी। जबकि पिछले साल भाव इससे बढ़े हुए थे। तो यह हमारे विभाग की कार्यकुशलता से हुआ। एक बात और सतर्कता समितियों के बारे में आयी कि इन समितियों का गठन नहीं किया गया है मैं सदन के संज्ञान में यह बात ला देना चाहता हूं कि जनपद स्तर पर 64 सतर्कता समिति गठित कर दी हैं। नगर निगम स्तर पर 664 सतर्कता समिति गठित कर दी हैं, वार्ड स्तर पर 10049 सतर्कता समिति गठित कर दी हैं। ब्लाक स्तर पर 893 सतर्कता समिति गठित कर दी हैं, ग्राम स्तर पर 54715 सतर्कता समिति गठित कर दी हैं।

माननीय सदस्यों ने यह भी जिज्ञासा की थी कि बाजार में गेहूं का मूल्य बढ़ गया था तो हमने फ्री सेल गेहूं का आटा 1 लाख 68 हजार 913 मीट्रिक टन आटा पिसाकर वितरित कराया। माननीय

सदस्य ने मिट्टी के तेल के वितरण पर चिन्ता जाहिर की और कहा कि नीले रंग का हो गया होता तो जो कठिनाई है वह नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सस्ते गल्ले की दुकानों से मिट्टी का तेल नहीं खरीदा क्योंकि सरकारी गल्ले की दुकानों से जो मिट्टी का तेल वितरित किया जा रहा है और जो हमें भारत सरकार से मिल रहा है उसका रंग नीला ही है।

माननीय संगठन के कार्डों के बारे में चिन्ता जाहिर की मैं बताना चाहता हूं कि बी० पी० एल० के अन्तर्गत (5) लाख कार्ड दिये जा चुके हैं। और पुराने कार्डों में ही कहीं पर मुहर लगाकर सत्यापित किये गये हैं।

भण्डारण के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की और कहा कि भण्डारण की क्षमता प्रदेश की पूरी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भण्डारण क्षमता एजेन्सीवार है वह इस प्रकार है–हाट शाखा संख्या 3,99,993, पी० सी० एफ० 10,91,572, सी० डब्लू सी० 8,33,550, एस० डब्लू० सी० 12,91,810, यू० पी० एच० एस० 58,000 एफ० सी० आई० 14,55,940, मान्यवर, इस प्रकार से कुल 51 लाख, 30 हजार 865 मी० टन भण्डारण क्षमता प्रदेश में उपलब्ध है। जहां तक इन्फोर्समेन्ट का प्रश्न है मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 69897 स्थानों के ऊपर छापे मारे गये, 346 लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० लिखायी गयी और 123 को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 2168 लाइसेंस निलम्बित किये गये और 1362 लाइसेंसों को निरस्त किया गया। 1352699 रुपये की जमानत जब्त की गयी और 4 करोड़ 27 लाख, 70 हजार, 660 रुपये का माल जब्त किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

समय की बाध्यता नहीं है लेकिन आप संक्षेप करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

आपने जो कमेटियों का गठन किया है उनको अधिकार दे दीजिये ताकि अधिकारियों का बर्चस्व समाप्त किया जा सके।

श्री एजाज रिजवी–

मैं बताना चाहूंगा कि जो सतर्कता समितियां गठित की गयी हैं उनको सत्यापन करने का अधिकार दिया गया है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिन-जिन बातों पर जानकारी चाहते थे उन सभी पर मैंने जानकारी दे दी है।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

सतर्कता समितियों को कोई अधिकार दिया गया है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे चुके हैं।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, जहां तक पर्वतीय क्षेत्र की बात की गयी है तो मैंने पूर्व में स्पष्ट किया है कि जो भी कमी थी उसको प्रदेश सरकार ने मैदानी से 1022000 मी० टन गेहूं यहां से ट्रांसफर करके, डाइवर्ट करके पर्वतीय क्षेत्र में भेजा है जिसमें से मात्र 35 प्रतिशत की ही वहां पर उठान किया गया है बाकी का उठान नहीं किया गया है। वहां पर कोई भी खाद्यान्न की समस्या नहीं है। मैंने माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को समाधान करने का प्रयास किया है। मैं दिवाकर विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और बजट प्रस्ताव को पारित करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, 64 जनपदों में सतर्कता समितियों का गठन किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि बस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर और झांसी में यह समितियां कब गठित की गयीं, उसमें कौन-कौन से सदस्य हैं और उनकी कितनी बैठकें हुई हैं । यह सूचना आपके पास अभी सम्भवतः नहीं होगी, इसको मुझे पत्र द्वारा सूचित कर दीजियेगा ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो समिति गठित की है उसमें कौन-कौन सदस्य हैं । आपके निर्धारित समय पर दुकानें नहीं खुलती हैं । एक महीने में एक बार ही खोलते हैं । माननीय मंत्री जी से मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

उसकी सूचना बाद में आ जायेगी । दिवाकर विक्रम जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,77,15,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग

उत्तराखण्ड विकास राज्य मंत्री (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,45,48,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विकास विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, उत्तरांचल बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जहां प्रकृति ने इसे बहुत अच्छे ढंग से सजाया संवारा है गंगा और यमुना यहां बहती हैं और जिस उत्तरांचल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे तीर्थ स्थल विद्यमान हैं । उसी उत्तरांचल की धरा में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे सुरम्य स्थान हैं । मान्यवर, वहां की गरीबी जग जाहिर है । वहां के लोग रोजगार के लिये पलायन करके मैदानी क्षेत्र में अपनी आजीविका का साधन अर्जित करते हैं । यहां की जनता अपनी गरीबी के लिये उत्तरांचल राज्य की मांग

कर रही है इन्हीं बातों को मद्दे नजर रखते हुए हमारी सरकार ने उत्तरांचल के लिये एक नई नीति, एक नया नियोजन और चिन्तन प्रारम्भ किया है । उत्तरांचल के विकास के लिये कोई नियोजन नहीं किया गया यही कारण है कि उत्तरांचल में विकास नहीं हो पाया मगर हमारी सरकार ने चिन्तन किया कि उत्तरांचल के विकास के लिये नया नियोजन, नया चिन्तन यहां की भौगोलिक परिस्थिति को मद्दे नजर रख कर किया जाय । हमारी सरकार उत्तरांचल को सरसब्ज बनाने के लिये कृषि में परिवर्तन लाने के लिये, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये, रोजगार के साधनों को प्रभावित करने के लिये नया चिन्तन प्रारम्भ किया । मान्यवर, वर्ष 1997-98 में आयोजनागत आय व्यय के लिये हमारी सरकार ने उत्तरांचल के लिये 677 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है जबकि यह धनराशि 1996-97 में मात्र 620.69 करोड़ रुपया था हमारा इस प्रकार से इस समय परिव्यय 9 प्रतिशत अधिक है ।मान्यवर, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 4 हजार 430 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है । जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 2 हजार 105 करोड़ रुपया का परिव्यय था । इसी प्रकार नवीं पंचवर्षीय योजना में आंठवीं पंचवर्षीय योजना से दुगुना परिव्यय रखा गया । उत्तरांचल की धरती में सबसे ज्यादा व्यवसायिक .....

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या पढ़ने की परम्परा बना दी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आंकड़े पढ़े जा सकते हैं । आप कृपया शान्त रहें और अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल में मुख्य व्यवसाय कृषि है कृषि को सरसब्ज करने के लिये हमारी सरकार ने व्यवसायिक कृषि पर ध्यान दिया है । वहां मण्डुवा, झंगोरा, गेहूं, धान की खेती होती थी वह अनुपयोगी थी इसलिये उत्तरांचल में व्यवसायिक खेती हो इसका प्रयास किया गया है । इसलिये वहां दलहन, तिलहन, सोयाबीन, रामदाना जैसे उपयोगी अनाज को वहां पैदा किया जाएगा । हमने 25.50 करोड़ रुपये का प्राविधान कृषि के लिये किया है । वन का हमारे यहां बहुत महत्व है । 65 प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादित हैं । हमारी सरकार चाहती है पर्यावरण दूषित न हो इसलिये वन के लिये 48 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ताकि यहां पर वृक्षारोपण हो सके । महिला वन पंचायत का भी गठन किया जाएगा । वहां के जनता के सहयोग से वहां का वनीयकरण किया जा सकेगा । वहां पर पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किया जा सकेगा । जलागम के लिये 22.47 करोड़ की व्यवस्था की गई है । ऊर्जा विकास और वैकल्पिक सौर ऊर्जा के लिये 78.69 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है । उत्तरांचल में गंगा जमुना नदी बहती है । मगर भूकम्प के आने से स्रोत सूख गये हैं । वहां राष्ट्रीय जलागम विकास परियोजना बनाई जाए ताकि पेयजल की सुविधा दी जा सके । पेयजल के लिये 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । नैनीताल, हल्द्वानी पिथौरागढ़, पौड़ी के लिये 10 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है ।अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है ।मान्यवर, शिक्षा के लिये वित्तीय वर्ष 66 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । 30.75 करोड़ रुपया विश्व बैंक द्वारा पोषित है । सबके लिये शिक्षा योजना के लिये परिव्यय है । सड़क पुल के निर्माण के लिये 109.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । ताकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार चाहती है उत्तरांचल के सब गांव मोटर मार्ग हल्के वाहन पैदल मार्ग से जोड़ा जा सके । मान्यवर, उत्तरांचल में चिकित्सालय,जन स्वास्थ्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये 15.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । मान्यवर, उत्तरांचल में डाक्टरों का अभाव रहता था जिसे हमारी सरकार ने दूर करने के प्रयास हेतु वहां डाक्टरों की नियुक्तियां की हैं ।

मान्यवर, उत्तरांचल में पर्यटन का बड़ा महत्व है और प्रकृति ने उसको सजाया संवारा है । कुमाऊं में रानीखेत, नैनीताल, मुनिसियारी आदि तमाम ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय हैं । गढ़वाल में पौड़ी,मसूरी जैसे

मनोरम स्थान है जिन्हें संवारने सजाने के लिये हमारी सरकार ने 20 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है । इसमें से 10 करोड़ रुपये बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा मानसरोवर में यात्रा सेवाओं में सुधार एवं वृद्धि हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है ।

मान्यवर, ऊर्जा विकास के लिये वर्ष 97-98 के लिये 78.69 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 552 गांवों विद्युतीकरण तथा 115 अनुसूचित जाति बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मान्यवर, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 11.55 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है ।

मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन, किसान पेंशन आदि के लिये 43,729 लोगों को लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने अम्बेडकर गांवों के विकास के लिये कटिबद्ध है । इस वित्तीय वर्ष में हर विधान सभा क्षेत्र में 10-10 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया जायेगा इन गांवों में पेयजल, विद्यालय सड़क, विद्युतीकरण सड़क खड़ंजा, नाली सुलभ शौचालय का निर्माण किया जायेगा ।

उत्तरांचल में सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों का प्रमुख स्थान है इसलिये इसक्षेत्र में सेवारत एवं लेखा निवृत्त सैनिकों की संख्या लगभग 2.95 लाख है उनके कल्याण के लिये नियोजन तथा पुनर्स्थापना की अति आवश्यकता है इन सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वासन हेतु विश्रामगृहों का सुदृढ़ीकरण तथा नव निर्माण, सैनिकों की विधवाओं एवं आश्रितों हेतु हास्टल/छात्रवासों का निर्माण, के लिये 0.30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, उत्तरांचल के विकास से संबंधित संगठनात्मक ढांचे को भी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करने की आवश्यकता है । इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 1997-98 में कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा का पुनर्गठन, जलागम प्रबन्ध हेतु पृथक निदेशालय की स्थापना, वर्तमान कृषि एवं उद्यान अवस्थापनाओं को पुर्नगठित करते हुए एकीकृत कृषि निदेशालय की स्थापना तथा हिल कैम्प्स (रानीचौरी) का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है । पुर्नगठन की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाय, रेशम एवं ऊन विकास हेतु उत्तरांचल चाय विकास निगम, उत्तरांचल रेशम विकास निगम तथा उत्तरांचल ऊन विकास परिषद् स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने 3 जुलाई, 97 को अधिसूचना जारी कर संभी विभागों में पर्वतीय संवर्ग को लागू कर दिया है । हमारी सरकार ने पृथक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सृजन से संबंधित विधेयक 25 जुलाई, 97 को सदन में प्रस्तुत किया है ।

उत्तरांचल राज्य की स्थापना हेतु विधानसभा और विधान परिषद् में 24 अप्रैल, 1997 को प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है । और पृथक राज्य बनाने की अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को भेज दी है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने धन को उपयोगी मद में खर्च करने की प्राथमिकता दी है । ताकि वहां के कृषकों का आर्थिक जीवन सुधर सके, मत्स्य पालन, जड़ी-बूटी का उत्पादन और दोहन हमारी प्राथमिकता है । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल की धरती में कई महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियां हैं जो हमारे जीवन के लिये लाभदायक हैं । मैं आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, शायद इसको कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं लेकिन मेरा विचार इससे अलग है, गंगा जल में कीड़े इसलिये नहीं पड़ते हैं क्योंकि वह जड़ी-बूटी का पानी है । इसलिये हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है कि जड़ी-बूटियों के दोहन के साथ-साथ उत्पादन पर भी जोर दिया जाये । मैं स्वीकार करता हूं कि औद्योगिक दृष्टि से

उत्तरांचल शून्य है । हमने प्रयास किया है कि वहां पर जो उत्पादन होता है जो उत्पाद हैं उसी पर आधारित उद्योग लगायें । अभी मैंने अदरक पर आधारित सोंठ का उद्योग देहरादून जनपद के टुकरानी नामक स्थान पर लगाया है और हम विचार कर रहे हैं कि अदरक से जिंजर बनाने का कारखाना भी उत्तरांचल में लगाया जाये ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके । उत्तरांचल में चीड़ बड़ी मात्रा में होता है ।

हमारी सरकार चीड़ के पत्ते पर आधारित कोयला बनाने का प्रयास कर रही है ।उत्तरकाशी में मिनरल वाटर प्लान्ट लगाया है और हम चाहते हैं कि उत्तरांचल का जो जल है, उसको जगह-जगह पहुंचाने के लिये स्थान-स्थान पर मिनरल वाटर प्लाण्ट लगाया जाये ताकि पर्वतीय क्षेत्र की जल सम्पदा का सदुपयोग हो सके मान्यवर, उत्तरांचल में रेत, पत्थर और बजरी भारी मात्रा में है हम उस पर आधारित उद्योग लगाने के लिये प्रयास कर रहे हैं । उत्तरांचल में जल सम्पदा, वन सम्पदा और खनिज सम्पदा भारी मात्रा में है, और हम इसका सदुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं । हमारी सरकार ने उत्तरांचल विकास विभाग और उत्तरांचल विकास परिषद् का गठन कर लिया है । हम यह भी चाहते हैं कि हमारा उत्तरांचल विकास विभाग को आयोजनागत प्लानिंग को देखते हुए नान प्लानिंग का कार्य भी दिया जाये ताकि सुचारु रूप से यह विभाग काम कर सके ।

मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने बहुमूल्य सुझाव उत्तरांचल विकास विभाग के बजट पर दें ताकि उसके अनुरूप हम कार्य कर सकें । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी, आप इस पर कटौती का प्रस्ताव रखेंगे । समय को ध्यान में रखते हुये सुझाव दे दीजिये ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं इस पर कटौती का प्रस्ताव रखूंगा ।

मान्यवर,मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05 उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्रीमन्, मैंने उत्तराखण्ड विकास मंत्री जी को बजट प्रस्तावों पर बोलते हुये सुना । बहुत अजीबो गरीब स्थिति रही । भावनात्मक रूप से जिस तरीके से चन्द मिनटों के अन्दर माननीय मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हम लोग विचारों के उतार चढ़ाव के कई दौर से गुजरे । मैं यहां पर बैठकर के यह सोच रहा था कि उत्तराखण्ड का जनमानस एक पृथक उत्तराखण्ड राज्य की परिकल्पना कर रहा है । लिहाजा मैं माननीय मंत्री जी की तरफ इस उम्मीद और आशा से देख रहा था कि माननीय मंत्री जी की तरफ से जो बजट प्रस्ताव आयेगा वह किसी विभाग पर नहीं आयेगा, बल्कि भविष्य के प्रान्त का बजट प्रस्ताव आयेगा, एक स्टेट का नक्शा, एक स्टेट का खाका और एक स्टेट की स्थापना और सम्पूर्ण विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर और उस प्रदेश की भविष्य की जो जरुरतें हैं, उसका एक वृहद कार्यक्रम लेकर वह इन प्रस्तावों के माध्यम से आयेंगे ।

श्रीमन्, मुझे माननीय मंत्री जी की योग्यता, विद्वता और कुशलता पर कोई सन्देह नहीं है । वैसे मैं चूंकि विज्ञान पढ़ा हुआ हूं, इसलिये बहुत ज्यादा ज्योतिष आदि में विश्वास नहीं करता । स्कूल में जब पढ़ा करते थे, राहु-केतु के बारे में कहानियां तो मुझे ऐसा लगा, इस बजट प्रस्ताव को सुनने के बाद, कि यह तो राहु केतु की सरकार है और इसमें सब ग्रहण ही ग्रहण नजर आता है, विकास कहीं नजर नहीं आता । विकास की कोई बात इस बजट प्रस्ताव में दिखाई नहीं दी ।

श्रीमन् इस सम्मानित सदन के अन्दर, इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अन्दर जब हम उत्तराखण्ड राज्य की बात करते हैं, उत्तराखण्ड इलाके की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी और प्रदेश के कई क्षेत्रों की जनता इस भाव से हमारी तरफ देखती है कि यह किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यह क्षेत्र है कहां । मान्यवर, यह सच्चाई भी है कि इस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भौगोलिक सीमायें हैं, जो ऐतिहासिक उद्भव है, जो सांस्कृतिक भिन्नता है, उसकी बहुत कम जानकारी वास्तव में बाहरी समाज को है ।

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि यदि अनुमति देंगे तो वास्तव में यदि मैं यह कहने की कोशिश करूं तो उत्तराखण्ड क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र के अन्दर मानव जाति के विद्यमान रहने, उपस्थित रहने के लक्षण 6(X) बी० सी० के करीब से मिलते हैं । जो पुरातत्वेत्ता हैं, उन्होंने अध्ययन किया था और करीबन 6(X) बी० सी० के प्रमाण मानव जाति के रहने के मिलते हैं । यदि हम राजनीतिक दृष्टि से कहें तो दूसरी शताब्दी में दसवीं शताब्दी के मध्य वहां कत्यूरी वंश का साम्राज्य था । इसके बाद कुछ समय राजनीतिक दौर से संक्रमण कालीन रहा । आज का इतिहास का समय जिसे कहते हैं, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि 1771 से 1787 तक पूरा उत्तराखण्ड क्षेत्र एक शासक के अधीन रहा । यह पहला और अंतिम वक्त था । श्रीमन् उसके बाद 1791 से लेकर हमारा-जो उत्तराखण्ड में कुमाऊं का हिस्सा है, उस पर नैपाल ने आक्रमण किया और यह गोरखा साम्राज्य में चला गया । बाद में जो हमारा गढ़वाल का इलाका है, वह भी 1804 में गोरखा में चला गया,परन्तु 1815 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने नेपाल को परास्त किया और जो दूसरा स्वरूप है, वह विकसित किया । उत्तराखण्ड का कुछ हिस्सा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन चला गया और कुछ टिहरी रियासत में चला गया । कुछ पार्सियली एक्सक्लूडेड एरिया था .....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समय का ध्यान रखिये, आपको काफी समय हो गया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जितनी देर माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, कम से कम उसका दो गुना समय तो मुझे कटौती रखने के लिये दें । मैं जिस जगह का रहने वाला हूं देहरादून के अन्दर चकराता क्षेत्र कहलाता है उसकी कितनी विशेषता है वह मैं बताना चाहता हूं । वह अपने आप में टिहरी रियासत से अलग होकर शिरमौर रियासत में चला गया उसका अधिकांश हिस्सा हिमांचल में है केवल एक हिस्सा यहां है जिसे चकराता तहसील कहा जाता है यह मैंने जरूरी समझा इसलिये बताया ।मान्यवर, मैं भौगोलिक सीमाओं की बात कर रहा था क्योंकि भौगोलिक सीमाओं की बात किये बिना जिसके बारे में बल्कि उत्तराखण्ड के बारे में एक दर्शन नहीं दिया जा सकता है को एक नई दिशा नहीं दी जा सकती है तो मैं कहना चाहता हूं कि मोटे-मोटे तौर पर उत्तराखण्ड की सीमा पूरब में सीमा काली नदी है जो कुमाऊं में है, उत्तरमें सीमा हिमालय पर्वत कहा जाता है तिब्बत के साथ सीमा है, पश्चिम में सीमा यमुना नदी, टौस नदी कहा जाता है दक्षिण में उसकी सीमा शिवालिक की पहाड़ी और तराई है इसको मिलाकर हम उत्तराखण्ड की परिकल्पना करते हैं । मान्यवर, उत्तराखण्ड विकास का बजट प्रस्तुत हुआ तो दस्तावेज हैं उस पर एक नजर डालने से 677 करोड़ का परिव्यय वर्ष 97-98 के लिये इंगित किया । आपने इतने की अनुमति विधान सभा से मांगी । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के स्वरूप पर यदि आप नजर डालें तो इसमें 32 तहसीलें हैं, 91 विकास खण्ड हैं और 9 जिलें हैं ।इसके डेवलपमेण्ट का भार माननीय मंत्री जी के ऊपर है मैं कहना चाहता हूं कि और यह उम्मीद कर रहा था कि विकास को एक नई दिशा देने का काम करेंगे । हमारी माननीय मंत्री जी से बार-बार चर्चा होती है ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद के संबंध में कहा कि मैं सोचता हूं कि ऐसा किया जाय और मैं उनके विचार से सहमत हूं लेकिन सच्चाई है वह चाहते हैं लेकिन वह इस सरकार में रहते हुए नहीं कर सकते यह उनकी मजबूरी है । यदि मैं कहने

की कोशिश करूं तो मैं यह बात कहूंगा कि सबसे पहले मैं जो उत्तराखण्ड की धरोहर कही गई है उत्तराखण्ड का तकरीबन 19 प्रतिशत एरिया नेशनल पार्क में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो स्पेयर रिजर्व है उसमें आता है ये इतना बड़ा भूभाग है कि जो उत्तराखण्ड की आबादी है वह उसमें किसी भी आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकती है । इसमें तमाम माननीय सदस्यों की तरफ से अलग-अलग चर्चा होती है कोई कहता है कि इसकी आबादी 59-60 लाख है इस लिये इतना ज्यादा परिव्यय दिये जाने की आवश्यकता नहीं । यह इस तरह से 19 प्रतिशत भूभाग है । भविष्य की पीढ़ियों के लिये विलक्षण जर्म फ्लाजम का संरक्षण कर रहे हैं वह अमूल्य धरोहर होगी उसके लिये हम कम्पन्सेशन के हकदार हैं । मैं यह सब मंत्री से बात नहीं कर रहा हूं भविष्य के उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं । परन्तु आपने वैसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया । भारत सरकार से हमारे 19-20 प्रतिशत भू-भाग को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पर्यावरण इकोलोजी कन्जरवेशन को मेन्टेन करने के लिये कर रखा है । यह अपने लिये नहीं देश के लिये कर रखा है, आपको भारत सरकार से कहना चाहिये था कि इतनी अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता होगी । आप कहेंगे कि हमारी पार्टी की दिल्ली में सरकार है । हम भी आपको ज्यादा पैसा दिलाने की वकालत करता लेकिन इसके अन्दर मान्यवर दृष्टिकोण की कमी है, रटी-रटायी चीजों को दोहराने की कोशिश की गयी है किसी को 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है, किसी को 5 प्रतिशत घटा दिया है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सारे सदस्यों की रुचि और विभागों में भी है, वे मेरे माध्यम से आप से कहना चाह रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरे लिये इससे दुखद दिन और क्या होगा कि इस सम्मानित सदन की रुचि उत्तराखण्ड में नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इस सम्पूर्ण दल का जितना समय है सारे का सारा समय आप मुझे दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

और सदस्यों को भी इसमें मौका मिलेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, उत्तराखण्ड के विकास जितने बेसिक इन्ग्रिटीयेन्ट्स हैं वे क्या हैं ? जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी के साथ सिक्खों का पवित्र स्थल हेमकुन्ड साहब है । जो वहां विकास की बात, सुविधा की बात, आवागमन के साधनों की बात, संचार के साधन बढ़ाने की बात, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जो बात की जाती है, उसमें भूल नहीं होनी चाहिये, हम पूरे देश से विश्व से आने वाले करोड़ों-करोड़ों तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की बात करते हैं लिहाजा इस खर्च को उत्तराखण्ड के विकास के लिये अकेला नहीं किया जाता है । जो लोग पर्यटन के लिये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, मंसूरी आदि स्थानों पर आते हैं वह पर्यटन के इन केन्द्रों के सौन्दर्य की चर्चा करते हैं । वहां की जो आर्थिक स्थिति है, वह प्रदेश के दूसरे भागों से भिन्न है । यदि पर कैपिटा की नजर से देखा जाय तो यह पौना दस सौ का है जबकि प्रदेश का जो ऐवरेज है वह साढ़े 9 सौ का है । ये वे लोग कहते हैं जिन्हें परिस्थितियों की जानकारी नहीं है । अजय भट्ट जी, निशंक जी हम सभी इस बात को बार-बार कहते हैं ।आज मान्यवर, उत्तराखण्ड में निर्माण के लिये अगर हम एक बोरी सीमेन्ट ले जाते हैं तो वह बोरी हमें 160/- में पड़ती है जबकि शहर में इसकी कीमत 120/- रुपया है । ओवर हैड चार्ज 40/- 50/- रुपया या 60/- रुपया पड़ जाता है । जो लिविंग कास्ट है

वह कितनी ज्यादा है अगर इस नजरिये से देखेंगे तो जो प्रदेश का औसत है उससे आधे पर हम हैं । आज केवल उत्तराखण्ड के नजरिये से नहीं बल्कि इस प्रदेश को हमें बड़ी भारी चिन्ता है और पूरे देश को चिन्ता है । यहां पर विधान सभा में बैठकर, हमारे कई वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं जिनके सानिध्य में बैठकर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जब हम लोग अपने सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं तो बिजली गुल हो जाती है और जब विधान सभा की बिजली गुल हो जाती है तो फिर गांवों में देहातों में, दूर दराज के इलाकों में और किसानों को जो बिजली दी जाती है उसकी स्थिति क्या होगी । मान्यवर, यह जो उर्जा की खपत है उसकी पूर्ति कैसे हो ।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पावर जनरेशन है वह साढ़े बारह हजार मेगावाट का है और उसमें से उत्तराखण्ड क्षेत्र में एक हजार एक सौ पचास मेगावाट का है । इतनी हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं । यदि उत्तराखण्ड के जो जल संसाधन है जो जल सम्पदा है उस पर नजर डालें, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, माननीय कलराज मिश्र जी भी बैठे हुए हैं और उनको जानकारी भी है, आप देखेंगे कि उत्तराखण्ड केअन्दर 15 हजार मेगावाट से 18 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है । मुझे बड़ी निराशा हुई इस बजट को देखकर । मैं तो उम्मीद कर रहा था कि बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं की तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद छोटी-छोटी योजनाओं की मैं उम्मीद कर रहा था । तीन चार छोटी योजनायें हैं । इसमें एक मनेरी भाली जिसका प्रथम स्टेज का काम हो चुका है और केवल सेकेंड स्टेज शेष है इसकी 304 मेगावाट की क्षमता है दूसरी लखवाड़ी व्यास 420 मेगावाट की यह योजना है और तीसरी श्रीनगर की 330 मेगावाट की योजना है यदि इन योजनाओं को नौंवीं पंचवर्षीय योजना में अंजाम देने की बात करते तो एक हजार चौवन मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रदेश के लिये मिलता जिससे पूरे प्रदेश का बहुत भला होता इस देश का बहुत बड़ा उपकार होता, और इस प्रदेश के अन्दर जो बिजली है, जो उसकी कमी है वह न होती ।

(व्यवधान)

जो आप स्थिति पैदा कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि आप उत्तराखण्ड के बारे में कितने सजग हैं । मान्यवर, पिछली उन दोनों विधान सभाओं में सदस्य रहा हूं । जब आपकी ओर से उत्तराखण्ड का प्रस्ताव पारित हो गया, और खाना पूरी कर दी गयी । मान्यवर, मैं ईमानदारी से उत्तराखण्ड के निर्माण का पक्षधर हूं । आप समझें कि बजट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं एक भविष्य के राज्य के बजट पर चर्चा कर रहा हूं । और जब आप आधे घन्टे की चर्चा नहीं सुन सकते तो इससे साफ जाहिर है कि आपकी नीयत साफ नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को ढिंडोरा पीटते हैं कि यह दलितों की सरकार है और उनके उत्थान का काम करेगी लेकिन श्रीमन् मैं पूछना चाहता हूं कि मैं बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करता हूं, उत्तराखण्ड विकास का जो ट्राइबल प्लान है उसकी चर्चा करना चाहता हूं । जनजाति विकास निदेशालय वहां पर आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन करता है । मा० मंत्री जी बैठे हैं ।

आप मंत्री हैं और इसके साथ ही साथ मेरे मतदाता भी हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वह निवास करते हैं और सम्भवतः 10 दिन में या 15 दिन में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं । आप देखें कि जनजाति विकास निदेशालय द्वारा जो विद्यालय संचालित होते हैं उनमें बच्चे वहीं से भोजन करते हैं, वहीं से उनको वस्त्र मिलते हैं और वहीं पर पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं । लेकिन पिछले डेढ़ साल से टी० आर० 27 से पैसा दिला-दिलाकर थक गया हूं । उन विद्यालयों को एक पैसा भी बजट से नहीं मिल पा रहा है और अब स्थिति यह हो गयी है कि उन बच्चों को उधार मिलना बन्द हो गया है । उनके बिस्तरों और कपड़ों का इन्तजाम नहीं हो पा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान के अन्दर जो धनराशि थी अगर उसका आंकलन करें तो वह धनराशि घटाई गयी है, बढ़ाई नहीं गयी है । इस सरकार ने बहुत हाय तौबा माचाया है । इस सरकार ने कहा कि हम पंचायतों को सुदृढ़ बना रहे हैं और हम

सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और पंचायतों को सत्ता देने जा रहे हैं । मैं इसका एक नमूना रखने जा रहा हूं । उत्तराखण्ड में विकास खण्डों को अनुदान दिये जाने की मद में 1988 में जब मैं ब्लाक प्रमुख था तो प्रति विकास खण्ड दो लाख रुपया दिया जाता था परन्तु आज दस साल बाद 1997-98 में 91 विकासखण्डों के लिये 1 करोड़ 78 लाख का माध्यम रखा गया है अर्थात् प्रति विकास खण्ड पौने दो-लाख रुपया मिल पायेगा तो यही आपने सुदृढ़ीकरण किया है ।

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा की बात कहता हूं । अभी मा० मंत्री जी ने कहा और इस सरकार ने घोषणा की कि इस वर्ष को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने बेसिक शिक्षा पर बहुत कुछ कहा है ।

श्री मुन्ना चौहान–

पैसा तो हमें इसी विभाग से मिलता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी आप संक्षेप करें अन्य लोग भी बोलने वाले हैं । आप माननीय मंत्री जी से 8 मिनट ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन् उधर ध्यान मत दीजिये इधर दीजिये, मुझे संरक्षण चाहिये । उधर से प्रभावित होकर मुझे मत रोकिये ।

प्राइमरी शिक्षा के बारे में कहा गया और इस सरकार ने इच्छा जाहिर की कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहें हैं और सभी को शिक्षित करना चाहते हैं । हमारी अभिलाषा है कि केरल की तरह उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश भी शत प्रतिशत साक्षर हो सकें । मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें दो ब्लाक कालसी और चकराता हैं । वहां पर 245 के करीब प्राइमरी स्कूल हैं । 245 में करीब 105 विद्यालय बन्द पड़े हैं, मैं इस बात को अधिकारियों से निरन्तर कहता आ रहा हूं । यह सच है कि बर्फीला और पहाड़ी इलाका होने से बाहर से अध्यापक नहीं जाते । हम नहीं चाहते कि सरकारी अध्यापक ही हमें जरूरी दिये जाय, आप राजस्थान की तरह शिक्षाकर्मी माडल का कार्यक्रम चलायें, वहां जिस प्रकार प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहे हैं, अगर वहीं व्यवस्था यहां कर दें तो उससे भी हमारे बच्चे पढ़-लिख लेंगे और स्थानीय पढ़े लिखे लड़के-लड़कियों को रोजगार भी मिलेगा । (लाल बत्ती)

श्रीमन् मैं एक बात और कहना चाहता हूं मंत्री जी से भी हमारी बातें होती रहती हैं और विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा होती है । उत्तराखण्ड में विकास कार्यों का इन्टीग्रेटेड वाटर मैनेजमेन्ट स्वरूप बनायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपको मंत्री जी से 10 मिनट ज्यादा दे दिया ।

श्री मुन्ना चौहान–

उधर से माननीय सदस्य कुछ कह रहें हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कि उत्तराखण्ड क्या बला है ? (व्यवधान)

मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा और जल्दी समाप्त करूंगा । बहुत सी ऐसी मदें हैं जो अनुपयोगी हैं कई अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही मद पर खर्च हो रहा है । जैसे भूमि संरक्षण का काम कृषि विभाग भी करता है, वन विभाग भी करता है, और ई० ई० सी० के वाटरशेड मैनेजमेन्ट इकाई भी करता है । उनका प्रोजेक्ट चल रहा है 87 करोड़ की लागत से वह भी भूमि संरक्षण का काम कर रहें हैं । तो जो इनका लक्ष्य था वह 67 हजार का था और जो ऐचीवमेन्ट दिखाया है वह 147 हजार

हेक्टेयर दिखाया गया है । यानी दुगने से भी ज्यादा । तो यह परिस्थितियां क्यों बनीं । यह इसलिये हुई तीन-तीन विभाग एक ही काम को कर रहे हैं । एक ही काम को सभी नाप लेते हैं । मेरा कहना है कि प्लान में यह दिखाया है इसमें वास्तविकता यह है कि कर्मचारियों की भरमार है । सारा खर्च जो है यह इस्टेब्लिशमेन्ट के खर्च पर जा रहा है डेवलपमेन्ट में कुछ खर्च नहीं हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि बिना मतलब के बहुत सारे विभाग हैं उनमें आप ताला लगा दीजिये । और वाटरशेड मैनेजमेन्ट की तरह इसे चलाइये । तभी कुछ भला हो सकता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं अम्बेडकर ग्राम योजना पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं । माननीय मंत्री जी आपके क्षेत्र को भी मैं जानता हूं वह भी इससे प्रभावित होता है । मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि मैदान के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये आपका मानक दूसरा है । उत्तराखण्ड के लिये आपने मानक रखा है कच्ची रोड से जोड़ने का । उत्तराखण्ड में तराई और भावर को जो इलाका है मेरे जिले में जहां पर डोईवाला, रायपुर, सहसपुर व विकास नगर विकास खण्ड हैं यहां पर जो अम्बेदकर गांव स्थित हैं उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं । मैदानी क्षेत्रों के लिये जो गांवों को जोड़ने का मानक रखा गया है वही मानक पहाड़ के मैदानी विकास खंडों के लिये रखें तो आपको काम अंजाम देने में सहूलियत होगी । आपने चाय उत्पादन की बात कही है । इत्तफाक से मेरे यहां चाय सबसे ज्यादा होती है । जितनी चाय वहां पैदा होती है उसका 75 फीसदी मेरे यहां पैदा होती है । वहां पर जो चाय के बगान हैं टी गार्डेन्स हैं वहां के मजदूरों के लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की है । आपकी नीति मजदूर विरोधी है । आप वहां के चाय मजदूरों को संरक्षण दीजिये ।

मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड में सबसे ज्यादा रेशम मेरे क्षेत्र में उत्पन्न होता है । देहरादून में इसके लिये बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है । मैं कहना चाहूंगा कि रेशम उत्पादन के लिये आप टसर उद्योग को बढ़ावा दें । वहां पर पर्यतीय क्षेत्र में बाज के ककून तैयार करने के काम को बढ़ावा दें । माननीय मंत्री जी मेरे मित्र हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वह साहस के साथ आगे बढ़ें । विकास के मामलों मेंआप सरकार की परवाह करना छोड़ दें । आप हिम्मत के साथ आगे आयें कि किस प्रकार से उत्तराखण्ड का विकास हो सकता है यदि आप कुर्सी का लालच करेंगे तो आप विकास नहीं कर पायेंगे । आप साहस के साथ आगे आयें यकीन मानिये विकास के कामों में हम आपका साथ हर तरह से देंगे । आप इतना खौफ मत खाइये । मगर आप खौफ खाते हैं तो मैं कहूंगा कि यह सरकार उत्तराखण्ड के विकास के साथ नहीं है और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह सरकार उत्तराखण्ड की विरोधी है और न उत्तराखण्ड का विकास चाहती है न उत्तराखण्ड का निर्माण चाहती है ।

श्री रमेश चन्द्र पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो 677 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण बजट प्रस्तावित किया है इतने सुन्दर बजट के लिये मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं । मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं । अभी मेरे मित्र माननीय मुन्ना चौहान जी कई प्रकार की घोषणायें कर रहे थे । उन्होंने कहा कि मंत्री जी आगे आइये हम आपके साथ हैं । तो 19 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिली हैं । दो सीटें जो हैं उसमें एक माननीय मुन्ना चौहान हैं और एक दूसरे माननीय सदस्य हैं । उन्होंने हमारे साथ आने की घोषणा कर दी इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

मान्यवर, मध्य हिमालय का यह पर्वतीय क्षेत्र संस्कृति और ऐतिहासिक क्षेत्र है । यह 2-2 विदेशी सीमाओं से घिरा है और यह उत्तराखण्ड भारत की संस्कृति और आत्मा का प्रतीक है । मध्य हिमालय का यह पर्वतीय क्षेत्र न केवल प्रदेश की बल्कि केन्द्र की चिन्ता का विषय होना चाहिये कि इसका सर्वांगीण विकास किया जाय । जहां चन्द्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने भारत की स्वाधीनता का विगुल बजाया उन चन्द्र सिंह गढ़वाली को पैदा करने वाला यही क्षेत्र है । महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था । यहां के परिवार का एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिये अपने प्राण हथेली पर रखकर अग्रिम पंक्ति में देश की सेवा करता है । दूसरी पंक्ति में वहां की मां बहनें कठोर परिश्रम करती हैं और देश की सेवा में लगी रहती हैं मान्यवर, ऐसा क्षेत्र दुनियां में कहीं नहीं मिल सकता है । इस क्षेत्र की चिन्ता पहली बार बी० जे० पी० ने की । पचास वर्षों से कांगेस और इन्होंने

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया है लेकिन 91 में प्रथम बार पूर्वांचल एक पृथक राज्य के लिये प्रस्ताव पारित कराया बी० जे० पी० ने । मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय भी मैं सदस्य था और माननीय मुन्ना चौहान भी थे । 12 अगस्त,,1991 को प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा गया था । यहां पर पृथक प्रदेश की बड़ी हिमायत करते हैं । आपके मुलायम सिंह जी बड़ी हिमायत करते थे लेकिन जब कलकत्ता जाते हैं तो वहां कहते हैं कि प्रदेश खण्डों में हो जायेगा अगर अलग उत्तराखण्ड बनेगा तो । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुन्ना चौहान जी से कहना चाहता हूं कि हमारा इतना आग्रह मुलायम सिंह जी को भेज दें कि [x x x] व्यवहार करना छोड़ दें । मुजफ्फरनगर काण्ड, मंसूरी काण्ड, खटीमा काण्ड किसने कराया । आज हाई कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं । न्याय सबके लिये एक होना चाहिये । अमीर गरीब, छोटा बड़ा सबके लिये एक ही न्याय होना चाहिये । रिपोर्ट में क्या आया है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री की उसमें सहभागिता थी । मान्यवर, माताओं बहनों का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने जो पुलिसकर्मी और संबंधित अधिकारी दोषी हैं चाहें वह कोई क्यों न हो मां बहनों का जिन्होंने अपमान किया है उन्हें किसी कीमत पर पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिये । अगर कहीं पर ऐसा हुआ है कि मां बहिनों का अपमान करने वालों को पदोन्नति दे दी गई हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी कहीं पर भी कोई घटना हुई हो तो वहां पर उन व्यक्तियों को पदावनत किया जाना चाहिये । जब पहाड़ में माताओं बहिनों के साथ अपमान हुआ था और उन दिनों कर्फ्यू लगा था जनता अपने घरों में कैद हो गयी थीं तो .....

(व्यवधान)

आप लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे । बहुत बुरा लग रहा होगा । मैं कहना चाह रहा हूं कि जब लोग घरों में कैद हो गये थे तो हमारे कलराज मिश्रा जी, हमारे कल्याण सिंह जी, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी जाते थे तब पहाड़ के लोगों को साहस होता था और वे घरों से बाहर निकल कर आते थे । हम उन दिनों को भी नहीं भूले हैं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । 50-50 किलोमीटर जाना पड़ता था आपने सड़कें स्वीकृत की हैं, पांच-पांच हाई स्कूलों को उच्चीकृत किया है, पांच पुलों को स्वीकृति दी है । प्रथम बार इस तरह से विकास का कार्य हुआ है जो आज से 50 सालों में नहीं हुये थे । उत्तरांचल चयन आयोग का भी आपने गठन किया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और भी सदस्य हैं अभी बोलने के लिये ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है । स्विटजरलैण्ड भी इसके सामने कुछ नहीं है पर्यटन की दृष्टि से । विद्युत, पेयजल,उद्यान की दृष्टि से, कृषि इलेक्ट्रानिक, पशुपालन, लघु उद्योग, जड़ी बूटी शोध तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विकास कार्य नहीं हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय मंत्री जी ने फल पट्टी के बारे कहा था । जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थापित करें तो वहां पर 40-50 हजार जवानों के लिये रोजगार के साधन हो जायेंगे । माननीय सदस्य ने चाय के बारे में कहा । चाय के बागान हमारी सरकार ने शुरू किये .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

लेकिन अभी तक उसको पूरे अधिकारी नहीं मिले हैं । उनके पदों का सृजन होना चाहिये । निदेशक को पूरे अधिकार मिलने चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जो निदेशालय हैं प्रदेश स्तर पर उनको स्थापित किया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बल देता हूं ।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जब भारत स्वतंत्र हुआ था । उत्तरांचल की तरफ, उत्तरांचल के विकास की ओर कांग्रेस के शासन काल ने कोई ध्यान नहीं दिया गया । सन् 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तब भारत सरकार की आंखें खुलीं और तब ही विकास की ओर थोड़ी बहुत हलचल हुई । परन्तु जिस तरह उत्तरांचल के विकास के लिये नियोजन होना चाहिये या जो कार्य होने चाहिये थे वह कार्य नहीं हुए हैं । अभी हमारे मित्र श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने उत्तरांचल के विकास के लिये बहुत बड़ी पीड़ा जताई है वह उत्तरांचल के विकास की पीड़ा व चिन्ता मुझे भी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1989 में जो सरकार बनी थी उस समय उत्तरांचल का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये का अन्यत्र खर्च किया गया था । लेकिन उत्तरांचल के लिये कुछ नहीं किया गया । मान्यवर, 1993 में जिनकी सरकार थी उन्होंने उत्तरांचल के बजट को दूसरी जगह पर खर्चा कर दिया । लगातार वहां के बजट में कटौती करते रहे । मैं बताना चाहता हूं पहले परम्परा रही थी कि विकास के लिये प्रत्येक विधान सभा में निश्चित विकास के लिये भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिये धन आवंटित किया जाता था । पैसा एलाट किया जाता था प्रत्येक विधान सभा के लिये और चिकित्सा, विद्यालय, सड़कें आदि के लिये धन एलाट किया जाता था । परन्तु 1993 में जो सरकारें आईं उन्होंने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया । वहां सारा विकास अवरुद्ध कर दिया । निर्माण और नियोजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है । पहाड़ पर नियोजन करने की आवश्यकता थी जिससे उत्तरांचल का विकास बिखरा हुआ हो रहा है । पूर्व सरकारों ने नियोजन करने में पारदर्शी परिणामी नियोजन नहीं किया । हमारी सरकार ने प्रयास किया है हमारे पर्वतीय राज्य मंत्री जी ने उत्तरांचल के विकास के लिये गम्भीरता से बजट तैयार करके सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है । उत्तरांचल का बजट रखा गया है, वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि पी० डब्लू० डी० को साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया सड़कों के विभिन्न विभागों के कार्यालय के रखरखाव व अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन हेतु साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक धन चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

आप देखें 677 करोड़ रुपये का उत्तरांचल का बजट पर्याप्त नहीं है जो ऐसे ही खत्म हो जाता है । केन्द्र की सहायता ली जाती है अनुदान लिये जाते हैं । केन्द्र जम्मू कशमीर को ज्यादा अनुदान देती है । पूर्वी क्षेत्र से ज्यादा अनुदान विभिन्न प्रदेशों को दिया जाता है । हिमांचल प्रदेश को भी उत्तरांचल से ज्यादा अनुदान केन्द्र सरकार देती है जबकि उत्तरांचल भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है । उत्तरांचल को अत्यधिक विकास की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

यह अत्याचार केन्द्र सरकार उत्तरांचल पर कर रही है। इन समस्याओं के बावजूद जो बजट पर्वतीय राज्य मंत्री ने पेश कर दिया गया है वह स्वागत योग्य है। मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, उत्तरांचल विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है इन विषम परिस्थितियों में, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, जो उत्तरांचल विकास की कल्पना की गयी है इस बजट के माध्यम से उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह विश्वास करता हूं कि पिछले 4 महीने से जिस लगन और मेहनत से वे इस ओर अग्रसर हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हमें पृथक राज्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और क्षेत्र के विकास हेतु वहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, वहां के नियोजन के आधार पर क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा।

मान्यवर, डाक्टर रमेश पोखरियाल, श्री ग्रामवासी और श्री मुन्ना चौहान जी ने उत्तरांचल के संबंध में विशेष अपनी बातें रखी हैं। मान्यवर, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान जिन लोगों पर आज भी मुकदमें चल रहे हैं, मा० मुख्य मंत्री जी ने अधिकांश मुकदमें वापस ले लिये और आशा करता हूं कि जो शेष हैं वे भी वापस ले लिये जायेंगे।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं। देहरादून उत्तरांचल राज्य का सबसे बड़ा नगर है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कवाल टाउन्स की जो कल्पना की गई थी उस आधार पर देहरादून नगर को महानगर की श्रेणी में रखते हुए सरकार को ध्यान देना होगा। मान्यवर, देहरादून शहर में 75 अधिकृत मलिन बस्तियां हैं जिनके विकास की बहुत आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने अम्बेडकर गांवों की कल्पना की है उसी प्रकार हमारे देहरादून नगर में मलिन बस्तियों को चिन्हित करने का काम किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के लोगों को पीने के पानी, सीवर, सड़कों, शौचालयों, पेयजल की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

कपूर जी अब आप समाप्त करें।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, देहरादून नगर क्षेत्र में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए कोई आवासीय योजना का प्राविधान किया जाये ताकि उनकी आवासीय समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं मुन्ना चौहान जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सदन के माध्यम से उत्तराखण्ड के लोगों के प्रति अपनी भावनायें व्यक्त करता हूं इन शब्दों में कि उत्तराखण्ड ने न केवल पहाड़ के तमाम सैनिकों को दिया है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उसे नहीं भुलाया जा सकता है। यदि हिमालय न होता तो उत्तराखण्ड न होता और शायद हमारे गंगा और यमुना का प्रदेश राजस्थान के जैसलमेर की तरह मरुस्थल होता, हिमालय उत्तर में हमारे देश की रक्षा करता है और समृद्धि का पर्याय भी है। ऐसे लोग जो पहाड़ की दुर्गम परिस्थितियों में रह रहे हैं मैं उनके प्रति अपना नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो उत्तराखण्ड है हम मैदान के लोगों के लिए ननिहाल है पूरी दुनिया में केवल एक नदी गंगा ही ऐसी है जिसको मां के नाम से पुकारते हैं चूंकि गंगा नदी हिमालय से निकलती है।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी, अब कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिये 30 लाख रुपये का बजट रखा गया है और वहां पर 2 लाख 95 हजार भूतपूर्व सैनिक हैं, एक भूतपूर्व सैनिक के हिस्से में 10 रुपये का बजट बैठता है इसमें आप क्या सैनिकों का पुनर्वास कर सकते हैं ? पर्यटन जो वहां का एक प्रमुख उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए । तीसरी बात हमारे साथी कह रहे थे कि पिछली बार भा०ज०पा० ने ब०स०पा० से जब समर्थन वापस लिया था तो उसका एक मुद्दा यह भी था कि उस सरकार ने उन अधिकारियों को दण्डित करने का काम नहीं किया था जो रामपुर तिराहा काण्ड के दोषी थे । पब्लिक की मेमोरी शार्ट हो सकती है लेकिन हम लोगों को याद है । सुश्री मायावती जी उस प्रतिनिधि मण्डल की सदस्य थी जो रामपुर तिराहा काण्ड की जांच के लिये गया था । उन्होंने खुद कहा कि यहां पर बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई । अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई मित्र चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं । यह दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एडीशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करके उत्तराखण्ड के विकास की गति को आगे बढ़ाया । यहां जो आरोप लगाये गये हैं वह राजनैतिक विद्वेषवश लगाये गये हैं । मैं तो निवेदन करूंगा कि उत्तराखण्ड के लोगों के सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसके बजट को बढ़ाने का काम करें । हम सहयोग करने को तैयार हैं । लेकिन केवल 2 फीसदी बजट बढ़ाया गया अगर देखा जाये तो महंगाई इससे कहीं अधिक बढ़ चुकी है और उसके अनुपात में बजट पर्याप्त नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट के संबंध में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और उत्तरांचल विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं । हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि यदि पहाड़ के पानी को और उसके जवानी को रोक लिया जाये तो पहाड़ ही नहीं प्रदेश और देश का भी विकास होगा । पहाड़ के पानी का अगर समुचित प्रयोग हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे मंत्री जी ने बजट में लघु विद्युत परियोजनाओं का प्राविधान किया है जिससे केवल उत्तराखण्ड के क्षेत्र को ही नहीं पूरे प्रदेश को बिजली मिलेगी और साथ ही साथ जो जवानी का जिक्र किया है, उसके अनुसार अंग्रेजों के समय में चाय की खेती होती थी, बाद में बंद हो गयी थी, को अब पुनः इस सरकार ने प्रारम्भ किया है, उससे वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा । मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं, मैं ऐसे जनपद का हूं जो नेपाल की सीमा से जुड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, हमारे देश में कैलाश–मानसरोवर की यात्रा की जाती है, वहीं हमारे पिथौरागढ़ में छोटा कैलाश व पार्वती ताल भी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, आप अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं छोटा कैलाश और पार्वती ताल के बारे में बता रहा था, वहां आम नागरिक भी जा सकता है । जबकि कैलाश–मानसरोवर यात्रा में केवल पैसे वाला व्यक्ति ही जा सकता है । अन्त में मैं इस बजट को समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपसे निवेदन है कि आपने पर्याप्त समय लिया । आप सदन की भावनाओं को समझते हुए कृपा करेंगे तो बाकी लोगों भी अपनी बात कह पाने का मौका मिलेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आप कार्य-संचालन के नियम के अन्तर्गत मुझे समय देंगे । बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं, उसका जवाब देने के लिये स्पष्टीकरण देना जरूरी है । माननीय मंत्री जी की तरफ से भी अभी इधर के सवालों के स्पष्टीकरण आयेंगे ।

मान्यवर, हमारे सभी साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये । बहुत सारे साथियों ने कई मुद्दों पर मुझसे सहमति व्यक्त की और कुछ ने नहीं की । श्रीमन्, आप सही मायने में पूछें तो मैं बजट में विकास से बाहर किसी राजनीतिक मुद्दे को टच नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे सम्मानित साथियों ने बहुत कुछ कहा । यह बात सच है कि मैं साफ बात कहने में विश्वास करता हूं और यह बात सही है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के अन्दर जो घटना हुई, वह निन्दनीय थी । मैं प्रथम व्यक्ति था, जिसने उसकी निन्दा की, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस घटना की पृष्ठभूमि में बात क्या थी ? मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस घटना की पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर पालिर्यामेंट मेजर वी० सी० खण्डूरी, रिटायर्ड का वह पत्र था, जिसमें उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का आह्वान किया था कि हथियार लेकर दिल्ली आना है । मेरे पास वह पत्र है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं....

श्री अधिष्ठाता–

आप परम्परा का ध्यान तो दें । आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं । जब माननीय मंत्री जी खड़े हो गये हैं, तब तो बैठ जायें ।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, इस संबंध में जो माननीय खण्डूरी जी का पत्र आया था, इसके बारे में गृह मंत्रालय व गृह मंत्री को पत्र लिखा गया था, प्रधान मंत्री को भी लिखा गया था । बाद में गृह मंत्री ने खेद व्यक्त किया, इसलिये इसको यहां कोड करना उचित नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कृपया न कहें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं यह कह रहा था कि जिन-जिन लोगों ने उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान वहां के जनमानस पर कोई अत्याचार किया, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी सरकार ने उस आन्दोलन के दौरान सर्वाधिक अत्याचार के सरगना बुआ सिंह को प्रमोशन देने का काम किया है मान्यवर, इस सरकार ने उस आन्दोलन के दौरान गोली चलाने वाले डिप्टी एस० पी० और गोली का आदेश देने वाले दो डिप्टी एस० पी० को उत्तराखण्ड के अन्दर तैनात कर रखा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में जो समग्र कार्यवाही बुनियादी तरह से जैसी संवैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, मंत्रि-परिषद् की एक समिति गठित करके अमली जामा देने का काम किया वह माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिसकी यह रिपोर्ट है और जिसके अध्यक्ष रमाशंकर कौशिक थे ।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

इसी आधार पर उधमपुर नगर को कटवाने की कोशिश हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना सुझाव लिखकर दे दें । किसी समय माननीय मंत्री जी इनको कक्ष में बुला लीजिए और इनसे बात कर लीजिए । आप लिखकर भेज दें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं सदन में सुझाव दूंगा, मैं कमरे में बैठकर कोई बात नहीं कहता ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

कोई सीमा होनी है आप बोलते चले जा रहे हैं अभी और विभाग पर चर्चा होनी है, आप बैठिये ।

(कई मा० सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक जो हिल्ट्रान के बारे में जो सी० ए० जी० की रिपोर्ट है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

एक रुपये की तो [illegible] कटौती कर रहे हैं और इतना बोल रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जो हिल्ट्रान के अन्दर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है इसकी जांच करायें । मान्यवर, उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यक भी रहते हैं और पिछड़े भी रहते हैं । माननीय मुलायम सिंह जी ने उर्दू के अध्यापकों की व्यवस्था की बात की थी कम से कम आप अल्पसंख्यकों के उद्धार की बात सोचें सरकार तो अल्पसंख्यक विरोधी है लेकिन मैं आपको तो नहीं मानता था विकास नगर व त्यूनी में आप तहसील व चकराता में डिग्री कालेज खोल दीजिए । मैं आपका अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद करता हूं ।

श्री मानवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, चार महीने की जो कुछ उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं 3 जुलाई, 97 को अधिसूचना द्वारा सभी विभागों में पर्वतीय संवर्ग पूर्ण रूप से लागू कर दिया है । अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिये सदन में लिये संबंधित विधेयक सदन में 25 जुलाई को प्रस्तुत कर दिया है । हमारी सरकार ने 24 अप्रैल, 1997 की बैठक में विधान सभा और विधान परिषद् में पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने हेतु प्रस्ताव पारित कर अपनी संस्तुतियां केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी हैं । आपके राष्ट्रीय नेता केन्द्र में बैठे हैं आप उनसे कहिए कि उत्तरांचल राज्य बनाने के लिये केन्द्र सरकार को बाध्य करें लेकिन आपकी कथनी करनी में अन्तर है । कौशिक समिति बनी । केन्द्र में जाकर अपने शब्दों को भूल गये हैं आपने कहा कि अगर उत्तरांचल राज्य बनेगा तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । मुलायम सिंह जी ने सदन में उत्तरांचल की बात की और केन्द्र में जाकर विरोध करते हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

ये सत्य नहीं है ।

श्री मानवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने के लिये स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है । चाय और रेशम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य विकास निगम, उत्तरांचल रेशम विकास निगम, उत्तरांचल ऊन विकास परिषद् की स्थापना करने के लिये प्रस्ताव कर चुके हैं । सेमिल्ली चमोली में टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती शुरू कर दी है चम्पावत में पहले से ही है ।

विभागों के पुनर्गठन की जो बात है कृषि और उद्यान का पुनर्गठन करते हुए एकीकृत कृषि निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव कर चुके हैं। रिक्त पदों को भरने के बारे में मैं स्वीकार करता हूं कि 11 हजार 400 पद रिक्त पड़े हुए हैं। लोक सेवा आयोग विलम्ब करता था इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया है। नवीं पंचवर्षीय योजना में 1.275 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कुंभ मेला पैटर्न पर कार्य प्रारम्भ करते हुए मार्च, 97 में 5.35 करोड़ रुपया दिया गया है और 40 करोड़ रुपये की राशि दशम् वित्त आयोग के माध्यम से विकास के लिये सुरक्षित की गयी है। जलागम प्रबन्ध की रणनीति के लिए प्रथम निदेशालय का गठन सभी विकास से संबंधित विभागों को एकीकृत करके किया जा रहा है। हमने उत्तराखण्ड के विकास के लिए बहुत से कार्य किया है। उसके चौमुखी विकास के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज तक की सरकारों ने नये नियोजन और नये चिन्तन की बात नहीं की है। हमारी सरकार ने पहली बार चिन्तन किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर आप देखें तो वहां पर रोजगार के साधन सीमित हैं लेकिन फिर भी हमने इसके विकास के लिये कार्य किये हैं। हमने बेमौसमी सब्जी के उत्पादन पर जोर दिया है ताकि यहां के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। प्रत्येक विकास खण्ड में एक न्याय पंचायत का गठन किया है.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात आ गयी है। कृपया समाप्त करें।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारी सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिये प्रतिबद्ध है और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है मैं उन सबका स्वागत करता हूं और माननीय मुन्ना चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपा अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इस बजट को पारित करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जब इस बजट में उत्तराखंड के लिये कुछ नहीं कहा गया है तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,45,48,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए चर्चा एवं मतदान—अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 55—लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 56—लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 57—लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन), अनुदान संख्या 58—लोक निर्माण विभाग (संचार संसाधन), अनुदान संख्या 59—लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,92,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,09,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55—लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,03,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,44,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,82,18,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,12,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय पर्यटन ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। क्रमशः पर्यटन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट होता जा रहा है, केवल उत्तर प्रदेश का नही, हिन्दुस्तान का

नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के देशों का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर पर्यटन की ओर बड़ी तेजी के साथ आकृष्ट हो रहा है। हमारा ऐसा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की पहचान दुनिया में बनायी है। इसीलिये उत्तर प्रदेश को हम भारत की आत्मा कहते हैं। हिन्दुस्तान की आत्मा के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जन्म हुआ, जिनकी जन्म स्थली अयोध्या थी, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली और कर्मस्थली मथुरा और वृन्दावन थी। उत्तर प्रदेश ऐसा सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसमें महात्मा बुद्ध जिनका बाल्यकाल उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ और साधना करने के बाद जो दिव्य दृष्टि मिली तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और तब बिहार और अन्य राज्यों में गये। इसलिये उत्तर प्रदेश जहां इन भगवानों की जन्म स्थली के रूप में अपना स्थान रखता है, वहीं पर यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपना स्थान रखता है। दुनिया के देश बड़ी तेजी से साथ इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का केन्द्र बिन्दु प्रारम्भ से ही बना है और अब बड़ी तेजी से आकर्षित होकर उत्तर प्रदेश की ओर चलते आ रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य जिन्होंने दक्षिण से अपनी यात्रा प्रारम्भ की और उ० प्र० की देव भूमि बद्रीनाथ में जाकर ज्योतिलिंग पीठ की स्थापना की। इस तरह से दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरे हिन्दुस्तान को एकता के सूत्र में बांधा है। राष्ट्रीय एकता के दूत के नाते जगतगुरु शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश को चुना। इस उ० प्र० का स्वरूप प्राकृतिक सम्पदा से ओतप्रोत है और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना आज की महान आवश्यकता है। आज पर्यटन बहुत बड़े उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है।

श्रीमन्, उ० प्र० के पर्यटन का विकास यद्यपि 1952 से प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरूआत हुई लेकिन उसके विकास के लिये जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया। सन् 72 में पर्यटन निदेशालय प्रारम्भ किया गया और सन् 74 में पर्यटन निगम भी बनाया गया।

जिस तरह से उ० प्र० का बहुत बड़ा क्षेत्र हिमाच्छादित है जो सहज ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो न केवल साहसिक पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केन्द्र है बल्कि देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो साधकों का साधना स्थल और तपस्वियों की तपस्या स्थली भी है ऐसे हिमालय के बारे में दुनियां के लोगों के सामने प्रस्तुत करना अति आवश्यक है ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहां आ सकें। हम चाहते हैं कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाय और वहां के रमणीक स्थलों का दर्शन लोग करें। इसलिये हिमालय में स्केटिंग पर्यटन का प्रारम्भ 89 में किया गया। उ० प्र० का जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पायी। इधर कुछ वर्षों से जैसे-जैसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में पर्यटकों को आकर्षित किया है चाहे सांस्कृतिक दृश्य से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के रमणीय स्थलों के दृश्य से हो, उनका आकर्षण बढ़ा है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विशेष रूप से उनको आकर्षित करने की भावना जागृत हुई है। इसलिये हमने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को पर्यटन के हिसाब से 6 हिस्सों में व्यवस्थित किया है। 6 हिस्सो में से एक हिस्सा आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। आगरा में ताज है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र है। विदेशी पर्यटक पर्याप्त संख्या में यहां आते हैं। आगरा में अनेक स्थल ऐसे हैं जिसको लोग स्वाभाविक रूप से देखते हैं और यहां भ्रमण करते हैं। आगरा के पास मथुरा, वृन्दावन हैं और इसी के पास ही एटा (पटना) है तो यहां पक्षी विहार विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र है इसी तरह सोरों है जहां वृहद सरोवर है। उसका एक विशेष स्थान है। दूसरा भाग अवध है जिसमें लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र हैं जहां लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, रेजीडेंसी और अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं जिसे देखने के लिये लोग आते हैं। बाराबंकी में देवाशरीफ है और अयोध्या में विशेष रूप से लोग दर्शन के लिये जाते हैं वहां पर अनेक स्थल हैं जहां लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने का व्यवस्था किया है। दूसरा प्रदेश बुन्देलखंड का है। इसमें अनेक स्थान हैं। झांसी, खजुराहो, माताटीला, कालिंजर, महोबा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में है। यह पर्यटन स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। पिलग्रिम सरकिट, यात्रा परिपथ का हम विचार कर रहे हैं ताकि पर्यटकों को सविधायें मिल सकें। मान्यवर, इसी तरह से हमारे हिमालय के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,

यमुनोत्री, हेमकुंड साहब यह सारा क्षेत्र जो है यहां की यात्रा धामिर्क दृष्टि से दर्शन करने के लिये की जाती है और सामान्य जनता यहां पर्यटन के लिये जाती है । यह यात्रा परिपथ 5वां परिपथ कहलाता है । वाराणसी इसी के अन्तर्गत आता है । इसी तरह से बौद्ध परिपथ है इसमें वाराणसी का सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु यह स्थान बौद्ध परिपथ में आते हैं यह छठा प्रक्षेत्र कहलाता है ।

साहसिक पर्यटन की दृष्टि से हिमालय में औली प्रोजेक्ट है यहां पर ट्रेकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग जैसे खेल होते हैं । उत्तर काशी में वियरा भी पर्यटन की दृष्टि से अच्छा स्थान है । कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है । इसी तरह कुमायूं की चर्चा माननीय मुन्ना चौहान ने की है । अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, धारचूला, तवाघाट, गुंजी, लीपोलेक यह स्थान साहसिक पर्यटन की दृष्टि से बड़े ही उपयुक्त स्थल हैं । तो इस प्रकार हमने कई प्रक्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को व्यवस्थित किया है । पिछले साल भी पर्यटन की दृष्टि से बजट में प्रयत्न किया गया था और इस समय पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने के लिये विशेष ध्यान दिया गया है । उदाहरण के तौर पर ताज हेरिटेज जोन स्थापित की गयी है इसके लिये 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । ताज ट्रेपेजियम प्लान बनाया गया है । इसमें ताज के बाद मेहता पार्क और आगरे का किला इन तीनों का एक ट्रेंगिल बनाया गया है, त्रिकोण बनाया गया है। ताज और आगरा फोर्ट के अन्दर लाइट और साउंड की भी व्यवस्था की गयी है । आगरे के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि यदि विदेशी पर्यटक आयें तो वहां रहें और वहां रहकर पर्यटन स्थलों को देखें ताकि वहां के स्थानीय नागरिकों को कुछ लाभ हो । मान्यवर, इसी तरीके से मथुरा, वृन्दावन, बरसाना का इलाका है । गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है । इस इलाके का जिस तरह से विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है । गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन को विकसित करने के लिये प्राविधान किया गया है। इसी तरह से वाराणसी के सारनाथ के लिये विशेष ध्यान दिया गया है । वाराणसी के घाटों को ठीक करने और उनका सौन्दर्यीकरण करने और बौद्ध परिपथ के जो भी हिस्से हैं उनको ठीक करने की दृष्टि से ध्यान दिया गया है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो गागर में सागर भर रहे हैं ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जैसा-जैसा जिस परिक्षेत्र के अन्दर व्यवस्था है उसके माध्यम से उसका बजट आवंटित करने का प्रयत्न हमारा है और उसको आपके सामने रखने की कोशिश की है । मैं यह नहीं कर सकता कि यह इसी सत्र में पूरा हो जायेगा । आने वाले समय में हो जाय हमारी यही प्रबल इच्छा शक्ति है और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को महत्वपूर्ण उद्योग मानकर स्थानीय और विदेशी स्तर पर अधिक से अधिक लोग आ सकें । ऐसी व्यवस्था हमने की है । इसी हिसाब से 14 कोसी परिक्रमा और 5 कोसी परिक्रमा का प्राविधान वाराणसी में 3 करोड़ का है । इतना ही नहीं जैसा आपने कहा कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकीशा, कुशीनगर, कपिलवस्तु जहां दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादा लोग बौद्ध पंथावलम्बी आते हैं उनके रहने की व्यवस्था ठीक से हो सके इसके लिये मान्यवर, कपिलवस्तु जो कि महात्मा बुद्ध की बाल क्रीड़ा स्थली रही है कपिलवस्तु विशेष विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की है । 30 एकड़ जमीन लेकर एयर पट्टी की भी व्यवस्था की है वहां पर विशेष रूप से रहने के लिये होटल की भी व्यवस्था की जा सके ऐसा हमारा प्राविधान है, इन सारे इलाकों में इस प्रकार की व्यवस्था की है । बजट के अन्दर इसका प्राविधान है । यह भी व्यवस्था की गयी है कि निजी क्षेत्र के लोगों को पर्यटन नीति के माध्यम से आगे आने के लिये बढ़ावा दें ।

यह भी तय किया है कि निजी क्षेत्र के लोगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिये व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिये मान्यवर, हमने भूमि बैंक की स्थापना की है । बैंक के लिये जो जमीन खरीद रहे हैं

उस जमीन को खरीदने के लिये बजट के अन्दर प्राविधान किया है। मोटे तौर पर पर्यटन के विकसित करने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये यह व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं यह भी किया है चुनार से वाराणसी तक जल परिवहन को बढ़ावा देने का कार्य किया है इसके साथ-साथ लोग मनोरंजन का भी अनुभव कर सकें इसके लिये मोटर वोट की भी व्यवस्था की गई है। कुछ नावें खरीदी भी हैं ताकि जल यातायात करते हुए जल में आनन्द लेते हुए आगे जायं और इससे जल परिवहन को प्रोत्साहन मिल सके। पर्यटन विभाग की तरफ से कुछ एयर कंडीशन बसें खरीदी गयी हैं बौद्ध परिपथ पर चलाने के लिये ताकि जो दक्षिण पूर्व एशिया से बौद्ध अनुयायी लोग आते हैं उनको आने जाने में सुविधा हो सके। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश को देखते हुए हर प्रकार के पर्यटन का विकास और हर आयु वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये समेकित व्यवस्था की गयी है और उसी के अनुसार मान्यवर, हमने बजट का प्राविधान किया है और उस प्राविधान के आधार पर जिस तरीके से पिछली बार बजट 40 करोड़ रुपये का था इस बार 61 करोड़ का है। यदि वाह्य सहायता प्राप्त हो गयी तो पिछली बार 5 हजार लाख की व्यवस्था हो गयी थी इस बार 20 हजार लाख की व्यवस्था हो जायेगी। मान्यवर, बजट के अन्दर सब आंकड़े दिये गये हैं आपके पास भी साहित्य है आप कहेंगे तो आंकड़े पढ़ दूंगा। सारी व्यवस्था की गयी है ताकि विकास की दिशा में प्रदेश ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। इसी तरह से हिमालय के अन्दर बताया कुछ साहसिक पर्यटकों को आगे बढ़ाने की योजना बननी चाहिए। उत्तर काशी में एक क्षेत्र है मैं वहां गया तो नहीं हूं लेकिन वहां लगातार बर्फ जमी रहती है वहां पर स्केटिंग आदि हो सकती है और सुखद अनुभव किया जा सकता है। उसको किस तरह से विकसित किया जाए यह बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है। जिले-जिले में जो ऐसे स्थान हैं जो स्थान जिले और प्रदेश के उपयुक्त स्थान हैं जहां लोग जाते हैं लाखों की संख्या में यात्री इकट्ठे होते हैं उन स्थानों का जनहित में सुन्दरीकरण किया जाएगा यात्री सेवाओं की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

जिला योजना के माध्यम से कुछ राज्य सेक्टर के माध्यम से प्रयत्न है कि इस प्रदेश के बजट में प्राविधान हो। कोशिश यही है कि हर जिले में सीधे-सीधे प्रमुख केन्द्रों पर, प्रमुख स्थल जहां हैं, प्रमुख रमणीय स्थल हैं। माताटीला झांसी में है अभी हमारे विधायक रवीन्द्र जी बता रहे थे ललितपुर में देवगढ़ है यह रमणीक स्थल है जिनको जिला योजना के माध्यम से जहां आवश्यकता प्रतीत होगी वहां राज्य सेक्टर के माध्यम से व्यवस्था की गयी है। कौन-कौन से स्थल हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। इनको चिन्हित करने के लिये व्यवस्था की जाएगी। बजट साहित्य में सब लिखा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री जगदम्बिका पाल–

पर्यटन को पहले ले लिया जाए।

श्री बी० आर० वर्मा–

दोनों एक साथ ले लें।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कटौती रख दूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले माननीय मंत्री जी को रख देने दीजिए। उसके बाद कटौती रखने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद लोक निर्माण विभाग की कटौती का मौका मिलेगा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री कलराज मिश्र–

जैसा अनुमति देंगे जैसा आप कहें, आप कहेंगे कि तीनों चारों एक साथ रख दें तो मैं एक साथ रख दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब एक साथ में रख दें।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, हमने पर्यटन के हिसाब से योजनायें बनाई हैं जो अवस्थापना पर्यटन की है उसको सदन के सामने रखने की कोशिश की है। इसके लिये बजट में प्राविधान किया गया है और वह आपके सामने है। जो भी सीमित संसाधन के अन्दर इसमें सुधार कर पायेंगे वह करेंगे अगले में जो सुधार में शेष बचेगा उसको पूरा कर देंगे। आज मैं यह अनुभव करता हूं आप सब लोगों ने मेरे प्रति, विभाग के प्रति जो अपनापन दर्शाया है आप चाहते हैं कि पर्यटन का विकास हो आपकी जो आकांक्षा है मैं आपकी आकांक्षा को अपने में समाहित करता हूं और अनुदान प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, सड़क लोक निर्माण विभाग, विशेष रूप से सड़क, पुल, भवन इसके निर्माण की दृष्टि से ही, विशेष रूप से यह विभाग जाना जाता है। सड़क का, विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। यह कहूं यदि समुचित रूप से मार्गों का निर्माण नहीं होगा तो विकास की प्रक्रिया बाधित हो जायेगी। इसलिये विकास की प्रक्रिया को तेज करने, आगे बढ़ाने के लिये समुचित रूप से सड़कों का निर्माण करना होगा जिससे यातायात के साधन बढ़ेंगे। विकसित देशों को आप देखें तो उन देशों में सड़कें किस प्रकार की हैं और वहां यातायात के साधन किस प्रकार के हैं। उस देश में ट्राफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला मार्ग कैसा हो ? इन चीजों को देखें तो लगता है कि मार्गों की समुचित व्यवस्थायें और यातायात नियंत्रण करने की दृष्टि से मार्ग का समुचित नियोजन आवश्यक है तभी उस देश का समुचित विकास हो सकता है। मान्यवर, इसलिये किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिये मार्ग नेटवर्क होने, सड़कों का जाल बिछाना अत्यन्त आवश्यक है। आज आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि जब आजादी मिली थी तो 15311 कि०मी० मार्ग पक्की सड़कें थीं और आज 1.10,489 किलोमीटर हैं इसमें 3 प्रतिशत राष्ट्रीय मार्ग हैं, 9 प्रतिशत राजकीय मार्ग हैं और 9 प्रतिशत ही एम० डी० आर० हैं और 22 प्रतिशत कच्चे मार्ग हैं तथा 57 प्रतिशत गांव जुड़े नहीं हैं। तो मान्यवर, प्रदेश की आज यह हालत है। इसलिये हमारी सरकार ने बजट बनाते समय गांवों को केन्द्र माना है और गांव को केन्द्र मानकर इसके अनुरूप बजट की व्यवस्था किया है।

मान्यवर, आलोचना करने के लिये आप लोग कुछ भी कहें लेकिन आत्मनिरीक्षण करें तो मालूम होगा कि सही मायने में गांवों को केन्द्र मानकर 70% गांवों को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इसलिये गांवों को प्रमुख मार्गों से जोड़ने को प्राथमिकता दिया है और उसके आधार पर स्थिति यह है कि एक हजार से लेकर 1599 तक जो गांव हैं वह लगभग 15 हजार में से 13 हजार सम्पर्क मार्ग में हैं इसी तरह से 15 हजार से लेकर 13 हजार के आसपास जो गांव हैं जिसमें 8 हजार गांव सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं।

मान्यवर, अम्बेडकर मार्गों को, पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है लेकिन अम्बेडकर गांव की परिभाषा पहले 60 फीसदी की आबादी वाले गांव इसमें लिये गये थे। बाद में उसको 30 फीसदी आबादी के हिसाब से बनाया गया, यदि किसी गांव में 30 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की है और शेष अन्य जातियां हैं तो उसको भी अम्बेडकर गांव के रूप में मानकर उसको भी प्रमुख मार्गों के साथ जोड़ा जायेगा, इस काम को हम अभियान चला करके कर रहे हैं। मान्यवर, हमने 1116 गांवों को तीन महीने के अन्दर मार्च से जून, 97 तक मुख्य मार्गों से जोड़कर प्राथमिकता के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं यह भी करने की कोशिश की गयी है कि जो गांव किसी

योजना के अन्तर्गत नहीं आते, जिनको हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, सामान्य योजना के अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं उनको एक दूसरी योजना जो नावार्ड पोषित योजना है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना, उस योजना के माध्यम से ऐसे गांवों को जोड़ने का संकल्प लिया है। जो एक हजार या उससे ज्यादा आबादी वाला गांव होगा, जिस गांव की दूरी प्रमुख मार्ग से केवल दो किलोमीटर होगी। इसमें 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है बाकी का नाबार्ड द्वारा दिये गये धन का सदुपयोग करते हुए इस योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावी योजना है कोशिश है कि 1,12,444 गांव हैं जिसमें 56,556 गांव सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं। कोशिश यह है कि जो गांव शेष हैं उनको इन योजनाओं के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जोड़ लें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पहली बार राजनैतिक इच्छाशक्ति के आधार पर शासन ने काम करनेका फैसला किया गया है, आगामी आने वाले दिनों में पूरे गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़कर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1985 में लखनऊ में "रोड कांग्रेस" हुई थी उस रोड कांग्रेस में लखनऊ का प्लान बना था क्योंकि जहां भी यह कांग्रेस होता है उसके नाम पर प्लान माना जाता है। लखनऊ प्लान में यह बात तय की गयी थी। उत्तर प्रदेश विशेषकर जो सड़क की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है जहां पूरे देश में प्रति लाख आबादी के हिसाब से 246.2 किलोमीटर सड़क मिलती है वहीं पर उत्तर प्रदेश की औसत प्रति लाख के हिसाब से 146 किलोमीटर है। मान्यवर, यह प्रदेश बहुत पीछे है। लेकिन उसमें तय किया गया कि सतही मार्ग के हिसाब से जो मानक होंगे उसके हिसाब से जो किलोमीटर होगा वह 3.55 लाख किलोमीटर के हिसाब से होगा और क्षेत्रफलीय घनत्व के आधार पर जो सड़क के मार्ग का निर्माण होगा वह 2.64 के लाख के हिसाब से होगा। 31 मार्च के आंकड़े के आधार पर मैं कह सकता हूं कि लगभग 99 हजार कि०मी० खड़न्जा का कार्य हुआ है, अभी भी काफी बनना बाकी है, इसी को ध्यान में रखकर यह सम्पर्क मार्गों की प्रभावी योजना बनाई गई है ताकि खड़ंजा, कच्चे मार्गों से सम्पर्क के आधार पर पूरे गांवों को जोड़ने का प्रयत्न किया जा सके। मान्यवर, 1 लाख 21 हजार किमी० के करीब सड़क निर्माण होना है और इसके हिसाब से धन का आवंटन 13 हजार करोड़ के करीब चाहिये। यह संसाधन मिलना मुश्किल है लेकिन मान्यवर, गांव को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की प्रभावी योजना, प्रवल इच्छा शक्ति के आधार पर बजट प्रस्तुत करते हुये इस सरकार ने आगे कदम बढ़ाने का जबर्दस्त अभियान छेड़ा है और मुझे विश्वास है कि यह सफल भी होगा।

मान्यवर, हमने बजट के अन्दर, चूंकि आगामी समय में हरिद्वार में कुम्भ मेला लगने वाला है और कुम्भ मेला हमारे देश का महत्वपूर्ण मेला है, विदेशों से भी लोग उसमें आते हैं करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक है, हर बात की चिन्ता करना पड़ती है, इसलिये हरिद्वार में जो सड़कें हैं, जो सड़कें दूर से आती हैं, वह ठीक हों, उनका सुदृढ़ीकरण हो, उसका चौड़ीकरण हो, इसी हिसाब से मान्यवर, व्यवस्था की गई है और बजट के अन्दर 20 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, जो वाह्य सहायता के हिसाब से तय किया है,जैसे वाराणसी से लेकर शक्ति नगर की सड़क एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाई गई है, इसी तरह विश्व बैंक की तरफ से 710 कि०मी० की सड़क आगे हम लेने वाले हैं, मान्यवर, जिसमें लगभग अभी 5 करोड़ का टोकेन है। हम विश्व बैंक से अभी और सहायता प्राप्त करेंगे।

मान्यवर, हमने सत्ता संभालने के बाद यह योजना बनाई इस योजना के अन्दर हमने तय किया था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सड़कों में पैचेस हो गये हैं, गड्ढे हो गये हैं, जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं, जितने भी राजकीय मार्ग हैं, एम० डी० आर० हैं, उन सारी सड़कों से हम गड्ढे खत्म कर देंगे। अभी भाई समर पाल सिंह कह रहे थे, शायद चले गये हैं कि मेरठ मुजफ्फरनगर की सड़क बहुत खराब है, इसी तरह से मेरठ-बागपत की सड़क खराब है। मैं वहां पर गया हूं, मैंने देखा है कि सड़क बहुत खराब

थी, इसमें कोई सन्देह नहीं है । बागपत मेरठ के लिये घोषणा की थी और पैसे का आवंटन भी कर दिया है, यह पूरी सड़क हाट मिक्स प्लांट से बनेगी । लेकिन बाकी की सड़कों के लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब उन सड़कों में इस समय गढ्ढे नहीं रह गये हैं, सब जगह पैचेज का काम पूरा हो गया है । अब वहां रेंगकर नहीं, सीधे खड़े होकर जाया जा सकता है । इसलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्य योजना के आधार पर हमने यह काम करने का प्रयत्न किया है । लगभग 24 हजार 526 कि०मी० के करीब है, एक आध अंक का फर्क हो सकता है, इतने कि०मी० बिल्कुल अब पैचलेस हो गया है । मान्यवर, हमने 5 हजार कि०मी० सड़क का नवीनीकरण का लक्ष्य रखा था और उसके मुकाबले हमने 6223 कि०मी० का नवीनीकरण किया है । इसी प्रकार 1500 कि०मी० की सड़क नई बनाई गई हैं यह तीन महीने के अन्दर जो घोषणा की गयी थी उसी के अनुरूप हमने काम किया है और यह तीन माह की हमारी उपलब्धियां हैं पर्वतीय क्षेत्र में भी, यद्यपि उत्तराखण्ड विकास की तरफ से वहां की सड़कों की व्यवस्था होती है लेकिन उधर भी हमने काम करने का प्रयत्न किया है । मान्यवर, जहां तक भवन का सवाल है, भवन के लिये भी जिले जिले स्तर पर भवन बने, पी०डब्लू०डी० से संबंधित बने इसके लिये भी हमने कुछ पैसे का प्राविधान किया है । मान्यवर, हमारा सेतु निगम है, राजकीय निर्माण निगम है, सेतु निगम हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी एजेन्सी और बड़ी विश्वसनीय एजेंसी बनकर उभर कर आई है । दुनिया में यूरोप की तरफ से सेतु निगम को प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ, अमेरिका की एक एजेन्सी है उसने एवार्ड दिया । सेतु निगम की एक विश्वसनीयता पूरे देश में स्थापित हुई है ।

मान्यवर, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो इन सारे प्रदेशों में सेतु निगम को बड़े-बड़े काम दिये गये हैं । सेतु निगम एक ऐसा कारपोरेशन है जो इस समय 6 करोड़ के फायदे पर है । हमारे और जो कारपोरेशन हैं वह ज्यादातर घाटे पर हैं । सेतु निगम अपनी विश्वसनीयता स्थापित करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है वह 1100 पुलों का अब तक निर्माण कर चुका है, 3 महीने के काल में लगभग 23 पुलों का शिलान्यास हुआ, 9 बने हुये पुलों का लोकार्पण हुआ और 9 पुल ऐसे हैं जिनका शिलान्यास करना शेष है । सेतु निगम इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है ।

सेतु निगम की विशेषता है कि उसमें साल भर या डेढ़ साल से ज्यादा समय नहीं लगता है जिस तरीके से सेतु निगम के अधिकारी कर्मचारी तन्मयता के साथ काम करते हैं जब सेतु निगम कोई काम अपने हाथ में लेता है तो लोग अपने आप से बोलते हैं कि साल सवा साल में काम पूरा हो जायेगा, यह विश्वसनीयता स्थापित हुई है । राजकीय निर्माण निगम का इस प्रदेश में लगभग 500 करोड़ का काम है प्रदेश के बाहर 60 करोड़ का काम महाराष्ट्र में है, 20 करोड़ का काम उड़ीसा में है और 20 करोड़ का काम बाहर नैपाल में है सब मिलाकर 600 करोड़ का काम राजकीय निर्माण निगम कर रहा है और यहां लखनऊ में अम्बेडकर पार्क जो बन रहा है मैं कह सकता हूं कि वह पार्क बन जाने के बाद केवल लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिये एक बड़ा स्मरणीय होगा । उसको राजकीय निर्माण निगम बना रहा है और इस तरह से सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम भवन या जो हमारे विभाग की तरफ से व्यवस्था है, हम कर रहे हैं । इसके जो कार्य सामने आये हैं उसको करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उस दृष्टि से बजट के अन्दर आवंटन किया गया है । प्रयत्न यह है कि जो हमने इस प्रकार की योजना बनाई है उस योजना का साकार स्वरूप हम इस बजटीय प्राविधान के आधार पर स्थापित कर सके यह हमारा प्रयत्न है । मान्यवर, सड़क, भवन, सेतु-इन सबके कार्यों की गुणवत्ता बनी रही, सबके प्रति लोगों की विश्वसीनयता बन सके, लोग अनुभव कर सके कि ठीक से बनेगा इसके प्रति हम लोग सजग हैं क्योंकि अनेक प्रकार की शिकायतें आती हैं । हमारे यहां अनुश्रवण केन्द्र भी, क्वालिटी प्रमोशेन सेल भी है, उसमें माध्यम से गुणवत्ता को बनाये रखने का कार्य हम लोग करते हैं । इनकी सक्रियता को स्थापित करने के लिये हमनें हर वृत्त पर, जो मुख्य अभियन्ता का केन्द्र है, अनुश्रवण केन्द्र खोला है,

उसमें एक अधिशासी अभियन्ता को डिप्यूट किया गया है । मेरा अनुरोध है कि आप यह 4 से 8 तक की जो मदें हैं, इसको आप पास करेंगे । मैं 9 पर जो राज्य सम्पत्ति के बारे में भी कह दूं ।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है राज्य सम्पत्ति विभाग । माननीय मंत्रिगण, विधायकगण, बी० आई० पी०, अधिकारी/कर्मचारी इनके आवास और वाहन का विशेष रूप से व्यवस्था करता है । और, उस व्यवस्था के आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग ने लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के भवनों की व्यवस्था कर रखी है । गोमती नगर में श्रेणी 6 के कुछ भवन बनाये गये हैं और इन्दिरा नगर में कुछ कर्मचारियों के लिये बनाने के लिये अभी काम जारी है क्योंकि यहां काफी राजकीय कर्मचारी है उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सम्पत्ति विभाग की है और उसके लिये यहां निर्माण कार्य चल रहा था । अभी भी कुछ योजना है लोक सेवकों के लिये, कर्मचारियों के लिये यहां पर भवन बनाने के लिये और उस हेतु धन आवंटन किया गया है । लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की तरफ से जिन श्रेणियों के बारे में उल्लेख किया है जहां उनकी व्यवस्था उनके अनुश्रवण, उनके रख रखाव करने की जिम्मेदारी राज्य सम्पत्ति विभाग की है वहीं राज्य सम्पत्ति विभाग ने क्योंकि हमारे प्रदेश के विधायक, सांसद, अधिकारी और कर्मचारी लोग बाहर भी जाते हैं तो वहां भी कुछ आवासीय व्यवस्था की है और विशेष रूप से दिल्ली में है । दिल्ली में यू० पी० निवास, यू० पी० भवन और एक नया निर्माण हुआ यू० पी० सदन का । तो यह तीन भवन दिल्ली में है ।

इसके अतिरिक्त कलकत्ता में और अभी बम्बई में जमीन खरीद ली गयी है और वहां पर भवन निर्माण कराने की योजना है धन का आवंटन हुआ है । यह बात सही है कि शिकायतें विशेष रूप से यू० पी० भवन और यू० पी० निवास से आती हैं । हमने उस हिसाब से चिन्तन किया है और उस दृष्टि से भी जितनी भी इस प्रकार की शिकायतें हैं उन पर हमने जोर दिया है । जो यहां पर बापू भवन बना है अभी कुछ और तैयार होने वाला है तो उसके लिये भी बजट में व्यवस्था की गयी है । इस तरह से राज्य सम्पत्ति विभाग के लिये जो प्राविधान किया गया है मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सदाशयता से हमारी अनुदान की मांग को स्वीकृत करेंगे । जो कटौती का प्रस्ताव आयेगा और जो उसमें बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों को प्रभावी स्वरूप देने का काम करूंगा । एक बार मैं पुनः आपसे अुनरोध करूंगा कि हमारी अनुदान की मांग को पारित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट अपना यहां पर प्रस्तुत किया है वह बड़े ही अच्छे ढंग से किया है और जो आंकड़े उन्हें कंठस्थ याद थे वह अति प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं हम सबके लिये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी बड़े मक्खीचूस हैं हर विभाग को एक रुपये में कैसे चलायेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से पर्यटन पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में बल देते हुये यह कहना चाहता हूं कि माननीय पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी जब अपने पर्यटन पर भाषण दे रहे थे,तो उनकी कुछ बातों पर दुख हुआ । इसलिये दुख हुआ कि पर्यटन विभाग का ढांचा तो छोटा है, लेकिन महत्व बड़ा है । पर्यटन विभाग से देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं और हम देश की संस्कृति को विदेशों तक पहुंचा सकते हैं, मैत्री भावना को स्थापित कर सकते हैं और विदेशों से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं । इसलिये इसका महत्व बड़ा है । मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग में माननीय मंत्री जी विकास की क्या प्राथमिकतायें होगी, मैं कोई राजनैतिक आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि आपने अपने भाषण को अयोध्या से आरम्भ किया है । जहां आपको अयोध्या याद आ गयी, तो मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्यों याद नहीं आया ? मैं इसलिये कहता हूं कि भगवान शंकर की जन्म स्थली मानसरोवर है और वह अब चीन में है । यह बेहतर होता कि मानसरोवर के लिये भी जन आन्दोलन चलाते जैसा कि उन्होंने अयोध्या के लिये चलाया । मैं अनुरोध करता हूं कि यहां पर्यटन के लिये विदेश से पर्यटक आते हैं और देश से पर्यटक आते हैं । यह पर्यटन विभाग ऐसा विभाग है जिसमें शुद्ध लाभ ही लाभ है । मान्यवर, एक दो सुझाव देना चाहता हूं, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये, जिससे हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें और लाभ की दृष्टि से देख सकें । मैं थोड़ा सा आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । वर्ष 1990 में उ० प्र० में पर्यटकों की संख्या 436 लाख 48 हजार थी और वर्ष 1991 में पर्यटकों की संख्या 431 लाख 77 हजार हो गई तो 90 की तुलना में 91 में 5 लाख 3 हजार कम विदेशों पर्यटकों की संख्या हो गई तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में एक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया जो अयोध्या काण्ड हुआ जिसकी वजह से देश की अर्थ व्यवस्था डावांडोल हो गयी यदि यह न हुआ होता तो भारत में बाहर से बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये उसे बढ़ाने के लिये शान्ति का वातावरण पैदा करना पड़ेगा बाहर के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करनी पड़ेगी उनके ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आयेंगे तो यह अशान्ति 1990 में हुई इससे पर्यटकों की घटोत्तरी हुई है ।

आपने जो साहसिक पर्यटकों की झलक दी है उस पर मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय में बहुत से पर्यटन स्थल अभी भी छिपे हुये हैं करीब 6 हजार ऊंची चोटियां जो 6 हजार मीटर की ऊंचाई वाली हैं उनको भी विकसित करना होगा ताकि साहसिक पर्यटक और अधिक संख्या में यहां आ सकें और उन साहसिक पर्यटकों को और अधिक सुविधा देकर आकर्षित करना चाहिये । दुनिया में अमेरिका से जितने साहसिक पर्यटक जाते हैं उनका प्रतिशत 40.5 है जर्मनी का प्रतिशत 21 है स्वीटजरलैण्ड का 21 है इटली का प्रतिशत 19 है पोलैण्ड का प्रतिशत 17 है तो इस हिसाब से साहसिक पर्यटक बाहर जाने में रुचि रखते हैं तो अगर यह हमारे यहां आयेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के यहां बहुत आयाम हैं (लाल बत्ती) ।

जहां तक अयोध्या के विकास की बात है बद्रीनाथ के विकास की मथुरा और वृन्दावन के विकास की बात है इसमें किसी को एतराज नहीं है इनसे ज्यादा हिन्दुस्तान बौद्ध स्थलों से जाना जाता है, बहुत ज्यादा यहां बौद्ध धार्मिक स्थल हैं जहां विदेशी पर्यटक आते हैं । चाहे सारनाथ हो, कुशीनगर हो, कौशाम्बी हो, या श्रावस्ती हो इन बौद्ध स्थलों का जब तक विकास नहीं किया जायेगा तब तक उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान का गौरव नहीं बढ़ेगा और देश का मस्तिष्क ऊंचा नहीं होगा । उत्तर प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं । आपने बौद्ध परिपथ की बात कही कि उनको विकसित करना चाहते हैं । मैं आपकी नीयत पर अविश्वास नहीं करता हूं लेकिन अभी जो व्यवस्था पर्यटन की दृष्टि से आपने की है वह बहुत अच्छी नहीं है । बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिये और बेहतर व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी, मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है । मैं समझता हूं कि उसमें सब चीजें आ गयी हैं । अब आप समाप्त करें । अभी साढ़े 3 घंटे की चर्चा भी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं कहना चाहता हूं कि जापान की बात आपने कही है 1994-95, 95-96, 96-97 में सहायता मिली । विदेशों से जैसे थाईलैण्ड, श्रीलंका, वर्मा से भी सहायता मिलती है । मैंने संकिसा के बारे में बात कही तो आपने आंकड़े दे दिये कि जापान से एक स्कीम के तहत सहायता प्राप्त हुयी है लेकिन आपने वहां कोई विकास की बात नहीं कही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संकिसा वह एक ऐसा स्थान है गौतम बुद्ध से संबंधित है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने बहुत समय ले लिया है, अब समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अभी मैं जब लाइब्रेरी गया तो वहां पर्यटन पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं मिला । मेरी बात आ जाने दीजिये ताकि आगे आने वाले लोग कम से कम संज्ञान लें इसलिये थोड़े बहुत तथ्य तो आ जाने दीजिये । आप समय नहीं देगे तो न्याय नहीं होगा । मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो विदेशों से सहायता मिलती है उसका बड़ा दुरुपयोग होता है । मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन मेरा कहना है कि इस पर राजनीति के ऊपर उठकर विचार होना चाहिये । यह राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है । इससे हमारी अस्मिता पर आंच आती है । पिछले साल 70 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ है । विदेशों से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहायता मिलती है अगर सहायता को उस उद्देश्य में नहीं लगाया जायेगा तो विदेश के लोग सहायता देना बन्द कर देंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा । एक बात मास्टर प्लान के बारे में कहना चाहता हूं केन्द्र में एक बैठक हुयी थी तो अनेक प्रान्तों ने कहा था कि हम उसको लागू करेंगे लेकिन उसके अन्तर्गत आपने

कोई योजना नहीं भेजी है, आप उस दिशा में अभी कुछ नहीं कर पाये हैं और आपने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी कम से कम निर्देशों का भी पालन करें । एक मिनट एक मिनट करके कितना समय हो गया है कुल मिलाकर ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था किन्तु आप इजाजत नहीं दे रहे हैं । मंत्री जी बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं लेकिन इन्होंने जो बजट भाषण पढ़ा है उसको सुनकर मुझे घोर निराशा हुई है । जिस तरह से पर्यटन को व्यापक स्तर देने की बात है उस तरह से व्यापक व्यवस्था नहीं है । बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । पाल जी आप कहिये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, बहुत सारे सुझाव देने थे लेकिन मैं सुझाव लिखकर भेज दूंगा और मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह उन सुझावों पर गौर कर लें । मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पर्यटन विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हूं । माननीय मंत्री जी ने बड़ी विद्वता से, वरिष्ठता से लोक निर्माण विभाग एवं पर्यटन के संबंध में सम्मानित सदन के समक्ष अपनी योजनाओं को दिगदर्शित किया है । स्वाभाविक है कि जितनी देर उन्होंने अपना वक्तव्य और भाषण दिया उससे सारा सदन प्रभावित था । गम्भीरता से मैं भी सुन रहा था । माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद उनके द्वारा उल्लिखित किये हुये बिन्दु थे उनसे मैंने प्रयास किया कि लोक निर्माण विभाग के लिये प्रदेश की जनता का क्या मिलेगा । भविष्य में कौन सी योजनायें वास्तविक रूप से वास्तविकता के धरातल पर उतरेंगी । मुझे सुन कर दुःख हुआ है और मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ने तीन मास में सबसे बड़ी अपनी उपलब्धता राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाई वे और एम० डी० आर० इन तीनों की सड़कों में जहां भी गड्ढे तो उन गड्ढों को मैंने भी समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा है कि आपने कहा कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश के सभी इन सड़कों पर जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं चाहे जिला या राज्य मार्ग हो डिस्ट्रिक्ट रोड हो, गड्ढे भर जायेंगे । मैंने कम से कम मा० कलराज मिश्र जी के मंत्री होने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि यकीनी जो उन्होंने कहा है कम से कम नये मंत्रियों की तरह से नहीं होंगे उनकी कही हुई बात को उनके विभाग के लोग अक्षरशः पालन करेंगे, उसको कार्यरूप और मूर्तरूप देने का प्रयास करेंगे । मान्यवर, आज भी यह मिनिस्ट्री आफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के द्वारा सर्वे किया गया है उसमें एन० एस० 28 में लखनऊ से गोरखपुर के बीच में जहां पर 8 हजार गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं, सबसे महत्वपूर्ण राज मार्ग है जिस पर सबसे ज्यादा दबाव वाहनों का है, ट्रक, बसें, छोटी गाड़ियां हों गोरखपुर देवरिया गुवाहाटी के रास्ते पर चलती हैं । आज भी माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे वक्तव्य में उल्लेख नहीं किया सिर्फ एक सड़क का उल्लेख किया है मुझे याद है दिल्ली से मेरठ के बीच में और कहा कि उसको हार्ड मिक्स प्लान्ट से बनवा देंगे । सदन को प्रसन्नता होती ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैंने उन सड़कों का उल्लेख इसलिये नहीं किया कि आपके पास लिटरेचर है उसमें एक एक सड़क के बारे में भी दिया हुआ है । समरपाल जी ने कहा था उन्होंने मुजफ्फरनगर वाली सड़क के बारे में कहा था और चूंकि मैं भी वहां गया था इसलिये मैंने उसका उल्लेख कर दिया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उस मार्ग पर 5 किलोमीटर अधिग्रहीत की जा चुकी है । द्वितीय चरण का काम होना है । रेलवे का फ्लाई ओवर बनना है, उसका कोई उल्लेख नहीं है । अयोध्या नगर जिसकी वजह से आपकी पार्टी 91 में आई थी और सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है । मान्यवर, उस शहर के लिये उस रास्ते के लिये लखनऊ से गोरखपुर वाया फैजाबाद अयोध्या होते हुए उसमें पांच किलोमीटर छूटी है । उस सड़क पर आज भी जाइये । जिस तरह से आप भी देख रहे हैं 30 जून तक की घोषणा थी । स्टेट हाइवे एन० एस० 23 जो राष्ट्रीय मार्ग को जाता है वह आज भी गुवाहाटी के बीच में बदत्तर सड़क है । 30 जून की घोषणा के बाद माननीय मंत्री जी ने कहा, मान्यवर, 1947 में प्रदेश में सभी राष्ट्रीय मार्ग जिनकी कुल लम्बाई 2883 किलोमीटर है लोक निर्माण विभाग उसकी देखभाल कर रहा है । मान्यवर, 1947 में सड़कों की लम्बाई 3 लाख 90 हजार किलोमीटर थी । राष्ट्रीय राज्यमार्ग 21 हजार 440 किलोमीटर थे औसत राष्ट्रीय राज्यमार्ग कुल लम्बाई का साढ़े पांच प्रतिशत था । 1996 तक पांच गुना बढ़ गई लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग में मामूली वृद्धि हुई है यह 21 लाख किलोमीटर हो गई है । एन० एच० की कुल 34298 किलोमीटर थी यह घट कर साढ़े कम हो गया है । मान्यवर, आज जनसंख्या बढ़ रही है । आबादी बढ़ रही है जो पांच परसेन्ट था वह 1.63 परसेन्ट घटकर आ गया है आठवीं योजना में केवल 609 किलोमीटर की वृद्धि हुई जबकि सन् 2000 तक एन० एच० की 6600 किलोमीटर राष्ट्रीय यातायात नीति ने 13000 किलोमीटर विशेष रूप से चिन्हित किया है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ब्रिज कारपोरेशन और निर्माण निगम की बात कही है । यह दोनों ही ख्याति प्राप्त संगठन है । ब्रिज कारपोरेशन में दो तरह के काम होते हैं कन्ट्रोल वर्क और डिपाजिट वर्ग । कन्ट्रोल वर्क राष्ट्रीय होता है । उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि में जैसे काम होता है । मान्यवर, विदेशों में जहां ब्रिज कारपोरेशन ने ख्याति बनाई थी और के मुकाबले यह आगे थी वही इसकी गुणवत्ता घटी है । आज निरन्तर कान्ट्रैक्ट की क्षमता घट रही है । ब्रिज कारपोरेशन में मैटीरियल मैनेजमेंट होना चाहिये वह नही है । मान्यवर, व्यवसायिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसको देखना चहिये था । ब्रिज कारपोरेशन अपना मैटीरियल मैंनेजमेंट करता जिससे ब्रिज कारपोरेशन बना रहता । छः-छः महीने तक ठेका नहीं मिलता है तो ट्रक खड़ी रहती है और मजदूर पड़े रहते हैं जो पुल बनाने का सामान रहता है वह पड़ा रहता है यह व्यवसायिक दृष्टि से देखने की जरूरत है व्यवसायिक दृष्टिकोण होता तो मैटीरियल मैनेजमेंट में ट्रकों को किराये पर चलते उससे कुछ आय होती । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, अनुभवी हैं और उनकी नीयत भी है, इस ब्रिज कारपोरेशन का काम इस तरह करना होगा जिस प्रकार प्रदेश में निर्माण निगम करता है और जो आपने कहा वह पूरा करेंगे ।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि अब अधिकारियों का मूल्यांकन कार्य और दक्षता के आधार पर करेंगे तो यह अच्छी बात है । यदि अधिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में उदासीनता बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, यह अच्छी बात है ।

मान्यवर, सड़कों, पुलों और भवन का महत्व है, इसमें भेद नहीं हो सकता है । सड़कों का महत्व है । यदि गांव सड़क से जुड़ जाते हैं तो आवागमन से वहां की बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और किसानों को भी लाभ होगा । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि 57 प्रतिशत गांव मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हैं । इसलिये 30 जून तक जो घोषणा किया है कि सारे सड़कों के गड्ढे और पैच का काम पूरा हो जाएगा । तो यहां से आप कुछ अधिकारियों को भेज दें जो चेकिंग करके देखें कि यह काम पूरा हुआ है कि नहीं । यदि किसी ने लापरवाही किया है तो उसे दंडित करने का आप काम करें ।

मान्यवर, आज पूरे देश में 4 लेन की बात हो रही है । जो महत्वपूर्ण सड़कें जैसे दिल्ली आगरा, दिल्ली, झांसी, लखनऊ गोरखपुर आदि हैं उनको चार लेन बनाने की बात हुई थी लेकिन बजट के

प्रस्तुतिकरण में लखनऊ से कानपुर मार्ग को चार लेन बनाने की बात नहीं कहा है, इसलिये इस पर निश्चित तौर पर आप विचार कर लें और इस संबंध में उत्तर प्रदेश क्यों पहल नहीं करता है ?

मान्यवर, आप नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क और पुल निजी क्षेत्र में देने जा रहे हैं । इसलिये उत्तर प्रदेश इसमें क्यों पहल नहीं करता है कि महत्वपूर्ण मार्गों को जहां हजारों गाड़ियां चलती हों उनको चार लेन बनाने की आवश्यकता है । आप कहेंगे कि संसाधनों की कमी है । तो मैं चाहूंगा राष्ट्रीय मार्गों और पुलों के निर्माण के लिये आप निजी क्षेत्र को आमंत्रित करें । मान्यवर, कलवारी, टाडापुल जो पहले स्वीकृत था लेकिन उसके बाद पुल नहीं बना और स्टीमेट डिवाइड हो गया । यह महत्वपूर्ण पुल है इसके बनने से जनता को नैपाल से मध्य प्रदेश के रीवां तक मार्ग मिल जाता है । यह अभी तक सड़क द्वारा नैपाल से निकल कर सिद्धार्थनगर, बस्ती, फैजाबाद अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर होना हुए रीवां तक जनता को सड़क तक जाना पड़ता है लेकिन पुल बन जाने से जनता को रीवां तक जाने में आसानी हो इसलिये सरकार इस पुल को बनाने का ध्यान दें ।

मान्यवर, आपकी इच्छा शक्ति है और तेजी से कार्य करना चाहते हैं पिछले पांच महीने से आप सरकार में हैं और पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में आज तमाम डिवीजनों में अधिशासी अभियन्ता नहीं हैं । मान्यवर, मैं केवल अपने जनपद का उदाहरण दूं । आज पिछले कई महीनों से कान्स्ट्रक्शन डिवीजन प्रथम, द्वितीय और तृतीय में अधिशासी अभियंता नहीं हैं इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी से विभागीय सचिवों से कहा लेकिन यह बनाया गया कि डी० पी० सी० हो रही है । आप यह तय कीजिये कि 15 दिन या एक हफ्ते में डी० पी० सी० हो जायेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अधिशासी अभियन्ता का पद रिक्त नहीं रहेगा । केवल मेरे जनपद में ही 3 पद खाली पड़े हैं और अधिशासी अभियन्ता का काम असिस्टेंट इन्जीनियर चला रहे हैं नतीजा यह होता है कि उनके विभाग के समकक्ष के इन्जीनियर उनका कहना भी नहीं मानेंगे, पूरे प्रदेश में कई डिवीजन खाली पड़े हैं, उनको भरने का क्या प्रयास करेंगे । इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अन्य कार्यदायी संस्थाओं में गिरावट आयी है लेकिन पी० डब्लू० डी० में अभी उसमें गिरावट नहीं आयी है और अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अच्छी है। अधिशासी अभियन्ता न होने से सड़कों का निर्माण कार्य गन्ना विभाग कर रहा है जबकि गन्ना विभाग का काम किसानों के लिये गन्ने की पर्चियों का उन्नजाम करना, किसानों के खेतों का पैमाइश कर उनका कोटा निर्धारित करना तथा गन्ने का भुगतान करना है ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी, अब समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूं और विषय पर बोल रहा हूं, आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनको सुन लें । मान्यवर, एक फैक्स पेड एजेन्सी है, पिछले दिनों जब इन्द्राणी सेन जो सचिव थीं तो उसको ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया । यह एजेन्सी जूनियर इन्जीनियर को 80 रु० प्रतिदिन के हिसाब से रखती है उसकी कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है । फैक्स पेड, जिला परिषद् या आर० ई० एस० हों यह सब छोटे-मोटे काम के लिये थे । मान्यवर, आज ये एजेन्सियां पी० डब्लू० डी० से मुकाबला नहीं कर सकती, आज भी पी० डब्लू० डी० का अपना एक स्थान है लेकिन ये फैक्स पेड एजेन्सियां अपने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को करेप्ट करने का प्रयास कर रही हैं । आज कई एजेन्सियां कुकरमुत्ते की तरह खुल गयी हैं इनको बन्द करिये और पी० डब्लू० डी० का एक्सटेंशन किया जाये ।

मान्यवर, आज एक नई परम्परा विकसित हो गयी है, जो भी अधिशासी अभियन्ता ट्रांसफर हो कर दूसरे जिले में जाते हैं तो वह अधिकारी अपना ठेकेदार लेकर जाते हैं और सारे काम चोरी से बिना टेण्डर के उनको देते हैं । माननीय मंत्री जी आप 4 महीने से हैं अब तो 40 लाख रुपये तक का काम

समाचार पत्रों में प्रकाशित न करके, प्रचारित न करके अपने ठेकेदारों को दे रहे हैं, जब तक टेण्डर ओपेन नहीं होंगे, प्रतिस्पर्द्धा नहीं होगी कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं हो सकती है।

एक सदस्य–

प्रतिस्पर्द्धा में गोली भी चलती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गोली चलने के डर से आप ओपेन टेण्डर नहीं करेंगे। यह बात सही है कि आज नैक्सेस बन गया है इसको तोड़ दें तो मैं आपको साधुवाद दूंगा। सड़कों की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। चोरी से टेण्डर लाकर बाण्ड बनाकर अपने ठेकेदारों को दिया जा रहा है। तमाम जे० ई० और ए० ई० आज ठेकेदारी कर रहे हैं और अपने विभाग से तनख्वाह भी ले रहे हैं और ठेकेदारी का चेक फेक नामों से कटवा रहे हैं। अगर पी० डब्लू० डी० के असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर अपने ठेकेदारों को लाकर ठेकेदारी करवा रहे हैं, इससे कार्य की गुणवत्ता कभी नहीं बढ़ेगी। एक वर्ड है "एडजस्टमेंट" यह आजकल बहुत शुरू हो गया है। जो घटिया कार्यदायी संस्थायें हैं, यह उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। माननीय मंत्री जी, कभी पी० डब्लू० डी० की ख्याति थी, उसको आप बचा लें।

आपने फारेन एड से कायम शुरू किया है। इसमें 231.26 करोड़ की स्वीकृति थी और 292 कि०मी० काम हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि 312 कि०मी० मार्गों को क्या निरस्त कर दिया गया ? इसी तरह इलाहाबाद, फैजाबाद में पैकेज 9 के ठेकेदार थे उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। यदि यह 312 किमी० का पैसा नहीं मिल रहा है, जो यह पहले से स्वीकृत था, जिस पर काम रुक रहा है, ऐसा क्या है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगा।

एक बात राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कह दूं। मैं बम्बई के यू० पी० भवन की बात कर रहा हूं, उसकी स्वीकृति बहुत पहले हो गयी, यदि चुनाव नहीं हुआ होता तो उसका शिलान्यास हो गया होता और अब तक काफी काम भी हो गया होता। अब आप इस यू० पी० भवन के बारे में क्या सोच रहे हैं ?

आपने दीनदयाल योजना की घोषणा की और हम लोगों को चिट्ठियां आईं कि आप लोग 2-2 गांव दे दीजिये। आज कई माननीय सदस्यों ने दीनदयाल योजना के लिये अपना प्रस्ताव दे दिया होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। हम समझ सकते हैं कि आप इस योजना को कहां से करेंगे। जब सारा पैसा अम्बेडकर गांवों की ओर लगा दिया गया है। एक बात और कहना चाहूंगा कि क्या आप अपनी रोड टेक्नालाजी बदल रहे हैं ? बरसात के दिनों में सड़कें पेंट नहीं होती हैं, आप उनकी केवल कुटाई करा दीजिये, अन्यथा सारी सड़कें टूट जायेंगी। अगर आप मेटल करायेंगे तो निश्चित रूप से सड़कें टूट जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपको बहतु-बहुत धन्यवाद।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपकी कृपा के लिये, कि आपने मुझे समय दिया। आज का यह महत्वपूर्ण विभाग है। श्रीमन्, यूं तो आपको भी याद होगा.....

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आपसे एक आग्रह है कि अभी साढ़े 3 घन्टे की चर्चा भी बाकी है, इसलिये सभी सदस्य संक्षिप्त करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, चूंकि यह विषय ऐसा है, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके सानिध्य में बैठकर समझ सका हूं, उस ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अपने सरल तरीके से, सौम्य मूर्ति के साथ अपनी चीजों का उल्लेख किया है। बहुत सारी चीजें देखने सुनने में तो अच्छी

लगती हैं लेकिन अन्दर से कैसी होती हैं, यह तो तब पता लगता है, जब उसका परीक्षण किया जाय, उसका पोस्टमार्टम किया जाय। सबसे पहले तो जहां से आपने समाप्त किया, उपसंहार किया, मैं वहीं से अपनी प्रस्तावना शुरू करता हूं। माननीय मंत्री जी, आपने दो कारपोरेशन का जिक्र किया है। एक है, ब्रिज कारपोरेशन और दूसरा है, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। बहुत बढ़िया चिकने-चिकने कागजों पर माननीय मंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप छपवाया है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रानिक टाइप से छपा है। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि ब्रिज कारपोरेशन पर गर्व न करें। ब्रिज कारपोरेशन हमारा कामर्शियल प्वाइन्ट आफ व्यू से उत्तर प्रदेश को विदेशी मुद्रा भी दिला रहा है लेकिन मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के जो ब्रिज हैं यह उसकी उपेक्षा न करें। मान्यवर, विधान सभा के कई-कई पुल ऐसे हैं जिनको स्वीकृत हुए कई-कई साल 2-2, 3-3 साल हो गये हैं लेकिन ब्रिज कारपोरेशन उसको न लेकर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहा है और यह सोचकर कि उसका कुछ पैसा आ जायेगा। मान्यवर, आपने कहा कि सेतु निगम जिस पुल को लेता है उसको एक साल सवा साल में पूरा करता है मान्यवर, इटावा जिले की चम्बल नदी का पुल जिसके 10 खम्भे खड़े हैं उसको स्वीकृत हुए कई वर्ष हो गये हैं उसके बनने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीधा रास्ता बन जायेगा।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, यह इटावा जनपद का है मैंने नाम लिया और आपने लाल बत्ती जला दी। मैं नाम नहीं लूंगा। मान्यवर, बसहरी घाट का पुल है जिसके लिये 50 लाख रुपये दिये गये थे लेकिन वह अभी पड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं कोई निगेटिव नहीं कह रहा हूं, मैं सकारात्मक रूप से कहना चाहता हूं कि जो आपने घोषणा की है कि एक साल में सवा साल में बना लेते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि यह जो पुल है इनको भी वह बनायें। बसेहरी घाट का पुल इटौंजा से जाता है मलिहाबाद और सीतापुर को जोड़ेगा, हरदोई को जोड़ेगा।

मान्यवर, आपने राजकीय निर्माण निगम का नाम लिया और कहा कि वह अम्बेडकर पार्क बना रहा है, अभी प्रजापति मंत्री जी बैठे हैं मैं कल शाम को उधर से निकला तो मैंने कहा कि अम्बेडकर पार्क को देख लिया जाय तो 5 मिनट के लिये उतरे तो जहां पर संगमरमर के हाथी बने हैं उसके नीचे का जो प्लेटफार्म है उसमें इतनी बड़ी दरार है अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं आप जाकर देख लीजिए, उसको आप देखेंगे तो जो प्रमाण-पत्र आपने निर्माण निगम को दिया है उसको फाड़कर फेंक देंगे। एन० आई० ई० पी० आर० एल० जी की पुरानी स्कीम होती थी। आपने 50, 40, 30 प्रतिशत की जहां दलित आबादी है वहां अम्बेडकर गांव बनाये हैं। इसी तरह से जो एन० आई० ई० पी० और आर० एल० जी० पी० में 1500 की आबादी पर 1000 की आबादी पर जो व्यवस्था थी उनका पता नहीं चल रहा है। विश्व बैंक पोषित स्कीम बहुत से क्षेत्रों में आयी मलिहाबाद में उसका पता नहीं चला, नाबार्ड की स्कीम वह भी ड्राप हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय यशवंत जी आप बोलें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

लखनऊ–मलिहाबाद–रहीमाबाद और बांगरमऊ जो बी० एम० एस० टी० से बनाने की योजना था, 2 साल से मंजूर हो गयी, किसी का शासन गया तो यह मानी जा रही है, यह नीति गलत है। लखनऊ–मलिहाबाद–बांगरमऊ को जी० टी० रोड से मिला दें। नाबार्ड की स्कीम भी लागू की जाये। राज्य सम्पत्ति विभाग की बात आयी, ओ० सी० आर० में लिफ्ट गिर गयी, एक माननीय विधायक की तो उसमें जान बिल्कुल बच गयी मेंटिनेंस पी० डब्लू० डी० से निकाल कर राज्य सम्पत्ति विभाग को दी गयी।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुखपाल पाण्डेय जी आप एक मिनट कृपया बैठ जायें । सदन को शांतिपूर्वक चलाने में हमारा सहयोग करें तभी माननीय मंत्री जी तक बातें पहुंचेंगी । माननीय गौरी शंकर जी कृपया समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर एडवौकेट–

मान्यवर, चूंकि यह सरकार हमारी आवाज को दबा रही हैं इसलिए एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

"हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है, मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा,
फसीले आतसो आहन बहुत बुलन्द सही, बदलते बक्त की रफ्तार कौन रोकेगा,
नए ख्याल की परवाज रोकने वालों इसे नए अवाम की तलवार कौन रोकेगा ।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी दलों के मुख्य सचेतकों ने जिनके नाम भेजे हैं मैं उनको पहले सुनने की कोशिश करूंगा उसके बाद प्रयास करूंगा कि नये लोगों का भी सुन लूं । लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया शांत रहें । एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास न करें ।

श्री यशवन्त सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । यह बजट वास्तव में आकर्षक बजट रहा और जो रखने का तरीका है मैं उससे प्रभावित हुआ । माननीय मंत्री जी की जन्म गाजीपुर में हुआ लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वह आजमगढ़ है । एक बात वह भूल गये हैं मैं उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । थोड़ी धृष्टता कर रहा हूं लेकिन शायद वे भूल गये हैं । वे आजमगढ़ के चप्पे-चप्पे के बारे में जानते हैं । पंडित राहूल सांस्कृतायन जो कि एक पंडित परिवार में जन्मे थे और पंडित परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे दलितों के आदर्श थे । उन्होंने हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया । वे मुबारकपुर में ग्राम कनैरा में पैदा हुए । वे गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे और उनका संदेश हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में फैलाया । लेकिन मान्यवर, आज जो विदेशी पर्यटक उनके जीवन को देखने के लिए आते हैं उनके लिए आवागमन की सुविधा नहीं मिल पा रही है । पर्यटन विभाग पर चर्चा हुई लेकिन माननीय मंत्री जी ने राहूल सांस्कृतायन के नाम का उल्लेख नहीं किया । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस हेतु भी विशेष प्राविधान करेंगे तभी कनैला को जो पर्यटन केन्द्र है, जो समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं । उनको लाभ मिलेगा और इस देश और प्रदेश के पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी ।

दूसरी तरफ आजमगढ़ और गाजीपुर जो बिहार की सीमा से जुड़े हैं और वीर अब्दुल हमीद जैसे नौजवान व्यक्ति ने देश की सीमा पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, वहां तक जाने का कोई मार्ग नहीं है । गाजीपुर मार्ग बहुत अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर समर्थन करने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कुछ सड़कें अधूरी पड़ी हैं जैसे विशेसरगंज से सूदीपुर, विक्रमजोध से रसूलपुर राष्ट्रीय मार्ग से मिलौली गुसाई बन्धे तक, कुसमोर घाट से गोण्डा सीमा तक और छावनी से इन्दौली अमारी तक। इन सड़कों के अतिरिक्त मनोरमा नदी पर सिदुरिया पुल अधूरा पड़ा है। मान्यवर, मैं एक पुल की ओर और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह पुल टाण्डा तलवारी है। यह पुल बहुत समय पहले स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। बस्ती जिले में आज तक तीन-तीन चार-चार डिवीजन हैं और कम से कम पचासों और करोड़ों रुपया गया होगा लेकिन एक भी टेण्डर अखबारों में प्रकाशित नहीं किया गया। इंजीनियर 10 प्रतिशत लेकर वर्कआर्डर करके सभी को दे देते हैं। मेरे क्षेत्र में केवल इस बार टेण्डर हुआ है और किसी विधान सभा में नहीं हुआ। वहां पर अधिशासी अभियन्ता जिंदल साहब हैं, वह सस्पेन्ड हो गये हैं और माननीय मंत्री जी पर बहुत दबाव पड़ रहा है कि उनको बहाल कर दिया जाय तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनको एस० ई० बनाकर कहीं भेज दें लेकिन बस्ती से छुटकारा दिलवा दें। मैंने आपके विभाग में शिकायतें की। पचासों चिट्ठियां लिखीं और प्रमुख सचिव और सचिव को लिखा लेकिन एक का भी उत्तर नहीं दिया। मैंने अब चिट्ठियां लिखना बन्द कर दिया और मिलना भी बन्द कर दिया। पी० डब्लू० डी० के जितने भी मामले हैं उनके बारे में कोई चिट्ठी लिखी जाती है तो उसे कूड़े खाने में डाल देते हैं। मान्यवर, उनके यहां टी० ए० सी० विभाग है जो कोआपरेटिव ढंग से भ्रष्टाचार में बटवारा कर लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 लाख रुपये का फर्जी भुगतान हुआ है अगर मा० मंत्री जी इसकी जांच करावें तो मैं कहता हूं कि सारा पर्दा फाश हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि भविष्य में हमारे प्रकरण पर जांच करायी जाये और भ्रष्ट अधिकारियों को आप संरक्षण न दें और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री बेचन राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने पर्यटन और लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पर्यटन विभाग को जो बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने वाला बजट है। चौरा-चौरी जो न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित है जब 1921 में भारत की आजादी की लड़ाई के लिये चौरा-चौरी थाना फुंक दिया और कई सिपाहियों को मार डाला। यह अपने में एक मिसाल है। इसी तरह 1957 के आन्दोलन में कुंवर बन्दूक सिंह ने अंग्रेजों को मार डाला और अपनी जागीर की परवाह नहीं की और वहां मान्यवर, तक बुलायी देवी का मंदिर है उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

हमारे क्षेत्र में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनका लेपन स्तर तक का काम पड़ा हुआ है उनको पूरा पक्का किया जाये। इसी तरह गुर्रा नदी पर इटवा घाट में एक पक्का पुल बनाया जाये जो डेढ़ सौ गांवों को जोड़ता है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं। माननीय शाक्य जी ने

व्यंग्यात्मक शब्दों में अपना कटौती प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा पर्यटन मंत्री जी ने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की है तो मा० सदस्य को कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि मा० पर्यटन मंत्री जी ने अयोध्या से अपनी योजना शुरू की । मा० शाक्य जी ने कहा कि वर्ष 1991 की घटनाओं के बाद पर्यटकों की संख्या घटी है जो साहित्य हमें वितरित हुआ है उसका उन्होंने लगता है ठीक से अवलोकन नहीं किया । तो उन्हें बताना चाहता हूं कि मैदानी क्षेत्र में जहां पिछले वर्ष 495 लाख पर्यटक आयें वहीं इस वर्ष 647 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं । यह हमारी अपनी सूचना नहीं है यह भारत सरकार की सूचना है । इसी तरह बाहर के पर्यटक यहां 140 लाख पिछले वर्ष और 161 लाख पर्यटक इस वर्ष पहुंचे हैं । इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है । माननीय पर्यटन मंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास को ध्यान में रखकर पर्यटक स्थलों की घोषणा की है । उन्होंने एकांक्षी दृष्टि से चयन नहीं किया है जहां अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन आदि के विकास का संकेत दिया है वहीं आगरा के लिये "ऐरीटेज फण्ड" से 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है । हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का इसमें पूरा प्रयास किया गया है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी एक सम्प्रदाय और धर्म के नाम पर विचार नहीं करती है ।

बल्कि समग्रता के साथ आदर करते हैं इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । मान्यवर, आगरा, वाराणसी और लखनऊ को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिये जो उन्होंने महत्वपूर्ण योजना बनायी है उसके लिये धन्यवाद देता हूं । उन्होंने पर्यटन के विकास के लिये प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित किया है । सरकार के पास संशोधन सीमित होते हैं प्राइवेट सेक्टर को बुलाकर पर्यटन विकास प्रभावी ढंग से किया तो यह बहुत अच्छी बात होगी । इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि किछौछा शरीफ जो अम्बेडकर नगर जिले में है उसके विकास के लिये भी धन का आवंटन किया गया है । पर्यटन मंत्री पूरे प्रदेश के अन्दर सभी धार्मिक महत्व, एतिहासिक महत्व के स्थानों के लिये योजनायें दी हैं उसके लिये जितना धन्यवाद उनको ज्ञापित किया जाय वह कम होगा धन्यवाद ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं अब तक जितने बजट प्रस्तुत हुये हैं, मैं मिश्रा जी को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है । श्रीमन्, मैं आभार इसलिये भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आगरा के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, बटेश्वर जो पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी की जन्म स्थली है मैं चाहूंगा कि बटेश्वर के विकास के लिये प्राथमिकता दी जाय । फिरोजाबाद में एक चंदवार एतिहासिक स्थल है जो राजाओं की लड़ाई से संबंधित एतिहासिक स्थल है और उस स्थल एतिहासिक प्रमाणित है उसको विकसित किया जाय । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ताज देश के लिये एक अनुपम उपहार है । लेकिन सोमवार को वह बन्द रहता है । बाहर से जो अतिथि आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि वह सोमवार को बन्द रहता है तो इस बन्दी को खत्म करायें ताकि राजस्व की हानि न हो । आपने आगरे की सड़कों के लिये 1996 में 3 करोड़ रुपया दिया था । लेकिन 16 फरवरी तक सड़कों को बनना था लेकिन 13 जनवरी, 96 तक पैच वर्क में राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 पर 120 लाख रुपया फर्जी खर्च कर दिया गया और 3 करोड़ रुपया हड़प लिया गया हम लोगों ने शिकायतें की, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय । दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद का जो बाईपास है नेशनल हाइवे नं० 2 उसकी 3 कि०मी० सड़क बहुत खराब है उस पर गड्ढे हैं, एक बूंद भी पानी बरसता है तो सड़क पर पानी भर जाता है । बाई पास के लिये केन्द्र सरकार ने 50 लाख रुपया अवमुक्त किया था लेकिन आपकी वित्तीय सहमति न मिलने के कारण वह पैसा प्रयोग नहीं हुआ है । मैंने कई बार लिखा और प्रमुख सचिव से मिला, इसको पूरा कराया जाय । मान्यवर, शंकरपुर फतेहाबाद को आगरे से जोड़ने के लिये एक पैंटून का पुल है वहां कई बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं और स्टीमर डूब चुके हैं इस पुल को

बनवाया जाय । एक पुल बटेश्वर, मैनपुरी शिकोहाबाद है इसका सामान उठाकर कहां ले जाया गया यह पता नहीं लगा । यह पुल अधूरा है इसको पूरा कराया जाय । आपने बोलने के लिये समय दिया एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी जब अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो उनके सारगर्भित भाषण के लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं लेकिन वर्ष 1997-98 के लिये सड़कों एवं पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में आपके द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत किया गया है उसमें पहले ही वर्ष 1997-98 के वित्तीय आय-व्ययक में 505 लाख का परिव्यय 205 लाख अम्बेडकर योजना और इसी तरह से अन्य योजनाओं के लिये नियुक्त किया और माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में दीन दयाल योजना के लिये 20 करोड़ निर्धारित किया है । हम स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाने जा रहे हैं आजादी की ।

स्वतंत्रता संग्राम के अमर सपूतों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी मूर्ति के नीचे आप बैठे हैं । उन गांधी गांवों के लिये लोक निर्माण मंत्री जी की सहृदयता कहीं उनके मन में छिपी रह गयी । जब वह अपना बजट भाषण फिर प्रस्तुत करेंगे तो उन गांधी गांवों के बारे में अपनी सहृदयता प्रस्तुत करेंगे । इसी तरह से मान्यवर, बर्ल्ड बैंक के द्वारा आपने यह जो बजट साहित्य प्रस्तुत किया है उसमें बर्ल्ड बैंक से जो रुपया दर्शाया है जिसमें 23 करोड़ 126 लाख रुपये मात्र स्वीकृत है । दोहरी घाट इलाहाबाद पर गाज गिरी । इतनी बड़ी राशि जहां बजट प्रस्तुत करने की मंशा रही है, बजट दिया है सीमित साधनों में अधिक से अधिक जनता को उपयोगी लाभ पहुंचेगा । वहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा इतना बड़ा बजट वापस कर दिया जाय और उसको कोई सदुपयोग न हो सके । मान्यवर, पूर्वांचल जहां आज भी सड़कों के नाम पर पगडंडियां हैं दोहरी घाट इलाहाबाद के ऊपर सदा सदाशयता का परिचय नहीं दिया । मंत्री जी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जिस काम के लिये धन आवंटन हुआ है वरीयता के आधार पर काम पूरा करायेंगे । इसी तरह से मान्यवर, तमाम नेशनल हाई वे के बारे में सूचना जो आपका बजट साहित्य है उसके पृष्ठ–35 पर है उसमें भी इनके नवीनीकरण या सुदृढ़ीकरण के बारे में है लेकिन राष्ट्रीय मार्ग नं०–29 जो गोरखपुर से काशी और प्रयाग होते हुए जाती है । जब आप बजट भाषण दे रहे थे तो आप की कर्म भूमि आजमगढ़ बताई गई थी । आप की कर्म भूमि गोरखपुर भी रही है । कर्म भूमि नहीं आप एक संगठन के प्रमुख रहे हैं उत्तर प्रदेश के । मान्यवर, आप यह लाल बत्ती दो मिनट के लिये तो बन्द रखिये ।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, तीन मिनट हो गये हैं ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, कहने दीजिये । आपका भी भला हो जायेगा । राष्ट्रीय मार्ग नं०–29 जो गोरखपुर से इलाहाबाद और काशी जाता है उसकी हालत अभी भी वैसी है । आप अपने बजट भाषण में कह रहे थे जर्जर गड्ढों को भरने की बात कर रहे थे । आप विदेश गये थे । आपके विदेश दौरे पर आपके अधिकारी ने गलत सूचना दी है । आप आज जांच करवा लीजिये । उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी एक तरफ से राष्ट्रीय मार्ग नं०–29 को दिखवा लीजिये । कहीं भी एक पैच वर्क पूरा हुआ होगा तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, दो मिनट दे दें । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा सेतु निगम के बारे में, और माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, जो ऐतिहासिक पुल, जिसका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया भागलपुर पुल को भी मैं उसी के साथ जोड़ता हूं इसको बनवा दें । इसको बनवाने से गोरखपुर से सारनाथ की दूरी 200 किलोमीटर हो जाएगी । श्रावस्ती, कुशीनगर भी इससे जुड़े हुए हैं....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं राज्य सेक्टर से सड़कों को जोड़ा जा रहा है । वर्ष 1993-94-95 की जो सड़कें हैं नियंत्रक अनुसूची संख्या–2 पेज 62 पर देखें जो स्टेट सेक्टर की तमाम सड़कें धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकीं हैं उनको पूरा कराया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

और इन सड़कों के लिए धन आवंटित किया जाए । यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कों के नाम पर कच्चे मार्ग हैं जो सड़कें धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी हैं उन सड़कों को, स्टेट सेक्टर की सड़कों को पूरा कराया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

वर्ष 1985 में रोड कांग्रेस हुई थी वह आप करावें । रोड कांग्रेस के नाम पर कोई चीज नहीं है । गोरखपुर राष्ट्रीय ब्रिज इंजीनियरों ने इसे चालू करने के अयोग्य घोषित कर दिया है । यह अधूरा पड़ा है । यहां पर एक नया पुल बनवावें ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

ताकि वह अन्य जगहों से जुड़ सके । अयोध्या राम जानकी मार्ग को भी विस्तारीकरण करावें । जो जर्जर अवस्था में पुल हैं उनका पुनरुद्धार करावें । वहां के पर्यटकों की संख्या घटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करें । कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बनी आदि जगह जो हैं यह पर्यटक स्थल हैं यहां पर्यटकों ने आना कम कर दिया है यहां की खराब सड़कों को ठीक करावें उसकी मरम्मत करावें । ताकि पर्यटकों के साथ वहां के नागरिकों को भी सुविधा हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री दल बहादुर कोरी–

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है । श्रीमन्, मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा कि गांव की सड़कें बनाई जा रही हैं शासन की तरफ से समय सीमा निर्धारित कर देंगे । उस समय सीमा के अन्दर पूरा करने की होड़ में उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव आएगा ।

मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र की दो सड़कों को जानता हूं और वे विकास खण्ड रूदौली, जिला बस्ती में अम्बेडकर गांव कुडही और अम्बेडकर गांव लेदवा का सम्पर्क मार्ग पिच होकर पूरे हुये हैं लेकिन इसी बरसात में उनके गांठ बराबर गड्ढे हो गये हैं । मान्यवर, यह इसलिए हुआ कि मिट्टी को पूरी तरह से बिना दबाये खड़ंजा, सोलिंग और पेन्टिग का कार्य का दिया गया इसलिए सड़क बैठ गई । मैं चाहता हूं कि इन सड़कों को तुरन्त ठीक करवाने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, अम्बेडकर गांवों जो सड़कें बनाई जा रही है उसमें शासन का निर्देश है हरिजन आबादी तक सड़क पहुंचाई जाये । हमारे क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं जहां पी०डब्लू०डी० के इंजीनियर को कष्ट हो रहा था इसलिए कोई छोटा मजरा, बाग लेबिया और कह दिया की काम पूरा हो गया है । मैंने यहां प्रश्न किया था जिसका उत्तर आया है एक छोटे से मजरे तक सड़क बना दी गई और मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मुख्य हरिजन आबादी का गांव तक सड़क बनाई जानी चाहिए ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आपने दीनदयाल उपाध्याय योजना चालू किया है । एक हजार से अधिक की आबादी और दो किलोमीटर के अन्दर का नार्मस बनाया है और इस नार्मस में यदि आता है तो उसे पक्की सड़क से जोड़ दिया जाय हमारे क्षेत्र में एक हजार से अधिक आबादी के गांव है और दो किलोमीटर से अधिक दूरी है तो मेरा निवेदन है कि इन मार्गों को भी पक्के मार्गों से जोड़ने की व्यवस्था करें । हमारे यहां निर्माण खण्ड–2 में अधिशासी अभियन्ता नहीं है लेकिन सहायक अभियन्ता जो है वह गोरखपुर में रहते हैं और कभी-कभी बस्ती आ जाते हैं । उनका स्थानान्तरण हो गया था लेकिन फिर आ गये हैं और वह चेक काटने केवल आते हैं ।

मान्यवर, नेशनल हाईवे नम्बर 28 के सम्बन्ध में श्री पाल जी ने चर्चा किया । मेरा सुझाव है उस पर रेल ओवर हेड ब्रिज बनवाने की व्यवस्था करा दें तो अच्छा होगा चूंकि भारत सरकार के पास इसका प्रस्ताव लम्बित है ।

मान्यवर, बस्ती से लुम्बिनी, नौगढ़ होते हुये स्टेट हाई वे नं० 5 की बड़ी दुर्दशा है । मैं चाहता हूं कि इस सड़क को आप जल्दी से जल्दी बनवाने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

[श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर), उप नेता समाजवादी पार्टी द्वारा अपने दल के माननीय सदस्य को सुने जाने का आग्रह करने पर]

श्री अधिष्ठाता–

विपक्ष में आप केवल समाजवादी पार्टी को मानते हैं या और किसी दल को । मैंने किसान कामगार पार्टी के सदस्य श्री बिजेन्द्र आर्य को बुला लिया है । अभी माननीय सदस्य बैठ जायें इसके बाद सुन लूंगा ।

श्री बिजेन्द्र आर्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को उनके द्वारा बजट प्रस्तुतीकरण पर प्रशंसा करना चाहूंगा । उनकी नेक दिली और नेकनीयती पर मेरा संशय और सन्देह नहीं है । मैं केवल एक बात के लिए आपसे पुरजोर अपील करना चाहूंगा चाहे आप उसे मेरी प्रार्थना समझ लें या मेरी मांग । मान्यवर, मेरा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में जानसठ एक मुख्य कस्बा है जहां से जी० टी० रोड खतौली-मीरापुर के रास्ते होते हुये बिजनौर को जाता है । मान्यवर, शायद आजादी के पहले ही वहां पर उप गंगा नहर पर पुल बना था वह इस समय टूटा हुआ है और आये दिन उसके कारण दुर्घटनायें होती हैं और आये दिन आदमी व पशु दोनों उस नहर में गिर कर मर जाते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सड़कों में गड्ढे नहीं हैं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं लेकिन मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं । मैं केवल एक ही पुरजोर निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि यह जो उप गंगा नहर का पुल टूटा हुआ है जिस कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं और उस क्षेत्र का विकास भी बाधित हो रहा है । मान्यवर, पुल के बन जाने से 60 किलोमीटर की दूरी अभी तय करनी पड़ती है । वह कम हो जायेगा और मात्र 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी उस पुल के टूट जाने की वजह से अब उस पर मोटर-गाड़ियां टोटली बन्द हो गयी हैं हम लोगों ने लकड़ी से कुछ व्यवस्था कर रखी है और लोग 60-70 किलोमीटर की दूरी न तय करके शार्ट कट के चक्कर में रात में उस पुल पर गुजरते हैं और जो उस इलाके के लिए नया होता है उसको कोई जानकारी नहीं होती है वे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं । मान्यवर, हमारे यहां जो गड्ढों में सड़क है, उसके लिए मांग नहीं कर रहा हूं । केवल मान्यवर, एक पुल के निर्माण की मांग कर रहा हूं, आपकी नीयत पर मुझे विश्वास है इस आशा और विश्वास के साथ कि मा० मंत्री जी मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे, मैं इस सम्बन्ध में आपको लिखित भी दे दूंगा । कोई विस्तृत भाषण न देकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायें, सभी को समय मिलेगा, मैंने सीता राम निषाद जी को बुला लिया है ।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, मैं लोक निर्माण और पर्यटन विकास मंत्री जी को स्मरणं दिलाना चाहता हूं कि आपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या से श्रंगवेरपुर और चित्रकूट को जोड़ने के लिए राम वन गमन मार्ग के निर्माण की घोषणा की थी । माननीय मंत्री जी ध्यान से सुनें । ...

अयोध्या से श्रंगवेरपुर और चित्रकूट को जोड़ने के लिये राम वन गमन मार्ग का निर्माण किया जायेगा और उस पर जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे रामचौरा गयासपुर फैजाबाद जिले में और इलाहाबाद में श्रंगवेरपुर, इन दोनों को पर्यटन केन्द्र बनाया जायेगा और इनका विकास किया जायेगा, मान्यवर, मुझे उस समय आपकी घोषणा को देखकर खुशी हुई थी, लेकिन आज इस बजट को देखकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि इस बजट में उसके निर्माण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही पर्यटन के बजट में और न ही लोक निर्माण विभाग के बजट में उसकी कोई व्यवस्था है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राम वन गमन मार्ग जो अयोध्या से जाता है, जहां भगवान राम ने प्रथम रात्रि पड़ाव किया था, उस स्थल को पर्यटन केन्द्र बनवाने की कृपा करें ।

सौभाग्य से मेरे क्षेत्र में बीकापुर, तमसा नदी के तट पर राम चौरा पर्यटक स्थल गयासपुर में है, वहां के लिये सन् 1988-89 में 60 लाख रुपये की एक योजना बनाई गई थी, संभवतः उसमें कटौती कर दी गई है, मेरा अनुरोध है कि कृपया उसका परीक्षण करा कर उस योजना को पूरा कराने की कृपा करें । उसी राम वन गमन मार्ग की कड़ी में तमसा नदी पर, जहां प्रथम रात्रि पड़ाव हुआ था, वहां पुल

का निर्माण हो चुका है, यह पुल सन् 1989 में ही बन चुका है लेकिन जो राम चौरा पर्यटन केन्द्र तथा राम वन गमन मार्ग को जोड़ने के लिये दशरथपुर, गयासपुर मार्ग बना हुआ है, उसमें 3.675 कि०मी० ईटें की सोलिंग है, उसे लेपन कराने की अवश्य कृपा करें, पुल बना हुआ है, लेपन करा दें ताकि यातायात शुरू हो सके।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि बडहर मड़ता नदी पर ऐमीघाट पर, फुलौना, हैदरगंज, तारून अइमीघाट रसूलाबाद होते हुये दर्शन मऊ से अयोध्या को जोड़ने के लिये पुल वर्ष 1989-90 में बन गया था, लेकिन जयसिंह नगर से जो 4.5 कि०मी० रोड अधूरी है, उसके साढ़े 4 कि०मी० में केवल ईंटें की सोलिंग तक बना हुआ है, उस पर लेपन कराने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक नीति बना लें और प्राथमिकता तय कर लें कि जहां पर पुल बन चुके हैं और उन पुलों को जोड़ने वाले मार्ग हैं, जो अधूरे हैं, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्माण कराने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी प्रकार जहां बहुत पुराने शाही जमाने के पुल बने थे, वह अब टूट गये हैं, ऐसे टूटे हुये पुलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनको बनवाने की कृपा करें। जैसे फैजाबाद में टकसरा पुल साखू पारा मिश्रौली, टकसरा-शाहगंज-इसौली मार्ग पर बड़हर नदी पर शाही जमाने का पुल बना था ध्वस्त हो गया है, यह सैकड़ों साल पहले बना था, उसका पुर्ननिर्माण कराने की कृपा करें। इसी तरह बरेहटा में तमसा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है, दोनों का आगणन शासन को प्राप्त हो गया है, उसकी स्वीकृति भी देने की कृपा करें।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी को प्रतापगढ़ कहीं नजर नहीं आया आपने बजट में प्रतापगढ़ को कुछ भी नहीं दिया है वहां पर 7 विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें से दो में आपकी सरकार के विधायक हैं जो कुछ दिया गया है वह सारा का सारा रामपुर खास में दिया गया है जो प्रमोद कुमार जी के क्षेत्र में गया है। राज्यपाल जी के शासन में उसके प्रभाव में सारा का सारा पैसा वहां ला दिया गया है मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए मुझको बड़ा दुख है मेरे लिए यह बजट कोरे कागज के समान है।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि दो धार्मिक प्रमुख नगर है एक तो इलाहाबाद जो प्रयाग का नगर है और अयोध्या है। मान्यवर, इलाहाबाद और फैजाबाद की सड़कों की वह दुर्दशा है कि वहां पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं वहां इतने एक्सीडेंट हो गये कि कह नहीं सकता हूं। अगर कोई गर्भवती महिला जाती है तो पहुंचते उसको कोई बीमारी हो जाती है। मान्यवर, मुझे ज्ञात है कि 46 लाख रुपये वहां मरम्मत के लिए गया है उस 46 लाख रुपये में अगर वहां एक पैसा भी खर्च हुआ हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं प्रतापगढ़ में एक फिट भी मिट्टी फेंकी गयी हो। वहां का इन्जीनियर राकेश, उसकी कितनी ही करोड़ की उसकी सम्पत्ति होगी भवन होंगे वह पैसा देकर फतेहपुर ट्रांसफर करा लिया है अगर उसने एक भी सड़क पर काम कराया हो तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या किया जायेगा जो 50 साल से सड़क के नाम पर लूटते चले आ रहे हैं इनके बड़े-बड़े महल बनते चले जा रहे हैं।

मान्यवर, प्रतापगढ़ के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर पूर्व जनता शासन काल में पर्यटक आवास बना था उसको बने हुए 4 साल हो गये हैं इस पर 22 लाख की लागत आई थी और उसमें एक भी आदमी गया हो और एक भी रुपये का फायदा हुआ हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी निन्दा करता हूं यह बजट खाने कमाने की एक चीज बन गयी है इस बजट पर मैं घोर आपत्ति करता हूं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे भी दो शब्द कहने का मौका मिला है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग का जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह कृपा करके इस बात का नोट कर लें। माननीय अधिष्ठाता जी हमारे गृह जनपद गाजीपुर का जो इलाका बिहार मीया की मुख्य सड़क से जुड़ता है। गाजीपुर से बक्सर उसकी हालत इतनी जर्जर है कि शायद ही कोई मुख्य सड़क ऐसी हो कि जिसकी हालत ऐसी हो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं उस सड़क के लिए जो महमूदाबाद से 18 किलोमीटर बक्सर है उसके लिए एक दल भेजकर जांच करा ली जाय तो पता लग जायेगा कि क्या हालत है ? इस पर आये दिन जाम लग रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं। यह एक ही सड़क है जो बिहार से जुड़ती है मैं मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उस सड़क पर कोई जांच दल भेज दें और जांच करा लें इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा।

श्री मुन्ना लाल मौर्य–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट सराहनीय बजट है। मैं फतेहपुर जनपद से चुनकर आया हूं। मेरा क्षेत्र आजादी के बाद से आज तक विकास कार्यों से बिल्कुल अछूता सा रह गया है। विधान सभा क्षेत्र खागा ऐराया विकास खण्ड के अन्तर्गत की रोड के बारे में ध्यान दिया जाय। मण्ड़वा ग्राम पंचायत की आबादी 10 हजार से अधिक है, मान्यवर, मण्ड़वा ग्राम पंचायत विकास खण्ड ऐराया अन्तर्गत 15 वर्षों पूर्व 9 कि०मी० में बोल्डर डलवाया गया था परन्तु डामरीकरण नहीं कराया गया इसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। इसी तरह से हथगाम से बरमोन वाया मुरांव होकर जो मार्ग है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र से फतेहपुर मुख्यालय से जुड़ता है उक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही सारगर्भित बजट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लक्ष्य मानते हुए प्रस्तुत किया है इसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान भदोही जनपद की तरफ दिलाना चाहता हूं वहां लोक निर्माण विभाग के कार्यों की बहुत जरूरत है। जो ग्रामीण अंचल में है। (व्यवधान) पलिया डेंगुरपुर रोड है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी आप लोग बैठेंगे।

श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

धन तुलसी में गंगा नदी पर पीपा पुल की जरूरत है। मान्यवर, हमारे यहां धार्मिक स्थली सीतामढ़ी के विकास के लिये, उसके सौन्दर्यीकरण के लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहता हूं। मान्यवर, औराई में लगभग 50 कि० मी० सड़क ऐसी है जो बोल्डर युक्त है लेपन कार्य नहीं हुआ है। इसी तरह से भदोही जनपद ज्ञानपुर विधान सभा में 100 कि०मी० सड़क बोल्डर युक्त है, लेपन कार्य नहीं हो पाया है 20 वर्षों से यह कार्य लम्बित पड़ा हुआ है इसको पूरा कराया जाय। इसी तरह से गोपीगंज फूलबाग से पाली होते हुए भदोही जनपद का मुख्यालय है उसमें लेपन कार्य का आदेश करेंगे। भदोही औराई ज्ञानपुर में जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उसके मिलिये मैं मंत्री जी का अनुग्रह चाहूंगा। (इस समय 9 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि जनपद के अधूरे कार्यों को पूरा कराने की कृपा करें। धनतुलसी डेंगुरपुर घाट पर पीपापुल का निर्माण, सुभाषनगर से ज्ञानपुर 4 कि०मी० बोल्डर की सड़क को पिच कराई जाय।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान की आजादी की स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज माननीय लोक

निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन जनपदों की उपेक्षा की गयी है जहां से लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी में अपने प्राणों की कुर्बानी दी । मैं उसी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, लखनऊ जनपद से मिला हुआ उन्नाव जनपद है जहां के चन्द्र शेखर आजाद ने हिन्दुस्तान की लड़ाई में अपने प्राणों की कुर्बानी दी । लेकिन यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें इन्होंने अनुसूची 2 तथा 3 में कहीं पर भी उन्नाव का जिक्र नहीं किया है । कहीं पर यह नहीं कहा है कि सड़क की मंजूरी दी गयी है । आज मान्यवर, उन्नाव जो इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है एक तरफ तो उन्नाव और कानपुर की सीमा पर गंगा नदी है, वहां पर हजारों गांव हैं जिसमें आवागमन का रास्ता नहीं है । दूसरी तरफ उन्नाव लखनऊ के मध्य सई नदी पर लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि जहां पर कोई रास्ता नहीं है तमाम अव्यवस्था फैली हुई हैं वहां पर कोई निर्माण कार्य कराया जाय । मान्यवर, अम्बेडकर गांव की चर्चा हुई । यह कहा जाता है कि अम्बेडकर गांव में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है । मेरी जानकारी में है हमारे क्षेत्र वछोलिया गांव में 300 मीटर की दूरी पर सड़क बनाकर छोड़ दी गयी है । और जो निर्माण हुआ है सड़क का तो वह सड़क भी टूटने लगी है । एक लम्बे समय से पिछले 10, 12 सालों से हमारे क्षेत्र के दो तीन मार्ग ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं । मौंरावां से बछरावां जिसकी लम्बाई 25 किलोमीटर है उसमें तीन किलोमीटर अवशेष है । बनी से पुरवा जो लखनऊ की सीमा को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग है और जिसकी लम्बाई 25 किलोमीटर है चार किलोमीटर अवशेष है । वर्ष 1997-98 में 62 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इस विभाग की अपनी विश्वसनीयता है और अपनी पहचान है और साख है और आशा है कि वह इसी प्रकार बनी रहेगी । अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहती हूं । पहली समस्या है कि वर्ष 1995-96 में जिला सामान्य योजना के अन्तर्गत इस तरह की व्यवस्था की गयी है, ...

मौरावां से रायबरेली को जो सड़क जाती है, उसकी दूरी 25 किलोमीटर होगी, उसमें तीन किलोमीटर बीच का रास्ता खराब है, जिसके कारण 100 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वह भ्रष्ट हैं और जो मटेरियल दिया जाता है, वह उनको दिया नहीं जाता है । मौरावां से गुरबक्स गंज सड़क जाती है । राज्यपाल शासन में एक किलोमीटर के लिये पैसा दिलवाया गया था, लेकिन उस पर जितनी गिट्टी पड़नी चाहिये थी वह पड़ी नहीं है । इसकी मैंने शिकायत की थी और मेरी शिकायत की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गयी जो सही पायी गयी, लेकिन उस अवर अभियन्ता के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा क्षेत्र 171–इटवा सिद्धार्थनगर है, जहां तहसील मुख्यालय से इटवा की सड़क है, जो बहुत ही खराब थी, उसके निर्माण के लिये राष्ट्रपति शासन में 22 लाख रुपया दिया गया था, यह रुपया उस सड़क के नव निर्माण के लिये दिया गया था, लेकिन वहां के अधिकारियों ने इस सड़क का निर्माण नहीं कराया और जो रुपया इस सड़क के निर्माण के लिये मिला था उसका बन्दर बांट कर लिया । इस सड़क में गहरे-गहरे गड्ढे हैं और इस पर चलना बहुत ही कठिन है । मेरा निवेदन है कि मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें । हमारे क्षेत्र की कुछ और समस्यायें हैं । जो मुख्य मार्ग हैं, जो अधूरे पड़े हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । इटवा होशियारपुर का शेष भाग, बठया कठेला का शेष भाग, बठया ऊंच डीह मार्ग, मधवापुर से बेलहसा तक सम्पर्क मार्ग, मुडिया, शिवदत्त पिपरी बुजुर्ग का शेष भाग, मिठौआ से चेतिया मार्ग, इटवा डुमरियागंज मार्ग से पकरी नन्द लाल तक, इटवा डुमरियागंज से करहिया गोसाई तक,

भावपुर भदोखर मार्ग का शेष भाग, बडहरा बिशुनपुर से बुठऊ मार्ग का शेष भाग, कमदा भदोखर मार्ग का शेष भाग और रमवापुर कला बेलवा लिंग मार्ग ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन समस्याओं को मैंने रखा है, उन पर गंभीरता से विचार करें और विशेष ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे पी० डब्लू० डी० के बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करती हूं । सर्व प्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और इसके साथ ही इस विभाग के पदाधिकारियों को बधाई देती हूं, जिन्होंने सीमित साधनों में और विषम परिस्थितियों में अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया है, बधाई के पात्र हैं । मैं इस बजट का इसलिये भी समर्थन करती हूं कि यह विभाग सड़कों और पुलों के निर्माण और रख-रखाव की पूरी व्यवस्था करता है । इस बजट के अन्तर्गत जो हमारे प्रदेश के विभिन्न विभाग हैं, उनके कार्यालय हैं, उनकी पूरी व्यवस्था की गयी है । राष्ट्रीय मार्गों की पूरी व्यवस्था की गयी है । मैं इस बजट का समर्थन इसलिये भी करती हूं कि विगत वर्षों में 50 प्रतिशत पूंजी सेतु निगम की थी, लेकिन इस बजट में एक हजार लाख की व्यवस्था निगमों के लिये की गयी है । मैं इस बजट का समर्थन इसलिये भी करती हूं कि 120 किलोमीटर दूरी के सेतु बनाये गये हैं । वर्ष 1997-98 में 62 सेतु और बनाये जायेंगे । इस विभाग की अपनी विश्वसनीयता है और अपनी पहचान है और साख है और मेरी आशा है कि वह इसी प्रकार बनी रहेगी । अब मैं मान्यवर, अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहती हूं । पिछले समय में वर्ष 1995-96 में जिला योजना के अन्तर्गत इस तरह की व्यवस्था की गयी थी जिससे क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन वह लाभान्वित होने से वंचित रह गये हैं । मेरा अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाय और सभी विधान सभा क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, समान लाभ मिल सके और उनका समान रूप से विकास हो सके ।

दूसरा सुझाव यह है कि दीन दयाल योजना लागू की गयी है वह प्रत्येक जनपद में जहां की आबादी 20 हजार से ज्यादा है सबमें लागू होनी चाहिये । इसी तरह से अम्बेडकर योजना जो चलाई गयी है उसमें भी प्रत्येक वर्ष जनपद के 10 गांवों को लिया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं ।

डा० गंगा बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं और कुछ करने की उनमें लगन है ।

मान्यवर, दो विभागों के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है एक पर्यटन और दूसरा लोक निर्माण विभाग । पहले मैं पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कई धार्मिक स्थलों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की बात की है । उन्नाव जनपद में चार ऐसे स्थल हैं । पहला तो सीधे अयोध्या से जुड़ा हुआ है पहला तो परयर गांव है जिसको पहले परिहार कहते थे जहां सीता जी का परित्याग किया गया था और यह लवकुश की कर्म भूमि है । वह एक धार्मिक स्थल है उसका पर्यटक स्थल के रूप में विकास करना बहुत जरूरी है । दूसरा उन्नाव में दो शहीद हुए हैं, एक राजा राव राम बख्श सिंह जिनको बरगद के पेड़ पर लटका कर फंसी दे दी गयी थी, इन्होंने अपने जागीर की परवाह न कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी । यहां पर भी हर वर्ष लोग हजारों की संख्या में सर झुकाने जाते हैं । इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये । दूसरा शहीद स्थल चन्द्र शेखर आजाद की जन्म स्थली बदरका है जहां प्रति वर्ष हजारों लोग हर वर्ष सर झुकाने जाते हैं । यह स्थल भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना चाहिये ।

मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो मार्ग कांग्रेस सरकार के समय में बने थे वह अभी अधूरे पड़े हैं उनमें मिट्टी गिट्टी का कार्य हुआ है उनमें बहुत बड़े-बड़े बोल्डर्स पड़े हुये हैं और वह चलने योग्य नहीं हैं उनको पूरा किया जाये । इसी तरह के मार्ग हमारे पुरवा में हड़हा में अचल गंज मार्ग है जो पुरवा, मोरवां, मोहनलाल गंज होते हुये सुल्तानपुर को एक सड़क जाती है । और कानपुर को जोड़ता है अगर यह रूट पक्का बन. जाये तो लखनऊ की सड़क पर जो वाहनों का भार है वह कम हो जायेगा और बड़े विहकिल्स उधर से पास हो जायेंगे । वर्ष 1995 में 41 लाख रुपये इसके लिए स्वीकार हुये थे जिसमें गिट्टी स्तर का कार्य हो गया है । इसके लेपन स्तर का कार्य करा कर पूरा किया जाये इससे उस क्षेत्र का वहां का आवागमन बहुत सुलभ हो जायेगा और सैकड़ों गांव इससे लाभान्वित हो सकेंगे । मान्यवर, बदरका जो आजाद जी की जन्म स्थली है, बिलग्राम इलाहाबाद रोड जो बदरका के पास से गुजरता है वह टूट गया है और जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं इसे सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार से मैकूतली मार्ग, बिछिया मार्ग, पड़री मगरायर मार्ग जिसके बारे में मैंने सुना था कि आप उद्घाटन करने जा रहे हैं अधूरे मार्ग मोरिन्दा केवाजा सेवा मार्ग, कोल्हा गाड़ा मार्ग के अधूरे मार्गों को पूरा किया जाय । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो अम्बेडकर गांव हैं जहां दो बड़े गांव रोड से जुड़ जाते हैं उनको इण्टर लिंक्ड करना चाहिये । मेरे यहां दो बड़े अम्बेडकर गांव है जमुका, पड़री रोड पर और कोराड़ी राय बरेली रोड पर इन दोनों गांवों को रोड से जोड़ा जाय तो दो बड़े अम्बेडकर गांव इंटर लिंक्ड हो जायेंगे । मेरे क्षेत्र में 3 अम्बेडकर गांव इलाहाबाद रोड से जुड़े हैं जिसमें से 2 ऐसे हैं रायपुर इसकी 4 कि०मी० रोड बाकी है इस पर खड़ंजा लगा हुआ है । इसी तरह से निधान खेड़ा 2 कि०मी० रोड यहां बन जाय तो यातायात का साधन उपलब्ध हो सकता है । दोनों गांवों की 6 कि०मी० सड़क है इसकी स्वीकृति देने का कष्ट करें तो मैं आभारी हूंगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया कि इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं केवल 2-3 सुझाव देना चाहता हूं संयोग से माननीय परिवहन मंत्री जी भी बैठे हैं । विदेशों में जब सड़क निर्माण होता है उसमें 18 टन वजन के रोलर से बनी हुयी सड़क पर 10 टन से ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है । उत्तर प्रदेश में 6 टन के रोलर से जो सड़क बनती है उस पर 18 टन वजन की गाड़ियां चलती हैं । ऐसी स्थिति में सड़क 2 साल या एक साल में टूट कर बेकार हो जाती है । इसके लिये आपको एक कानून बनाना चाहिये । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सड़क बनायी जाती है पहले गिट्टी डाल दी जाती है और बाद में डामर मिलता नहीं है जिससे करोड़ों रुपयों की गिट्टी छिटक कर इधर-उधर चली जाती है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये । मैं अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे यहां कम से कम 10 मार्ग ऐसे हैं जिनकी स्वीकृति हो चुकी है लेकिन विभाग द्वारा आज तक काम शुरू नहीं किया गया है । मैंने लोक निर्माण मंत्री जी का पत्र अधिशासी अभियन्ता को दिया फिर भी काम नहीं लगा । वह सड़कें आज तक नहीं बन सकी हैं । मान्यवर, मेरे यहां विकास खण्ड सलोन में माधवपुर निनैया मार्ग, उसरीरानीपुर मार्ग, सांडा सैंधन बरवलिया मार्ग, करहिया कान्हपुर मार्ग, अतरहिया बैरमपुर मार्ग, करहिया जोदहा मार्ग, पारी पहाड़गंढ़ गोड़वा हसमपुर मार्ग, मान्यवर, विकास खंड डीह में वीरगंज परसैदपुर मार्ग, हाजीपुर मार्ग, डीह टिकरसी बेतौरा कोटई मार्ग, डीह सादीपुर कोटवा मार्ग, इसी तरह से विकास खंड छतोह में बेवल छतोह मार्ग, जायसकाजीपुर तेलियानी, ढ़ेलिया मार्ग, नसीराबाद अशरफपुर परैया मार्ग का निर्माण कराया जाना चाहिये ताकि वहां की जनता को आने जाने की सुविधा मिल सके ।

यह सब पड़ी है बनाई नहीं गई है । विकास खण्ड डी में कुछ पुलों के बारे में कहना है । दो स्थान ऐसे हैं जहां गांव नदी के इस पार है और खेत उस पार । कचनावा और मजलहा हैं अगर पुल का निर्माण हो जाय तो किसानों को उससे राहत हो जाय । वो आसानी से खेती कर सकेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, एक बात मैं राज्य सम्पत्ति विभाग से संबंधित कहना चाहता हूं । दारुलशफा में फ्लैट बने हैं उसमें टायलेट एक ही है और एग्जास्ट फैन नहीं लगा है । गांव की जनता आती है और वह इतना गन्दा कर देती है कि कमरों में गंदी हवा चली जाती है । अगर एग्जास्ट फैन लगा दिये जायं तो अच्छा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दल बहादुर जी ने कुछ बातें कही हैं उसको भी आप अपने उत्तर भाषण में ले लें ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह लोक निर्माण विभाग का बजट पेश किया है । मान्यवर, हमारा जो क्षेत्र है वह देश की राजधानी से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, हम पर्यटन की बात करते हैं कि पर्यटन से हमको बड़ा लाभ होगा लेकिन जब हम दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो विदेशी घूमने के लिये आता है वह वहीं से वापस हो जाता है । उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने के बाद ऐसी हालत नहीं है कि विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में घूमने के लिये तैयार हो । इन सड़कों की जो हालत है कि कोई कुछ कह नहीं सकता । अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि पिचिंग का काम पूरा कर दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली से 30/35 किलोमीटर कोट्ठा 300 मीटर सड़क इस हालत में है कि उसमें मारूति गाड़ी बैठ जाती है । अभी 16 तारीख को मैं वहां से दिल्ली जा रहा था गाड़ी डूब गई । बड़ी मुश्किल से खिंचवाकर बाहर निकाली । आपने जो 30 जून तक का वायदा किया था उसकी यह दशा है । बड़ौत, बागपत, करयखेडी हर जगह सड़कें बिल्कुल खराब हैं कोई पिचिंग कार्य नहीं हुआ है । हमारा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव है कि आबादी में सड़क जल्दी खराब हो जाती है तारकोल और पानी की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है जैसे ही पानी तारकोल पर पड़ेगा तारकोल अलग हो जायेगा और सड़क वहां से खराब हो जायेगी । आबादी के अन्दर सड़क बनाई जायं तो सी० सी० की बनाई जायं जिससे कि सड़क चलेंगी और हर वर्ष वहां पिचिंग का कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मेरा यह सुझाव माननीय मंत्री जी कृपया नोट कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं । वह छपरौली है । छपरौली उत्तर प्रदेश ही क्या दुनिया में मशहूर है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री को दिया । लेकिन छपरौली के क्षेत्र की सड़कों की हालत ऐसी है आदमी दिन के उजाले में जो भगवान ने सुन्दर आंखें दी हैं वह नहीं देख सकता है और न ही उन सड़कों पर चल सकता है । कोई सड़क ठीक नहीं है हर सड़क की हालत खराब है हमारे यहां वाटर लेबिल भी ऊपर है जिससे दल-दल हो

जाती है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र को थोड़ा पैसा देकर ठीक कराने का कष्ट करें ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है ।

(व्यवधान)

यह निश्चित ही स्वागत योग्य है । मैं गांव का रहने वाला हूं निश्चित रूप से सड़कों के द्वारा गांव का विकास होता है । माननीय मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो गांव को अम्बेडकर नगर योजना और दीनदयाल उपाध्याय के योजना द्वारा सड़क से जोड़ने का काम किया है इसके लिये वह निश्चित ही बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, मैं मंझनपुर से चुनकर आया हूं अभी बसपा और भाजपा की सरकार ने इसे जिला बनाने की घोषणा की है इसके लिए बधाई के पात्र हैं । कौशाम्बी लखनऊ से जाते हैं तो इलाहाबाद होकर जाना पड़ता है । इलाहाबाद से कौशम्बी 70 किलोमीटर है । यदि माननीय मंत्री जी कौशाम्बी से वहां होते हुए कुंडा के पास लखनऊ रोड में एक नई रोड का प्रस्ताव कराकर जुड़वा देते तो 70 कि० मी० की बचत होती और पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा होती मान्यवर, कौशाम्बी जनपद में पहाड़ हैं और अलवारा झील है । अलवारा झील हजारों एकड़ में है अथाह जल है यहां कोई देखभाल नहीं होती है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कौशाम्बी के साथ-साथ पभोषा पहाड़, अलवार झील का भी विकास कर देते । जिससे वहां पर्यटक आते । मान्यवर, मेरे विधान सभा में महेवा घाट है जमुना नदी के उस पार राजापुर है वहां से सीधा चित्रकूट है यदि यमुना नदी में पुल का प्रबन्ध हो जाता तो काफी पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा होती । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, जो बजट पर कटौती का प्रस्ताव जगदम्बिका पाल जी ने रखा है मैं उस कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मंत्री जी पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान का हृदय बताते हुए इसके विकास की इच्छा जताई है और उसमें महत्वपूर्ण पक्ष रखा है । मान्यवर, पर्यटन को 6 भागों में प्रदेश को बांटा है । आगरा ताज, अवध, बुन्देल खण्ड, चार धामपथ, बौद्ध पथ, और साहसिक पथ हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में विदेशी मुद्रा सबसे अधिक कमाकर देता है । इनके विकास के लिए आम बजट में प्राविधान करें । सहारनपुर में लकड़ी नक्कासी, मुरादाबाद में पीतल का काम, बनारस की साड़ियां, भदोही की कालीन, आदि से अधिकतर विदेशी मुद्रा यहां आती है और विदेशी पर्यटक यहां आते हैं इसलिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बजट में टूरिस्ट काम्पलेक्स बनाने का प्राविधान करें तो निश्चित रूप से पर्यटन प्रणाली में आप योगदान दे सकेंगे ।

मान्यवर, शिवालिक की तलहटी पर मां शाकुम्बरी देवी का मंदिर है जिसके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहां आते हैं और करोड़ों रुपये अपनी धार्मिक भावना के कारण मंदिर में चढ़ाते हैं । जो चढ़ावा आता है उसे वहां का लैण्ड लार्ड हथियार लेता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि वैष्णव देवी ट्रस्ट की तरह यहां भी एक ट्रस्ट बनाया जाय ।

मान्यवर, एशिया में अपना स्थान रखने वाला दारुल–उलूम यूनिवर्सिटी देवबन्द, जिला सहारनपुर में हैं जिसमें प्रति वर्ष हजारों विद्यार्थी और पर्यटक आते हैं इसलिए इसे भी आप अपनी पर्यटन नीति में शामिल करें ।

सहारनपुर, हरिद्वार जिले में कलियर शरीफ की मजार है जो एशिया में अपना स्थान रखती है जहां प्रति वर्ष मेला होता है और उसमें लाखों तीर्थ यात्री देश और विदेश से आते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी आप बजट में प्राविधान करें और अपनी पर्यटन नीति में शामिल करें।

मान्यवर, मेरठ जिले में हस्तिनापुर जैनियों का मुख्य तीर्थ स्थान है जहां लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप पर्यटन नीति में शामिल करें जिससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग बढ़ सके।

इस तरह धार्मिक स्थलों की आप तरक्की चाहते हैं लेकिन मुझे शक है कि आपकी नियत साफ नहीं है। आप नारा देते हैं अभी तो यह झांकी है मथुरा-काशी बाकी है। यह नारा देंगे तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के अन्दर आने वाला पर्यटन यहां आने में दहशत महसूस करेगा।

मान्यवर, अब मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं यह पी० डब्लू० डी० सिस्टम/रेट के नाम से विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है। किसी भी विभाग में यदि ठेकेदार जाता है तो वह पी० डब्लू० डी० सिस्टम से काम करने के लिए प्रस्ताव रखता है। जिसमें यदि यहां से आप एक रुपया क्षेत्र में भेजते हैं तो उसमें (५) पैसे का ही काम होता है और शेष ३() पैसे दलालों में बंट जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में कोई कारगर उपाय करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया है और आप बैठ जायें।

सहारनपुर इस शताब्दी का हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा समागम हो वह कुम्भ का हरिद्वार में होने जा रहा है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो तीर्थ यात्री आते हैं उन तमाम इलाकों को जोड़ने के लिए यमुना पर एक ब्रिज है उसकी हालत जर्जर है। यू० पी० ब्रिज कारपोरेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है जो हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से चलनी है उस प्रोजेक्ट की हालत यह है कि आये दिन वह टूटा जा रहा है जिसको जोड़ना पड़ता है इसलिये मेरी गुजारिश है कि उस प्रोजेक्ट को बनवाने में मदद करें। ट्रैफिक जो कि सहारनपुर के बीच से गुजर रही है मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सहारनपुर के पापुलेशन को देखते हुये उसका बाई पास बनाने का कोई प्रोजेक्ट अपने माध्यम से निर्माण कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि एक मिनट का समय और दे दें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेरठ से दिल्ली शामली होते हुये सहारनपुर का जो मार्ग है उसकी हालत बहुत खराब है। अगर मान्यवर, आप दिल्ली से सहारनपुर होकर आयें तो आपको गाड़ी की शाकर बदलवानी पड़ेगी इसलिये सड़क की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें अब नहीं लिखा जायेगा।

श्री संजय गर्ग–

[x x x]

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 11.(X) बजे से सदन चल रहा है और अब पौने ग्यारह हो रहे हैं। मान्यवर, आप सदन को प्रातः 9.(X) बजे से चलायें ताकि जल्दी छूट जायें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री मिश्रा जी ने बड़े धारा प्रवाह के साथ जिस तरह से बजट पेश किया है मैं उनका हार्दिक बधाई देता हूं और इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में औसेर घाटपर पांडो नदी का पुल, मेरा घाट का ईसन नदी पर पुल बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसको वरीयता के आधार पर बनाया जाये क्योंकि पांडो नदी पर औसेर घाट का पुल मात्र 25-30 लाख रुपये में बन जायेगा और उसके बन जाने से रसूलाबाद होते हुये कानपुर का मार्ग खुल जायेगा। अब मैं कुछ नई सड़कों के संबंध में अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। अढ़नापुर से कुसका तक मार्ग, अढ़नापुर से पीते का नगला मार्ग, टड़ारायपुर से नगला भारा तक मार्ग, सौरिख नादेमऊ रोड तक से रौसेन मार्ग, सी० एस० वी० रोड से गोरखपुर, हरभानपुर तक मार्ग, खड़िनी से रूर तक मार्ग, खड़िनी हसेस मार्ग से नगला खरगाई तक मार्ग नगला भदोही से रौशेन रोड तक मार्ग, ककलई से राजपुर तक मार्ग, राजपुर से खरगपुर तक बम्बा की पटरी मार्ग, चपुन्ना से रामपुर वाया नगला चौधरी जरियापुर ररी तक मार्ग, रामपुर से रसूलपुर मार्ग, कटाहार से रौसा होते हुये बट्टाहा (इटावा) मार्ग बनने से हसेस विधूना मार्ग, सीधा खुल जायेगा। इसी रोड से सरगौली मार्ग, सरगौली से आदमपुर माखन होते हुये कनउआ रजवाह से पुरवाझाऊ तक मार्ग तथा कन्सुआ से हसरन सबलपुर रोड तक वाया बिहारीपुर मार्ग बनाने जाने की आवश्यकता है इसके साथ ही ...

मान्यवर, इलाहाबाद शाखा से कन्सुआ तक नहर की पटरी वाया मझपुरवा मार्ग, इसी प्रकार हसेरन, टिहुला वाया भूड़पुरवा मार्ग, नादेमऊ से खिरिया रोड से उदारा वाया अछरी पुरवा चटोरापुर मार्ग, महमूदपुर से खानियापुर वाया तिज्जा पुरवा मार्ग, नादेमऊ से महमूदपुर वाया ककरैया व मढ़नेपुर मार्ग, नादेमऊ से ढकापुरवा मार्ग, गोपालापुर से टिहूला वाया उदयपुर पुखादानी मार्ग, तिर्वा राजवाह से इमलिया की पुलिया से कठेला मार्ग, ग्राम इमलिया से नथापुरवा मार्ग, इन्दरगढ़ से अनन्तपुर वाया पूराराय मार्ग, पूराराय से ढिपिया मार्ग, लोअर गंगा नहर शाखा कानपुर की पटरी से रामपुर वाया उदैयापुर मार्ग, हसेरन इन्टरगढ़ से बीच तिर्वा राजवाह का शेष पटरी मार्ग, राजपुर से खरगपुर वाया भदौरियन पुरवा बिलपुर मार्ग, नादेमऊ इन्दरगढ़ रोड से अनन्तपुर मार्ग, लाख होसी रोड से मक्का पुरवा मार्ग नुमर्दा–खानपुर से औसेर तक मार्ग जी टी रोड से भीम सराय और भीम सराय से गढ़िया तक पक्का मार्ग बनवा दिया जाय। गढ़िया के पास काली नदी का पुल बनवाया जाय, जिससे छिबरामऊ मोहम्मदाबाद का सीधा मार्ग खुल जायगा।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र फर्रुखाबाद जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पुराने सम्पर्क मार्ग वहां टूट गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पक्की सड़क एक किमी० बनवाने में लगभग साढ़े 7 लाख रु० का खर्च आता है नई सड़कें वरीयता के आधार पर बनाये जायें, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले जो पुरानी सड़के हैं, जो टूट गई हैं, उनका मेन्टीनेन्स करा दिया जाय। पैक्स फेड विभाग हमारे जिले में कार्यरत हैं, वहां एक श्री लालजी अधिशासी अभियन्ता हैं, वह शायद पूरे उत्तर प्रदेश अथवा आधे उत्तर प्रदेश के अकेले अधिकारी हैं, वहां के कर्मचारी/अधिकारी कतई काम नहीं करते, सिर्फ फर्जी पेमेन्ट करते हैं, वहां के लोग काम में 10 प्रतिशत पैसा भी नहीं लगाते हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी आप पैक्स फेड विभाग को समाप्त करने की कृपा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र उमर्दा के पक्षी विहार के नाम से ग्राम सभा बहोसी, लाख, पूराराय, बरियामऊ, बरौली की 8023–90 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि अधिग्रहीत किए जाने हेतु दि० 25 जुलाई, 97 के दैनिक जागरण कानपुर में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार फर्रुखाबाद द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जनता के हित के पक्षी विहार के नाम से अधिग्रहीत भूमि का अधिग्रहण सरकार समाप्त करें। माननीय मंत्री जी द्वारा जो लोकप्रिय बजट पेश

किया गया है, उसका हृदय से मैं पुनः समर्थन करता हूं और आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, आपने जो लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह विकासशील, सराहनीय एवं प्रसंशसनीय बजट है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर जनपद झांसी की ओर ले जाना चाहता हूं । आपके विभाग लोक निर्माण विभाग द्वारा आज से 10 वर्ष पूर्व बंगरा से टहरोली सम्पर्क मार्ग पर बिजना के समीप पथुराई नदी पर पुल का निर्माण प्रारम्भ किया गया था । जो अधूरा पड़ा हुआ है । जिसके आज भी पिलर खड़े हुये हैं । पुल के पूर्ण न होने से लगभग 80 ग्राम के नागरिकों का आवागमन प्रभावित हो रहा हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि इस पुल का निर्माण जनहित में यथाशीघ्र करा दिया जाय ।

मान्यवर, इसी प्रकार नगर पंचायत टोडी फतेहपुर में पथराई नदी पर ही एक और अधूरा पुल बाकी है, उसके भी पिलर आधे खड़े हुये हैं, इससे भी 50 ग्रामों के नागरिकों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, इस पुल का भी निर्माण यथाशीघ्र पूरा कराया जाय ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के लुहरगांव, देवरी सिंह पुरा को रानीपुर से जोड़ने के लिए सुखनाई नदी पर पुलों का निर्माण कार्य कराया जाय एवं क्षेत्र के ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाय जैसे बगरा से पलरा मार्ग, सकरार से मगरपुर, टहरौली से पसराई, टहरौली से गाता, रानीपुर से पठगवा, मारकुआ से गुढा, मारकुआ से योनि, हरकनपुर की पुलिया से बसारी बुढ़िया से बिजखारा, भड़रा से नयागांव धायपुरा, मऊछतापुर मार्ग से भदरवारा, भद्रकाली मंदिर तक, पठा से ढकरवारा, वरेवई से मदरवान, चुरारा से मथुपुरा थौना सिजौरा वाया दोड़ा मार्ग, टोड़ी फतेहपुर में रजवाहा, उल्दन से सिजारा वाया सतापुरा सम्पर्क मार्ग आदि सम्पर्क मार्गों का यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर डामरीकरण तक पूरा कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी सड़क के बारे में कह रहे हैं यह लिखकर दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन माननीय सदस्यों को सड़क के बारे में कुछ कहना है वह लिखकर दे दें तो इससे समस्या हल हो जायेगी ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

[x x x]

श्री मुहर सिंह अम्बाडी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस पर्यटन राज्य सम्पत्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के बजट की अनुदान मांगों के समर्थन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नया सदस्य हूं मैं औरों की तरह समय को नहीं लूट सकता । माननीय

नोट : [x x x] यह अंश श्री अध्यक्षके आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है तो जैसी उम्मीद थी कि वह काबिल मंत्री हैं उसके अनुरूप ही इन्होंने प्रदेश का बहुत ही गंभीर, विकासशील और सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है इसके साथ ही मैं विपक्ष के भाइयों से भी निवेदन करना चाहते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अन्य बजटों की तरह बजट को नकारा नहीं है अपने सुझाव जरूर दिये हैं । इसके साथ ही साथ मैं जनपद इटावा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि एक संवेदनशील जिला है मैं जनपद इटावा की 302, अजीतमल क्षेत्र से चुनकर आया हूं । 302 का नाम सुनकर आप जरूर चौकेंगे लेकिन यह वास्तव में धारा 302 के अनुरूप खतरनाक है क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में चम्बल घाटी है । चम्बल, यमुना और क्वारी सेंधु पहूज 5 नदियों के मिलान का क्षेत्र है जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है पंजाब के बाद पांच नदियों का मिलान हमारे क्षेत्र में ही होता है जो पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्व पूर्ण स्थान है जिसे विकसित करना जरूरी है । दूसरा यमुना व चम्बल नदियों का मिलान भी हमारे ही क्षेत्र में होता है यह भी पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय । यह विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है और यहां सम्पर्क मार्गों व पुलों का अभाव है । हमारे क्षेत्र के इस पार पट्टी क्षेत्र को अंडमान निकोबार कहा जाता है । मान्यवर, अभी जिस पुल का जिक्र किया गया है ।

चम्बल नदी का पुल जो मध्य प्रदेश से मिलता है वर्षों से पड़ा हुआ है मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि प्राथमिकता के तौर पर बनाया जाय । इसके अलावा वहां पर कम से कम 8 पुलों की जरूरत है । अगर सारे पुल पक्के नहीं बन सकते हैं तो उनका सर्वे कराकर पीपे का जरूर पुल मंजूर कर दिया जाय तथा वहां के लिए सम्पर्क मार्गों का बनवाना सुनिश्चित किया जाय । पर्यटन की दृष्टि से आसही गांव है वहां खंडहर हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि सौवार काशी तो एक वार आसई । इसी प्रकार कोदर कोट श्री कृष्ण जी की रुक्मणी वहां पैदा हुई थी उसका सर्वे कराया जाय । तथा पंचनद, यमुना, चम्बल के मिलान भरेहू, आसही गांव को पर्यटन केन्द्र घोषित कर दें एक तरफ नदियों के मिलान से एतिहासिक जगह होने से खुशी है वहीं इसे नदियों का शोक भी कहा जाता है इस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दें । मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सौलत अली–

मान्यवर, मंत्री जी लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्तुत बजट पर जब भाषण कर रहे थे तो सभी लोग उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे, मैं भी प्रसन्न था और मंत्री जी से कुछ उम्मीद बंधी थी । मैंने इस परफारमेन्स पुस्तिका को देखा लगता है यह बजट बसपा के दबाव में बनाया गया है या किसी भय से बनाया गया है । वैसे माननीय मंत्री जी से तो दबांव में काम करने की आशा नहीं की जा सकती है । लेकिन इसमें विपक्षियों के साथ न्याय नहीं हुआ । इसमें दल के विधायकों के साथ भी न्याय नहीं हुआ है मुरादाबाद बहुत बड़ा जनपद है, 12 विधायक हैं, 7 भाजपा के 4 समाजवादी पार्टी के और एक बसपा के हैं । इसमें दो ही काम स्वीकृत हुए हैं जो सूची 3 में दिये हुए हैं जो रत्नापुर कलां 12 किमी० है वह बसपा विधायक के क्षेत्र में आता है दूसरा मार्ग संभल रोड़ से 6 कि०मी० से 15 कि०मी० तक उनके क्षेत्र में आता है । मेरा क्षेत्र मुरादाबाद देहात नाम से है चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है उसका खादर है । जो नेशनल हाईवे 24 कि०मी० है यह देहात क्षेत्र से निकला हुआ है रामपुर में मेरे क्षेत्र से जाता है । वह 24 कि०मी० भाग मेरे क्षेत्र से जाता है, देहरादून, पंजाब, दिल्ली और बदायूं, फर्रुखाबाद (व्यवधान) आप लोग सुन तो लें, मैं भी ध्यानपूर्वक सुनता हूं । वह मार्ग मेरे क्षेत्र से पास होता है । रामपुर बरेली कुमायूं में मार्ग जाता है ।

यहां पर दो क्रासिंग पड़ती हैं । यहां पर दिल्ली–लखनऊ रेलवे लाइन डबल लाइन है । जब यहां से चार-चार पांच-पांच ट्रेनें एक साथ निकलती हैं तो आठ-आठ घंटे जाम लगा रहता है । उस राष्ट्रीय मार्ग से जब मिलेट्री की गाड़ियां निकलती हैं तो भी जाम लग जाता है । सारा पर्यटक कुमाऊं का वहां से पास होता है । वहां पर आये दिन एक्सीडेन्ट भी होते हैं क्योंकि वह अत्यधिक व्यस्त मार्ग हैं और इस कारण कभी-कभी तो 24 घंटे तक जाम लगा रहता है । इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर ओवर हेड ब्रिज बना दिया जाय । इस तरफ अगर ध्यान दिया गया होता तो यह काम राष्ट्रीय हित में होता । मान्यवर, एक सुझाव और मैं देना चाहूंगा कि जो हाट मिक्स रोड बन रही है उसकी साइड फिलिंग नहीं होती है जिससे वह तीन या चार इंच ऊंची हो जाती है ।

मेरे मुरादाबाद के गजरौला क्षेत्र में एक फिट यह गहरी हो गयी है । जब रात में ट्रैफिक चलता है तो जो हल्की गाड़ियां होती हैं जैसे मारूति वगैरह वह इस कारण से पलट जाती हैं और यही कारण है कि मुरादाबाद और गजरौला के बीच में एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं । तो मेरी मांग है कि जब रोड बने तो उसकी साइड फिलिंग भी ठीक से हो । मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में एक न्याय पंचायत लाल डिंगर है जो बरसात में डूब जाती है और उसके 11 गांव चार महीने के लिए बन्द हो जाते हैं इस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक अम्बेडकर गांव चतुरपुर तकरा चयनित किया गया और जब आपके विभाग ने उसे रोड से जोड़ने के लिए सर्वे किया तो एक तरफ तो पुल बन रहा है और वहीं दूसरी तरफ मार्ग बन रहा है तो वहां रिपोर्ट गयी है कि यह रोड संभव नहीं है । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां पर प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क मार्ग बनाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी है । आप समाप्त करें । आपकी बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । मान्यवर, जो पर्यटन विभाग और लोक निर्माण विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और उसके बनाने में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहयोग दिया है वह धन्यवाद के पात्र हैं । क्योंकि सबसे ज्यादा बजट गांव के विकास के लिये दिया गया है और दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग बनाने की व्यवस्था की गयी है और उसके लिये बजट में प्राविधान किया गया है । इसके लिये मा० मंत्री जी बधायी के पात्र हैं । मान्यवर, फतेहपुर, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है । यह ऐतिहासिक नगर भी है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बावन इमली का क्षेत्र है जहां पर 52 लोग शहीद हुये थे । ऐसे स्थान पर मेला लगता है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे स्थान पर विकास के कार्य किये जायें जिससे ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों का कार्य हो सके ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि फतेहपुर से वी० पी० सिंह प्रधानमंत्री 1989-90 में हुये थे । और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे परन्तु जब वी० पी० सिंह का इस्तीफा हो गया तो मुलायम सिंह ने फतेहपुर के सारे विकास कार्यों को रोक दिया और उनको अपने गृह जनपद इटावा के गांव सैफई में ले गये । इस प्रकार से फतेहपुर जनपद की उपेक्षा की गयी । मान्यवर, मैं प्राथमिकता के आधार पर अपने बिन्दकी विधान सभा की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं । बिन्दकी रोड से बकेवर तक जो सड़क है उसमें बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिसके कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है और आये दिन बसें और गाड़ियां उलट जाती हैं जिसके कारण प्रायः एक्सीडेन्ट होते रहते हैं । इसके अतिरिक्त जो सड़के हैं वह उखड़ रही हैं और उन पर लेपन का कार्य कराया जाये । बिन्दकी तहसील में सोहनलाल द्विवेदी जैसे राष्ट्र कवि हो गये हैं । मेरा निवेदन है कि उनकी स्मृति में वहां पर एक स्मारक बनाया जाये । इन शब्दों के साथ मा० मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन कुछ बातें बजट में अवशेष रह गयीं हैं उनके लिये मैं मा० मंत्री जी से निवेदन करता हूं। हमारे यहां रामपुर, मसरौल, मार्ग हैं जिस पर गिट्टी तक कार्य हुआ है उसको लेपन स्तर तक किया जाये। खेमकरन से गढ़ा विधान सभा क्षेत्र में बोल्डर्स तक का काम हुआ है उसे लेपन स्तर तक किया जाये। इसकी आबादी 12000 की है। किशनपुर से सादोघाट पर जमुना नदी में पुल निर्माण कराया जाये। इटौली पुरा ग्राम में ससुरखदेड़ी नदी पर पुल निर्माण करवाया जाये। खागा में कोई अस्पताल के बीच में लाइन है इसलिये वहां के लोगों को मरीजों को रेल लाइन के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। रेल फाटक बन्द हो जाने के कारण मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खागा में ओवर ब्रिज बनाया जाय।

खागा में ठाकुर दरिया सिंह अमर शहीद हुये हैं उनकी स्मृति में वहां अभी तक कोई स्मृति चिह्न नहीं बना है। इसलिये कोई भवन उनकी स्मृति में बनाया जाये और उस क्षेत्र को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाये।

दो एक सड़कें छूट गयी हैं जिनको मैं पुनः मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। (1) मनावा से सरकंडी तक सड़क जिसमें गिट्टी का काम हुआ है और लेपन स्तर तक किया जाये। इसी तरह जी० टी० रोड से टिकसारी बुजुर्ग पर लेपन स्तर का काम कराया जाये उसे पक्का किया जाये। यहां की आबादी 15000 की है। आसोथर के राजा का गांव में रोड को पक्का किया जाये। इसे डामर रोड बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट उन्होंने आज रखा है वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, जनता के हित में है और विपक्ष के बन्धुओं ने भी बजट की सराहना की है और बजट को जनहित में कहा है। इसीलिये दबे मन से ही सही उन्होंने सराहना की है। मा० गौरी शंकर जी और मा० पाल साहब ने मंत्री जी की सहृदयता की सराहना की है चूंकि वह बन्धुआ मजदूर हैं इसलिये खुलेपन से सराहना नहीं कर पाये यह बात अलग है। इसमें कोई विरोध करने की बात नहीं है।

मान्यवर, मंत्री जी ने सभी महापुरुषों के जन्मस्थली को विकसित करने की बातें कही है लेकिन एक बात की ओर मैं मा० मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी के बारे में उनका आर्शीवाद लेने मंत्री जी भी जाते रहते हैं वहां हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। 20 लाख से कम लोग नहीं जाते हैं। मैं चाहूंगा कि रास्ते में एक औराई चौराहा पड़ता है वहां पर आये दिन एक्सीडेन्ट होते हैं इसके लिये कोई समुचित व्यवस्था की जाये। औराई ऐसा स्थल है जहां के कालीनों से 12 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष प्रदेश को मिलती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

मा० गौरी शंकर जी ने एक बात कही, मा० मंत्री जी जितने चिकने हैं उतना ही चिकना मा० मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, निश्चित तौर पर चिकने मंत्री जी ने चिकने कागज पर चिकना बजट प्रस्तुत किया है। आपकी तरफ से उबड़-खाबड़ मंत्री जी ने हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी सड़कं बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी सड़क बनाने की बात तो दूर रही उस कारण से आज जो नारकीय स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, इसी के साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वरुणा नदी पर पुल बनवाने का कष्ट करें। मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में एक पुल के लिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 80 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है। मांडा–धनतुलसी के बीच में एक पीपे का पुल बनवा दें इससे मिर्जापुर और भदोही के लोगों को बहुत सुविधा हो जायेगी।

श्री विजय पाल सिंह–

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं । मैंने एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में लोक निर्माण मंत्री जी ने बताया था कि पुल 1967-68 में बनाया गया है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस पुल का पथकर 1964 से वसूला जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता है कि पुल के निर्माण के पहले पथकर कैसे वसूला जा रहा है । मैंने यह भी पूछा था कि क्या विवरण सदन के पटल पर रखेंगे तो उत्तर में कहा गया है "जी नहीं" मैं जानना चाहता हूं कि सदन के पटल पर रखने में इनको क्यों शर्म आ रही है । एक दूसरा प्रश्न मैंने किया था । मैंने जिला प्लान में एक सड़क की स्वीकृति करायी थी उसके लिये धन भी चला गया लेकिन आज तक पता नहीं है कि वह सड़क कहां बनी है । मैंने पहले सत्र में एक प्रश्न किया था । एक छोटेलाल विधायक रहे हैं जो पी० डब्लू० डी० के ठेकेदार थे वह आपकी ही पार्टी के थे उनके कार्य काल में कराये कार्य एक सड़क के संबंध में मैंने टी० ए० सी० की जांच कराने के लिये कहा था लेकिन आज तक जांच नहीं हुयी है । इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

और मान्यवर, इसका जवाब दे रहे हैं । मान्यवर, रोड नहीं बनी है । पांचवे मंगलवार के लिये प्रश्न लगा है । उस दिन तो सदन होगा नहीं । इस तरह से गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बस अब समाप्त हो गया ।

श्री विजय पाल सिंह–

मेरा क्षेत्र दो प्रदेशों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान । अगर यमुना नदी शंकर पुर घाट पर एक पुल बन जाय तो सुविधा होगी । यह विभाग सड़क बनाता है लेकिन 20 वर्ष से अधूरी पड़ी हैं यह उसको अभी तक काला नहीं किया है । शंकरपुर पुल का निर्माण नहीं हुआ है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री बावन सिंह–

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । दो मिनट लूंगा । पहली बार बोल रहा हूं ।

(दो तीन सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके वह मेम्बर बोल रहे हैं पहले उनको बोलने दें ।

श्री गंगा सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं बहुत ही आभारी हूं कि मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, पं० दीन दयाल उपाध्याय जैसी योजनाएं चलाकर गांवों के लोगों में एक आशा की किरण जागृत हुई है । मैं इस विषय पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, अपने उस 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की ओर । जहां हम लोग स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और आजादी के 50 साल बाद भी हरदोई जनपद में बिलग्राम विधान सभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पांच-पांच नदियां, गंगा, नीलम, राम गंगा, गंभीरी गुर्रा जैसी बड़ी नदियों से घिरा क्षेत्र है । आज इतने दिनों के बाद भी यहां पर कोई पुल नहीं बना है । लोगों को कचहरी जाना होता है तो एक दिन पूर्व चलना पड़ता है और जब अदालत से लौटते हैं तो उसी दिन घर नहीं आ पाते है और दूसरे दिन वापस आते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1994-95 में गंभीरी नदी पर 93.0 लाख की लागत का एक पुल स्वीकृत हुआ था और उसके निर्माण के लिये एक लाख रुपया रिलीज भी हो गया था परन्तु वह एक लाख रुपया सर्वे में चला गया और आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका । पूरे मार्ग पर डामर पड़ चुकी है लेकिन इस पुल के अभाव में करोड़ों रुपया बेकार चला गया । उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । इसी प्रकार बड़ा गांव अर्जुनपुर मार्ग पर अर्जुनपुर में रामगंगा नदी पर पुल बन जाने से हरदोई से फर्रुखाबाद की दूरी 97 कि०मी० से घटकर मात्र 65 कि०मी० रह जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गंगा सिंह चौहान–

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं तथा पूरा विश्वास है कि जहां इस बजट में सरकार ने गांव तक विकास करने का प्रयास किया है । वहीं मेरे अति पिछड़े क्षेत्र में जहां विकास नहीं है वहां पर पुलों आदि बनाने की ओर ध्यान देने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री गंगा सिंह चौहान–

जो बजट पेश किया गया है उसमें इन पुल को जो मेरे क्षेत्र में है जोड़ दिया जाय । ताकि मेरे क्षेत्र का भी विकास हो सके ।

श्री बावन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मुझे आपने इस सदन के अन्दर पहली बार बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । हमारे श्रद्धेय लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बातें कहना चाहूंगा । 162 कटरा बाजार मेरा विधान सभा क्षेत्र है कर्नेलगंज आर्यनगर पर टेढ़ी के रामापुर घाट पर लकड़ी का पुल विगत 30-40 वर्ष पुराना बना हुआ था वह पुल टूट गया है । इसे बनवाने की कृपा करें । गन्ना जाते समय यह पुल टूट गया था यह मुख्य मार्ग से 28 किलोमीटर का मार्ग निकलता है पूरा आवागमन बन्द है । बाईपास कटरा से एक पतला सा मार्ग है वहां पानी आ गया है । क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है वहां की सड़क बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहां उप चुनाव हुआ था यहां हमारे लोक निर्माण मंत्री जी भी आये थे जो दुबहा बाजार से कटरा आने वाला टेड़ी नदी के बीच का क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है ।

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री बावन सिंह–

नारायणपुर से रामपुर सम्पर्क मार्ग काफी पहले बना था यह सही नहीं है इसको बनवाने का कष्ट करें । मात्र 4-5 ट्रक पत्थर लेकर सम्पूर्ण पत्थर का अनुबन्ध में मात्रा अनुरूप सम्पूर्ण भुगतान कर लिया गया है । अशोक पुर तिलका गोण्डा कचहरी से तिलका मार्ग विगत एक वर्ष के अन्दर बनाई गई हैं जो मानक के अनुरूप है अनुबन्ध से कम पत्थर लेकर पूरा भुगतान कर दिया तारकोल नहीं के बराबर डाला गया है केवल एक कोट पेंटिग हुई कृपया उच्च स्तरीय टी०ए०सी० जांच कराने की कृपा करें । सम्पूर्ण मार्ग उखड़ गया है गड्ढे हो गये हैं । जिस मार्ग से सड़क होनी चाहिए थी....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें । लिखा नहीं जाएगा । आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिएगा ।

श्री बावन सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री बिन्दु लाल–

माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मेरा क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है और तराई का क्षेत्र है पहाड़ियों से घिरा हुआ है । उसमें आने-जाने का रास्ता बहुत कम है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में 1977 में

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सड़क बनी वह बहुत कम बनी है उसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाय । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 1991 में अनुसूचित जाति पचपेड़वा रोड से रेहणा बन रही थी दो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए बजट में होना चाहिए जिससे त्रिलोकपुर से भटाभरया तक बनवाने की कृपा करें । दो पुल दुबहा नाला व भोसनाला पर पुल बनवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जाएगा । अब आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा । आप बैठ जाएं ।

श्री विद्या सागर गुप्ता–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभरी हूं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र रायल होटल, लखनऊ के संबंध में कहना चाहता हूं कि रायल होटल लखनऊ में जहां से विधान सभा की ओर मुड़ते हैं यहां का चौराहा छोटा है जिससे साल में 10-12 एक्सीडेंट हो जाते हैं । रात में जब ट्रक निकलते हैं तो पलट जाते हैं । इस संबंध में कई बार कहा गया लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिए मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि इस चौराहे को बड़ा कर दिया जाय जिससे भविष्य में दुर्घटना न हों ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि दारुलशफा की सड़कें जर्जर हो गयी हैं, कई सालों से नहीं बनी हैं, कई सालों से नहीं बनी हैं, नालियां थोड़ी बरसात होने से ही सड़क पर चार-छः इंच तक पानी भर जाता है इसलिए अनुरोध है कि दारुलशफा की सड़कें और नालियां तुरन्त ठीक करवाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया है और आप बैठ जायं । बाकी कुछ रह गया है तो मंत्री जी को लिख कर दे दें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मंत्री जी ने जो लोकहितकारी और कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं ।

अब मैं छत्रपति शाहू जी महराज जिले की तरफ शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं पूरा सदन जानता है कि चित्रकूट पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र है उसको कौशम्बी से जोड़ना बहुत जरूरी है कौशम्बी पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र है । कौशम्बी को चित्रकूट से और चित्रकूट को कालिजंर से और कालिजंर से खजुराहो जो कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए । उसके लिए बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए इन सुगम मार्गों को जोड़ने के संबंध में मंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं ।

मान्यवर, छत्रपति शाहू जी महराज नगर दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और उसके लिए सड़क निर्माण की एक विशेष योजना रही है । कुछ सड़कें बनाई गयीं थीं लेकिन वे अधूरी पड़ी हैं पनहाई से मिदुरहा,

मानिकपुर से रानीपुर, कल्यानगढ़ रानीपुर को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाय और इसे निर्माण हेतु धन की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में रिसियन और परानू, बाबा मरकण्डे आश्रम, धारकुण्डी आश्रम पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है । गौरी-लुखरी में कालिजंर जैसा ही विशाल किला है जिसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है । इसलिए यह पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र हो सकता है ।

मान्यवर, अन्त में मैं अनुदान संख्या–44, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन-जिन नगरों में नगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है और लोक निर्माण विभाग की करोड़ों रुपये की भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है, उन सड़कों का विस्तार किया जाये । जिससे कि उस पर पुनः अतिक्रमण न हो । यह काम होना अत्यन्त आवश्यक है । देहरादून क्षेत्र में देहरादून मुरादाबाद मार्ग, देहरादून सहारनपुर मार्ग और रायपुर मार्ग जो यह मुख्य मार्ग हैं जिनसे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है उन सड़कों की व्यवस्था होना जरूरी है .....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । माननीय मंत्री जी को सुझाव लिख कर दे दें ।

श्री हरवंश कपूर–

इसके साथ ही जब पर्यटन की बात होती है तो मसूरी का उल्लेख होना भी आवश्यक है न हो तो जिसे पर्वतों का रानी कहा गया है, लाखों की संख्या में पर्यटक वहां आते हैं और वहां पर वाहनों को खड़ा करने की जगह नहीं रहती है । मेरा सुझाव है कि राजपुर से मसूरी तक रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाये । राजपुर में 8 किलोमीटर है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जाये जिससे कि मसूरी जाने वाले लोगों की पर्यटन की दृष्टि से विकास हो जायेगा और पर्यटकों को सुविधा मिल सकेगी । मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री विजय कुमार–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर, परमवीर चक्र विजेता, वीर अब्दुल हमीद के गांव को जोड़ने वाला गाजीपुर होते हुए जो सड़क आजमगढ़ जाती है उस पर बना हुआ पुल विगत 12 वर्षों से टूटा हुआ है, आज तक नहीं बना है और मेरे विधान सभा में नदियों का जाल बिछा हुआ है लेकिन एक भी पुल नहीं है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में 12 पुलों की आवश्यकता है लेकिन 4 ही बनवा दें । मालेकपुरा मगई नदी पर चौंजा पुल, वृन्दावन वेसे नदी पर, मजुई उदन्ती नदी पर तथा रामपुर बलभद्र मगई नदी पर । मान्यवर, अगर यह 4 पुल बन गये तो इससे क्षेत्र का विकास होगा । इसके साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

डा० राम सिंह–

अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने पहली बार मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने सारे प्रदेश को ध्यान में रखकर पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए बजट में प्राविधान किया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

अगर गंगीरी, बढ़ारी व भोगीपुर जो कि मात्र साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क है उसके बन जाने से 30 गांव जुड़ जायेंगे । मान्यवर, इसके लिए अधिशाषी अभियन्ता ने आगणन तैयार करके माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत किये हैं । मान्यवर, अलीगढ़ अवन्तीबाई उपरगामी पुल अलीगढ़ रामघाट रोड पर बनाया जाना आवश्यक है जिस पर 8 करोड़ 22 लाख 24 हजार रुपये की लागत आ रही है । नीम नदी पर छर्रा सुनपहर से सेकूपुर सटकना मार्ग पर भी नीमनदी पर पुल बनाया जाना चाहिए मंत्री जी इस और विशेष ध्यान दें । और उस पर पत्थर के गैप को भरने के लिए उन्होंने नीचे मिटटी भर दी है, इसे नहीं ठीक कराया गया तो सड़कें टूटकर बराबर हो जायेंगी । मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद की और दिलाना चाहता हूं, जहां अलीगढ़ में आपने 8 मई को आकर पुल का शिलान्यास किया था, ढ़ाई महीने हो गये हैं, लेकिन आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो अलीगढ़ में है, वर्ष 1991 में स्वीकृत हुआ था और उसको 16 करोड़ 85 लाख की लागत से काम होना था, इसका निर्माण निगम से काम कराया जा रहा है, लेकिन अभी काफी काम बाकी है, इसे शीघ्र पूरा कराया जाय ।

मान्यवर, हमारे यहां अतरौली से आगे 2 किलोमीटर मार्ग खराब है, उसको बनवा दिया जाय साथ ही साथ जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें कासन से खुर्जा-डिबाई वाला मार्ग है, वह केवल 2 कि०मी० मार्ग है, वह भी खराब पड़ा है, उसे ठीक कराने की कृपा करें । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं लेकिन मुझे इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी, इस लिए एक मिनट मुझे ज्यादा दीजियेगा । माननीय मंत्री जी ने चूंकि कुम्भ की चर्चा की थी, दो मिनट उसी के संबंध में विशेष तौर से कहना चाहता हूं । आपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि कुम्भ का बजट 120 करोड़ है । राज्यपाल शासन में बजट स्वीकृत हुआ था और परसों जब मैं हरिद्वार से चला तो मुख्य मेला अधिकारी से चर्चा हुई थी, उन्होंने यही बताया था, लेकिन आपने 20 करोड़ बढ़ा दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी थी कि पी०डब्लू०डी० का काम वहां काफी होना है, लगभग 340 कि०मी० लम्बी सड़कों का काम इस बजट से होना है, लेकिन अभी तक कोई सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ था । सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो शासनादेश है, उसके अनुसार 15 सितम्बर से पूर्व काम शुरू हो ही नहीं सकता । जितने वहां हाट मिक्स प्लान्ट हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से 80 दिन से कम में काम पूरा नहीं हो सकता । आपने जो अन्तिम तिथि निर्धारित की है, वह 30 नवम्बर, 1997 है । इस हिसाब से अगर 15 सितम्बर से काम शुरू हुआ तो केवल 75 दिन काम करने के मिलेंगे । बरसात का समय है; कभी वर्षा से बाधा आ सकती है, कभी प्लान्ट खराब हो सकता है, मुझे 1986 का कुम्भ याद है, उस साल अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बरसात होती रही थी, जिसकी वजह से काफी बाधा आयी थी, तो इस तरफ ध्यान दे लें ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार यह बहुत अच्छा हुआ है कि सेतु निगम ने अधिकांश सड़कों को बनाने का काम अपने हाथ में लिया है । लेकिन जो निजी लोगों को आप सड़कें दिये हैं, मैंने माननीय मंत्री जी आपका व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान आकर्षित किया था, मेला अधिकारी के माध्यम से भी ज्ञात हुआ कि डोईवाला से देहरादून का जो रोड है, उसमें प्रति घन फुट 400 से 500 रुपये का फर्क है तो यह बात तो समझ से परे है कि जब एक सरकारी एजेंसी 1700 में बना सकती है तो प्राइवेट एजेंसी 2100-2200 में क्यों बनायेगी ? मान्यवर, ऋशिकेश मार्ग है उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और अधिकारी उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, उसमें जो स्पेशीफिकेशन है वह

दूसरे हैं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपको हम इस बारे में सहयोग करेंगे आप अधिकारियों को कसने का काम तो करेंगे ही अधिकारी भ्रष्टाचार पर अमादा है हम आपको सहयोग करेंगे और उनको भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जायेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वित्तीय स्वीकृतियां अभी तक जारी नहीं हुई । एक विवाद है उसको साल्व करें कि नगर की सड़कें जो कुम्भ में बन रही हैं उसको नगर विकास विभाग बजट देने को तैयार है लेकिन जो अप्रोच रोड है उसका बजट आपके विभाग से मिलेगा उसको रिलीज करायें, वित्तीय स्वीकृतियां मिल जाय ताकि काम हो सके ।

मान्यवर, सेतु निगम का जहां तक कार्य है वह सन्तोषजनक है । यह जो हरिद्वार की सड़कों का काम सेतु निगम को दिया है इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं । यह सेतु निगम आपको सबसे ज्यादा प्रशंसा दिलायेगा ।

मान्यवर, लक्सर से जो लखनऊ रेलवे लाइन है रायसी बालावाली के बीच के रेलवे का पुल है अब रेलवे ने दूसरा पुल बना दिया और उसको बेचने वाले हैं । इसके लिए 1989-90 के बीच एक पत्रावली चली थी तो अगर उस स्क्रेप को रेलवे से खरीदने की बात कर लें और सड़क मार्ग बना दें तो हरिद्वार और बिजनौर का सम्पर्क होगा और पूरे एरिया को जोड़ने का काम होगा ।

मान्यवर, एक विवाद रूड़की डिवीजन है । सारा काम उधर चला गया । जिला योजना की जो सम्पर्क मार्ग में स्वीकृति हुई थी वह भी नहीं बन पायी है । मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम में गुरूकुल कांगड़ी का महत्वूर्ण स्थान रहा है वहां महात्मा गांधी जी तीन बार पधारे थे । अगर पर्यटन विभाग उसको विकसित कर सके जो अमूल्य धरोहर है तो उसके मुहाने पर जो शराब की दुकानें खोली गयी हैं जिसको हटाने के लिए मैंने कहां-कहां नहीं कहा अगर आप उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेंगे तो शराब की दुकान हटाने में सहायता मिलेगी ।

मान्यवर, हरिद्वार एक ऐसा स्थल है कि वहां पर हवाई जहाज बनाने का कारखाना तो है, दो सीटर हवाई जहाज बनते हैं अगर वहां एक हवाई पट्टी बन जाय तो इससे काफी सुविधा हो जायेगी और यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होगा । इसी के साथ माननीय जगदम्बिका पाल के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, लोक निर्माण और पर्यटन विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा पिछड़ा क्षेत्र मल्लावां हैं उसमें बहुत समस्यायें हैं । सड़कें 20 वर्ष पहले बन गयी हैं 17 सड़कें बनी हैं डामर तक उस पर पुलिया नहीं बनी न पुल बना ।

सई नदी पर जो-जो कार्य की बात हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में अपनी बात कहें, आप बैठे, मेरी निगाह घड़ी पर है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

उसका आगणन आपके कार्यालय में आ गया है हरदोई में क्षेत्रीय जनता द्वारा डेढ़ वर्ष से क्रमिक अनशन चल रहा है 15 अगस्त को वहां के लोगों ने यह निर्णय लिया और 15 अगस्त तक पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो लोग वहां आत्मदाह कर लेंगे । तीन चेयरमैन आत्मदाह में सम्मिलित हैं । जगदीश त्यागी, भगवती देवी, ऊधम–यह पूरा परिवार आत्मदाह करने की तैयारी में है । मेरे क्षेत्र

की जो बात है मल्लावां छोटी काशी के नाम से जाना जाता है वहां बाबा मनातीनाथ का मन्दिर एक किला था पर्यटन स्थल के रूप में वह विकसित हो सकता है इसके साथ वहां दादरे मियां की मजार है मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं सण्डीला-लखनऊ-मलिहाबाद-मल्लावां जो मार्ग बना है उसमें मल्लावां में मार्ग के रिपेयरिंग की जरूरत है । माधोगंज बेनीघाट रोड पुलिया नहीं है, वहां तालाब है । कल्याणी नदी पर पुल नहीं है मैं मंत्री जी को समस्याओं को लिखकर दे दूंगा इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर,आज मंत्री जी की वाणी की सौदागरी ठीक ढंग से हुई है । जो ए०आर० में पैसा फिक्स है, श्रम चार्ज तो बढ़ा दिया जाता है लेकिन ए०आर०का पैसा नहीं बढ़ता है उसमें प्रमुख सचिव वित्त पर निर्भर है कि हर वर्ष में देंगे या नहीं देंगे । मेरा कहना है कि जिस अनुपात में श्रमिक का पैसा बढ़ेगा उसी अनुपात से ए०आर० का पैसा भी बढ़ाया जाय क्योंकि सड़कें रोज बढ़ रही हैं । पी०डब्लू०डी० का कार्य पूरी एजेन्सी में अच्छा है ।

दूसरा मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ पैसा सेन्ट्रल गवर्न्मेन्ट से मिलता है और कुछ स्टेट सेक्टर से राहत के लिए । यह करीब 120 करोड़ रुपया है । इसमें जो हमारे निवृत्तमान सचिव, बाबू राम जी वह डायरेक्टर पैसा जिले को भेज दिये हैं । एस०आर०डी०एम० में पैसा मिलता है वह प्रति वर्ष 12 से 20 करोड़ रुपये के बीच में मिलता है । जब बाबू राम जी सचिव थे वह चाहते थे कि यह पैसा न मिले लेकिन बाद में दबाव में आकर डायरेक्ट लेकर चले गये । मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो अम्बेडकर गांव है उसका पैसा उसी में खर्च किया जाय इसके अतिरिक्त जो सामान्य जिला योजना का पैसा है उसे न लिया जाय । आपने पंडित दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना बनायी है यह एक सराहनीय कार्य है इसमें जो धन आवंटन हुआ है वह 20 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है तो इन 20 करोड़ रुपये से कुछ होने वाला नहीं है । आप इसमें नवार्ड से ले सकते हैं । एक बात और पर्यटन के संबंध में कहनी है । हम चाहते हैं कि जैसे हरियाणा पर्यटन के लिए देश की नजीर बना है तो वहां पर एक टीम भेज दी जायें और वह वहां पर जायें और उन स्थलों को देखें और पता लगाये कि कैसे पर्यटन का विकास हो सकता है । उत्तर प्रदेश में पर्यटन की पूरी संभावनाएं हैं । मारकण्डे महादेव जी का मन्दिर है । बनारस में सटा हुआ है । यह बनारस और गाजीपुर के बीच में है उस जगह का विकास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, विन्ध्याचल देवी धामरकमक्षा स्थान पर भी पर्यटन विभाग द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है वह यह एक ऐतिहासिक स्थान है । इसमें कुछ श्रधालु रात्रि में दर्शन के लिए आते हैं । इसके अतिरिक्त हमारी कांस्टीटूयेंसी में शेरपुर और गहमर में पीपे का पुल बनाया जाय ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के भाषण से पहले मैं एक निवेदन करता चाहता हूं । मान्यवर, हम लोग दिन भर यहां पर भूखों बैठकर तपस्या कर रहे हैं ।

जैसे पंजीरी और फल मिलता है, तो कम से कम उसी रूप में माननीय मंत्री जी हम लोगों के एक दो किलोमीटर की सड़क एनाउन्स कर दें ।

श्री राम अवतार शाक्य–

मान्यवर, पूंजी निवेशकों के पर्यटन स्थल के विकास के संबंध में जो अड़ंगेबाजी है उसको समाप्त किया जाये और मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री यशवन्त सिंह–

मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत जो पूर्वांचल विकास निधि, जवाहर रोजगार योजना या डी०आर०डी०ए० के माध्यम से सड़के स्वीकृत होती हैं और उसका पैसा लोक निर्माण विभाग को निर्माण के लिये दिया जाता है तो वह पैसा सी०सी०एल० में आकर फंस जाता है जिससे काम में अनावश्यक रूप से 2–3 महीने का विलम्ब हो जाता है। आप विभाग को निर्देश दें कि जिला योजना की स्वीकृत सड़कों का पैसा जिलाधिकारी के निर्देश पर दे दिया जाये वह सी०सी०एल० में न भेजा जाये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस बजट पर 39 सदस्यों ने अपने विचार रक्खे हैं, 12 बजने जा रहे हैं और 39 लोगों ने विचार रक्खे हैं, तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों ने प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बजट पर अपने बहूमूल्य सुझाव दिये और जो कुछ कमियां थी उनकी आलोचना भी की है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में केवल सड़कों की मांग की है और मैंने उनकी जिज्ञासा देखी है कि उन्हें सड़कों और पुलों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस तरह से सड़कों की आवश्यकता है, ज्यादातर लोगों ने कहा कि सड़कें अधूरी हैं तो मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि अगर सारी घोषणायें न पूरी हो सकें तो जो सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं गिट्टी तक की कुटाई हो चुकी है, उन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय परिव्यय उपलब्ध कराया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने बजट के उत्तर में हमें बता दें कि सड़कों और पुलों के लिये कहां से वह संसाधन उपलब्ध करायेंगे। पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना जो बनाई है वह बहुत अच्छी योजना है जो दो-दो गांव लिये गये हैं उनके लिये विभागीय स्वीकृति जल्दी से जारी हो जाये और वह योजना कार्य रूप में परिणत हो जाये। गांधी ग्राम योजना एक-एक ब्लाक में सबसे बड़े गांव में है। मेरा निवेदन है कि गांधी ग्राम जो हैं उनको जरूर लेंगे और भारत सरकार में जितनी योजनाएं लम्बित है उन पर आप विशेष प्रयास करें। हमारे उ० प्र० के आई०ए०एस० अधिकारी उस विभाग के सचिव हैं।

दूसरा एस०एन०डी० की जो सड़के होती हैं उनके लिये जो पैसा स्वीकृत करते हैं उसमें पूरा काम नहीं हो पाता है और कोई सम्पर्क मार्ग पूरे नहीं बन पाते हैं। आप अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देश दे दें कि जो भी सड़कें बनें वह पूरी हो जायें। चाहे एक ही सड़क बने पर उसको पक्का किया जाये।

पिछली सरकार ने दबाव में आकर जो भी घोषणायें की हैं उनकी मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन जिनकी घोषणायें आपने की हैं पुलों का शिलान्यास किया हो, या कोई और काम किया हो उन पुलों का कार्य पूरा होना चाहिये। अभी तक उनमें कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह सड़क जो गुलसरिया या कोई और हो उसमें वर्तमान सरकार ने जो घोषणा की है उन पर काम पूरा होना चाहिये और अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है इसको आप अवश्य देखें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर,मैं आदरणीय श्री राम औतार शाक्य जी और आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी का बहुत आभारी हूं कि उनके कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सदन के दोनों पक्षों के सम्मानित सदस्यों ने

मूल्यवान सुझाव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये और उनसे मैं लाभान्वित हुआ । मेरा उन्होंने ज्ञानवर्द्धन किया है और मैं उनमें सब का जिस प्रकार से समाधान निकाल सकूं उस पर विचार करने का और मार्गदर्शन करने का काम किया है । मा० राम औतार शाक्य जी ने धार्मिक स्थलों के बारे में कहा था । मैं समझता हूं कि राम औतार जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा । मैंने प्राथमिकता विशेष रूप से हिमालय को और बौद्ध परिपथों को दिया था । पर्यटन में हमने पूरे प्रदेश को 6 हिस्सों में व्यवस्थित किया है । प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों को प्राथमिकतायें हैं । इसलिए इसे 6 हिस्सों में व्यवस्थित किया उन 6 में से कौन-कौन से स्थल सबसे उपयुक्त होंगे इसको भी हमने प्रस्तुत किया है । अयोध्या का जहां तक प्रश्न है उसके साथ-साथ मथुरा, बनारस भी हमने लिये हैं । हिमालय के बारे में तो मैं प्रारम्भ में ही कहा था कि इससे हमारे प्रदेश की पहचान बनती है ।

श्री कलराज मिश्र–

इसलिये इसका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं है । जहां तक आपने कहा कि विदेशी मुद्रा का अर्जन कम हुआ है तो मैं बताना चाहूंगा कि 1996–97 में 6 लाख 66 हजार विदेशी पर्यटक आये थे । जो विदेशी मुद्रा का लाभ हुआ है वह 2 हजार 205 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । इसमें कमी नहीं आयी है । यह लगातार बढ़ रहा है । सन् 2000 तक इसमें 10 फीसदी बढ़ोत्तरी लगातार होने का अनुमान है । मैं आपकी भावनों से पूर्णतया सहमत हूं कि पर्यटन का पूर्णतः विकास होना चाहिये और इसीलिये हम प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं । पर्यटन के संबंध में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर समुचित ध्यान देंगे । जिला योजना के माध्यम से जहां काम करने की आवश्यकता होगी वहां उसको करेंगे । राज्य सेक्टर से जिन कामों को करना आवश्यक होगा वह राज्य सेक्टर से करेंगे । माननीय पाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई घट रही है ।

(रात्रि के बारह बजने के उपरान्त)

एक सदस्य–

मान्यवर, तारीख बदल गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

तारीख बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता । बैठे तो हम प्रारम्भ से हैं ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर मार्गों को 4 लेन करने की बात माननीय पाल जी ने कही यह सभी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं । इनके रख रखाव और चौड़ीकरण के लिये राशि भारत सरकार उपलब्ध कराती है और स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होती है । इसमें काम किया भी गया है । आपने बस्ती के बारे में बताया । मैं वहां गया था मैंने देखा और मुख्य अभियन्ता से कहा था कि 10 दिन के अन्दर इसको ठीक करवा दें । उन्होंने सूचना दी है कि ठीक करवा दिया गया है, आपकी सूचना है कि ठीक नहीं हुआ है, अगर ठीक नहीं होगा तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जायगी । दिल्ली-मथुरा-आगरा राष्ट्रीय राज मार्ग है इसके उत्तर प्रदेश में 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य आगे बढ़ रहा है । दिल्ली-हापुड़ मार्ग को 4 लेन का किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन का कार्य प्रारम्भ करेंगे । हापुड़-मुरादाबाद-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को 4 लेन का किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । फैजाबाद–इलाहाबाद पैकेज जो है उसके बारे में 9 जून 1996 को विश्व बैंक ने उसको वापस ले लिया था, निरस्त कर दिया है । प्रतापगढ़–सुल्तानपुर, सुल्तानपुर–इलाहाबाद, सुल्तानपुर–प्रतापगढ़ सिंगिल वे रोड हैं बीच में पैचेज नहीं है । माननीय सी०एन० सिंह चले गये हैं उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़-इलाहाबाद की सड़क में पैचेज हैं । उसको ठीक कराने के लिए कहा गया है उसको जिला

सेक्टर में कराने पर विचार कर रहे हैं । माननीय पाल जी ने कुछ बातें अधिकारियों के बारे में कहीं थीं उसके बारे में मैंने पता किया है । अधिशाषी अभियन्ताओं की कमी है । इसमें हम एक सप्ताह में डी०पी०सी० कराकर असिसटेंट इंजीनियर्स को अधिशाषी अभियन्ता के पद पर प्रमोट करेंगे । सदन में सेतु निगम के बारे में बताया गया । आपने बताया कि ओपेन टेंडर पर काम किया गया है । 102 करोड रुपये का काम किया गया है । मैटीरियल मैनेजमेंट की बात की थी जहां-जहां उपकरण सरप्लस होता है वह दूसरी जगह जाता है नहीं तो वहीं रहे । जो भी कार्य मिलता उसके अनुसार अभी बाम्बे में एक काम फिर मिल रहा है । भारत सरकार ने हमें प्रशस्ति पत्र दिया है और अब जो वह काम मिलने वाला है यह लगभग 100 करोड़ का है । राजकीय निर्माण को जगह-जगह काम मिल रहा है यह एक व्यवसायी संस्था है हमारी ज्यादातर प्रदेश की तरफ ध्यान देने के लिये कहा है । मा० अम्बरीष जी ने जैसा कहा हरिद्वार सेतु निगम का । आपने बताया अन्तर है इसको दिखवायेंगे, इसकी जानकारी करेंगे कि कैसे हुआ है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध था । निर्माण निगम से एक जी० ओ० हुआ था कि 1 करोड़ से अधिक निर्माण निगम करेगी लेकिन अब हो क्या रहा है कोई न कोई दूसरी एजेन्सी ले रही है काम निर्माण निगम की क्वालिटी और क्वान्टिटी अच्छी है ।

श्री कलराज मिश्र–

श्रीमन्, गौरी शंकर जी ने कुछ बातें उठाई हैं । आपने बसहरी पुल के घाट के बारे में बाया था कि वह 1991 में स्वीकृत हुआ था । 2 करोड़ 66 लाख की लागत थी लेकिन धनाभाव के कारण वह बन्द रहा । 1997 में प्रारम्भ हो गया है । काम की प्रगति 65 फीसदी है । यह हमको अभी सूचना दी गई हैं । दिसम्बर, 1997 में पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि अभी आप बता रहे हैं कि दिसम्बर 97 में पूरा होगा । 1991 का स्वीकृत पुल है । आपका मानक तो साल सवासाल में पुल पूरा करने का है ।

श्री कलराज मिश्र–

वह तो मान्यवर, पुल के आकार पर निर्धारित है । इटावा में चम्बल पर पुल की बात कही है । यह 1986 में स्वीकृत हुआ था लागत उसकी 13 करोड़ 90 लाख थी । धनाभाव के कारण बन्द रहा । बरसात के बाद बनना प्रारम्भ हो जायेगा । भ्रष्टाचार के बारे में बात आई । माननीय पाल जी ने भी उठाया । आपने ने भी कहा आदरणीय सुखपाल पाण्डेय जी ने कहा था । आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि भ्रष्टाचार के कई मामले हमारे सामने आये वह पहले के थे । 22 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं में दंडित किया है और भी जांच कर रहे हैं और निष्कर्ष मांग रहे हैं उसके आधार पर दंडित करने की योजना है । कोई उदासीनता नहीं बरती जा रही है । दीन दयाल सम्पर्क योजना के लिये 19.64 करोड़ रुपये का प्राविधान है । पहले ही कहा था नावार्ड के धन का पूरा उपयोग किया जायेगा उसी के आधार पर हिसाब लगाकर घोषित किया है प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 2-2 सड़क ले सकेंगे । हर जिले में 20 गांव ले सकेंगे यही मानक आधार बनाया है । प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है बजट के बाद वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी और बजट के बाद बनना आरम्भ हो जायेगा । अम्बेदकर नगर के सम्पर्क नगर के निर्माण के बारे में इस समय कुछ शिकायत आईं बरसात के कारण मिट्टी, गिट्टी के स्तर का ही कार्य हुआ है । बरसात के बाद लेपन का कार्य प्रारम्भ होगा । कुम्भ मेले के बारे में श्री अम्बरीष जी ने बात उठाई थी । राष्ट्रीय मार्ग 12 हैं प्रदेश में मुख्य रूप से और भी मानक हैं तो मापदंड के आधार पर सर्वेक्षण करते हैं केन्द्रीय सरकार कुछ सड़के देने की

प्लान बना रहे हैं कुछ नीति पास करनी है गाजीपुर बख्तर की सड़क है वह राष्ट्रीय मार्ग में आ गई है वह सड़क काफी खराब थी । 20 करोड़ रुपया कुम्भ मेले के लिए पी०डब्लू०डी० की तरफ से है नगर विकास की तरफ से बाकी का प्राविधान होगा । नगर विकास तय करेगा कि किस-किस विधान का कितना बजट खर्चा होगा । इसमें विवाद नहीं है किस प्रकार बने किसे अधिक दिया जाना चाहिए । पथकर के बारे में विषय रखा उसकी कई जगह दिक्कत आ रही है हम पूरे प्रदेश में पथकर के लिये विचार कर रहे हैं । पथकर के कारण पूरा माफिया सक्रिय हो रहा है इस पर विचार कर रहे हैं । तीर्थ स्थल में वैयिर लगाकर परेशान किया जाता है उसको समाप्त करने के लिए प्रयत्न शील हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

भारत सरकार ने नवें प्लान में गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल को स्वीकार कर लिया है वह आसाम तक मार्ग जाता है, गोरखपुर का पुल आपकी जानकारी में है इसको आप देख लें । जमुना नगर से सहारनपुर जो मार्ग जाता है उस पर पुल का निर्माण हो रहा है प्रगति हो रही है अब लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उसमें हम सकारात्मक रुख अपना रहे हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए दो बातें कहीं थीं दिल्ली से गोहाटी राजकीय मार्ग 28 है उसका पांच किलोमीटर मिसलिंक है पांच किलोमीटर सड़क नहीं है स्टेट हाइवे से बसें जाती हैं कलवारी टांडा पुल स्वीकृत हो चुका था ।

श्री कलराज मिश्र–

इसको हम दिखवा लेंगे । मुम्बई में राज्य तिथि गृह के निर्माण के बारे में बात कही थी । ओ०सी०आर० में जो पुरानी तीन लिफ्टे हैं उनको बदल कर नई लिफ्टे हम लगवा रहे और धनराशि उपलब्ध करवा दिया है ।

दारुलसफा के बारे में जो श्री दल बहादुर कोरी जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि वहां बड़ी गन्दगी और बदबू है तो वहां इक्झास्ट फैन शौचालयों में लगावाने पर हम विचार कर रहे हैं । यू०पी० भवन के बारे में बता दिया है कि विचार करेंगे ।

मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश में सड़कों की आवश्यकता है जिलों में बड़ी बड़ी सड़कों की आवश्यकता को देखते हुए तय किया है कि पूरे प्रदेश के हिसाब से एक हम मार्ग विकास नीति बनायें और वह बना लिया है । अब केवल मंत्रि-परिषद् में संस्तुति होना है । मार्ग विकास नीति के माध्यम से जहां राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा मार्गों को चाहे चौड़ा करना हो या नवनिर्माण हो हम निजी को इसमें आमंत्रित करेंगे । जो लोक निर्माण विभाग की भूमि है उसका समुचित उपयोग हो सके इसके संबंध में विचार कर रहे हैं । मेन्टीनेन्स में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । दसवें वित्त आयोग ने 465 करोड़ रुपये की संस्तुति किया था हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए । लेकिन फिलहाल 200 करोड़ रुपये मेन्टीनेन्स की व्यवस्था करने का प्रयास है ।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सड़कों के लिए कहा है उन्हें प्राथमिकता देकर उसकी स्वीकृति देकर उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का हम प्रयास करें जिससे कि आप लोगों के क्षेत्रों में सड़के बन सकें । श्री मिश्रा जी ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं उन पर विचार करेंगे कि कैसे मूर्तरूप उनको प्रदान किया जाए ? अन्त में मैं कहूंगा कि आपने जो हमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है मैं उसके लिए आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

और मान्यवर, शाक्य जी, माननीय पाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मिश्रा जी सितम्बर में मुख्य मंत्री होने वाले हैं, हमने अपने क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं आ पायी है । मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी आप वापस ले रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं लेकिन उस पर मंत्री जी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है । इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,92,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,09,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,03,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56 लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56 लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,44,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,82,18,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,12,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दिनांक 1-8-97 की कार्य-सूची की नत्थी 'ख' के ता० प्र० सं०—3 के निरस्तीकरण के संबंध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देनी है। माननीय श्री जगदम्बिका पाल ने कल दिनांक 1-8-1997 को प्रश्नकाल के उपरान्त यह शिकायत की थी कि उन्हें सदन की कार्य-सूची की नत्थी 'ख' के नियम 29((4) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या—3 के निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैंने इस मामले में पत्रावली देखकर स्थिति ज्ञात करने की बात कही थी। मैंने पत्रावली देखी। उक्त प्रश्न के निरस्तीकरण का अनुरोध दिनांक 31-7-1997 को रात्रि 8.30 बजे प्राप्त हुआ था और मेरे आदेश प्राप्त करके माननीय श्री पाल को रात्रि में ही निरस्तीकरण की सूचना जारी की गयी थी जो दिनांक 1-8-1997 को प्रातः उनके आवास पर प्राप्त करायी गयी। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रसीद पर उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर रोक लगाने तथा प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के भुगतान न किये जाने संबंधी चर्चा का स्थगन नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मद सं० 14 एवं 15 स्थगित है।

श्री अध्यक्ष—

कल दिनांक 2-8-97 को नियम—51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं। इसमें श्री राम नरेश यादव की, डा० राम बाबू हरित की तथा श्री हरिश्चन्द्र "हरीश जी" की सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकार की गयी है। श्री अकबर हुसैन की, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की, श्री विजय पाल सिंह की, श्री सीताराम निषाद की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार हुई है। श्री जगदीश सिंह राणा, श्री केशो मेहरा, श्री पारसनाथ यादव, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री ओम प्रकाश, श्री मुन्ना लाल मौर्य की सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई हैं। शेष सूचनायें श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री ओम प्रकाश, श्री दीप लाल भारती, श्रीमती कृष्णा राज, श्री उदय राज यादव, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री रंगनाथ मिश्र की अस्वीकृत की गयी।

जनपद मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों को ध्वस्त किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रदेश में निजी एवं अन्य राज्यों की लाटरियों की पुनः बाजार में खुले आम बिक्री से संबंधित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

मद सं० 17 एवं 18 स्थगित है।

अब हम उठते हैं, 4 अगस्त, 1997 को 11 बजे पुनः मिलेंगे।

इसके बाद सदन 12 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 2 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०—एल०- 351 विधान सभा (724)—1998-- 813 (डी०टी०पी०)।